Central Secretariat Library 5/3/1974

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 1974 (फाल्गुन 18, 1895)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 1974 (PHALGUNA 18, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	203
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	389
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	269
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	559
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	755
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	83
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1105
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	125
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	49
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	45
पूरक संख्या 10—	
2 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	309
26 जनवरी, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा दर्ज़ी बीमारियों से हुई मृत्यु संबंधी आंकड़े	321

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	203
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	389
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence ..	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	269
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations ..	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories	559
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	755
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defnce ..	83
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1105
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	125
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	49
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	45
SUPPLEMENT No. 10	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 2nd March 1974	309
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 26th January 1974	321

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1974

सं० 29—प्रेज /—राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा या साहस के कार्यों के लिए "सेना मैडल" / "आर्मी मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेंट कर्नल सुखदेव खुल्लर (आई०सी० 6743), आर्टिलरी रेजिमेंट । (मरणोपरान्त)

8 दिसम्बर, 1971 को, जब दुश्मन ने 183 लाइट रेजिमेन्ट के एक तोपखाने पर गोलाबारी शुरू की, तो लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुखदेव खुल्लर अपने जवानों को प्रेरणा देने और अपनी सेना के गोलाबारी से सहायता जारी रखने के लिए तोपखाने की ओर तेजी से बढ़े । जब वे तोपखाने के पास थे तब गोलाबारूद की गाड़ी पर दुश्मन का एक गोला आकर गिरा, जिससे विस्फोट हुआ और एक जूनियर कमीशन्ड अफसर घायल हो गया । अपने आप को खतरे में डालकर दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद वे जूनियर कमीशन्ड अफसर को निकालने दौड़ पड़े । ऐसा करते समय एक और गोला उनके पास फटा जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वीरगति प्राप्त हुई ।

इस कार्यवाही के दौरान, लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुखदेव खुल्लर ने, साहस, मैत्री और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

2. लेफ्टिनेन्ट कर्नल अशोक मांगलिक (आई०सी० 6161), आर्टिलरी रेजिमेंट ।

5/6 दिसम्बर, 1971 को लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मांगलिक एक फील्ड रेजिमेंट की कमान कर रहे थे । इन्हें डेरा बाबा नानक एन्कलेव को नष्ट करने के लिए किये गये आक्रमण के दौरान, प्रभावी सहायक गोलाबारी करने का कार्य सौंपा गया था । अपनी जान की तनिक परवाह किये बिना इन्होंने ऐसी जगह मोर्चा जमाया जहां तोपखाने, मार्टर और छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी हो रही थी । उसके बाद, बदलती सामरिक स्थिति के अनुसार गोलाबारी की योजना में परिवर्तन करने के वास्ते, ब्रिगेड कमांडर से सम्पर्क बनाए रखने के लिए वे लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहे ।

आक्रमण के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मांगलिक ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

3. लेफ्टिनेन्ट कर्नल अनिल कुमार सिन्हा (आई०सी० 5961) आर्टिलरी रेजिमेंट ।

दिसम्बर, 1971 की पाकिस्तान के विरुद्ध की गई संक्रिया में, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कुमार सिन्हा, पूर्वी क्षेत्र में एक माउन्टेन रेजिमेन्ट की कमांड कर रहे थे । पूरी संक्रिया के दौरान उन्होंने सेना को, प्रभावी ढंग से तोपखाने से गोलाबारी करके सहायता की । तोपखाने की गोलाबारी में समन्वय बनाये रखने के लिए वे अपनी जान की तनिक परवाह किये बिना एक जगह से दूसरी जगह जाते-आते रहे । कठिनाई में भी धैर्य रखने और शांति रहने के कारण उनके जवानों को प्रेरणा मिलती रही ।

आद्योपान्त लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कुमार सिन्हा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

4. लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल वरन गुहा (आई०सी०—7557), आर्टिलरी रेजिमेंट । (मरणोपरान्त)

3 दिसम्बर, 1971 को, छम्ब क्षेत्र में नियोजित एक मीडियम रेजिमेंट पर दुश्मन ने जोरदार हमला किया । उस समय लेफ्टिनेन्ट कर्नल अनिल वरन गुहा एक फील्ड रेजिमेन्ट की कमान्ड कर रहे थे । गनों को पुनः प्राप्त करने के लिये गन पोजिशन पर जाने और रेजिमेन्ट का पुनर्गठन करने के लिए, मीडियम रेजिमेन्ट के एक समूह का नेतृत्व करने, वे स्वेच्छा से आगे आये । दुश्मन की भारी एवं सही गोलाबारी और हवाई हमलों की परवाह किए बिना, वे आगे बढ़ते गये और गन क्षेत्र में पहुंच गए । ऐसा करते हुए उन्हें शत्रु का राकेट लगा और फलस्वरूप वे वीरगति को प्राप्त हुए ।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल वरन गुहा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

5. लेफ्टिनेंट कर्नल पवित्तर सिंह टकहार (आई०सी०—5830), आर्मर्ड कोर ।

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया में, लेफ्टिनेंट कर्नल पवित्तर सिंह टकहार पूर्वी क्षेत्र में एक आर्मर्ड रेजिमेन्ट की कमान कर रहे थे । 7 दिसम्बर को शत्रु की सेना को विभाजित करने के लिए इनकी रेजिमेन्ट ने रास्ते में सड़क रोक लगा दी । यह कार्य उन्होंने इतनी तेजी से किया कि शत्रु घबरा गया और उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी । शत्रु ने 7/8 दिसम्बर, 1971 की रात को बख्तरबन्द गाड़ियों और पैदल सेना से, इस पोजिशन पर जवाबी हमला किया । लेफ्टिनेंट कर्नल टकहार के प्रेरणात्मक नेतृत्व में, इस हमले को नाकाम कर दिया और शत्रु को काफी जानी नुकसान पहुंचाया । 10 दिसम्बर, 1971 को, लेफ्टिनेंट कर्नल पवित्तर सिंह टकहार ने रेजिमेंट को शत्रु की बगल से काफी चौड़े इलाके से ले जाकर सफल परिचालन किया और शत्रु के उस बटालियन समूह

को घेर लिया जो अच्छी तरह समन्वित रक्षात्मक स्थानों पर अधिकार किए हुए था, और उसकी तमाम गाड़ियों, सहायक आर्टिलरी और टैंकों पर कब्जा कर लिया, साथ ही बहुत से हथियार गोलाबारूद और विस्फोटकों पर भी अधिकार कर लिया।

आद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल पवित्तर सिंह टकहार ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

6. मेजर पहलाद टोरो (आई०सी०—15613), आर्टिलरी।

मेजर पहलाद टोरो शकरगढ़ क्षेत्र में संक्रिया कर रही इन्फैन्ट्री बटालियन से सम्बद्ध बैटरी कमाण्डर थे। 15 दिसम्बर 1971 के दिन बटालियन को बसन्तर नदी के आर-पार पुल पदाधार बनाने का काम सौंपा गया था। हालांकि लक्ष्य पर कब्जा कर लिया गया परन्तु शत्रु की प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र गति से हुई और उसने 16 तथा 17 दिसम्बर, 1971 को भारी आर्टिलरी और टैंक की गोलाबारी के साथ जबरदस्त जवाबी हमला किया। बटालियन काफी चौड़े अग्रभाग पर कार्यवाही कर रही थी इसलिए दो अग्रवर्ती प्रेक्षक अफसर जो कम्पनी के साथ थे, उनके लिए पूरे इलाके का प्रेक्षण करना मुश्किल था। मेजर पहलाद टोरो को हालांकि आम तौर पर बटालियन हैडक्वार्टर में ही रहना होता था परन्तु ये शत्रु की भारी आर्टिलरी और टैंक की गोलाबारी के बावजूद एक अग्रवर्ती कम्पनी में पहुंचे और अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना कारगर ढंग से तोपखाने से गोलाबारी शुरू कर दी और इससे तथा इन्फैन्ट्री के मार्टर दोनों से उक्त मोर्चे पर कब्जा करने की शत्रु की सारी कोशिश नाकामयाब हुई।

इस कार्यवाही में मेजर पहलाद टोरो ने साहस, पहल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

7. मेजर वीरेन्द्र कुमार भटनागर (आई०सी०—8251), 63वीं केवलरी।

मेजर वीरेन्द्र कुमार भटनागर पूर्वी क्षेत्र में दाऊदपुर से मधुरिया की तरफ आगे बढ़ते समय 63वीं कैवलरी की एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे। 8 दिसम्बर, 1971 को आगे बढ़ने वाली टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उनकी स्क्वाड्रन को वाजितपुर और मधुरिया में टैंक और आर्टिलरी की मदद से लड़ रही शत्रु की इंफैन्ट्री कम्पनी से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। मेजर भटनागर ने अपनी स्क्वाड्रन का चतुरता और सूझ-बूझ से संचलन किया और हर मौके पर अपनी टुकड़ियों को साहस के साथ शत्रु को घेर लेने के लिए प्रेरित किया और इस तरह उन्होंने शत्रु को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इस लड़ाई में शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचा।

आद्योपान्त मेजर वीरेन्द्र कुमार भटनागर ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

8. मेजर राम लाल वर्मा (आई०सी०—18712), राजपूताना राइफल्स।

पूर्वी क्षेत्र के तेलीखाली स्थान के मोर्चे राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के कब्जे में थे। शत्रु की सेना ने बार-बार इन मोर्चों पर हमले करने शुरू कर दिए। मेजर राम लाल वर्मा एक कम्पनी की कमान कर रहे थे, वे बिना किसी आड़ के एक खाई से दूसरी खाई में गए और अपने जवानों को डटे रहने की प्रेरणा दी। इस तरह इन्होंने उदाहरणीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। इन्होंने तोपखाने से भी चतुर्य और सही ढंग से गोलीबारी करवाई और शत्रु के हमलों को विफल कर दिया।

इस कार्यवाही में मेजर राम लाल वर्मा ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

9. मेजर गुरचरन सिंह प्रीत (आई०सी०—20646), सिख लाइट इंफैन्ट्री।

मेजर गुरचरन सिंह प्रीत को जो मिली जुली सेना की कमान कर रहे थे, पूर्वी क्षेत्र के दुर्गापुर स्थित शत्रु के मोर्चों पर दबाव डालने का काम सौंपा गया था। शत्रु के भारी गोलाबारी के बावजूद इन्होंने अपने जवानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और ये शत्रु को चारों ओर से घेर लेने में सफल हुए। शत्रु ने जबरदस्त जवाबी हमला किया, परन्तु मेजर प्रीत ने तेजी से अपनी स्थिति को बदला और वे जवानों के बीच रहे। इस प्रकार उन्होंने शत्रु को पीछे धकेलने में सफलता पाई। इससे शत्रु पूरी तरह से होश हवास खो बैठा और अपने मोर्चे छोड़कर जल्दी से पीछे हट गया।

इस कार्यवाही में मेजर गुरचरन सिंह प्रीत ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

10. मेजर कल्लिआनपुर कृष्णाजी राव (आई०सी०—14662), ब्रिगेड आफ गार्ड्स। (मरणोपरान्त)

मेजर कल्लिआनपुर, कृष्णाजी राव उस ब्रिगेड आफ गार्ड्स जिसे पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया गया था, वे एक बटालियन के कम्पनी कमान्डर थे। शत्रु पर हमला करते समय इन्होंने लक्ष्य पर कब्जा करके शत्रु पर संगीनों से हमले का नेतृत्व किया। बंकर से बंकर लड़ते हुए, अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना और अपने गंभीर घावों का विचार न करते हुए वे अपनी सेना को प्रेरणा और उत्साह देते रहे और इस प्रकार उन्होंने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। घावों के कारण बाद में वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में, मेजर कल्लिआनपुर कृष्णाजी राव ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

11. मेजर रणजीत सिंह (आई० सी०—11504), गढ़वाल राइफल्स।

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया के दौरान गढ़वाल राइफल्स पूर्वी क्षेत्र में नियोजित थी। मेजर रणजीत सिंह इसकी एक बटालियन में कम्पनी कमांडर थे। उन्होंने शत्रु की पोजीशन पर कब्जा करने के लिए, अपनी कम्पनी का नेतृत्व किया। उन्होंने महसूस किया कि सामने से आगे की तरफ बढ़ने में खतरा है, इसलिए मेजर रणजीत सिंह अपनी कम्पनी को बगल से ले गए और शत्रु पर हमला कर दिया। अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना वे बंकर से बंकर लड़ते हुए अपनी कम्पनी को आगे ले गए। इन्होंने खुद उस मशीन गन पर हमला करके उसे बरबाद कर दिया जो इनकी कम्पनी को जानी नुकसान पहुंचा रही थी और जिसने इनके आक्रमण को रोक दिया था। इस तरह लक्ष्य को जीतने में इनका योगदान रहा।

इस कार्यवाही में मेजर रणजीत सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

12. मेजर अशोक राज कोछड़ (एस०एस०—19750),
ब्रिगेड आफ गार्डस ।

5/6 दिसम्बर 1971 की रात को, मेजर अशोक राज कोछड़, ब्रिगेड आफ गार्ड्स की एक बटालियन की कम्पनी की कमान कर रहे थे । इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु के अच्छी तरह रक्षित एक मोर्चे पर हमला करने का काम सौंपा गया था । हमले के दौरान शत्रु की मंझली मशीन गन ने तीव्र और अचूक गोलाबारी करके हमले के वेग को कम कर दिया । मेजर कोछड़ ने कम्पनी के आक्रमण की दिशा को बदल डाला जिससे शत्रु घबराहट में उस पोजीशन को छोड़कर भाग गया और पीछे काफी हथियार गोलाबारूद और उपस्कर भी छोड़ दिया ।

इस कार्यवाही में, मेजर अशोक राज कोछड़ ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

13. मेजर शेर सिंह ग्रेवाल (आई०सी०—14009),
पंजाब रेजिमेन्ट ।

10 दिसम्बर, 1971 की रात को मेजर शेर सिंह ग्रेवाल, पंजाब रेजिमेन्ट की बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे जिसको पुंछ क्षेत्र में, शत्रु के एक ठिकाने पर हमला करने का काम सौंपा गया था । शत्रु के प्रभावी गोलाबारी की परवाह किए बिना और इस कार्यवाही में जख्मी हो जाने पर भी, दृढ़-निश्चय से इन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व किया और लक्ष्य पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में मेजर शेर सिंह ग्रेवाल ने साहस, दृढ़-निश्चय, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

14. मेजर नारायण सिंह कोक (आई० सी०—14488),
सिख रेजिमेन्ट ।

3 दिसम्बर, 1971 को अमृतसर क्षेत्र में एक सीमा चौकी पर शत्रु की कम्पनी ने हमला कर दिया जिसकी सुरक्षा का काम एक इंफैन्ट्री प्लाटून कर रही थी । गोलाबारी के कारण कम्पनी और कम्पनी हैडक्वार्टर के बीच टेलीफोन संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । मेजर नारायण सिंह कोक शीघ्रता से 10 जवानों की गश्त लेकर प्लाटून के ठिकाने से संपर्क बनाने के लिए तीव्र तोपखाने और मार्टर गोलाबारी के बीच आगे बढ़े । वहां पहुंचने के बाद वे घायल जवानों को और शत्रु से जीते हुए उपस्कर को वापस ले आए ।

इस कार्यवाही में मेजर नारायण सिंह कोक ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

15. मेजर जगतार सिंह विर्क (आई०सी०—19923),
आर्टिलरी रेजिमेंट ।

4 दिसम्बर, 1971 की रात को मेजर जगतार सिंह विर्क उस इंफैन्ट्री कम्पनी के साथ अग्रिम परीक्षण अफसर थे जिसने पश्चिमी क्षेत्र में झंडी माले पर कब्जा किया । जब कम्पनी लक्ष्य पर पहुंच कर स्थिर हो रही थी, उस वक्त शत्रु ने पूरी ताकत से तोपखाने से भारी और प्रभावी गोलाबारी से जवाबी हमला कर दिया । मेजर विर्क अपनी जान की परवाह किए बिना खुले में आगये और अपने तोपखाने से अचूक गोलाबारी शुरू कर दी । शत्रु के हमले को पीछे धकेलना इन्हीं के कारण सम्भव हुआ ।

इस कार्यवाही में मेजर जगतार सिंह विर्क ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

16. मेजर श्री कुमार नारायण (एम०आर०—1498),
सेना चिकित्सा कोर ।

दिसम्बर 1971 में राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया के दौरान मेजर श्री कुमार नारायण ने असाधारण कर्त्तव्य-निष्ठा और व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया । इन्होंने शत्रु की भारी गोलाबारी और हवाई आक्रमण के बीच काफी तादाद में गम्भीर रूप से जख्मियों की शल्य चिकित्सा करके उन्हें पुनर्जीवन दिया । यह काम वे कई घंटे तक करते रहे । इसमें उन्होंने असीम शक्ति, अत्याधिक सहनशक्ति और निस्वार्थ सेवा दिखाई ।

आद्योपान्त मेजर श्री कुमार नारायण ने साहस, व्यावसायिक कुशलता और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

17. मेजर सुरेश यशवंत रेगे (आई०सी०—7306),
आर्टिलरी रेजिमेन्ट ।

6 दिसम्बर, 1971 को शकरगढ़ क्षेत्र में जमीन पर आगे बढ़ने वाली अपनी सेना के आगे-आगे हवाई जहाज उड़ते हुए, मेजर सुरेश यशवंत रेगे को आगे बढ़ते हुए शत्रु के टैंक दिखाई दिये । उन्होंने अपने तोपखाने से उन पर गोलाबारी करवा कर शत्रु के दो टैंकों को नुकसान पहुंचाया । हालांकि उनके अपने हवाई जहाज को क्षति पहुंची थी फिर भी वे तोपखाने से उस वक्त तक गोलाबारी करवाते रहे जब तक कि शत्रु पीछे नहीं हट गया । बाद में 16 दिसम्बर, 1971 को जब वे विमान वाहित मिशन पर जा रहे थे तो शत्रु के हवाई जहाजों ने इनके जहाज को रोका यद्यपि इनका जहाज क्षतिग्रस्त था फिर भी वे शत्रु के जहाज से बचते हुये, अपने मिशन को पूरा करने तक डटे रहे ।

इस कार्यवाही में मेजर सुरेश यशवंत रेगे ने साहस, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

18. मेजर सुशील कुमार सेखरी (आई०सी०—13019),
आर्टिलरी रेजिमेन्ट ।

1971 की पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया के दौरान मेजर सुशील कुमार सेखरी, एक स्वतन्त्र आर्टिलरी ब्रिगेड के गोलाबारी निदेशक केन्द्र के इंचार्ज थे । पहले चार दिनों में इन्होंने केन्द्र पर साठ घंटे तक लगातार प्रबंध सम्भाला और बड़े प्रभावी ढंग से तोपों की गोलाबारी को नियंत्रित किया। इन्हीं के प्रयत्नों के कारण, डेरा बाबा नानक मोर्चे को जीतना और बाद में होने वाले जवाबी हमलों को असफल करना, संभव हुआ ।

आद्योपान्त मेजर सुशील कुमार सेखरी ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

19. मेजर कोदंड करिअप्पा करम्बया (आई०सी०-11019), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री ।

4 दिसम्बर, 1971 को, मराठा लाइट इन्फैन्ट्री बटालियन के सैकंड-इन-कमान मेजर कोदंड करिअप्पा करुम्बया, उस कम्पनी के साथ थे जिसने पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर हमला किया । जैसे ही आक्रमण जोरों पर था शत्रु ने भारी जबरदस्त मशीन गन से गोलाबारी शुरू कर दी । अपनी जान की परवाह किए बिना मेजर करुम्बया अपने जवानों को, उत्साह और जोश दिलाते हुये, लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े और इस दौरान इन्होंने शत्रु को काफी नुकसान पहुंचाया ।

इस कार्यवाही में मेजर कोदंड करिअप्पा करुम्बया ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

20. मेजर जनक राज राजपूत (आई०सी०-19272), राजपूताना राइफल्स ।

10 दिसम्बर, 1971 को मेजर जनक राज राजपूत, राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे । इस कम्पनी को राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन के एक ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था । शत्रु की मशीन गन और मार्टर की भारी गोलाबारी के कारण, कम्पनी का आक्रमण रुक गया था । निर्भय होकर मेजर जनक राज राजपूत ने अपने जवानों को लेकर लक्ष्य पर हमला कर दिया और दुश्मन की मशीन गन को बरबाद कर दिया। इनके इस कार्य से इनकी कमान को प्रेरणा मिली और लक्ष्य जीतना संभव हुआ ।

इस कार्रवाई में, मेजर जनक राज राजपूत ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

21. मेजर नरेश शर्मा (आई०सी०-14439) कुमाऊं रेजिमेंट ।

8 दिसम्बर, 1971 को, पूर्वी क्षेत्र में एक स्थान में दुश्मन के मोर्चों पर हमले के दौरान, मेजर नरेश शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे । दुश्मन के भारी प्रतिरोध और स्वयं जख्मी हो जाने के बावजूद भी इन्होंने अपने जवानों को आगे बढ़ने और लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए जोश और उत्साह दिलाया ।

इस कार्यवाही में मेजर नरेश शर्मा ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

22. मेजर सुभाष चन्द्र शर्मा (आई०सी०-22672) राजपूताना राइफल्स ।

जब दुश्मन ने पूर्वी क्षेत्र में हमारी एक सीमा बासु चौकी पर हमला किया और कमांडिंग अफसर जख्मी हो गया, तो मेजर सुभाष चन्द्र शर्मा आगे आये और उन्होंने अपने जवानों को दुश्मन के खिलाफ लड़ने और हमले को विफल करने की प्रेरणा दी ।

इस कार्रवाई में मेजर सुभाष चन्द्र शर्मा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

23. मेजर ओम प्रकाश कोहली (एस०एस०-19586) गार्डस ब्रिगेड ।

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया में, मेजर ओम प्रकाश कोहली ब्रिगे आफ गार्डस की एक बटालियन की कम्पनी की कमान कर रहे थे । इस कम्पनी को पूर्व क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था । एक रेल की लाइन के तंग अग्रभाग पर हमला करते समय, दुश्मन की मशीन गन और प्रतिक्षेपरहित (आर०सी०एल०) गन के भारी और प्रभावी गोलाबारी से, हमला रुक गया । अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना, मेजर कोहली ने अपने जवानों को, हमला जारी रखने के लिए जोश और उत्साह दिलाया और दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचा कर, लक्ष्य पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में मेजर ओम प्रकाश कोहली ने साहस, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

24. मेजर कैलाश नाथ (आई० सी०-8460) आर्टिलरी रेजिमेंट

जब दुश्मन ने, पंजाब रेजिमेंट की बटालियन के कब्जे में एक रक्षात्मक ठिकाने पर जोरदार हमला किया, उस समय मेजर कैलाश नाथ इस बटालियन की सहायता करने वाली एक बैटरी के कमांडर थे । इन्होंने प्रेक्षण-चौकी का प्रबन्ध संभाला और दुश्मन पर अचूक और प्रभावी गोलाबारी करवा कर, आक्रमण को विफल कर दिया । दुश्मन की भारी गोलीबारी और छोटे हथियारों की गोलीबारी के बीच, वे रक्षित क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहे और इस प्रकार गोलाबारी का निर्देशन करते रहे और दुश्मन को काफी जानी नुकसान पहुंचाया ।

इस कार्रवाई में मेजर कैलाश नाथ ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

25. मेजर संतोष चौहान (आई० सी०-20402), कुमाऊं रेजिमेंट ।

17 दिसम्बर, 1971 को मेजर सन्तोष चौहान कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे । इस कम्पनी ने शकरगढ़ क्षेत्र में दुश्मन के कुछ ठिकानों पर कब्जा कर लिया था । दुश्मन ने इस ठिकाने पर पूरी ताकत से तोपखाने की भारी एवं अचूक गोलाबारी की सहायता से जवाबी हमला किया । भारी मात्रा में हो रही गोलाबारी की परवाह किए बिना, मेजर संतोष चौहान, एक खाई से दूसरी खाई में जाकर अपने जवानों को जमे रहने का उत्साह दिलाते रहे और दुश्मन का हमला विफल कर दिया ।

इस कार्रवाई में मेजर सन्तोष चौहान ने, साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

26. मेजर सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज (आई० सी०-7364) आर्मी आर्डनेंस कोर ।

जब सेना की एक विशेष रेलगाड़ी, अमृतसर क्षेत्र में मीडियम रेजिमेंट को ले जा रही थी, तब एक डिब्बे में आग लग गई । इस

डिब्बे में ले जाया जा रहा ट्रैक्टर और उसके साथ रखा गोलाबारूद पूरी तरह जल गया, और गोलाबारूद पूरे रास्ते में एक दम खतरनाक हालत में बिखर गया। रास्ता फिर से शुरू करने के लिए, रास्ते में से और उसके आसपास से सजीव गोलाबारूद हटाना अत्यावश्यक था। मेजर सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज ने भारी निजी खतरा उठाकर तमाम सजीव राउंड, फ्यूज और उनके दूसरे हिस्से हटाए।

इस कार्रवाई में मेजर सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज ने, साहस, दृढ़निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

27. मेजर तीरथ सिंह (आई० सी० 13931) (मरणोपरान्त)
सिख लाइट इन्फैन्ट्री।

11 दिसम्बर 1971 की रात को, मेजर तीरथ सिंह, सिख लाइट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। इस कम्पनी ने पश्चिमी क्षेत्र में दुस्सी बन्द जंक्शन पर, कब्जा कर लिया था। शत्रु ने दो जवाबी हमले किए, लेकिन मेजर तीरथ सिंह के प्रेरणादायक नेतृत्व में दोनों हमले विफल कर दिए गए। शत्रु ने तीसरा हमला पूरी ताकत से किया, उसे भी विफल कर दिया गया। लेकिन इस कार्यवाही में मेजर तीरथ सिंह, गम्भीर रूप से जख्मी हुए और घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हुए।

आद्योपान्त मेजर तीरथ सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

28. मेजर सुशील कुमार सिक्का (आई० सी०-8232), इंजीनियर कोर।

6 दिसम्बर, 1971 को मेजर सुशील कुमार सिक्का को पश्चिमी क्षेत्र में, लोहारा मेहलवान—लसर कलां क्षेत्र में शत्रु की रक्षात्मक सुरन्गों की रचना और गहराई मालूम करने का काम सौंपा गया था। इस काम के लिए इन्होंने 9 और 10 दिसम्बर, 1971 को रातों को दो टोह लगाने वाली गश्तों का नेतृत्व किया। शत्रु की तोपों और छोटे हथियारों की गोलाबारी की परवाह किए बिना, वे सुरंग क्षेत्र में 600 गज तक अन्दर घुस गए और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर लौटे।

इस कार्यवाही में, मेजर सुशील कुमार सिक्का ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

29. कैप्टन रविन्दर सिंह देवल (आई० सी०-16714), 17वां हार्स।

15 दिसम्बर, 1671 की रात कैप्टन रविन्दर सिंह देवल उस 17वें हार्स टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे जो बसन्तर नदी को इंफैन्ट्री द्वारा बनाए गए पुल पदाधार से जा रही थी। शत्रु की भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए ये मरज चाक वाले शत्रु के सुदृढ़ मोर्चे को नष्ट करके सुरन्ग क्षेत्र में से होकर आगे बढ़े। घोर अन्धियारी रात होने पर भी ये अपने स्क्वाड्रन को पुल-पदाधार तक ले आए। 16 दिसम्बर, 1971 की सुबह टैंकों की लड़ाई में कैप्टन देवल ने अनेक जवाबी हमलों को विफल कर दिया। जब स्वयं इनके टैंक पर एक गोला लगा और वह जलने लगा तो अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना और शत्रु की गोलाबारी के बावजूद इन्होंने अपने ड्राइवर को जलते हुए टैंक से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आए।

इस कार्यवाही में कैप्टन रविन्दर सिंह देवल ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

30. कैप्टन कैलाश चन्द्र शर्मा (आई० सी०-22304), आर्टिलरी।

कैप्टन कैलाश चन्द्र शर्मा जेसलमेर में वायुसेना केन्द्र पर स्थल सम्पर्क अफसर थे। अपनी ड्यूटी के अलावा, इन्होंने वायुसेना आभूचना (इन्टैलिजेन्स) अफसर और वायु फोटो इन्टरप्रेटर के काम भी बहुत ही कुशलता से निभाये। इन्होंने पायलटों को निदेश ही नहीं दिए वरन् बाद में कार्यवाही से लौटने पर उनसे यह भी जानकारी हासिल की कि उन्होंने क्या क्या काम किए। इन सब कामों को इन्होंने बड़ी मेहनत से किया। साथ ही इन्होंने पायलटों के साथ अच्छा सम्पर्क बनाए रखा और जमीनी हालात को हर समय समझने में उनकी मदद की जिससे वहां क्या कार्यवाही करनी है इसका निर्णय लेने में पायलटों को कम समय लगा।

आद्योपान्त कैप्टन कैलाश चन्द्र शर्मा ने व्यावसायिक चातुर्य और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

31. कैप्टन बाबू खां (एस० एस०-20071), ग्रेनेडियस।

कैप्टन बाबू खां को राजस्थान क्षेत्र के रलनोर क्षेत्र में शत्रु के रक्षित मोर्चों की टोह लेने का काम सौंपा गया था। रलनौर से थोड़ी दूर पहले इनका शत्रु की अगली प्लाटून से मुठभेड़ हो गई और शत्रु थोड़ी देर तक मुकाबला करने के बाद पीछे हट गया। जब ये और आगे बढ़े तो शत्रु ने भारी मार्टर और मशीनगन से गोलीबारी शुरू कर दी जिसके कारण इनकी प्लाटून को रेत के टीले पर मोर्चा जमाना पड़ा। इसके थोड़ी देर बाद शत्रु ने मझौली तोपखाने की मदद से इस प्लाटून पर हमला किया। इन्होंने अपने सैन्य दल का हौसला बढ़ाया और शत्रु को भारी जानी नुक्सान पहुंचाते हुए उसके हमले को पीछे धकेल दिया। इसके बाद इन्होंने वहां पर अपना पक्का मोर्चा स्थापित किया और पीछे की टुकड़ियों को सूचनाएं भिजवाई जिससे रलनोर पर बाद में होने वाले हमलों में और उस पर कब्जा करने में बड़ी मदद मिली।

इस कार्यवाही में कैप्टन बाबू खां ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

32. कैप्टन प्रवीणकिशोर जौहरी (मरणोपरान्त) (आई० सी० 23382), 5वीं गोरखा राइफल।

कैप्टन प्रवीण किशोर जौहरी पूर्वी क्षेत्र के अतग्राम स्थान पर शत्रु के मोर्चों पर हमले के दौरान 5वीं गोरखा राइफल की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। शत्रु के तोपखाने और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी के कारण इनका हमला रुक गया। हालांकि इनके पेट पर मशीनगन की गोलियों की बौछार पड़ी फिर भी अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना और घावों की चिन्ता न करते हुए इन्होंने हमले का नेतृत्व किया और

जवानों को अपने पीछे आने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने स्वयं शत्रु के एक बंकर पर हमला किया और उस के तीन जवानों को मार कर उसे नष्ट कर दिया। लक्ष्य पर कब्जा करने के पश्चात वे घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में कैप्टन प्रवीण किशोर जौहरी ने साहस, संकल्प और नेतृत्व का परिचय दिया।

33. कैप्टन सपू मैथ्यूज (आई० सी०-18664), आर्टिलरी।

16 दिसम्बर, 1671 को कैप्टन सपू मैथ्यूज एक अन्य अफसर के साथ पश्चिमी क्षेत्र में हवाई उड़ान मिशन से लौट रहे थे। शत्रु ने इनके हवाई जहाज पर मशीन गन से गोली चलवाई जिससे विमान चलाने वाला अफसर गम्भीर रूप से घायल हो गया और पैट्रोल की टंकी में छेद हो गया। कैप्टन मैथ्यूज ने बड़ी सूझ-बूझ से काम लेकर विमान का नियन्त्रण संभाल लिया और बड़ी चतुराई से पास के नदी तल में विमान को उतार लिया। तोपखाने और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी के बावजूद ये घायल अफसर को लगभग 100 गज की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर ले गए और फिर अपने साथी की सहायता का प्रबन्ध करने के लिए दौड़े।

इस कायवाही में कैप्टन सपू मैथ्यूज ने साहस, व्यावसायिक चातुर्य और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

34. कैप्टन अप्पावरप्पू लक्ष्मीनरसिंहा शर्मा (एम० आर०"2612), सेना चिकित्सा कोर।

जब शत्रु ने पूर्वी क्षेत्र में हमारी एक सीमावर्ती चौकी पर हमला किया और उसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया तो कैप्टन अप्पावरप्पू लक्ष्मीनरसिंहा शर्मा ने प्रतिकूल परिस्थितियों में घायलों की लगातार सेवा की। जब इन्हें यह मालूम पड़ा कि अग्रवर्ती कम्पनियों में दो जवान गम्भीर रूप से घायल हो गए हैं और शत्रु की भीषण गोलाबारी के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सकता, तो अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना ये चिकित्सा का झोला लेकर आगे गए और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता दी।

आद्योपान्त कैप्टन अप्पावरप्पू लक्ष्मीनरसिंहा शर्मा ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

35. कैप्टन मदन मोहन शमराव गडगकर (आई० सी०-19131), आर्टिलरी।

कैप्टन मदन मोहन शमराव गडगकर पश्चिमी क्षेत्र में "चकरा" ठिकाने पर हमले के दौरान ग्रेनेडियर की एक बटालियन की एक कम्पनी में अग्रिम प्रेक्षक अफसर थे। इन्होंने सुरंगक्षेत्र में विरचना और प्रहार के दौरान लक्ष्य पर तोपखाने से दुरुस्त और कारगर गोलाबारी करवाई जिससे प्रहार करने वाले सैन्यदल में कम से कम हताहत हुए और लक्ष्य पर पहुंच सके। लक्ष्य पर 3 घन्टे तक होने वाली भीषण लड़ाई के दौरान ये हमेशा कम्पनी कमान्डर के साथ रहे और कई लक्ष्यों पर गोलाबारी करवाई जिससे हमले में सफलता मिली। जब शत्रु जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, तो ये निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना और शत्रु के तोपखाने एवं मार्टर की भारी गोलाबारी के बावजूद खुले में चले गए और तोपखाने से दुरुस्त गोलाबारी करवाई जिससे शत्रु का काफी जानी नुकसान हुआ और वह तितर-बितर होने के लिए विवश हो गया।

इस कार्यवाही मे कैप्टन मदन मोहन शमराव गडगकर ने साहस, संकल्प और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

36. कैप्टन गिरजेश प्रताप सिंह (आई० सी०-21768), सिगनल कोर।

18 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन गिरजेश प्रताप सिंह को पश्चिमी क्षेत्र में आड़ी तक 25 किलोमीटर की दूरी में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम सौंपा गया था। यह लाइन संक्रियात्मक रास्ते के साथ-साथ बिछी हुई थी और इस पर बार-बार हवाई हमले और लगातार गोलाबारी हो रही थी। इससे यह लाइन अनेक स्थानों पर बार-बार कट जाती थी। बमबारी और गोलाबारी की परवाह किए बिना इन्होंने अपने जवानों को प्रेरणा दी और उनका हौसला बढ़ाया जिससे वे लगातार 36 घन्टे तक रात दिन काम करते रहे। इनके इन प्रयत्नों से संचार लाइन हमेशा ठीक रह सकी।

इस कार्यवाही में कैप्टन गिरजेश प्रताप सिंह ने साहस, संकल्प, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

37. कैप्टन विष्णु लक्ष्मण वाडोडकर (आई० सी०-22128) आर्टिलरी।

8 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन विष्णु लक्ष्मण वाडोडकर जम्मू और कश्मीर रायफल की एक बटालियन की उस कम्पनी में अग्रिम-प्रेक्षक अफसर थे जिसने पश्चिमी क्षेत्र में एक ठिकाने पर हमला किया। शत्रु के घने और दुरुस्त गोलाबारी ने तकरीबन इनका हमला रुक गया। ऐसे समय कैप्टन वाडोडकर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गए और अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना शत्रु की पोजीशनों को पूरी तरह बे असर कर दिया। बाद में शत्रु ने इन पर जवाबी हमला किया तो ये उसे भी नाकाम-याब करने में सफल रहे।

इस कार्यवाही में कैप्टन विष्णु लक्ष्मण वाडोडकर ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

38. कैप्टन यादव मुखर्जी (आई० सी०-21068), आर्मी आर्डनेन्स कोर।

5 दिसम्बर, 1971 को अखनूर के एक गोलाबारूद स्थल में शत्रु की बमबारी के कारण आग लग गई। इससे गोलाबारूद के दूसरे बड़े क्षेत्रों में भी आग लगने का खतरा पैदा हो गया। कैप्टन यादव मुखर्जी अपने जीवन की तनिक परवाह किए बिना उस क्षेत्र में गए और आग पर काबू पाने के लिए सात घन्टों तक जूझते रहे। कैप्टन मुखर्जी के लगातार प्रयत्नों से एक भारी खतरा टल गया।

इस कार्यवाही में कैप्टन यादव मुखर्जी ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

39. कैप्टन रमेश चन्द्र डबराल (एस० एस०-22223), आर्टिलरी।

11 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन रमेशचन्द्र डबराल को हमारे उन टैंकों को हवाई खतरों से बचाने का काम सौंपा गया था जो शकरगढ़ क्षेत्र के कारी नदी क्षेत्र में फंस गए थे। रात के समय ऊबड़ खाबड़ इलाके से अपने सैन्यदलों को ले जाकर इन्होंने अपनी तोपों को उस क्षेत्र में कारगर ढंग से लगाया और जब शत्रु के विमानों ने 12 दिसम्बर, 1971 की सुबह हमारे टैंकों पर हमला किया तो इन्होंने उन पर गोलियां चलाईं। इनकी गोलाबारी इतनी सही थी कि शत्रु के विमान उस क्षेत्र से उड़ कर दूर चले गए और हमारे टैंकों को कोई नुकसान न पहुंच सका।

इस कार्यवाही में कैप्टन रमेश चन्द्र डबराल ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

40. कैप्टन मल्कियत सिंह दुल्लत (आई० सी०-15949), आर्टिलरी।

4 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन मल्कियत सिंह दुल्लत को शत्रु के उन टैंकों पर हमला करने का काम सौंपा गया था जिनकी पूर्वी क्षेत्र में दरसाना पर हमारे हमले में रुकावट डालने की सम्भावना थी। दिखाव कम होने के कारण इन्हे विमान निचाई पर उड़ाना पड़ा जिससे इनके विमान पर मशीनगन से भारी गोली-बारी हुई। हालांकि इनके विमान को क्षति पहुंची थी, परन्तु इसकी ओर ध्यान न देकर और बिना झिझके इन्होंने शत्रु के टैंकों का पता लगाया और उन पर प्रभावी हमला किया। इस तरह मिशन को पूरा करने में इन्होंने बहुत अंशों तक सहायता की।

इस कार्यवाही में कैप्टन मल्कियत सिंह दुल्लत ने साहस, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

41. कैप्टन टेक चन्द भारद्वाज (एस० एस०-20880), पैराशूट रेजिमेंट।

11 दिसम्बर, 1971 की रात में पूर्वी क्षेत्र में तंगाइल ठिकाने में पुंगली पुल पर पैराशूट रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा हवाई-हमले के बाद कैप्टन टेक चन्द भारद्वाज को जो एक खासमिशन नेतृत्व कर रहें थे, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा करने और शत्रु के जवाबी हमलों की पूर्व सूचना देने का काम सौंपा गया था। उस क्षेत्र पर शत्रु की प्लाटून ने कब्जा कर रखा था और उसके पास मझौली मशीनगन थी। इनके पास केवल थोड़ी इन्फैन्ट्री और इंजीनियरी थें जिन्हे एक एक मीडियम (मझौली) मशीनगम और प्रतिक्षेपरहित (आर० सी० एल०) गन की टुकड़ी की मदद मिल रही थी। कैप्टन टेक चन्द भारद्वाज ने अपनी सेना को चतुराई से नियोजित किया, जिसके परिणामस्वरूप शत्रु ने वह स्थान छोड़ दिया और वहां कैप्टन टेक चन्द भारद्वाज का कब्जा हो गया। शत्रु ने और कुमुक मगाई और अपनी कम्पनियों से इस स्थान पर हमला कर दिया। जब इन्हें मालूम पड़ा कि शत्रु ताकतवर है और उसके सामने डटे रहना मुश्किल है तो इन्होंने अपनी सेना को पीछे हटा लिया और घात लगाई। शत्रु इनका पीछा कर ही रहा था, वह इनके घेरे में आ गया और उसे भारी जानी नुक्सान पहुंचा। इसके पश्चात इनकी टुकड़ी पीछे हट गई और बटालियन से जा मिली 15/16 दिसम्बर, 1971 की रात में ढाका की तरफ बढ़ते हुए, कैप्टन भारद्वाज को धावा करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व करने और शत्रु से मुकाबला करने का आदेश दिया गया। पुल को पार करते समय इनकी टुकड़ी पर छोटे हथियारों की भारी ओर सही गोली बारी होने लगी। उन्होंने: दूसरी तरफ से शत्रु पर गोलीबारी की और उसे भारी जानी नुक्सान पहुंचाया।

इस कार्यवाही में कैप्टन टेक चन्द भारद्वाज ने साहस, संकल्प और नेतृत्व का परिचय दिया।

42. कैप्टन कुप्पूस्वामी चन्द्रशेखर (आई० सी० 23427), मद्रास रेजिमेन्ट।

5 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन कुप्पूस्वामी चन्द्रशेखर को पश्चिमी क्षेत्र में कलसिआं खुर्द पर कब्जा करने और कब्जा बनाए रखने के आदेश दिए गए। शत्रु के कड़े मुकाबले के बावजूद इन्होंने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। शत्रु ने वह जवाबी हमले किए परन्तू कैप्टन कुप्पूस्वामी चन्द्रशेखर के प्रेरक नेतृत्व के कारण विफल कर दिए गए।

इस कार्यवाही में कैप्टन कुप्पूस्वामी चन्द्रशेखर ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

43. कैप्टन लालगुडी नारायणस्वामी सुन्द्रा राजन (एस० एस०-19509), आर्टिलरी।

11 दिसम्बर, 1971 की रात को कैप्टन लालगुडी नारायण-स्वामी सुन्द्रा राजन पश्चिमी क्षेत्र में फतेहपुर चौकी पर हमले के दौरान सिख लाइट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी में अग्रवर्ती प्रेक्षण अफसर थे। जब शत्रु को चौकी से हाथ धोना पड़ा तो उसने बड़ी संख्या में जवानों को लेकर भारी तोपखाने की गोलाबारी की मदद से बार-बार जवाबी हमले किए। कैप्टन राजन अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान दिए बिना प्रहार करने वाले शत्रु का प्रेक्षण करते हुए और उस पर कारगर गोलाबारी करवाते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। इस प्रकार मुख्यतय: इनके प्रयत्नों की वजह से ही शत्रु के हमले विफल कर दिए गए।

इस कार्यवाही में कैप्टन लालगुडी नाराणस्वामी सुन्द्रा राजन ने साहस, संकल्प और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

44. कैप्टन श्रीकान्त नागेश धर्माधिकारी (टी० ए०-41367), हवाई रक्षा रेजिमेन्ट (टी० ए०)।

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान कैप्टन श्रीकान्त नागेश धर्माधिकारी एक हवाई रक्षा रेजिमेन्ट में ट्रूप कमांडर थे और इन्हें राजस्थान क्षेत्र में ओखा चौकी को हवाई हमलों से बचाने का काम सौंपा गया था। 5 और 9 दिसम्बर, 1971 को इस चौकी पर शत्रु के विमानों ने हमले किए। कैप्टन

धर्माधिकारी ने अपने सैन्यदलों की गोलीबारी का दक्षता और कुशलता से नियन्त्रण किया और उसे सही दिशा दी जिससे इन्होंने शत्रु के दो विमान मार गिराए।

इस कार्यवाही में कैप्टन श्रीकान्त नागेश धर्माधिकारी ने साहस, व्यावसायिक कुशलता और नेतृत्व का परिचय दिया।

45. कैप्टन प्रमोद कुमार चोपड़ा (आई० सी०-15898), आर्टिलरी।

13 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन प्रमोद कुमार चोपड़ा पश्चिमी क्षेत्र में नयाछोर पर हमले के दौरान सिख रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी में अग्रवर्ती-प्रेक्षण अफसर थे। इनकी हमले की गति शत्रु के प्रभावी और भारी गोलाबारी के कारण रुक गई। अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान दिए बिना कैप्टन प्रमोद कुमार चोपड़ा आगे बढ़े और एक सुविधाजनक स्थान पर मोर्चा जमाते हुए जहां पर भारी गोलाबारी हो रही थी और वहां से इन्होंने शत्रु के हथियारों को बेअसर करने के लिए तोपखाने से सही गोलाबारी करवाई। इस प्रकार कम्पनी आगे हमला कर सकी।

इस कार्यवाही में कैप्टन प्रमोद कुमार चोपड़ा ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

46. कैप्टन शेखर दत्त (एस० एस०-19877), आर्टिलरी।

15 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन शेखर दत्त पश्चिमी क्षेत्र में नयाछोर पर हमले के दौरान एक बख्तरबन्द स्क्वाड्रन में अग्रवर्ती प्रेक्षण अफसर थे। इस हमले में इनका टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और गतिहीन हो गया। कैप्टन दत्त भारी गोलाबारी से बिना झिझके टैंक से बाहर निकल आए और एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचे, यहां से इन्होंने तोपखाने से सही और प्रभावी गोलाबारी करवाई।

इस कार्यवाही में कैप्टन शेखर दत्त ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

47. कैप्टन भजन सिंह कतवाल (मरणोपरान्त)
(आई० सी०-22658)
आर्टिलरी।

17 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन भजन सिंह कतवाल मद्रास रेजिमेन्ट की एक बटालियन में प्रेक्षण चौकी अफसर थे और पश्चिमी सैक्टर में हिंगोरों तार की एक रक्षात्मक मोर्चे पर कब्जा किए हुए थे। तड़के सवेरे ही शत्रु ने भारी संख्या में तोपखाने की मदद से इस मोर्चे पर हमला किया परन्तु उसके हमले को विफल कर दिया गया। तब शत्रु ने और भी अधिक संख्या में इन पर दुबारा प्रहार किया और अग्रवर्ती रक्षित इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमारे सैन्यदलों नजदीक होने के कारण शत्रु पर तोपखाने से गोलाबारी नहीं की जा सकती थी इसलिए कैप्टन भजन सिंह कतवाल ने कुछ जवानों को लेकर हमला कर रहे शत्रु पर प्रहार किया। इस प्रक्रिया में इनके मस्तक पर गोली लगी, जिसके परिणामस्वरूप इन्होंने वीर गति पाई।

इस कार्यवाही में कैप्टन भजन सिंह कतवाल ने साहस और नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया।

48. कैप्टन वीर नाथ (आई० सी०-23317), सिख लाइट इन्फैन्ट्री।

11 दिसम्बर 1971 को शत्रु के चार सेबर विमानों ने राजस्थान क्षेत्र में "परखे जी वेरी" रेलवे स्टेशन पर हमला किया जहां रात में गोलाबारूद और दूसरा सामान उतारा गया था कुछ गोलाबारूद में आग लग गई और वह फटने लगा। कैप्टन वीर नाथ जो सामान उतारने वाली टोली के इंचार्ज थे, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना गोलाबारूद के उन बक्सों और सामान को सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिए दौड़े जो अभी तक जला नहीं था। इस दौरान एक मझौले तोपखाने का गोला फटने के कारण ये गम्भीर रूप से घायल हो गए।

इस कार्यवाही में कैप्टन वीर नाथ ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

49. कैप्टन एडवर्ड रथनकुमार मुथुमनि डेविड (एम० आर०-8498), सेना चिकित्सा कोर।

8 दिसम्बर, 1971 को सिख लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी जब परखत अली की ओर आगे बढ़ रही थी तो शत्रु की भारी और कारगर गोलीबारी से हमारे काफी सैनिक हताहत हुए। शत्रु के प्रभावी गोलीबारी के कारण घायलों को निकालना बहुत ही कठिन था। कैप्टन डेविड इस बटालियन में मैडिकल अफसर थे। इन्होंने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना एक जीप ली और ऐसे स्थान पर पहुंचे जो अग्रवर्ती सैन्यदलों से केवल 400 गज दूर था। वहां ये उतरे और शत्रु की लगातार गोलाबारी के बावजूद प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद घायलों को वहां से निकालने के लिए जीप पर ले आए।

इस कार्यवाही में कैप्टन एडवर्ड रथनकुमार मुथुमनि डेविड ने साहस, पहलशक्ति और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

50. कैप्टन रनशेर सिंह राणावत (आई० सी०-19420), गार्डस ब्रिगेड।

कैप्टन रनशेर सिंह राणावत पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के सुदृढ़ मोर्चे पर हमले के दौरान गार्डस ब्रिगेड की एक बटालियन में थे। प्रहार के दौरान एक कम्पनी कमाण्डर हल्की मशीन गन की बौछार से घायल हो गए। कैप्टन राणावत को जब शत्रु के उन बंकरों की जानकारी हो गई जहां से की जाने वाली गोलीबारी हमले में कारगर तौर पर बाधा डाल रही थी तो निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना ये आगे की ओर झपटे और हालांकि गोली लगने से ये घायल हो गए थे फिर भी इन्होंने तीन बंकरों को बेअसर कर दिया।

इस कार्यवाही में कैप्टन रनशेर सिंह राणावत ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

51. कैप्टन बलबीर सिंह (एस० एस०-21116),
पंजाब रेजिमेन्ट ।

कैप्टन बलबीर सिंह पंजाब रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एस कम्पनी की कमान कर रहे थे जो पूर्वी क्षेत्र में रक्षित मोर्चे में जमी हुई थी । जब शत्रु की इन्फैन्ट्री ने टैंकों की मदद से इस मोर्चे पर हमला किया तो निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना और भारी तोपखाने, टैंक और छोटे हथियारों की गोलीबारी के बावजूद खाई-खाई जाकर इन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और सही गोलीबारी करवाई ।

इनके कुशल नेतृत्व में कम्पनी ने शत्रु के हमल को विफल कर दिया और उसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया ।

इस कार्यवाही में कैप्टन बलबीर सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

52. कैप्टन पुरुषोत्तम लाल बावा
(आई० सी०-20903)
पैराशूट रेजिमेन्ट ।

7 दिसम्बर 1971 को कैप्टन पुरुषोत्तम लाल बावा उस टोली के इंचार्ज थे जिसे राजस्थान क्षेत्र में कचरा और विरवाह पर छापा मारने का आदेश दिया गया । जब इनकी टोली शत्रु की पंक्ति के पीछे चल रही थी तो शत्रु की एक मंझौली मशीन गन ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी जिससे भारी जानी नुकसान पहुंचा । कैप्टेन बावा ने मशीनगन चौकी पर तुरन्त हमला किया जिससे शत्रु इतना घबरा गया कि वह वहां से भाग खड़ा हुआ । इसी तरह 16 दिसम्बर 1971 को जब इन्हें यह मालूम पड़ा कि उनकी एक टुकड़ी का सम्पर्क टूट गया है तो इन्होंने नियन्त्रण सेट लिया और शत्रु के क्षेत्र में अन्दर घुस गए और दुबारा संचार सम्पर्क कायम करने के लिए ये वहां चौबीस घन्टे तक रहे ।

इस कार्यवाही में कैप्टन पुरुषोत्तम लाल बावा ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

53. कैप्टन श्री प्रकाश माधव नायक
(एम० एस०-8393)
सेना चिकित्सा कोर ।

पश्चिमी क्षेत्र में साहजरा पर हमले के दौरान 5वीं गोरखा रायफल्स की एक बटालियन में कैप्टन श्री प्रकाश माधव नायक मेडिकल अफसर थे । इन्होंने घायलों को तुरन्त डाक्टरी सहायता दी और उन्हें जल्दी से रणक्षेत्र से हटाया । भारी और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी के बावजूद इन्होंने बिना झिझके ड्यूटी पूरी की । घायलों के प्रति तुरन्त ध्यान देने से इनकी बटालियन के जवानों को प्रेरणा मिली ।

आद्योपान्त कैप्टन श्री प्रकाश माधव नायक ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

54. कैप्टन हरबंश सिंह संधु (एस० एस०-22335)
आर्टिलरी ।

कैप्टन हरबंश सिंह पश्चिमी क्षेत्र में एक प्रमुख रेडार स्टेशन की रक्षा के लिए लगाई गई तोपों की कमान कर रहे थे । इस रेडार स्टेशन पर शत्रु ने दिन में और रात में 17 भारी हवाई हमले किए । हमलों के दौरान कैप्टन संधु एक से दूसरे तोपखाने पर जाकर अपने जवानों को प्रेरणा देते रहे और इन्होंने कारगर विमान भेदी गोलीबारी करवाई । यह प्रमुखयत: इनके प्रेरक नेतृत्व और प्रयत्न थे जिनकी वजह से इनके जवान इस प्रमुख रेडार स्टेशन पर बार बार होने वाले हमलों को विफल कर सके और स्टेशन को पूरी तरह काम करने की हालत में रख सके ।

आद्योपान्त कैप्टन हरबंश सिंह संधु ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

55. कैप्टन राहुल कार (आई० सी०-19120)
इंजीनियरस ।

कैप्टन राहुल कार इंजीनियर्स की उस ध्वंस टोली के प्रभारी थे जिसे पूर्वी क्षेत्र में एक रेल पुल को नष्ट करने का काम सौंपा गया था । 11 दिसम्बर 1971 को इस पुल के उड़ाने के लिए वे अपनी टोली को शत्रु के इलाके के काफी अन्दर तक ले गए । जब वे उस पुल के पास पहुंचने वाले थे तो उनकी टोली पर शत्रु की भारी गोलाबारी पड़ी । बिना झिझके इन्होंने अपनी टोली को शत्रु पर गोलीबारी करने का आदेश दिया और स्वयं तीन सैपरों को लेकर पुल की ओर गए और अपना कार्य सम्पन्न किया ।

इस कार्यवाही में कैप्टन राहुल कार ने साहस नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

56. कैप्टन अनूप कुमार (आई० सी०-20752)
गार्ड्स ब्रिगेड ।

गार्ड्स ब्रिगेड की एक बटालियन को पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के कब्जे में आई एक चौकी को साफ करने का काम सौंपा गया था । उस चौकी पर शत्रु की बहुत अच्छी मोर्चाबन्दी थी और उसके सैनिक काफी संख्या में वहां मौजूद थे । कैप्टन अनूप कुमार अपनी कम्पनी को लेकर आगे बढ़े । कम्पनी पर शत्रु के छोटे हथियारों और तोपखाने की भारी गोलीबारी की बौछार पड़ी । उन्होंने जवाबी हमले के लिए कम्पनी का साहस के साथ नेतृत्व किया । गम्भीर रूप से घायल होने पर भी वह शत्रु की एक हलकी मशीनगन को शान्त करने में सफल हुए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जवानों को निदशन करते रहे और उत्साहित करते रहे । शत्रु तेज हमले के कारण घबरा गया और भारी जानी नुकसान के बाद चौकी छोड़ कर भाग खड़ा हुआ ।

इस कार्यवाही में कैप्टन अनूप कुमार ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

57. कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह मान
(एस० एस०-19825)
गार्डस ब्रिगेड ।

कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह मान पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक रक्षित मोर्चे पर हमला करते समय गार्डस ब्रिगेड की एक बटालियन के प्लाटून कमांडर थे । अपनी प्लाटून का नेतृत्व करते हुए उन्होंने शत्रु के बीसरी ठिकानों पर पीछे से हमला किया । इससे शत्रु घबरा गया और अपने मोर्चों से पीछे हटने लगा । कैप्टन मान ने

भागते हुए शत्रु का पीछा किया और जीप में बैठे हुए भागने की कोशिश करते हुए शत्रु के सैनिकों को मारने में सफल हुए। इस कार्यवाही में वह एक स्नाइपर द्वारा घायल हो गए। परन्तु फिर भी बिना झिझके उन्होंने स्नाइपर के ठिकाने पर हमला कर दिया और उसे अपनी स्टेनगन की बौछार से मार डाला।

इस कार्यवाही में कैप्टन पुष्पिन्दर सिंह मान ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

58. कैप्टन ब्रतिन्द्र बैनर्जी (आई० सी०-23371)
इंजीनियर्स।

4 दिसम्बर 1971 को कैप्टन ब्रतिन्द्र बैनर्जी को पूर्वी क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण हेतु टोह लेने का आदेश दिया गया। इस क्षेत्र में तैनात हमारी सेना के आगे बढ़ने के लिए इस सड़क का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण था। इस बात के बावजूद कि शत्रु अभी इस इलाके में सक्रिय था कैप्टन बैनर्जी के अपने दल का साहस के साथ नेतृत्व किया। उनके दल पर शत्रु के स्नाइपरों ने कई बार गोली चलाई। एक बार तो उन पर शत्रु के हवाई जहाजों ने भी गोलीबारी की पर उन्होंने बिना किसी हिचक के इस कार्य को पूरा किया और अपने हाथ बहुत कीमती सूचनाएं लाए।

इस कार्यवाही में कैप्टन ब्रतिन्द्र बैनर्जी ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

59. कैप्टन हितेश कुमार मेहता (मरणोपरान्त)
(आई० सी०-23102)
गोरखा राइफल्स।

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान कैप्टन हितेश कुमार मेहता जनरल आफिसर कमांडिंग के ए०-डी०-सी थे। अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त वह स्टाफ आफिसर का कार्य-भार भी सम्भाले हुए थे और साथ ही वह रोवर रेडियो सेट की देखभाल भी कर रहे थे। 16 दिसम्बर 1971 को ढाका स्थित पाकिस्तानी सेना के चीफ को एक जरूरी सन्देश पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी सेवा अर्पित की। जब वे ढाका में थे तब भी इन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक अफसर के साथ जाकर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के लिए वह सन्देश ले जाने के लिए अपनी सेवायें अर्पित कीं जिसमें कहा गया था कि आत्मसमर्पण स्वीकार हो गया है गोलाबारी बन्द की जाए। इसी कार्य के दौरान उन पर पाकिस्तानी टैंक की मशीनगन की गोली लगी और वे वहां पर ही वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में कैप्टन हितेश कुमार मेहता ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

60. कैप्टन राजेन्द्र राव ताम्बे (एम० एस०-8430)
सेना चिकित्सा कोर।

पाकिस्तान के विरुद्ध दिसम्बर 1971 की संक्रियाओं के दौरान कैप्टन राजेन्द्र राव ताम्बे मराठा लाइट इन्फैन्ट्री की उस बटालियन के रेजिमेन्टल मैडिकल अफसर थे जो पूर्वी क्षेत्र में शत्रु की मोर्चाबन्दी पर हमले कर रही थी। प्रहारक कम्पनी पर शत्रु के तोपखाने और मशीनगन की भारी गोलाबारी की बौछार पड़ी और कम्पनी को काफी नुक्सान हुआ। रेजिमेन्टल एड पोस्ट पर भी भारी गोलाबारी हुई। कैप्टन राजेन्द्र राव ताम्बे विचलित हुए बिना लगातार घायलों को डाकटरी सहायता देते रहे। वह जख्मियों की देखभाल के लिए लड़ाई के मैदान के बौछार वाले इलाके में बढ़ते ही गए और इस तरह उन्होंने काफी जानें बचाईं।

इस कार्यवाही में कैप्टन राजेन्द्र राव ताम्बे ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

61. लैफ्टिनेन्ट रायदुर्ग रामा मूर्ति
(एस० एस०-21456)
इंजीनियर्स।

लेफ्टिनेन्ट रायदुर्ग रामा मूर्ति, इंजीनियर्स रेजिमेन्ट की उस प्लाटून की कमान कर रहे थे जो पूर्वी क्षेत्र में एक रक्षित इलाके की हिफाजत कर रही थी। शत्रु ने इस इलाके पर भारी संख्या में तोपखाने सहित रात को हमला कर दिया। लेफ्टिनेन्ट रामा मूर्ति की प्लाटून को शत्रु के हमले का सारा जोर सहना पड़ा। इन्होंने अपने जवानों को स्वयं अपनी मिसाल देकर डटकर रहने को प्रोत्साहित किया। हमला नाकाम कर दिया गया और शत्रु को भारी जानी क्षति पहुंची।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट रायदुर्ग रामा मूर्ति ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

62. लेफ्टिनेन्ट नारायण पिल्ले चन्द्रशेखरण पिल्ले
(आई० सी०-25031),
इंजीनियर्स।

7 दिसम्बर1971 को लेफ्टिनेन्ट नारायण पिल्ले चन्द्रशेखरण पिल्ले को शकरगढ़ क्षेत्र में शत्रु के सुरंग को तोड़ने का आदेश दिया गया। ताकि उसमें से गाड़ी ले जाने का रास्ता बन जाए। उन्होंने दिन की रोशनी में शत्रु की भारी और अचूक गोलबारी के बावजूद अपने जवानों का सकुशल नेतृत्व किया और वे शत्रु के इलाके में घुस कर 750 गज लम्बी सुरंग क्षेत्र को तोड़ने में सफल हुए।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट नारायण पिल्ले चन्द्रशेखरण पिल्ले ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

63. लेफ्टिनेन्ट धर्म वीर सिंह मियां (एम० एस०-22181),
5वीं गोरखा रायफल्स।

5 दिसम्बर, 1971 को लेफ्टिनेन्ट धर्म वीर सिंह मियां, 5वीं गोरखा रायफल्स की एक बटालियन की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे। उन्हें शत्रु की एक सुरक्षित जगह पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। शत्रु की भारी गोलाबारी के बावजूद लेफ्टिनेन्ट मियां अपनी निजी मिसाल देकर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए और शत्रु को भारी जानी नुक्सान पहुंचाने के बाद उस स्थान पर कब्जा करने में सफल हुए।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट धर्म वीर सिंह मियां ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

64. लेफ्टिनेन्ट लालमणि सिंह (एस० एस०-22408)
8वीं गोरखा रायफल्स ।

लेफ्टिनेन्ट लालमणि सिंह, 8वीं गोरखा रायफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे । जिसे आदेश दिया गया था कि वह डेरा बाबा नानक क्षेत्र में स्थित एक चौकी से शत्रु को हटा कर उसे खाली कराने का काम सौंपा गया था । जैसे ही कम्पनी के जवान अपने लक्ष्य की ओर बढ़े शत्रु ने भारी और अचूक गोलाबारी शुरू कर दी । लेफ्टिनेन्ट लालमणि सिंह आगे बढ़ते गए और शत्रु के बंकर को शान्त करने में सफल हुए । तब वह अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और उन्हें लक्ष्य पर ले गए और उस पर कब्जा करने में सफल हुए ।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट लालमणि सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

65. लेफ्टिनेन्ट जी० डी-सोज़ा (एस० एस०-22116),
इंजानियर्स ।

14 दिसम्बर 1971 को लेफ्टिनेन्ट जी० डि-सोजा को पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु के एक सुरंग क्षेत्र को साफ करने का आदेश दिया गया । सुरंगों की खोज करते समय उन्होंने सुरंगों के बीच में एक खाली जगह देखी जहां सुरंगें बिखरी पड़ी थीं । तोपखाने और मार्टर की लगातार गोलबारी के बावजूद लेफ्टिनेन्ट डि०-सोजा ने 53 सुरंगों को बेअसर कर दिया और खाली जगह को उसी रात साफ करने में सफल हुए ।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट जी० डि-सोज़ा ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

66. लेफ्टिनेन्ट राकेश कुमार सूद (एम० एस०-8477)
सेना चिकित्सा कोर ।

लेफ्टिनेन्ट राकेश कुमार सूद, डेरा बाबा नानक क्षेत्र में डोगरा रेजिमेन्ट की एक बटालियन के रेजिमेन्टल मैडिकल आफिसर थे । इस इलाके में शत्रु ने मोर्चेबन्दी का जाल बिछाया हुआ था । लक्ष्य पर कब्जा करने के बाद बटालियन को शत्रु की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा । अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, लेफ्टिनेन्ट सूद ने एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर घायल जवानों को प्रथम उपचार देकर राहत पहुंचाई । इस तरह मौके पर डाक्टरी सहायता देकर उन्होंने काफी जानें बचाई ।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट राकेश कुमार सूद ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

67. लेफ्टिनेन्ट सुरेश राजन (आई० सी०-23002)
सिगनल कोर ।

15 दिसम्बर 1971 को हैडक्वार्टर्स 54 आर्टिलरी ब्रिगेड से 70 मीडियम रेजिमेन्ट को सुरंग क्षेत्र में से गुजरकर जाने वाली फायर आर्डर (आदेश) लाइन थरकावल के पास शत्रु की भारी गोलाबारी के कारण कट गई थी । लेफ्टिनेन्ट सुरेश राजन अपनी टोली सहित थरकावल की ओर गए और भारी गोलाबारी के बावजूद लाइन की स्वयं ही मरम्मत करके संचार व्यवस्था को दोबारा चालू किया । सारी संक्रिया के दौरान वे दिन और रात में बाहर रहे और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ब्रिगेड की संचार व्यवस्था जो कि 15-20 कि० मीटर में फैली हुई थी ठीक बनी रहे । आर्टिलरी ब्रिगेड की सारी सफलता केवल संचार व्यवस्था के सुचारु रूप से बने रहने की वजह से हुई ।

आद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट सुरेश राजन ने साहस, व्यावसायिक कुशलता और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

68. लेफ्टिनेन्ट कसूला प्रभाकर रेड्डी
(आई० सी०-23051),
इंजीनियर्स ।

7 दिसम्बर 1971 को लेफ्टिनेन्ट कसूला प्रभाकर रेड्डी स्वतन्त्र प्रहार फील्ड कम्पनी की एक प्लाटून के कमाण्डर थे जिसे पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु के सुरंग क्षेत्र को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी । जैसे ही इंजीनियर्स टोली ने अपना कार्य शुरू किया, शत्रु ने तोपखाने से जबरदस्त एवं अचूक गोलाबारी शुरू कर दी । बिना किसी के भय के लेफ्टिनेन्ट रेड्डी ने अपनी टोली की सहायता से थोड़े ही समय में 600 गज तक के इलाके में फैले सुरंग क्षेत्र को साफ कर दिया ।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट कसूला प्रभाकर रेड्डी ने साहस, नेतृत्व एवं कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

69. लेफ्टिनेन्ट दरानीकोटा उदय शंकर
(एस० एस०-21772)
मद्रास रेजिमेन्ट ।

12 दिसम्बर 1971 को लेफ्टिनेन्ट दरानीकोटा उदय शंकर पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर हमले के समय, मद्रास रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । जैसे ही प्लाटून अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी, उस पर शत्रु की भारी गोलाबारी शुरू हो गई । । लेफ्टिनेन्ट उदय शंकर की प्लाटून के काफी सैनिक हताहत हुए । पर विचलित हुए बिना और अपनी जान की परवाह किए बिना, उन्होंने अपनी प्लाटून के साथ शत्रु के नजदीकी बंकर पर हमला कर दिया और भीषण लड़ाई के बाद अपने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया । शत्रु घबराहट में चौकी को छोड़कर भाग निकला । शत्रु अपने पीछे 2 हल्की मशीनगन, दो रायफलें और काफी मात्रा में गोलाबारूद भी छोड़ गया ।

इस कार्यवाही में लेफ्टिमेंट दरानीकोटा उदय शंकर ने साहस, नेतृत्व एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

70. लेफ्टिमेन्ट रमेश प्रसाद सिंह (आई० सी०-24980)
इंजीनियर्स ।

15 दिसम्बर 1971 की रात को लेफ्टिनेन्ट रमेश प्रसाद सिंह को पश्चिमी क्षेत्र में बसन्तार नदी के पास शत्रु के सुरंग क्षेत्र को भेदने (ब्रीचिंग) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी । रात के अंधेरे और शत्रु की जबरदस्त गोलाबारी के कारण गलियारे बनाने वाली ट्राली को ठीक दिशा में आगे बढ़ना कठिन हो रहा

था । मगर लेफ्टिनेन्ट रमेश प्रसाद सिंह अपनी जान की परवाह किये बिना उन ट्रालों के आगे आगे चल कर टार्च से उन्हें दिशा दिखाते रहे। इस तरह इन्होंने सुरंग क्षेत्र को जल्दी भेदने (ब्रीचिंग) करने में सफलता पाई।

इस कार्रवाई में लेफ्टिनेन्ट रमेश प्रसाद सिंह ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

71. सेकण्ड लेफ्टिमेन्ट नरेन्द्र कुमार व्यास (आई० सी०-23925), गोरखा रायफल्स ।

14 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र कुमार व्यास गोरखा रायफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी के साथ मार्टर गोलीबारी के नियन्त्रक थे । इस कम्पनी को पश्चिमी क्षेत्र में चत्तराना पर कब्जा कर लेने के बाद इसी इलाके में इसी बटालियन की एक और कम्पनी से संपर्क बनाने का आदेश दिया गया था । इन्होंने इस कम्पनी से संपर्क बनाने के लिये अपनी गश्ती पार्टी को साथ लिया । रास्ते में एक मुठभेड के दौरान इस पार्टी ने शत्रु के दो जवानों को मार दिया और दो को जिसमें शत्रु की कम्पनी का कमांडर भी शामिल था कैदी बना लिया । जैसे ही सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट व्यास अपनी बटालियन के ठिकाने की ओर वापस जा रहे थे इन्होंने शत्रु को अपनी कम्पनी के ठिकाने पर जवाबी हमले की तैयारी में पाया । तुरन्त ही इन्होंने अपने मार्टरों से गोलीबारी शुरु करवा दी और शत्रु की हमला करने वाली पंक्ति को तोड़ दिया।

इस कार्रवाई में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र कुमार व्यास ने साहस नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

72. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट धर्मवीर रेटू (एस०एस०-23027), राजपूताना राइफल्स ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट धर्म वीर रेटू पश्चिमी क्षेत्र में राजपूताना रायफल्स के एक बटालियन की कमांडो प्लाटून की कमान कर रहे थे । इस प्लाटून को शत्रु की सुरक्षा पंक्ति के पीछे सड़क पर रोक लगाने का कार्य सौंपा गया था। इस रोक का उद्देश्य शत्रु की आने वाली कुमुक को काटना और पीछे हटने के रास्ते को बन्द करना था । उन्होंने इस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से संगठित और कार्यान्वित किया और भागने की कोशिश करने वाले शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाया।

इस कार्यवाही में सेकन्ड लेफ्टिनेन्ट धर्मवीर रेटू ने साहस नेतृत्व एवं कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

73. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कृष्ण कुमार शर्मा (आई० सी०-23294) (मरणोपरान्त) पंजाब रेजिमेन्ट ।

5 दिसम्बर 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कृष्ण कुमार शर्मा पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर हमले के दौरान एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । जैसे ही वे शत्रु की ओर बढ़े शत्रु के छोटे हथियार की मार से उनका बाजू जख्मी हो गया । मगर फिर भी बिना किसी डर के उन्होंने स्वयं शत्रु पर जवाबी हमला किया और शत्रु की लाइट मशीन गन चौकी को शान्त किया। ऐसा करते समय उन पर शत्रु की छोटी मशीन गन से फिर एक बौछार पड़ी और उसके कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए ।

इस कार्रवाही से सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कृष्ण कुमार शर्मा ने साहस दृढ़-निश्चय और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

74. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुशल कुमार चौधरी (आई०सी०-24842), सिख रेजिमेन्ट ।

3 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने पश्चिमी क्षेत्र में हमारी सीमा चौकी पुल कंजरी पर तोपखाना और मशीन गन की गोलीबारी की मदद से हमला कर दिया । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुशल कुमार चौधरी उस समय अपनी चौकी से बाहर गश्त के लिये गए हुए थे। वापस आकर उन्होंने देखा कि उनकी चौकी पर हमला हो चुका है। अपूर्व साहस, सूझ-बूझ और अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना उन्होंने अपनी गश्त को लेकर शत्रु पर जवाबी हमला कर दिया । इनके बहादुराना कार्य से शत्रु घबराकर भाग खड़ा हुआ । शत्रु का इस कार्रवाही में काफी जानी नुकसान हुआ ।

इस कार्रवाई में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुशल कुमार चौधरी ने साहस, नेतृत्व एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

75. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र सिंह ग्रेवाल (आई०सी०-21509), इंजीनियर्स ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र सिंह ग्रेवाल जे० एण्ड के० रायफल्स की एक बटालियन की एक प्लाटून में थे । इस प्लाटून को पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था । रास्ते में प्लाटून को शत्रु की सुरंगें लगी हुई मिलीं। जैसे ही सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट ग्रेवाल अपने जवानों को लेकर सुरंगों को साफ करने लगे, शत्रु ने उस स्थान पर अचूक और भारी गोलाबारी शुरू कर दी । बिना किसी झिझक के सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट ग्रेवाल आगे बढ़े और अपनी जान की परवाह किए बिना सुरंगों को साफ किया और आगे बढ़ने पर इनकी टोली को शत्रु की मुख्य सुरंगें दिखाई दीं। एक बार फिर उन्होंने स्वयं ही सुरंगों के बीच से रास्ता साफ किया और शत्रु की गोलाबारी में भी अपने जवानों का नेतृत्व किया।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र सिंह ग्रेवाल ने साहस नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

76. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट हरीशचन्द्र महरोत्रा (एस०एस०-23790) इंजीनियर्स ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट हरीश चन्द्र महरोत्रा को शकरगढ़ क्षेत्र में, शत्रु के सुरंग क्षेत्र में से गाड़ियों के लिये एक गलियारे बनाने का आदेश दिया गया था । वे टैंक ट्राल के साथ वाले छः सैपरों के के इंचार्ज थे । ट्राल गलियारे बनाने के बाद उन्होंने अपनी टोली के साथ सुरंग को साफ करना शुरू किया । इस बीच शत्रु ने उस टोली पर तोपखाने और हवाई जहाजों से गोलीबारी शुरू कर दी। 250 पौण्ड का एक बम तो टोली से केवल 100 फुट से भी कम दूरी पर गिरा । मगर फट न सका । शत्रु की सख्त गोलाबारी

और अनफटे बम के फटने के खतरे से डरे बिना सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट महरोत्रा ने अपने जवानों को काम पर लगाए रखा और 90 मिनट से कम समय में उन्होंने 750 गज लम्बे गाड़ियों के गलियारे को पूरा कर दिया ।

इस कार्य में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट हरीश चन्द्र महरोत्रा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

77. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट प्रशान्त कुमार गुप्ता (आई०सी०-25223) गार्डस ब्रिगेड ।

6 दिसम्बर 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट प्रशान्त कुमार गुप्ता ने छम्ब क्षेत्र में अपनी प्लाटून के साथ शत्रु के तीन टैंक नष्ट किये और इंफैन्ट्री बटालियन द्वारा रक्षित इलाके पर शत्रु प्रहार को विफल कर दिया । फिर दोबारा 9 दिसम्बर 1971 को ये शत्रु की भारी गोलाबारी में से अपने प्लाटून को ले गये और छम्ब क्रासिंग से दूर खड़े शत्रु के तीन और टैंक नष्ट किए ।

इस सारी कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट प्रशान्त कुमार गुप्ता ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

78. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नगेन्द्र पाल सिंह (एस० एस०-23129) इंजीनियर्स ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नगेन्द्र पाल सिंह को शकरगढ़ क्षेत्र में बसन्तार नदी तक टोह लगाये और रास्ते को सीधा करने का आदेश दिया गया । इलाका बहुत ही खराब था और नालों एवं सुरंगों से भरपूर था । शत्रु ने इनकी टोली पर तोपखाना और छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी । इन्होंने बिना किसी झिझक के उस कार्य को जारी रखा और निर्धारित समय से पहले ही अपने कार्य को पूरा किया । इस तरह इन्होंने पुल-पदाधार का निर्माण कार्य में काफी योगदान दिया ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नगेन्द्र पाल सिंह ने साहस, नेतृत्व एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

79. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट गोविन्द राय गांवकर (एस०एस०-23956) आर्टिलरी ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट गोविन्द राय गांवकर उस सेना के साथ प्रेक्षण चौकी अफसर थे । जिसे पूर्वी क्षेत्र में शत्रु को अपनी सुरक्षा पंक्तियों से बाहर निकलने या अन्दर आने की रोकथाम का और शत्रु का जानी नुकसान पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था । कारगर गोलाबारी से इन्होंने शत्रु के तकरीबन 31 जवान मारे । बाद में इनके ठिकाने पर शत्रु ने भारी संख्या में तोपखाने की सहायता से हमला कर दिया । मगर इन्होंने अपने ठिकानों पर शत्रु के कब्जा करने के सभी प्रयत्न विफल कर दिये ।

आद्योपान्त सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट गोविन्द राय गांवकर ने साहस, व्यावसायिक कौशल और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

80. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट तेजिंदर सिंह संधू (एस० एस०-23438), इंजीनियर्स ।

8 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट तेजिंदर सिंह संधू एक इंजीनियर्स रेजिमेन्ट की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । इन्हें पूर्वी क्षेत्र में जमालपुर के पास सड़क से पुल बनाने की जगह तक 6 कि० मी० लम्बा रास्ता बनाने का कार्यभार सौंपा गया था । इन्होंने लगातार 36 घंटे तक काम करके उस कठिन इलाके में भी सड़क निर्माण काम को पूरा किया और इस तरह हमारी काफी सेना शत्रु के पीछे पहुंच सकी ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट तेजिंदर सिंह संधू ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

81. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुलदीप सिंह (एस०एस०-23867), 1ली, गोरखा रायफल्स ।

9 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुलदीप सिंह 1ली गोरखा रायफल्स की एक बटालियन के एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में एक गांव से शत्रु को खदेड़ने का काम दिया गया था । इन्होंने यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया । शत्रु सुरंग क्षेत्र के पीछे हट गया और इस प्लाटून पर मशीनगन और तोपखाने से भारी गोलीबारी शुरू कर दी । मगर सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुलदीप सिंह शत्रु की गोलाबारी से विचलित नहीं हुए और शत्रु के सुरंग क्षेत्र में घुस गए और सौंपे गये कार्य को पूरा किया ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट कुलदीप सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

82. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट दीपक राज (आई० सी०-25141), डोगरा रेजिमन्ट ।

14 दिसम्बर, 1971 को सेकिण्ड लेफ्टिनेन्ट दीपक राज डोगरा रेजिमेन्ट की एक बटालियन के एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था । शत्रु की भारी गोलाबारी की परवाह किये बिना इन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व किया और उस गांव पर कब्जा कर लिया । इस कार्यवाही के दौरान इनकी एक कार्मिक वाहक बख्तरबन्द गाड़ी पर गोली लगी और उसमें आग लग गई । मगर ये अपनी जान की तनिक परवाह किये बिना उस गाड़ी में घुस गये और अपने तीन जख्मी जवानों को बाहर निकाल लाये ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट दीपक राज ने साहस) नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

83. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र सिंह अहलावत (आई० सी०-25103), ग्रेनेडियर्स ।

8 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र सिंह अहलावत को शकरगढ़ क्षेत्र में शत्रु की एक मंझोली मशीन गन बंकर को बरबाद करने का कार्यभार सौंपा गया था । इन्होंने अपनी गश्ती पार्टी का बड़े साहस के साथ नेतृत्व किया

और शत्रु को जानी नुकसान पहुंचाकर उस मशीनगन पर कब्जा किया ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरेन्द्र सिंह अहलावत ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

84. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरसिंह बहादुर सिंह (एस०एस०-23704) कुमाऊं रेजिमेन्ट ।

5 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरसिंह बहादुर सिंह कुमाऊं रेजिमेन्ट की एक बटालियन के एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । इनकी कम्पनी को पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर हमला करने का कार्यभार सौंपा गया था। जैसे ही हमला बढ़ता गया शत्रु ने हमले को रोकने के लिये भारी मशीनगन और मार्टर से गोलाबारी शुरू कर दी । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सिंह अपनी जान की परवाह न करके फौरन ही शत्रु की मशीनगन बंकर की ओर दौड़े और उसे नष्ट कर दिया । इनको देखकर इनके जवानों ने इनका साथ दिया और लक्ष्य पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट नरसिंह बहादुर सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

85. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुरिन्दर सिंह (एस०एस०-23523), सिख रेजिमेन्ट ।

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान सेकिण्ड लेफ्टिनेन्ट सुरिन्दर सिंह, अमृतशहर क्षेत्र में एक चौकी की कमान कर रहे थे । 5-6 दिसम्बर, 1971 की रात को तकरीबन 200 पाकिस्तानी फौजियों ने इस चौकी पर हमला कर दिया । शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाने के बाद यह हमला नाकाम कर दिया गया । शत्रु ने अपनी सेना को पुनर्गठित करके हमारी चौकी पर भारी गोलाबारी करने के बाद दोबारा हमला कर दिया । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुरिन्दर सिंह ने अपनी आर्टिलरी से अचूक गोला बारी करवाई । इससे शत्रु का हमला विफल हो गया और शत्रु की सेना के अगले सोपानक को झाड़ियों और बोल्डरों के पीछे छुपने पर मजबूर कर दिया । इस स्थिति का लाभ उठाकर सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुरिन्दर सिंह अपने कुछ जवानों को चौकी से बाहर लाये और शत्रु पर बगल से राय-फल और मशीनगन से अचानक गोलीबारी शुरू कर दी । इस अचानक आक्रमक कार्यवाही से शत्रु भौचक्का रह गया । शत्रु का भारी जानी नुकसान हुआ और वह अपने पीछे हथियार, गोलाबारूद छोड़कर पीछे हट गया ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुरिन्दर सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

86. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सरबजीत सिंह बरार (आई० सी०-24677), सिख रेजिमेन्ट ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सरबजीत सिंह बरार अमृतशहर क्षेत्र में एक चौकी की कमान कर रहे थे । 5/6 दिसम्बर, 1971 की रात को शत्रु ने इस चौकी पर और एक साथ वाली दूसरी चौकी "दस्या मन्सूर" पर एक साथ हमला कर दिया । बहादुरी से लड़कर हमारे जवानों ने शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाया और हमले को विफल कर दिया । शत्रु ने पुनर्गठन करके आर्टिलरी की सहायता से इस चौकी पर दोबारा हमला कर दिया । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट बरार ने स्वयं आर्टिलरी से गोलाबारी करवा कर शत्रु को काफी नुकसान पहुंचाया । इसके बावजूद हमारी तार की मोर्चाबन्दी के बीच 30 गज तक घुस आने में सफल रहा । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट बरार ने तुरन्त ही खतरे वाली चौकी पर कुमुक पहुंचाई और छोटी मशीनगन को अपने हाथ में ले लिया । अपनी जान की परवाह न करके इन्होंने शत्रु पर अचूक गोलियां चलाई । इस बहादुराना कार्यवाही से जवानों को शत्रु से लड़ने का प्रोत्साहन मिला । शत्रु का हमला नाकाम कर दिया गया और उसे भारी जानी नुकसान भी हुआ ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सरबजीत सिंह बरार ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

87. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट राजेन्द्र सिंह (एस० एस०-24284), शिन्दें हार्स ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट राजेन्द्र सिंह अमृतशहर क्षेत्र में आर्मर्ड रेजिमेन्ट की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । 10 दिसम्बर, 1971 को दोपहर में होने वाली टैंकों की लड़ाई के बाद हमारे टैंकों की अगली स्क्वाड्रन को शत्रु से छीने गए इलाके में नामक्कोट-नूरकोट अक्ष पर ठहरने का आदेश दिया गया था । रात के समय अपने टैंकों की रक्षा के लिये एक प्लाटून को नामक्कोट से स्क्वाड्रन की तरफ जाने का आदेश दिया गया । शत्रु की भारी गोलाबारी के कारण हमारी प्लाटून के इंफैन्ट्री अफसर घायल हो गए और कुछ जवान भी मारे गए । इससे प्लाटून की गति रुक गई । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट राजेन्द्र सिंह को प्लाटून को टैंक स्क्वाड्रन की तरफ तेजी से ले जाने का हुक्म दिया गया । अपनी जान की परवाह किए बिना, वे न केवल अपनी प्लाटून को स्क्वाड्रन की जगह ले गए बल्कि घायलों को भी तुरन्त निकाल लाए । बाद की संक्रियाओं के दौरान भी, स्वेच्छा से घायलों की निकासी के लिये ये तैयार हुए । शत्रु की भारी गोलाबारी के बीच भी ये एम्बुलैंस कारों को ले गए और सफलता से घायलों को ऐसी जगह में से ले गए, जहां से अभी शत्रु निकाला नहीं जा सकता था ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट राजेन्द्र सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

88. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुधीर कुमार बेदी (आई०सी०-25436), राजपूत रेजिमेंन्ट ।

पूर्वी क्षेत्र में हमारी रक्षात्मक संक्रियाओं के दौरान से कण्ड लेफ्टिनेन्ट सुधीर कुमार बेदी पाचागढ़ क्षेत्र में इंफैन्ट्री के एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । शत्रु को एक ठिकाने से निकालते समय, सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुधीर कुमार बेदी और उनकी प्लाटून शत्रु की मशीनगन की भारी और अचूक गोलीबारी में आ गई । यद्यपि ये गम्भीर रूप से घायल हो गए थे पर फिर भी इन्होंने

शत्रु के कड़े मुकाबले की परवाह न की और अपने जवानों का नेतृत्व किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए।

इस कार्यवाही से सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुधीर कुमार बेदी ने साहस, और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

89. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट जौन जामा (एस०एस०-23881), असम रेजिमेन्ट।

16 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट जौन जामा पश्चिमी क्षेत्र में एक सुरक्षित इलाके में एक प्लाटून की कमान कर रहे थे। शत्रु ने भारी संख्या में टैंकों और तोपखाने की सहायता से इस इलाके पर हमला कर दिया। बिना किसी झिझक के अपने जवानों का होसला बढ़ाने के लिये एक खाई से दूसरी खाई में गए। साथ ही साथ इन्होंने अपने मोर्टर और तोपखाने की गोलीबारी का निर्देशन करते हुए शत्रु के दो हमलों को विफल कर दिया।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट जौन जामा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

90. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट यशवन्त नायडू (एस०एस०-23605), मराठा लाइट इंफैन्ट्री।

3 दिसम्बर, 1971 को, सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट यशवन्त नायडू आग वाले एक प्लाटून के कमाण्डर थे। इन्हें पूर्वी क्षेत्र में दिनाजपुर के इलाके में अपनी सुरक्षा संक्रियाओं के तौर पर शत्रु की एक चौकी पर हमला करने का कार्यभार सौंपा गया था।

आक्रमण करने वाली सेना शत्रु की भारी और अचूक मशीनगन गोलीबारी की लपेट में आ गई। आक्रमण को विफल होता देखकर वे फौरन ही प्लाटून के पीछे की तरफ गए और पीछे के जवानों को लाकर भारी संख्या में, शत्रु पर दोबारा हमला कर दिया। इस कार्यवाही में वे गम्भीर रूप से घायल हो गय और लक्ष्य के करीब गिर गए। इतना होने पर भी वे लक्ष्य पर कब्जा करने के लिये अपने जवानों को प्रोत्साहन देते रहे।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट यशवन्त नायडू ने साहस, पहल और नेतृत्व का परिचय दिया।

91. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट मानस कुमार बन्दोपाध्याय (एस० एस०-23713), मद्रास रेजिमेन्ट।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट मानस कुमार बन्दोपाध्याय मद्रास रेजिमेन्ट की उस बटालियन की एक कम्पनी के नेतृत्व करने वाली प्लाटून के कमाँडर थे, जिसे पूर्वी क्षेत्र में हमारी रक्षात्मक संक्रियाओं के दौरान दीनाजपुर के इलाके में एक नहर पर बने पुल पर कब्जा करने का आदेश था। इनकी प्लाटून पर पुल की दूसरी ओर से शत्रु के छोटे हथियारों की भारी गोलीबारी हुई। बिना किसी झिझक के इन्होंने अपने जवानों को इकट्ठा किया और इन्हें उस पुल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जिस पर शत्रु की गोलियों की भारी बौछार पड़ रही थी। इससे शत्रु घबरा गया और अपने ठिकाने को छोड़ गया। हमारी सेना ने पुल पर सही हालत में कब्जा कर लिया। इसके बाद शत्रु ने तीन बार फिर जवाबी हमला किया मगर इस अफसर के प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण सभी हमले विफल कर दिए गए।

सेकन्ड लेफ्टिनेन्ट मानस कुमार बन्दोपाध्याय ने साहस, और नेतृत्व का परिचय दिया।

92. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट तेजा सिंह बेदी (आई० सी०-25065), गोरखा रायफल्स।

12/13 दिसम्बर, 1971 की रात को, ग्यारह गोरखा रायफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में, इच्छामती नदी पर शत्रु की सुरक्षा पंक्ति में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट तेजा सिंह बेदी एक प्लाटून की कमान कर रहें थे, उन्हें सबसे पहले घुसपैठ करने और सुदृढ़ मोर्चा बनाने का आदेश दिया गया। इन्होंने अपनी प्लाटून का बड़ी चतुराई से नेतृत्व करके वहाँ सुदृढ़ मोर्चा बनाया, फिर इन्होंने देखा कि वे तो शत्रु की बटालियन हैडक्वार्टर के नजदीक हैं। तब इन्हें शत्रु के बटालियन हैडक्वार्टर का घेरा डालने और ज्यादा से ज्यादा शत्रु के जवानों को कैदी बनाने का आदेश दिया गया। इन्होंने फिर अपनी प्लाटून का साहस और चतुराई से नेतृत्व किया और शत्रु पर हमला करके उसे काफी जानी नुकसान पहुंचाया। शत्रु की फौज के बटालियन कमाँडर और उसके जवानों को पकड़ लिया।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट तेजासिंह बेदी ने साहस, पहल और नेतृत्व का परिचय दिया।

93. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट रणजीत सिंह बनयाल (एस०एस०-24132) पंजाब रेजिमेन्ट।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट रणजीत सिंह बनयाल, पंजाब रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे। इन्हें पूर्वी क्षेत्र में अपनी रक्षात्मक संक्रियाओं के सिलसिले में घतालपुर-शमशेरनगर रास्ते पर पाकिस्तान के एक अड्डे को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया था। इन्होंने अपने जवानों को बड़े साहस, और बहादुरी से नेतृत्व किया और शत्रु की मशीनगन की गोलाबारी से विचलित हुए बिना शत्रु के मोर्चों पर धावा बोल कर उसका सफाया कर दिया।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट रणजीत सिंह बनयाल ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

94. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट विजय कुमार चौपड़ा (एस०एस०-22886) सिख लाइट इंफैन्ट्री।

13 दिसम्बर, 1971 को पूर्वी क्षेत्र में टांगिल ढाका अक्ष पर "मिर्जापुर" के ठिकाने से शत्रु के छोटे हथियारों और मार्टर गोलीबारी के कारण सिख लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन की अगली कम्पनी की गति रूक गई थी। सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट विजय कुमार चौपड़ा को अपनी दो टुकड़ियों को लेकर शत्रु पर हमला करने का आदेश दिया गया। शत्रु के कारगर गोलीबारी के

बावजूद, इन्होंने अपनी टुकड़ियों को इकट्ठा किया और शत्रु पर जबरदस्त हमला कर दिया । इससे शत्रु घबरा गया और हमारी सेना ने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट विजय कुमार चौपड़ा ने साहस, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

95. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट दिगविजय सिंह (एस० एस०-24303), राजपूत रेजिमेन्ट ।

सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट दिगविजय सिंह राजपूत रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक कम्पनी के उस अगले प्लाटून की कमान कर रहे थे, जिसे पूर्वी क्षेत्र में, खुशियारा नदी पर एक रेल पुल से शत्रु को खदेड़ने का कार्य सौंपा गया था । जैसे ही प्लाटून पुल के दूसरे सिरे पर पहुंची, शत्रु ने छोटे हथियारों से ध्वंसकारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिस से प्लाटून की गति तकरीबन रुक गई । सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट दिगविजय सिंह आगे बढ़े और स्वयं ही शत्रु की नजदीकी मशीनगन बंकर पर जवाबी हमले का नेतृत्व किया । इस तरह शत्रु की मशीनगन को शान्त करने में सफल हुए । उनके इस कार्य से जवानों को शत्रु से मुकाबला करने की प्रेरणा मिली ।

इस कार्यवाही में सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट दिगविजय सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

96. सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुन्दर सिंह (एस० एस०-23600), आर्मर्ड कोर ।

पाकिस्तान के विरुद्ध 1971 की संक्रियाओं के दौरान सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुन्दर सिंह ने पीरगंज-बोगरा क्षेत्र में शत्रु के खिलाफ कई आक्रमण संक्रियाओं में हिस्सा लिया ।

7 दिसम्बर, 1971 को, जब इनकी टुकड़ी को शत्रु के ठिकाने पर प्रहार करने का आदेश मिला, तो इन्होंने अपने जवानों का बड़ी योग्यता से मार्ग दर्शन किया और शत्रु की गाड़ियों के एक काफ्वाय पर ऐसी घात लगाई कि शत्रु बुरी तरह घबरा गया और भारी जानी नुकसान उठाने के बाद भाग खड़ा हुआ । उसी रात जब शत्रु ने जवाबी हमला किया तो सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुन्दर सिंह ने शत्रु पर टैंकों से भारी और अचूक गोलाबारी करके शत्रु का हमला विफल कर दिया ।

11 दिसम्बर, 1971 को सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुन्दर सिंह की कमान में लड़ने वाले जवानों ने जैसे ही शत्रु के ठिकानों पर हमला किया, तो इन पर शत्रु ने तोपों और टैंकों से भारी गोलाबारी कर दी । किन्तु बिना झिझक के, इन्होंने स्वयं ही लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए हमले का नेतृत्व किया । 14 दिसम्बर, 1971 को इनके जवानों को सड़क पर रोक का कार्य दिया गया । इन्होंने भागते हुए शत्रु का भारी जानी नुकसान किया और 15 कैदी भी बनाए ।

आद्योपान्त सेकण्ड लेफ्टिनेन्ट सुन्दर सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

97. जे० सी०-34378, सूबेदार विक्टर सिक्वेरा, पैराशूट रेजिमेंन्ट ।

11 दिसम्बर, 1971 को सूबेदार विक्टर सिक्वेरा अपने 18 पैराट्रूपरों के साथ पूर्वी क्षेत्र में पैराशूट से उतरते समय शत्रु से घिरे हुए इलाके में जा गिरे । शत्रु गोलीबारी से डरे बिना, इन्होंने अपने जवानों को इकट्ठा किया और शत्रु पर हमला करके उसे भारी जानी नुकसान पहुचाया और उसे पीछे हटने पर विवश कर दिया । सेना के मुख्य अंग से संपर्क बनाने से पहले इन्होंने शत्रु के दो और मोर्चों पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में सूबेदार विक्टर सिक्वेरा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

98. जे० सी०-41380, सूबेदार मोहन सिंह, कुमाऊं रेजिमेन्ट ।

15 दिसम्बर, 1971 को सूबेदार मोहन सिंह एक ऐसी प्लाटून की कमान कर रहे थे जिस पर पश्चिमी क्षेत्र में कुकियाल माझा गांव में जांच पड़ताल करते हुए शत्रु के छोटे हथियारों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा । इसके बाद, सूबेदार मोहन सिंह ने तेज और जबरदस्त हमला करके शत्रु के ठिकाने को रौंद दिया और भागते हुए शत्रु का पीछा किया । शत्रु के दूसरे ठिकानों से अचूक गोलीबारी शुरू हो गई और इससे हमारी सेना की गति रुक गई । जब हमारे सैन्य दल अपना दबाव कायम न रख सके तो वे, उस गांव में पीछे हट गये और शत्रु के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जोकि हमारी सेना की कार्यवाही में रुकावट बने हुए थे ।

इस कार्यवाही में सूबेदार मोहन सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

99. जे० सी०-32525, सूबेदार ज्ञान सिंह, सिगनल कोर ।

सूबेदार ज्ञान सिंह 1971 में पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान कमान सिगनल रेजिमेन्ट के ट्रांसमिटर स्टेशन के प्रभारी थे । हवाई हमलों के विरुद्ध बचाव के लिए कमान के अन्तर्गत फार्मेशन और यूनिटों के बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त उच्च और मध्यम शक्ति वाले ट्रांसमिटरों को लगाना था और दूसरे लगाये गये ट्रांसमिटरों को बनाये गये नये विसर्जन पड़ावों में हटा कर ले जाना था । ये विसर्जन पड़ाव 70 एकड़ दलदली भूमि में फैले हुए थे । कृत्रिम पैर लगा होने के कारण अपनी शारीरिक अक्षमता का ध्यान न रखते हुए ये हर ऐसी जगह पर लंगड़ाते हुए गए जहां कोई काम करना था । इनके दक्ष और समर्थ व्यावसायिक निदेशन के अन्तर्गत सारा काम निश्चित समय में पूरा हो गया । इसके बाद सूबेदार ज्ञान सिंह ने अथक काम किया ताकि सारी संक्रियाओं के दौरान रेडियो सम्पर्क की कार्यक्षमता ऊंचे दर्जे की बनी रही ।

आद्योपान्त सूबेदार ज्ञान सिंह ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

100. जे० सी० -43026, सूबेदार पेमसिंह भाटी, राजपूत रेजिमेन्ट ।

सूबेदार पेमसिंह भाटी, दिनाजपुर और रंगपुर क्षेत्र में शत्रु ठिकानों पर हमला करने वाली कम्पनी की एक प्लाटून के कमांडर

थे । शत्रु के मजबूत किलाबंद बंकर की गोलाबारी से इनकी प्लाटून का आगे बढ़ना रुक गया था। प्रतिक्षेपरहित (रिकायललैस) गन से बंकर को तोड़ने के उनके सारे प्रयत्न असफल रहे । निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना, उन्होंने अपने एक सेक्शन के जवान से हल्की मशीनगन लेकर बगल म थाम ली और फायर करते हुए शत्रु के बंकर की ओर अकेले ही झपट पड़े । जब वह बंकर से 15 गज की दूरी पर थे उनके चेहरे और छाती पर शत्रु की गोलियों की एक बौछार पड़ी । बेहोश होने से पहले उन्होंने शत्रु के बंकर में एक 77 हथगोला फैंका जिससे बंकर में आग लग गई और वह नष्ट हो गया ।

इस संक्रिया में, सूबेदार पेम सिंह भाटी ने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

101. जे० सी० 37184 सूबेदार अभे राम,
राजपूताना रायफल्स ।

15 दिसम्बर 1971 को पूर्वी क्षेत्र में खरखरिया पर कब्जा करने के लिये होने वाली लड़ाई के दौरान सूबेदार अभे राम शत्रु के ऐसे क्षेत्र में रेंग कर गये जहां भारी मशीन गन की गोलियों की बौछार हो रही थी । ये इस क्षेत्र को पार कर भारी मशीन गन बंकर तक पहुंच गए जहां पर इन्होंने बंकर के तीनों जवानों को मार दिया और उस गन को खामोश कर दिया । उनके इस काम से अपनी टुकड़ियां काफी हताहत होने से बच गई और लक्ष्य पर कब्जा करने में सफलता मिली ।

इस कार्यवाही में सूबेदार अभे राम ने साहस और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

102. जे० सी०-17110 सूबेदार दौलत राव गोविन्दराव फदतारे
मराठा लाइट इंफेन्ट्री । (मरणोपरान्त)

7 दिसम्बर 1971 को मराठा लाइट इंफन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र के कान्तानगर पुल के आर-पार शत्रु के मोर्चों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था । हमले के दौरान शत्रु ने तेज और दुरुस्त गोलाबारी की जिससे भारी जानी नुकसान हुआ । इस तथ्य के बावजूद कि इनके प्लाटून के काफी जवान मार दिये गये थे या घायल हो गये थे । सूबेदार दौलतराव गोविन्दराव फदतारे ने शत्रु पर धावा कर दिया और मरने से पूर्व इन्होंने गुत्थमगुत्था लड़ाई में शत्रु के चार जवानों को मार डाला ।

इस संक्रिया में सूबेदार दौलतराव गोविन्द राव फदतारे ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति सबसे बड़ी कुर्बानी दी।

103. जे० सी०-30375 सूबेदार जोगिन्दर सिंह
पंजाब रेजिमेन्ट ।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान पूर्वी क्षेत्र में शमशेरनगर मोलवी बाजार अक्ष पर शत्रु की चौकी को नष्ट करने का काम पंजाब रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक कम्पनी को सौंपा गया था जिसकी सूबेदार जोगिन्दर सिंह की कमान कर रहे थे उन्हें सड़क के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया । जैसे ही इनकी प्लाटून आगे बढ़ी शत्रु की मशीनगन ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया । सूबेदार जोगिन्दर सिंह ने अपनी प्लाटून की आड़ लेकर शत्रु पर गोली चलाने का आदेश दिया । वह स्वयं शत्रु के बंकरों की ओर रेंग कर गए और हथगोला फैंक कर बंकर को नष्ट कर दिया । इसके बाद वे रेंगते हुए मशीनगन चौकी तक गए और शत्रु को अपने हथियार सहित आत्म समर्पण करने के लिये मजबूर कर दिया ।

इस संक्रिया में सूबेदार जोगिन्दर सिंह ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया ।

104. जे० सी०-22029 सूबेदार कालिका सिंह
राजपूत रेजिमेन्ट ।

14 दिसम्बर 1971 को राजपूत रेजिमेन्ट की बटालियन को पूर्वी क्षेत्र के कोलाबिल स्थानों से शत्रु का सफाया करने का काम सौंपा गया था । सूबेदार कालिका सिंह प्रहार करने वाली कम्पनी के सेकण्ड-इन-कमांड थे । प्रहार करने वाली इंफैन्ट्री पर छोटे हथियारों और आर्टिलरी की तेज और सही गोलाबारी के बीच आ गई और भारी जानी नुकसान हुआ । कम्पनी कमांडर के घायल हो जाने के कारण हमला सफल नहीं हो रहा था । ऐसे समय सूबेदार का कालिका सिंह ने नियंत्रण संभाला और कम्पनी को इकट्ठा करके हमले का नेतृत्व करते हुए लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में सूबेदार कालिका सिंह ने साहस पहल-शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया ।

105. जे० सी०-60559 सूबेदार लक्ष्मी दत्त पाठक
कुमाऊं रेजिमेन्ट ।

14 दिसम्बर 1971 को कुमाऊं रेजिमेन्ट के एक बटालियन की एक कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में मैना-माटी छावनी के नजदीक रक्षित इलाके पर कब्जा करने वाली दूसरी कम्पनी को कुमुक भेजने का आदेश दिया गया था । सूबेदार लक्ष्मी दत्त पाठक जिस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे उस पर बाजू से शत्रु की पोजीशनों से भारी गोलाबारी और मंझोली मशीनगन से गोलियों की बौछार की गई । यद्यपि सूबेदार पाठक मशीनगन की बौछार से गम्भीर रूप से घायल हो गये थे परन्तु वह आगे बढ़ने वाले प्लाटून का नेतृत्व करके संभावित जवाबी हमला होने से काफी पहले ही कम्पनी को कुमुक भेजने में सफल हो गए ।

इस कार्यवाही में सूबेदार लक्ष्मीदत्त पाठक ने नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

106. जे० सी०-36464 सूबेदार विष्णु जादव
मराठा लाइट इंफैन्ट्री ।

9 दिसम्बर 1971 को मराठा लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी ठिकानों में दक्षिणी वर्रा और बड़ा छेंगराम पर शत्रु की खाई-बन्दियों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था । बड़ा छेंगराम पर हमले के दौरान शत्रु की भारी आर्टिलरी और मशीनगन की गोलीबारी के कारण अगली

टुकड़ियों की गति रुक गई थी। अगली प्लाटून की कमान करने वाले सूबेदार विष्णु जादव अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना शत्रु के बंकरों की तरफ रेंग कर गए और अपने ग्रुपों को हुताहत करने वाली मशीन गनों में से एक को खामोश करने में सफल हो गये। उनकी इस कार्यवाही से कम्पनी को अपने लक्ष्य पर कब्जा करने में सफलता मिली।

इस कार्यवाही में सूबेदार विष्णु जादव ने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

107. जे० सी०-44886 नायब सूबेदार तरथा बहादुर गुरंग गोरखा रायफल्स। (मरणोपरान्त)

नायब सूबेदार तरथा बहादुर गुरंग गोरखा रायफल्स की एक बटालियन के एक प्लाटून कमांडर थे। उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी प्लाटून का नेतृत्व करके पूर्वी क्षेत्र में दो अच्छी तरह किलाबंद की हुई शत्रु की चौकियों पर सफलता पूर्वक हमले किए। अपने निजी उदाहरण से उन्होंने अपने जवानों को शत्रु के नजदीक लाने में प्रेरणा देकर आमने सामने हुई मुठभेड़ के बाद अपने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। ऐसा करते हुए वह गंभीर रूप से घायल हो गये तथा बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

आद्योपान्त नायब सूबेदार तरथा बहादुर गुरंग ने साहस दृढ़ संकल्प और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

108. जे० सी०-13710291 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह जम्मू और कश्मीर रायफल्स।

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह जम्मू और कश्मीर रायफल्स की एक बटालियन के उस अगली प्लाटून की कमान कर रहे थे जिसे पूर्वी क्षेत्र में शत्रु की चौकी पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। जब वह नावों में बैठकर नदी पार कर रहे थे तो शत्रु ने अच्छी तरह किलाबंद और छद्मावरण मोर्चे से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। नायब सूबेदार सुखदेव सिंह ने नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच कर वापसी गोलीबारी करने के लिए अपने प्लाटून को तुरन्त नियोजित करके शत्रु के विरोध के बारे में अपने कम्पनी कमांडर को सूचित किया। कम्पनी कमांडर ने शत्रु के सामने नदी पार करने की प्रभावहीनता को अनुभव करते हुए प्लाटून को वापिस जाने का आदेश दिया। नायब सूबेदार सुखदेव सिंह दो अन्य जवानों के साथ शत्रु पर गोलियां चलाते हुए नदी के दूसरे किनारे पर रह गए और अपनी प्लाटून को नावों में बैठकर नदी पार जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद उन्होंने अपने साथ के दो जवानों को गोलियों की आड़ दी और जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने भी तैर कर नदी पार कर ली।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार सुखदेव सिंह ने साहस, नेतृत्व शक्ति और कर्तव्यपरायतणता का परिचय दिया।

109. जे० सी०-54014, नायब सूबेदार सोहन सिंह, पैराशूट रेजिमेन्ट।

नायब सूबेदार सोहन सिंह, ने राजस्थान क्षेत्र में चाचरों पर किए जाने वाले कमांडो छापे में हिस्सा लिया। इस छापे के दौरान, चौकी का सफाया, करते समय उन्हें गोली लगी जिससे उनकी टांग में घाव हो गया। घायल होते हुए भी उन्होंने उस बैरक पर जहां से गोलियां चलाई जा रही थी धावा कर दिया और शत्रु को जीवित पकड़ लिया।

इस प्रक्रिया में नायब सूबेदार सोहन सिंह ने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

110. जे० सी०-45599, नायब सूबेदार रति राम, आर्टिलरी रेजिमेन्ट।

नायब सूबेदार रति राम उस हवाई सुरक्षा सेक्शन की कमान कर रहे थे, जिसे पठानकोट क्षेत्र में एक पैट्रोल डिपो और हवाई अड्डे की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। कई बार शत्रु के हवाई जहाज अपने लक्ष्य पर हमला करने के प्रयत्न में नायब सूबेदार रति राम के सैक्शन की तरफ से विमान-भेदी स्क्रीन में दाखिल भी नहीं हो पाए। शुरू से आखिर तक इन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कारगर तौर पर अपना दायित्व निभाया और अपने जवानों को प्रोत्साहित किया।

इस तरह नायब सूबेदार रति राम ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

111. जे० सी०-46535, नायब सूबेदार हरदयाल सिंह, पंजाब रेजिमेन्ट।

6 दिसम्बर, 1971 की रात्रि को नायब सूबेदार हरदयाल सिंह कारगिल क्षेत्र में शत्रु के ठिकाने पर हमला करने वाली पंजाब रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक कम्पनी के मार्टर गोलीबारी नियन्त्रक थे। इन्होंने प्रहार करने वाली अगली टुकड़ियों के साथ काफी आगे बढ़ कर प्रभावी और दुरुस्त आर्टिलरी और मार्टर गोलीबारी करवाई जिससे लक्ष्य पर कब्जा करने में काफी सहायता मिली।

इस कार्यवाही में, नायब सूबेदार हरदयाल सिंह ने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

112. जे० सी०-44960, नायब सूबेदार उमराव सिंह, राजपूत रेजिमेन्ट।

नायब सूबेदार उमराव सिंह राजपूत रेजिमेन्ट की एक बटालियन के कमान अफसर की टोली में थे। राजस्थान क्षेत्र में खिनसार पर बटालियन द्वारा किए गए हमले के दौरान यह टोली एकाएक शत्रु की टुकड़ी के सामने आ गई। इन्होंने शत्रु को घेरने के लिये अपनी टोली को नियोजित करके शत्रु पर संगीन से धावा किया और शत्रु की पूरी टोली का संहार किया। खतरे के बावजूद, इनके साहस, निजी सुरक्षा की परवाह न करने और तुरन्त कार्यवाही करने के कारण शत्रु पूरी तरह से बरबाद हो गया।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार उमराव सिंह, ने पहलशक्ति, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

113. जे० सी०-57891, नायब सूबेदार दीन दयाल यादव, आर्मी आर्डनेंस कोर ।

5 दिसम्बर, 1971 को, शत्रु की बमबारी के कारण अखनूर के गोलाबारूद केन्द्र में भारी आग लग गई थी । इस आग से उन दूसरे इलाकों को भी संकट पैदा हो गया जहां काफी मात्रा में गोलाबारूद रखा हुआ था । नायब सूबेदार दीन दयाल यादव ने अपनी जान को जोखिम में डालकर आठ घंटे से भी अधिक समय तक आग बुझा कर गोलाबारूद बरबाद होने से बचा लिया ।

इस कार्यवाही में, नायब सूबेदार दीन दयाल यादव, ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

114. जे० सी०-45837 नायब सूबेदार कवल सिंह, इंजीनियर्स कोर ।

4 दिसम्बर, 1971 को, नायब सूबेदार कवल सिंह को पठानकोट हवाई अड्डे में शत्रु के अनफटे बमों को नष्ट करने का काम सौंपा गया था । 7 और 8 दिसम्बर को इन्होंने स्वयं तीन टाइम बमों के फ्यूज निकाले । इन्होंने साहस के साथ ये खतरनाक काम करके हवाई अड्डे को हवाई जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित रखा ।

आद्योपान्त नायब सूबेदार कवल सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

115. जे० सी०-55212 नायब सूबेदार जागीर सिंह थिन्ड, आर्टिलरी रेजिमेन्ट ।

11 दिसम्बर 1971 को नायब सूबेदार जागीर सिंह थिन्ड को हमारे उन टैंकों को हवाई हमलों से बचाने का काम सौंपा गया था, जो पश्चिमी क्षेत्र में करीर नदी की दलदल में फंस गए थे । इस काम के लिए गनों को रात में ही, बिना पर्याप्त साधनों के और शत्रु की आर्टिलरी की लगातार गोलाबारी के बावजूद काफी ऊबड़-खाबड़ इलाके से निकाल कर ले जाना था । इन रुकावटों के होते हुए भी इन्होंने सुबह होने तक गनों को ठिकाने पर लगवा दिया ।

इस कार्यवाही में, नायब सूबेदार जागीर सिंह थिन्ड ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

116. जे० सी०-2743028 नाब सूबेदार भीकू जागू शिरके, मराठा लाइट इंफैन्ट्री ।

9 दिसम्बर, 1971 को नायब सूबेदार भीकू जागू शिरके ने पूर्वी क्षेत्र में जमालपुर इलाके के शत्रु के मोर्चों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए मराठा लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन के एक गश्ती दल का नेतृत्व किया । गश्तीदल का काफी कौशल के साथ और अपनी जान की परवाह किए बिना नेतृत्व करते हुए, इन्होंने शत्रु के मोर्चों में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करके वापस आ गए ।

इस कार्यवाही में, नायब सूबेदार भीकू जागू शिरके ने साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

117. जे० सी० -2636074 नायब सूबेदार फूल सिंह, ग्रेनेडियर्स ।

13 दिसम्बर, 1971 की रात्रि को नायब सूबेदार फूल सिंह ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन के गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे । इन्हें पश्चिमी क्षेत्र में शकरगढ़ के शत्रु के मोर्चों से एक सैनिक को बन्दी बनाने का काम सौंपा गया था । जैसे ही वे शत्रु के मोर्चों के नजदीक पहुंचे । उसने भारी और प्रभावी गोलीबारी कर दी । ये बिना विचलित हुए, अपनी जान की तनिक परवाह किए, शत्रु के सैनिक को बन्दी बना कर और साथ ही अपने गश्ती दल को सुरक्षित वापस ले आए ।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार फूल सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

118. जे० सी०-62026 नायब सूबेदार किक्कर सिंह, सिख रेजिमेन्ट ।

17 दिसम्बर, 1971 को नायब सूबेदार किक्कर सिंह को, जो कि सिख रेजिमेन्ट की बटालियन की एक कम्पनी के मार्टर गोली बारी नियंत्रक थे, पश्चिमी क्षेत्र में पुल-कंजरी पर कब्जा करने का आदेश दिया गया । इस पूरी कार्यवाही में इन्होंने दुरुस्त और प्रभावी मार्टर गोलीदारी करवा कर शत्रु के बार-बार जवाबी हमलों को नाकाम कर दिया । शत्रु के कुछ जवानों ने घुसपैठ करके दो बंकरों पर कब्जा कर लिया, ये रेंगते हुए गए और बंकरों में हथगोले फैंके और शत्रु के दो जवानों को मार उसे पराजित कर दिया ।

इस कार्यवाही म, नायब सूबेदार किक्कर सिंह ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

119. जे० सी०-58267 नायब सूबेदार शिवाजी यादव, मराठा लाइट इंफैन्ट्री ।

6 दिसम्बर 1971 को नायब सूबेदार शिवाजी यादव, पश्चिमी क्षेत्र में तूर पर हमला करने वाली मराठा लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी में थे । बाद में शत्रु से जो मुठभेड़ हुई उसमें इन के हाथ में गोली लग गई जब ये अपने गम्भीर रूप से घायल कम्पनी कमांडर की परिचर्या कर रहे थे । अपनी चोट का ध्यान न रख कर और अपने कम्पनी कमांडर की परिचर्या करते हुए, इन्होंने अपने जवानों को लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करके और निजी रूप से नेतृत्व करके हमले का दबाव बराबर बनाए रखा ।

इस कार्यवाही में, नायब सूबेदार शिवाजी यादव ने साहस, पहल शक्ति और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

120. 1150153 हवलदार (गनर) राम चंदर, आर्टिलरी रेजिमेन्ट ।

1971 में, पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, हवलदार (गनर) राम चंदर, पूर्वी क्षेत्र में एक मंझौली गन के इन्चार्ज थे । एक दिन इनकी गन पोजीशन पर, शत्रु की घुसपैठ

करने वाली टोली ने अपनी मशीनगन से फायर शुरू कर दिया। लेकिन बिना डरे हवलदार (गनर) राम चंदर ने अपनी हल्की मशीन गन से शत्रु पर गोली चलानी शुरू कर दी।

इस कार्यवाही में हवलदार (गनर) राम चन्दर ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

121. 13651411 हवलदार राम प्रसन्न पाण्डे,
गार्ड्स ब्रिगेड।

13 दिसम्बर 1971 को गार्ड्स ब्रिगेड की एक बटालियन के हवलदार राम प्रसन्न पाण्डे, पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु के ठिकाने पर हमला करने वाली प्लाटून के अगले सेक्शन कमांडर थे। जब शत्रु ने अपनी मशीनगन से गोलियां चला कर इनके हमले को रोक दिया तब ये अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना शत्रु की मशीनगन चौकी पर झपटे और उसे शान्त कर दिया।

इस कार्यवाही में, हवलदार राम प्रसन्न पाण्डे ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का जो परिचय दिया उसके परिणामस्वरूप शत्रु के क्षेत्र पर कब्जा किया जा सका।

122. 2551333 हवलदार शान्थैया,
मद्रास रेजीमेंट।

6 दिसम्बर, 1971 को हवलदार शान्थैया, मद्रास रेजिमेन्ट की एक बटालियन में एक प्लाटून हवलदार थे। पश्चिमी क्षेत्र में "कालसियां खुर्द" ग्राम पर शत्रु को कब्जा करने से रोकने की जिम्मेदारी इनकी प्लाटून को सौंपी गई थी। इस ठिकाने पर शत्रु ने भारी तोपखाने की सहायता से बड़ी संख्या में हमला कर दिया और ग्राम के बिल्कुल पास पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में, अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किये बिना हवलदार शान्थैया, हल्की मशीनगन लेकर ग्राम के बगल में गये और वहां से लगातार गोलियां चलाकर शत्रु के प्रहार को समाप्त कर दिया।

इस कार्यवाही में हवलदार शान्थैया से साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

123. 1400172 हवलदार मनी राम, (मरणोपरान्त)
55वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया के दौरान, पश्चिमी क्षेत्र के "दाओक" स्थान में हमारे एक मोर्चे पर शत्रु के शीघ्र हमले की आशंका से 4 और 5 दिसम्बर, 1971 को उस मोर्चे पर फौरन सुरंगें बिछाने का आदेश दिया गया। हवलदार मनी राम और इंजीनियर रेजिमेन्ट के चार सैपरों को, उस मोर्चे की रक्षा में लगी अपनी इंफैन्ट्री यूनिट की टास्क फोर्स के साथ मिल कर सुरंगें बिछाने का काम सौंपा गया। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना हवलदार मनी राम ने सुरंगें बिछाने का काम कराया। 5 दिसम्बर, 1971 को हवलदार मनी राम तथा चार सैपरों को शत्रु का गोला लगा जिसके कारण तीन सैपर तो तुरन्त शहीद हो गये और ये बुरी तरह जख्मी हो गये। बाद में घावों के कारण ये भी वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में, हवलदार मनी राम ने साहस और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

124. 4435716 हवलदार दर्शन सिंह,
सिख लाइट इंफैन्ट्री।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान हवलदार दर्शन सिंह की प्लाटून को अम्बाला हवाई अड्डे पर तैनात किया गया था। एक दिन एक ब्लास्ट पेन में फायर अलार्म सुनकर हवलदार दर्शन सिंह, 8 सैनिकों को लेकर तेजी से पेन क्षेत्र की ओर गये। ब्लास्ट पेन पर पड़े छद्मावरण जाल में आग लग गई थी। इन्होंने कुछ सैनिकों को आग बुझाने के लिये कहा और बाकी सैनिकों को लेकर पेन पर चढ़ गये और छद्मावरण जाल को अलग कर दिया। जलता हुआ नेट, हवाई जहाज की नोक में उलझ गया। ऐसी परिस्थिति में अपनी जान की तनिक परवाह किये बिना ये एक हवाई जहाज पर चढ़ गये और जाल को अलग कर दिया और एस० यू०-16 हवाई जहाज को बर्बाद होने से बचा लिया। इस कार्यवाही में ये जलने से जख्मी हो गए।

इस कार्यवाही में हवलदार दर्शन सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

125. 1158746 हवलदार (गनर) हीरा सिंह,
आर्टीलरी रेजिमेन्ट।

हवलदार (गनर) हीरा सिंह, हवाई रक्षा रेजिमेन्ट की उस हवाई रक्षा गन की कमान कर रहे थे जिसे पश्चिमी क्षेत्र में कोर हैडक्वार्टर की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 7 दिसम्बर 1971 को शत्रु के तीन मिग 19 हवाई जहाजों ने कोर हैडक्वार्टर पर हमला कर दिया। हवलदार (गनर) हीरा सिंह ने अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना, शत्रु के बहुत नीची उड़ान भरकर बौछार करने वाले एक हवाई जहाज पर अपनी गन से लगातार फायर करके, उसे मार गिराया। उनकी इस बहादुराना कार्यवाही से कोर हैडक्वार्टर बर्बाद होने से बच गया।

इस कार्यवाही में, हवलदार (गनर) हीरा सिंह ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

126. 7027364 हवलदार (ड्राइवर) (रिकवरी) मोहम्मद हनीफ मियां,
आर्मर्ड कोर।

6 दिसम्बर 1971 को हवलदार (ड्राइवर) (रिकवरी) मोहम्मद हनीफ मियां को, छम्ब क्षेत्र में अग्रवर्ती रक्षित इलाकों में से दो टैंकों को बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया था। शत्रु की लगातार गोलाबारी और छोटे हथियारों से चलाई जा रही गोलियों से बेपरवाह होकर और यह जानकर कि शत्रु ने पीछे से घेर लिया है, इन्होंने अपना काम पूरा किया और टैंकों को सलामती से मुनावर तवी नदी के पार ले आए।

इस कार्यवाही में हवलदार मोहम्मद हनीफ मियां ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

127. 9404678 हवलदार बीर बहादुर तामंग,
11वीं गोरखा रायफल्स।

6 दिसम्बर को, हवलदार बीर बहादुर तामंग, 11वीं गोरखा रायफल्स की एक बटालियन में उस सैक्शन के कमांडर थे जिस

पूर्वी क्षेत्र में "मुजफ्फरगंज" पर हमला करने का काम सौंपा गया था। हमले के दौरान ये शत्रु के एक बंकर के नजदीक गए और उसमें दो हथगोले फैंक कर तीन सिपाहियों को मार दिया जिससे हमारे सैनिकों को आगे बढ़ने में आसानी हो गई।

इस कार्यवाही में हवलदार बीर बहादुर तामंग ने साहस का परिचय दिया।

128. 5736598 हवलदार चित्र बहादुर गुरंग,
8वीं गोरखा रायफल्स।

हवलदार चित्र बहादुर गुरंग, पश्चिमी क्षेत्र में तैनात 8वीं गोरखा रायफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी में प्लाटून कमांडर थे। डेरा बाबा नानक क्षेत्र में 5 और 6 दिसम्बर 1971 को "मरदाना" पर कब्जा करने और 16 और 17 दिसम्बर 1971 को "बालाठोर" पर धावा बोलने के दौरान उनकी प्लाटून बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ी जिससे शत्रु के होश उड़ गए और वह भाग खड़ा हुआ।

इन कार्यवाहियों में हवलदार चित्र बहादुर गुरंग ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

129. 2846960 हवलदार गुमान सिंह,
राजपूताना रायफल्स।

17 दिसम्बर 1971 को हवलदार गुमान सिंह, राजस्थान क्षेत्र के पाकिस्तानी भाग में काफी भीतर तक जाकर टोह करने वाले गश्ती दल के साथ थे। गश्तीदल कमांडर ने, हवलदार गुमान सिंह को शत्रु के घात स्थल का पता लगाने का काम सौंपा। जब इनकी टोली शत्रु के घात स्थल से लगभग 300 से 600 गज की दूरी पर थी कि शत्रु ने अपने स्वचालित हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी। हवलदार गुमान सिंह ने फौरन इस कार्यवाही की सूचना गश्तीदल कमांडर को दी और जवाबी गोलाबारी की। बाद में शत्रु के लगातार गोलाबारी के बावजूद ये उसके एक मरे हुए जवान के शरीर से "पहचान डिस्क" भी साथ लाए।

इस कार्यवाही में हवलदार गुमान सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

130. 2748787 हवलदार मनोहर राने, **(मरणोपरान्त)**
मराठा लाइट इंफैन्ट्री।

मराठा लाइट इंफैन्ट्री के हवलदार मनोहर राने, पूर्वी क्षेत्र के "पाचागढ़" स्थान में शत्रु के एक मजबूत ठिकाने पर हमला करने वाली प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। शत्रु ने अपने ठिकाने पर लगी मशीनगन से तीव्र गोलीबारी करके इनके हमले को रोक दिया। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना हवलदार मनोहर राने, रेंग कर एक मंझोली मशीन गन के बंकर तक गए, उसमें एक हथगोला फैंका और उसे शान्त कर दिया। जब ये दूसरी मशीनगन के बंकर की ओर जा रहे थे कि उन्हें मशीनगन की एक बौछार लगी और ये तत्काल वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में, हवलदार मनोहर राने ने साहस का परिचय दिया और सबसे बड़ी कुर्बानी दी।

131. 1168922 हवलदार मुन्नाथुकत्तिल वाडेक्केचेरेइल सवेस्टियन थामस,
आर्टिलरी रेजिमेन्ट।

7 दिसम्बर 1971 को हवलदार मुन्नाथुकत्तिल वाडेक्केचेरेइल सवेस्टियन थामस, हवाई रक्षा बैटरी की एक टुकड़ी के इंचार्ज थे। इन की गन पर शत्रु के दो मिग-19 हवाई जहाजों ने हमला कर दिया। बिना डरे इन्होंने कुछ सैनिकों की मदद से केवल आठ राउण्ड फायर करके शत्रु के एक हवाई जहाज को मार गिराया।

इस कार्यवाही में हवलदार मुन्नाथुकत्तिल वाडेक्केचेरेइल सवेस्टियन थामस ने साहस, कर्त्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व का परिचय दिया।

132. 1148622 हवलदार (गनर) सुरेशचन्द्र गोस्वामी,
हवाई रक्षा रेजिमेन्ट (प्रादेशिक सेना)।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान हवलदार सुरेश चन्द्र गोस्वामी हमारी सीमा चौकी के पास तैनात एक गन-टुकड़ी के कमांडर थे। पश्चिमी बंगाल में कालिन्दी नदी के किनारे स्थित शमशेर नगर के पास हमारी सीमा चौकी की ओर एक पाकिस्तानी गन बोट आ गई। उसे देखते ही हवलदार सुरेशचन्द्र गोस्वामी ने अपने जवानों को सावधान कर दिया। शत्रु की गन बोट से गोली चलाते ही इन्होंने भी अपनी गनों से उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जैसे ही शत्रु की गनबोट में एक गोला लगा उसने अपनी मुख्य गनों और एक भारी मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन इससे हवलदार सुरेश चन्द्र गोस्वामी डरे नहीं और इन्होंने बहुत से उच्च विस्फोटक और कवचभेदी बम चलाये जिससे शत्रु की गनबोट को नुकसान पहुंचा और उसके 6 जवानों को मार दिया। शत्रु की क्षतिग्रस्त बोट धीरे-धीरे अपने अड्डे पर वापस लौटने लगी पर रास्ते ही में डूब गई।

इस कार्यवाही में हवलदार सुरेश चन्द्र गोस्वामी ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

133. 4142336 हवलदार लक्ष्मी नारायण,
कुमाऊं रेजिमेंट।

9 दिसम्बर 1971 को राजस्थान क्षेत्र में संक्रियाओं के दौरान हवलदार लक्ष्मी नारायण, कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी में प्रतिक्षेपरहित (आर सी ए) गन टुकड़ी की कमान कर रहे थे। शत्रु ने अपने मोर्चों से आर्टिलरी, मार्टर और मंझोली मशीनगनों से तीव्र गोलाबारी करके इनकी टुकड़ी की आगे बढ़ने की गति रोक दी। ऐसी परिस्थिति में अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना हवलदार लक्ष्मी नारायण, अपनी प्रतिक्षेप-परहित-गन-टुकड़ी को खुले में ले आए और अपनी गन से फायर डालकर शत्रु की एक जीप बर्बाद कर दी। इससे इनका सैन्यदल खुले में से हटकर अधिक उपयुक्त और सुरक्षित मोर्चे जमा सका।

इस कार्यवाही में हवलदार लक्ष्मी नारायण ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

134. 255568 हवलदार अप्पू कुट्टन, (**मरणोपरान्त**)
मद्रास रेजिमेंट ।

17 दिसम्बर, 1971 को हवलदार अप्पू कुट्टन मद्रास रेजिमेन्ट की बटालियन की उस कम्पनी में प्लाटून हवलदार थे जो पश्चिमी क्षेत्र में "लालिअल" पर कब्जा किए हुए थी। जब शत्रु ने इस पोजीशन पर जवाबी हमला करके इनके प्लाटून कमांडर को घायल कर दिया, तब हवलदार अप्पू कुट्टन ने उस प्लाटून की कमान सम्भाली और शत्रु की भारी गोलाबारी के बावजूद खाई खाई जाकर अपने जवानों को प्रेरणा दी और प्रोत्साहित किया और आखिर में वे शत्रु को खदेड़ने में सफल हुए ।

इस कार्यवाही में हवलदार अप्पू कुट्टन ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

135. 4436302 हवलदार अजीत सिंह,
सिख लाइट रेजिमेन्ट ।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, 15 दिसम्बर, 1971 को बाड़मेर-नया छोर, रेलवे स्टेशन के साथ-साथ आगे बढ़ने वाली सिख लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन को "परछे-जी-वेरी" क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश मिला । हमले के पहले दौर में ऐक्टिंग प्लाटून कमांडर हवलदार अजीत सिंह ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करके शत्रु को भगा दिया । दूसरे दौर में शत्रु की भारी गोलाबारी और सुरंग-क्षेत्र के कारण एक कम्पनी का आगे बढ़ना रुक गया । उस कम्पनी की मदद के लिए एक दूसरी कम्पनी को भेजा गया जिसमें हवलदार अजीत सिंह प्लाटून कमांडर थे । आगे बढ़ते समय अगला प्रेक्षण अफसर घायल हो गया । अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना हवलदार अजीत सिंह सुरंग क्षेत्र में गये और घायल अफसर को पीछे ले आए ।

इस कार्यवाही में हवलदार अजीत सिंह ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया ।

136. 4539188 हवलदार भगवान वाधमारे,
महार रेजीमेन्ट ।

5 दिसम्बर, 1971 को महार रेजीमेन्ट की एक बटालियन को पुंछ क्षेत्र में "थानपीर" पर दुबारा कब्जा करने का कार्य सौंपा गया था । जब यह बटालियन एक संकरे रास्ते वाली पहाड़ी के साथ-साथ आगे बढ़ रही थी तब शत्रु ने अपने बंकर में लगी मशीन गन से भारी गोलीबारी शुरू करके उसके बढ़ाव को रोक दिया । ऐसी परिस्थिति में हवलदार वाधमारे, अपनी मशीन गन टुकड़ी को लेकर बगल में गए और वहाँ से शत्रु के बंकर पर गोलीबारी करने लगे, जिससे शत्रु का ध्यान बट गया । इसके परिणामस्वरूप हमारे सैन्यदलों को शत्रु की चौकी तक पहुंचने का मौका मिल गया । हमारी बटालियन को आगे बढ़ते देखकर शत्रु डर गया और बहुत सारा गोलाबारूद छोड़कर भाग गया ।

इस कार्यवाही में हवलदार भगवान वाधमारे ने साहस, पहल-शक्ति और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

137. 9135822 लाँस हवलदार कुंगा स्टेनेइन,
लद्दाख स्काउट ।

लाँस हवलदार कुंगा स्टैनेइन, परतापुर क्षेत्र के रक्षित इलाके में चालुंका कामप्लेक्स पर कब्जा करने के लिए हमारी हमला करने वाली सेना में चल गोलाबारी नियंत्रक थे । वह संक्रिया चार दिन से भी अधिक चली । इस संक्रिया में शत्रु के तेज गोलाबारी के बावजूद इन्होंने मार्टर से कारगर गोलीबारी करने में दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया । उसके परिणामस्वरूप संक्रिया में सफलता मिली ।

इस कार्यवाही में लाँस हवलदार कुंगा स्टैनेइन ने साहस, पहलशक्ति और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

138. 4146924 लाँस हवलदार दीवान सिंह,
कुमाऊं रेजीमेंट ।

लाँस हवलदार दीवान सिंह, कुमाऊं रेजीमेंट की एक बटालियन में सेक्शन कमाँडर थे । इनके सेक्शन को राजस्थान क्षेत्र में गदरा अक्ष पर शत्रु की चौकी पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी । हमले के दौरान इन्होंने दृढ़-निश्चय और साहस के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया । शत्रु के छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी के बावजूद इन्होंने शत्रु की मंझौली मशीन गन चौकी पर धावा बोल दिया और हथगोले से उसे ध्वस्त कर दिया । इस कार्यवाही से प्रोत्साहित होकर इनके सैनिकों ने उस चौकी पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में लाँस हवलदार दीवान सिंह ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

139. 2649480 लाँस हवलदार अफजल अलीम वार्सी,
ग्रेनेडियर्स (**मरणोपरान्त**)

8 दिसम्बर, 1971 की रात में ग्रेनेडियर्स की बटालियन के हवलदार अफजल अलीम वार्सी पश्चिमी क्षेत्र के "नरूर" क्षेत्र में शत्रु की चौकी पर हमले के दौरान अपने सैक्शन का नेतृत्व कर रहे थे । इनके नेतृत्व में सेक्शन ने उसकी चौकी पर न केवल कब्जा किया बल्कि भागते शत्रु से हथियार और गोलाबारूद भी छीन लिया । बाद में, 14 दिसम्बर, 1971 की रात में "शकरगढ़" पर हमले के दौरान इनके सेक्शन के बहुत से सैनिक हताहत हो गये । शत्रु की गोलाबारी पर ध्यान दिए बिना और अपनी सुरक्षा से बेपरवाह होकर हवलदार अफजल अलीम वार्सी ने हताहतों की सहायता की और अपनी देखरेख में उन्हें वहाँ से हटवाया । ऐसा करते हुए इन्हें एक गोले की किरचें लगी, जिसके परिणामस्वरूप वे वीरगति को प्राप्त हुए ।

इन कार्यवाहियों में लाँस हवलदार अफजल अलीम वार्सी ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

140. 1421561 लाँस हवलदार फुमन लाल,
59वीं इंजीनियर रेजिमेन्ट ।

11 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 1971 के बीच लाँस हवलदार फुमन लाल, पूर्वी क्षेत्र में जमालपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में गश्त

लगाने वाले एक नौका की कमान कर रहे थे। नदी के पार हमारे जमाव की तैयारी की जरूरत को समझ कर हवलदार फुमन लाल और उनकी टोली ने लगभग 40 घंटें तक लगातार गाड़ियों को पार उतारा।

इन कार्यवाहियों में लांस हवलदार फुमन लाल ने कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

141. 11088874 लांस हवलदार सीता राम,
आर्टिलरी रेजिमेंट।

6 दिसम्बर, 1971 को चण्डीगढ़ पर जब शत्रु ने हवाई हमला कर दिया तब हवाई रक्षा रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना) की टुकड़ी की कमान कर रहे लांस हवलदार बहादुर सीता राम ने अंधेरे के बावजूद शत्रु के हवाई जहाज को देख लिया। उन्होंने शत्रु के हवाई जहाज को अपनी तोपों की मार के अन्दर आने दिया। ज्योंही जहाज मार के अन्दर आया उन्होंने अपनी तोखखाने की टुकड़ी को गोलीबारी करने का आदेश दिया और पहले ही तीन गोलों में जहाज को मार गिराया।

इस कार्यवाही में लांस हवलदार सीता राम ने व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

142. 4142194 लांस हवलदार विट्ठल सावंत,
मराठा लाइट इंफैन्ट्री।

10 दिसम्बर 1971 को पश्चिमी क्षेत्र में "नैनाकोट" के पास जब शत्रु ने अपनी मंझौली मशीन गन ठिकाने से गोलाबारी करके मराठा लाइट इंफैंट्री की बटालियन की एक कम्पनी को आगे बढ़ने से रोक दिया तब उस ठिकाने का सफाया करने का काम एक राकेट लांचर डिटेचमेंट टुकड़ी के साथ लांस हवलदार विट्ठल सावंत को सौंपा गया। आदेश पाते ही लांस हवलदार विट्ठल सावंत एक राकेट प्रक्षेपक टुकड़ी को लेकर शत्रु के बंकर के करीब गये और उस पर राकेट चलाने का आदेश दिया और हथगोला फैंकने के लिए खुद झपट कर बंकर तक गये। इन की इस कार्यवाही से शत्रु चकित रह गया और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद और उपस्कर छोड़कर भाग गया।

इस कार्यवाही में लांस हवलदार विट्ठल सावंत ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

143. 2845764 लांस हवलदार जसवंत सिंह राठौर,
राजपूताना रायफल्स।

14 और 15 दिसम्बर की रात में लांस हवलदार जसवंत सिंह राठौर, राजपूताना रायफल्स की एक बटालियन की उस "छापा-मार सेना" में शामिल थे जिसने राजस्थान क्षेत्र में शत्रु के इलाके में 21 किलोमीटर भीतर घुसकर उसके तोपखाने के ठिकाने पर छापा मारा था। लांस हवलदार जब अपने राकेट प्रक्षेपक के साथ शत्रु के तोपखाने की ओर जा रहे थे कि शत्रु ने इन पर गोली चला दी। लेकिन बिना किसी डर के छिपकर शत्रु के ठिकाने में 150 गज भीतर घुस गये और उसकी दो फील्डगनों को बर्बाद कर दिया।

इस कार्यवाही के दौरान, लांस हवलदार जसवंत सिंह राठौर ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

144. 1421552 लांस हवलदार नन्द बल्लभ,
57वीं इन्जीनियर रेजिमेंट।

12 और 13 दिसम्बर 1971 की रात में राजस्थान क्षेत्र में नयाछोर की लड़ाई के दौरान हमारे दो टैंक क्षतिग्रस्त हो गये। अपने टैंकों को निकालने के लिए सुरंग क्षेत्र में "निरापद गली" बनाना जरूरी था। शत्रु की गोलीबारी के बावजूद, लांस हवलदार नन्द बल्लभ की टोली ने रात ही में सारा काम पूरा कर लिया जिससे टैंकों को निकाल कर लाया जा सका।

इस कार्यवाही में लांस हवलदार नन्द बल्लभ ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

145. 1515902 लांस हवलदार हरनाम सिंह,
104वीं इंजीनियर रेजिमेंट।

पश्चिमी क्षेत्र में 9 और 10 दिसम्बर, 1971 की रात में संक्रियाओं के दौरान लांस हवलदार हरनाम सिंह उस टोह-टोली में शामिल थे जिसे लालूचक सुरंग क्षेत्र में वह गली साफ करने का काम सौंपा गया था जिसमें सुरंग फटने से हमारा एक टैंक फूंक गया था। शत्रु की आर्टिलरी, टैंक और मशीन गन की गोलीबारी के बावजूद लांस हवलदार हरनाम सिंह ने एक और अफसर की मदद से सुरंग क्षेत्र में अपने क्षतिग्रस्त टैंक तक पहुंचने के लिए गली साफ की और बख्तर बंद पुनरापि गाड़ी की, टैंक निकालने में सहायता की।

इस कार्यवाही में लांस हवलदार हरनाम सिंह ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

146. 2840867 लांस हवलदार छोटे सिंह,
राजपूताना रायफल्स।

15 दिसम्बर, 1971 को लांस हवलदार छोटे सिंह राजपूताना रायफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी में उस सेक्शन की कमान कर रहे थे जो "ललियाल जंगल" में शत्रु की तलाश कर रहा था। कम्पनी के कार्यवाही शुरू करते ही उस पर शत्रु ने हल्की मशीन गन से गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसी परिस्थिति में लांस हवलदार छोटे सिंह, ने शत्रु की मशीन गन ठिकाने पर धावा करके कब्जा कर लिया। हालांकि ये किरच लगने से जख्मी हो गये थे तो भी अपने सेक्शन के आने तक शत्रु के कैदियों की चौकसी करते रहे।

इस कार्यवाही में, लांस हवलदार छोटे सिंह ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

147. 6275350 लांस हवलदार कमला प्रसाद सिंह,
11वीं इंफैन्ट्री डिवीजन मिगनल रेजिमेन्ट।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध की जाने वाली संक्रियाओं के दौरान, लांस हवलदार कमला प्रसाद सिंह, उस लाइन टुकड़ी के इंचार्ज थे जिसे राजस्थान क्षेत्र में इंफैन्ट्री ब्रिगेड हैडक्वार्टर में लाइन

बिछाने और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शत्रु की सुरंगों, उसकी गोलाबारी, तोड़फोड़ की कार्यवाही और हवाई हमले के कारण इनकी टुकड़ी के काम में बार-बार रुकावट होती थी। ऐसी परिस्थिति में भी अपनी जान की तनिक परवाह किये बिना इन्होंने ब्रिगेड हैडक्वार्टर में लाइन बिछाने और उसकी देखभाल का कार्य पूरा किया और संचार व्यवस्था को कायम रखा।

आद्योपान्त लांस हवलदार कमला प्रसाद सिंह ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

148. 1023142 दफादार रूप सिंह, (मरणोपरान्त)
1 हार्स।

13 दिसम्बर, 1971 को दफादार रूप सिंह, पश्चिमी क्षेत्र में "शाहबाजपुर" पर हमला करने वाली स्किनर्स हार्स स्क्वाड्रन में अगले टैंक कर्मीदल के कमांडर थे। हालांकि इनका टैंक शत्रु की गोली से क्षतिग्रस्त हो गया था तो भी वे वापस लौटने का आदेश मिलने तक शत्रु से टक्कर लेते रहे। बाद में 13 दिसम्बर, 1971 को बियन नदी पार करते समय ये सबसे आगे चल रहे थे कि इन पर शत्रु का गोला लगा और इनका टैंक पूरी तरह नष्ट हो गया। तब इन्होंने सभी कर्मीदल को बाहर निकाला। इस काम को करते समय ये शत्रु की गोलाबारी से जख्मी हो गए और तुरन्त वीरगति को प्राप्त हुए।

इन कार्यवाहियों में दफादार रूप सिंह ने साहस, और नेतृत्व का परिचय दिया और उससे बड़ी कुर्बानी दी।

149. 1025140 दफादार रामप्पा पुरुषोत्तम,
16वीं कैवलरी।

14 दिसम्बर, 1971 को दफादार रामप्पा पुरुषोत्तम, एक कैवलरी स्क्वाड्रन के साथ शकरगढ़ क्षेत्र में ऐसे सुरंग क्षेत्र को पार करने की कोशिश में थे, जिसे शत्रु ने अच्छी तरह अपनी गोलीबारी की आड़ में ले रखा था। आगे बढ़ने के दौरान शत्रु ने इनके टैंक पर आघात कर दिया। उसी समय एक सुरंग के फटने से इनके ट्रूप लीडर का टैंक भी गतिहीन हो गया। ऐसी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किये बिना दफादार रामप्पा पुरुषोत्तम अपने क्षतिग्रस्त टैंक में आगे बढ़े और ट्रूप लीडर के टैंक को खतरे से बाहर निकाल लिया। इसी दौरान इनके टैंक पर शत्रु ने दुबारा आघात कर दिया।

इस कार्यवाही में, दफादार रामप्पा पुरुषोत्तम ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

150. 1028406 दफादार बसाखा सिंह,
आर्मर्ड कोर।

7 दिसम्बर, 1971 को पूर्वी क्षेत्र में पीरगंज पर आर्मर्ड रेजिमेन्ट की स्क्वाड्रन के प्रहार के दौरान शत्रु ने अपनी मंझोली मशीनगन से गोलीबारी करके हमारी इंफैन्ट्री को आगे बढ़ने से रोक दिया। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किये बिना स्क्वाड्रन के अगले ट्रूप लीडर दफादार बसाखा सिंह अपने टैंक से नीचे उतरे और रेंग कर मशीन गन पोस्ट तक गये और उसे हथगोले से बर्बाद कर दिया। ये बंकर में से खुद मशीन गन को उठा लाये। 14 दिसम्बर, 1971 को बोगरा के दक्षिण में सड़क रोक लगाने के लिए जब इनका स्क्वाड्रन दुबारा आगे बढ़ रहा था तब दफादार बसाखा सिंह के टैंक पर शत्रु ने आघात करके इन्हें घायल कर दिया। इसके बावजूद इन्होंने अपने बाकी दो टैंकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इन्होंने खुद वहाँ से हटाये जाने से इन्कार कर दिया और टैंक के बचे हुए कर्मी दल की मदद से टैंक की मरम्मत की। ये टैंक को खुद चलाकर हार्बर में ले आये और इस के बाद मरहम पट्टी के लिए रेजिमेन्ट की सहायता चौकी पर गये।

इन कार्यवाहियों में दफादार बसाखा सिंह ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

151. 1025085 दफादार खुशाल सिंह,
17 हार्स।

16 दिसम्बर 1971 को, 17 हार्स के दफादार खुशाल सिंह, पश्चिमी क्षेत्र में बसंतार नदी के पास पुल पदाधार म तैनात थे। इस ठिकाने पर शत्रु ने बड़ी संख्या में आर्मर से जवाबी हमला कर दिया और आर्टिलरी से भी तीव्र और अचूक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना दफादार खुशाल सिंह ने पहले स्क्वाड्रन कमांडर के टैंक को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु के दो टैंकों को बर्बाद कर दिया फिर अपने टैंक को उस जगह ले गये जहां इनकी स्क्वाड्रन के दूसरे टैंक घिर गये थे। इनके टैंक को देखते ही शत्रु ने उस पर गोलाबारी शुरू कर दी। उधर स्क्वाड्रन कमांडर को बच निकलने का मौका मिल गया। इस तरह ये अपने स्क्वाड्रन कमांडर को बचाने में सफल हुए। हालांकि इस काम में इनके टैंक को नुकसान पहुँचा लेकिन फिर भी दफादार खुशाल सिंह शत्रु के खदेड़े जाने तक वहां डटे रहे।

इस कार्यवाही में दफादार खुशाल सिंह ने साहस, मैत्री और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

152. 1023923 दफादार धर्म पाल,
आर्मर्ड कोर।

6 दिसम्बर 1971 को दफादार धर्म पाल, पश्चिमी क्षेत्र के "सम्बा" स्थान में एक टैंक की कमान कर रहे थे। इनके टैंक को शत्रु ने अपनी प्रतिक्षेप रहित गन से क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर आर्टिलरी और हवाई जहाज से भी गोलीबारी की। इस सबके बावजूद दफादार धर्म पाल शत्रु पर गोले बरसाते रहे और उसके दो टैंक ध्वंसकों को नष्ट कर दिया।

इस कार्यवाही में दफादार धर्म पाल ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

153. 1023900 दफादार रणधीर सिंह,
आर्मर्ड कोर।

दफादार रणधीर सिंह, कैवलरी के एक टैंक के कमांडर थे। इन्हें, शकरगढ़ क्षेत्र में शत्रु के सुरंग क्षेत्र में से होकर आगे बढ़ने का कार्य सौंपा गया था ताकि इनके पीछे एक आर्मर्ड रेजिमेन्ट भी

सुरंग क्षेत्र को चीरकर गुजर सके। सुरंग क्षेत्र के दूसरी तरफ पुल पदाधार कायम नहीं किया जा सका था इसलिए उस क्षेत्र पर शत्रु के आर्टिलरी और मोर्टर की गोलाबारी का भारी खतरा था। अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना, दफादार रणधीर सिंह, सुरंग क्षेत्र को तब तक साफ करते रहे जब तक कि आर्मर्ड रजिमेन्ट के गुजरने लायक गलियारा न बन गया।

इस कार्यवाही में, दफादार रणधीर सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

154. 1025761 दफादार ओंकार दत्त,
4थी हार्स।

दफादार ओंकार दत्त, पश्चिमी क्षेत्र में "ठाकुर-द्वारा" में पुल पदाधार पर कार्यवाही करने वाले 4थी हार्स के अगले सैन्य दल में टैंक कमांडर थे। जब इनका टैंक पुल पदाधार के तंग हिस्से में से गुजर रहा था तो उस पर शत्रु ने बगल से टैंक से गोली चलानी शुरू कर दी। इनके टैंक ने भी कारगर जवाब दिया और पहले ही निशाने में शत्रु के टैंक को बर्बाद कर दिया।

इस कार्यवाही में दफादार ओंकार दत्त ने साहस और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

155. 1034880 लांस दफादार गुरदियाल सिंह,
1ली हार्स।

9 दिसम्बर, 1971 को शाहबाजपुर की ओर जाने वाली 1ली हार्स की एक स्क्वाड्रन को जब शत्रु ने गोलीबारी से आगे बढ़ने से रोक दिया तब एक टैंक के गनर लांस दफादार गुरदियाल सिंह ने शत्रु के टैंकों पर गोलीबारी करके उनमें, एक के बाद एक, दो टैंकों को बर्बाद कर दिया और तीसरे को क्षति पहुंचाई। इससे शत्रु भाग खड़ा हुआ और हमारा आगे बढ़ना फिर शुरू हो गया।

इस कार्यवाही में, लांस दफादार गुरदियाल सिंह ने योग्यता, साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

156. 1027614 लांस दफादार विद्याधर सिंह,
7वीं कैवलरी।

8 दिसम्बर, 1971 को लांस दफादार विद्याधर सिंह कैवलरी के उस ट्राल टैंक पर तैनात थे जिसे पश्चिमी क्षेत्र के शाह-बाजपुर क्षेत्र में, शत्रु के सुरंग क्षेत्र में से सुरंगें साफ करने का कार्य सौंपा गया था। शत्रु की भारी गोलीबारी के बावजूद इन्होंने अपना कार्य पूरा करके एक सुरक्षित गली बनाई। जब शत्रु का प्रतिरोध और कठोर हो गया तो लांस दफादार विद्याधर सिंह ने फौरन अपनी टैंक गन को घुमाकर उसकी एक प्रतिक्षेप रहित गन को ध्वस्त कर दिया।

इस कार्यवाही में, लांस दफादार विद्याधर सिंह ने साहस, दृढ़ निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

157. 4338377 नायक जीवन राम कचारी,
असम रेजिमेन्ट।

छम्ब क्षेत्र के "घोगी" इलाके में अपनी एक रक्षात्मक मोर्चे पर, असम रेजीमेंट की बटालियन की एक कम्पनी डटी हुई थी। 5 दिसम्बर, 1971 को इस मोर्चे पर शत्रु ने जबरदस्त हमला करके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और नायक जीवन राम कचारी और तीन सिपाहियों को पकड़ लिया। शत्रु के मार्ग रक्षी जब इन चारों को अपने इलाके में ले जा रहे थे, कि रास्ते ही में उन पर भारी गोलाबारी होने लगी। इससे मार्गरक्षियों का ध्यान बंट गया और इन लोगों ने मार्गरक्षियों को काबू में कर लिया और भाग निकले। नायक जीवन राम कचारी अपने सिपाहियों को साथ लेकर अपने इलाके में लौट आए।

इस कार्यवाही में नायक जीवन राम कचारी ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

158. 2848753 नायक रिसाल सिंह,
राजपूताना रायफल्स।

नायक रिसाल सिंह, राजपूताना रायफल्स की एक बटालियन में एक कम्पनी के सेक्शन कमांडर थे। 11 दिसम्बर, 1971 को राजस्थान क्षेत्र में "नयाछोड़" की लड़ाई के दौरान जब इनकी कम्पनी, चार टैंकों के साथ शत्रु के सुरंग क्षेत्र में फंस गई और उसे शत्रु की मंझौली मशीनगनों के तेज और कारगर गोलाबारी का सामना करना पड़ रहा था तब नायक रिसाल सिंह ने अपने सेक्शन के साथ शत्रु की मंझौली मशीनगन चौकी पर धावा बोल दिया। इनके जोरदार धावे से शत्रु के छक्के छूट गए और वह बहुत-सारा गोला-बारूद छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। इनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही ही के कारण इनकी कम्पनी और टैंक—कमोबेश, शत्रु के सुरंग क्षेत्र से निकलने में सफल हुए।

इस कार्यवाही में नायक रिसाल सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

159. 3349885 नायक सुखदेव सिंह,
सिख रेजीमेंट।

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान सिख रेजिमेंट की एक बटालियन को पूर्वी क्षेत्र में मोर्चाबंद सुरक्षित मोर्चा तैयार करने का काम सौंपा गया था। बटालियन जब मोर्चे तैयार कर रही थी, उसी बीच शत्रु ने उस पर मशीनगनों से गोलीबारी शुरू कर दी। इस बटालियन में नायक सुखदेव सिंह सेक्शन के कमांडर थे। इनका सैक्शन खुले में काम कर रहा था और उसे शत्रु की गोलीबारी का पूरा खतरा था। ऐसी हालत में नायक सुखदेव सिंह ने खुद एक हल्की मशीनगन से शत्रु पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिससे इनके सैक्शन को बिना रुकावट के मोर्चा खोदने का मौका मिल गया। नायक सुखदेव सिंह ने अचूक गोलीबारी करके शत्रु के दो मशीनगन पिलबाक्सों को खामोश कर दिया, लेकिन इसी बीच उन्हें शत्रु की मशीनगन की गोलियों की एक बौछार लगी और ये बुरी तरह घायल हो गए।

इस कार्यवाही में नायक सुखदेव सिंह ने कर्त्तव्यनिष्ठा, साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

160. 11126163 नायक प्रीतम सिंह,
आर्टिलरी रेजिमेंट ।

अम्बाला हवाई अड्डे पर हवाई सुरक्षा रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना) की एक टुकड़ी तैनात थी । नायक प्रीतम सिंह, उस टुकड़ी के कमांडर थे । 6 दिसम्बर, 1971 की शाम को इनकी टुकड़ी ने एअर फील्ड पर हमला करने वाले शत्रु के तीन लड़ाकू हवाई जहाजों को देखा । टुकड़ी ने फौरन कारगर और अचूक गोलीबारी से शत्रु का एक हवाई जहाज मार गिराया और दो को भगा दिया ।

इस कार्यवाही में नायक प्रीतम सिंह ने साहस, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

161. 1169968 नायक सोबन सिंह,
आर्टिलरी रेजिमेंट ।

पश्चिमी क्षेत्र में मीडियम रेजिमेंट गन ठिकाने की रक्षा के लिए तैनात हवाई सुरक्षा बैटरी की एक टुकड़ी की कमान नायक सोबन सिंह कर रहे थे । 7 दिसम्बर, 1971 को इस क्षेत्र पर जब शत्रु ने हवाई हमला कर दिया तब नायक सोबन सिंह ने साहसपूर्ण पहल द्वारा अपनी गन से अचूक गोलाबारी कर शत्रु के एक मिग-19 हवाई जहाज को मार गिराया ।

इस कार्यवाही में नायक सोबन सिंह ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

162. 1324969 नायक कृष्ण पिल्लै रामकृष्ण पिल्लै ।
सैकण्ड इंजीनियर रेजिमेंट ।

11 दिसम्बर से 13 दिसम्बर, 1971 के बीच नायक कृष्ण पिल्लै रामकृष्ण पिल्लै जमालपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में गश्त लगाने वाले एक नौका की कमान कर रहे थे । 12 दिसम्बर, 1971 को इनकी नौका टूट गई । नदी के परली तरफ तेजी से तैयारी की जरूरत को समझकर इन्होंने फौरन कुशलता पूर्वक नौका की मरम्मत की और 16 से 18 घंटे तक गाड़ियों को पार उतारा ।

इस कार्यवाही में नायक कृष्ण पिल्लै रामकृष्ण पिल्लै ने कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

163. 6265946 नायक विट्ठल दास,
सिगनल्स कोर ।

नायक विट्ठल दास, 4 दिसम्बर, 1971 को "लाइन पार्टी" की उस टुकड़ी की कमान कर रहे थे जिसे पूर्वी क्षेत्र के "दरसाना" ठिकाने में माउण्टेन-ब्रिगेड कमांडर के "सामरिक हैडक्वार्टर" में संचार के लिए लाइनें बिछाने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी । शत्रु की भारी तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलाबारी के बावजूद नायक विट्ठल दास ने लाइनें बिछाने का काम पूरा किया । साथ ही अगर कहीं शत्रु की गोलाबारी से संचार लाइनें नाकाम हो गई थीं तो उनकी मरम्मत का काम भी पूरा किया ।

इस कार्यवाही में नायक विट्ठल दास ने साहस और कर्त्तव्यपरावणता का परिचय दिया ।

164. 6867009 नायक (ड्राइवर) बीरबल सिंह,
आर्मी आर्डनेंस कोर ।

अखनूर में जिस जगह हमारे गोलाबारूद के ढेर लगे थे वहां 5 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे भयंकर आग फैलने लगी । ऐसी भयंकर स्थिति में भी नायक (ड्राइवर) बीरबल सिंह, अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना आग बुझाने में जुट गये और दूसरे ढेरों को आग की लपेट में आने से बचा लिया । इन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भी आग बुझाने में लगाया । इस तरह इन्होंने भारी तादाद में गोलाबारूद को भस्म होने से बचा लिया । ये सात घंटे तक आग से जूझते रहे और आखिर में उसे बुझाने में सफल हुए ।

इस कार्यवाही में नायक (ड्राइवर) बीरबल सिंह ने साहस और कर्त्तव्यपराणयता का परिचय दिया ।

165. 2647089 नायक कुमा राम,
ग्रेनेडियर्स ।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन के नायक कुमा राम उस गश्त के उपकमान अफसर थे, जिसे इस सूचना की पुष्टि करने का काम सौंपा गया था कि शत्रु ने अपना एक इलाका खाली कर दिया है । गश्त के इलाके के आस पास पहुंचते ही उस पर शत्रु ने अपनी मंझौली मशीन गन और मार्टर से भारी गोलाबारी कर दी । ऐसी परिस्थिति में एक और सैनिक को साथ लेकर नायक कुमा राम ने मंझौली मशीन गन चौकी पर धावा बोल दिया जिससे शत्रु के होश उड़ गये और उसने आत्मसमर्पण कर दिया । इस धावे में अपने साथी सैनिक को गोली लगने पर नायक कुमा राम उसे सुरक्षित स्थान पर ले गये ।

इस कार्यवाही में नायक कुमा राम ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

166. 1216659 नायक मूलचन्द यादव,
आर्टिलरी रेजिमेंट ।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, नायक मूल चन्द यादव डेरा बाबा नानक इन्क्लेव पर हमला करने वाली 9वीं गोरखा रायफल्स की एक बटालियन में बैटरी कमांडर की टोली के इंचार्ज थे । हमले के दौरान, शत्रु के आर्टिलरी, स्वचालित हथियारों और टैंकों की भारी गोलाबारी के बावजूद नायक मूल चन्द यादव ने टेलिफोन और रेडियो संचार कायम रखा शत्रु ने आर्टिलरी गोलाबारी से दो बार रेडियो एन्टेना उड़ा दिया परन्तु ऐसी परिस्थिति में भी अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किये बिना इन्होंने संचार व्यवस्था कायम रखी ।

इन कार्यवाहियों में नायक मूलचन्द यादव ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

167. 13721969 नायक इंदरजीत, (मरणोपरान्त)
जम्मू और काश्मीर रायफल्स ।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान हमारी बटालियन के रक्षित इलाके पर शत्रु ने अपनी आर्टिलरी की भारी

गोलीबारी की आड़ में बड़ी संख्या में इफैन्ट्री से हमला किया और इस तरह शत्रु जम्मू और कश्मीर रायफल्स की बटालियन के एक सेक्शन पर लगातार दबाव डालने लगा। ऐसी परिस्थिति में सैक्शन कमांडर नायक इंदरजीत सिंह खतरा उठाकर एक खाई से दूसरी खाई तक गये और अपने सैनिकों को डटे रहने और लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान इनकी छाती में गोले की किरच लग गई। घायल होने के बावजूद इन्होंने सैक्शन पर नियंत्रण कायम रखा और शत्रु पर कारगर गोलाबारी करके उसे भारी नुक्सान पहुंचाया और उसके हमले को विफल कर दिया। परन्तु घायल होने के कारण वे वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में, नायक इंदरजीत ने साहस का परिचय दिया और कर्त्तव्य पालन करते हुए सबसे बड़ी कुर्बानी दी।

168. 5436057 नायक हिमबहादुर गुरंग,
5वीं गोरखा रायफल्स।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान नायक हिमबहादुर गुरंग पश्चिमी क्षेत्र में शहजरा चौकी पर हमला करने वाले सेक्शन की कमान कर रहे थे। प्रहार के दौरान, अचानक शत्रु ने अपनी मशीनगन से गोलाबारी करके क्षण भर के लिए इनके सेक्शन को आगे बढ़ने से रोक दिया। नायक गुरंग ने फौरन अपने सेक्शन को गोलाबारी के लिए नियोजित किया और अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना, रेंगकर बंकर के पास गये और दो हथगोले फेंक कर हल्की मशीनगन को खामोश कर दिया।

इस कार्यवाही में नायक हिमबहादुर गुरंग ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

169. 351537 नायक मोहब्बत सिंह,
राजपूताना, रायफल्स।

1971 में, पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान राजपूताना रायफल्स की एक बटालियन के नायक मोहब्बत सिंह, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के "रिंग कूल्टू" इलाके में शत्रु के कब्जे वाले ठिकाने पर हमले के दौरान एक सैक्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस कार्यवाही में इन्होंने निजी साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन्हीं की बदौलत यह संक्रिया सफल हुई और शत्रु के बहुत से सैनिक मारे गये।

इस कार्यवाही में नायक मोहब्बत सिंह ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

170. 3961568 सिपाही भागी रथ,
डोगरा रैजिमेंट।

5/6 दिसम्बर, 1971 की रात को सिपाही भागी रथ पश्चिमी क्षेत्र में डेरा बाबा नानक पुल के पूर्वी सिरे पर डोगरा रेजिमेंट की प्रहार करने वाली कम्पनी में थे। शत्रु की मंझौली मशीनगन के बंकर से अचूक गोलाबारी और तबाही करने वाली गोलियों की वजह से इनका प्रहार रुक गया। सिपाही भागी रथ ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना मंझौली मशीनगन पर धावा कर दिया और दो हथगोले फेंक कर उसे खामोश कर दिया। इससे लक्ष्य पर जल्दी कब्जा करने में सुविधा हुई।

इस कार्यवाही में सिपाही भागीरथ ने पहले, साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

171. 2755087 सिपाही नारायण मलूसरे,
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री।

सिपाही नारायण मलूसरे मराठा लाइट फैन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी में रेडियो आपरेटर थे। दीनाजपुर क्षेत्र में हमले के दौरान इनके कम्पनी कमांडर घायल हो गए थे और शत्रु की मंझौली मशीनगन चौकी से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर पड़े थे। सिपाही नारायण मलूसरे गंभीर खतरा होते हुए भी अपने कम्पनी कमांडर के पास डटे रहे और मशीनगन को हथगोलों से दो बार खामोश करने की कोशिश की। परन्तु इनकी कोशिश कामयाब न हो सकी। इस पर भी ये हतोत्साहित नहीं हुए और अपनी जगह पर जमे रहे और भारी गोलाबारी के बावजूद अपने कम्पनी कमांडर को निकाल लाने में सफल हुए।

इस कार्यवाही में सिपाही नारायण मलूसरे ने सराहनीय मैत्री साहस का परिचय दिया।

172. 2962388 सिपाही प्यार सिंह,
राजपूत रेजिमेंट।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध की जाने वाली संक्रियाओं के दौरान सिपाही प्यार सिंह उस कम्पनी के नेतृत्व करने वाले सैक्शन में थे जिसने भुरंगमारी क्षेत्र में छापा मारा था। सिपाही प्यार सिंह शत्रु के एक बंकर तक रेंग कर पहुंच गए और उसे बेअसर करने के बाद शत्रु के दूसरे बंकर पर पहुंचे। इसी बीच शत्रु की हल्की मशीन गन की गोली से ये घायल हो गए। हालांकि इनके घावों से लगातार खून बह रहा था फिर भी सिपाही प्यार सिंह साहस के साथ आगे बढ़ते गए और एक हथगोला फेंक कर दूसरे बंकर को भी बेअसर कर दिया। अब हमारे जवान ठिकाने पर झपटे और उस पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में सिपाही प्यार सिंह ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

173. 13602388 पैराट्रूपर चैनी राम,
पैराशूट रेजिमेंट।

पैराट्रूपर चैनी राम पराशूट रेजिमेंट की एक कम्पनी में कमान अफसर के संदेशवाहक थे। 16 दिसम्बर, 1971 को ये अपने कम्पनी कमांडर के साथ पश्चिमी क्षेत्र में तैनात अपनी प्लाटून के एक ऐसे इलाके में जा रहे थे जिस पर शत्रु जबरदस्त हमला कर रहा था। रास्ते में दोनों को अचानक शत्रु के 8–10 सैनिकों ने घेर लिया। लेकिन इससे पैराट्रूपर चैनी राम घबराये नहीं और फौरन शत्रु पर पहले हथगोला फेंका, फिर अपने कम्पनी कमांडर के साथ उन पर टूट पड़े और मुठभेड़ की लड़ाई लड़कर उसके दोनों जवानों को मार दिया और चार को बन्दी बना लिया।

इस कार्यवाही में पैराट्रूपर चैनी राम ने साहस और मैत्री का परिचय दिया।

174. 13666453 गार्डसमैन रत्न लिन्गा,
गार्डस ब्रिगेड।

15 दिसम्बर, 1971 को गार्डसमैन रत्न लिन्गा, गार्डस ब्रिगेड की बटालियन की एक कम्पनी के थोड़े से जवानों को लेकर

पूर्वी क्षेत्र के "सानार" क्षेत्र में शत्रु के एक मजबूत किलाबंद ठिकाने पर कब्जा करने के लिए गए। प्रहार के दौरान शत्रु ने इन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन इससे विचलित हुए बिना अपनी जान की परवाह किये बिना ये एक बंकर से दूसरे बंकर तक शत्रु का सफाया करते चले गए और उसकी दो हल्की मशीन गनों पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में गार्डसमैन रत्न सिन्गा ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

175. 1289539 गनर दूध नाथ,
आर्टिलरी रेजिमेन्ट ।

गनर दूध नाथ पूर्वी क्षेत्र में हमारी आर्टिलरी प्रेक्षण चौकी पर तैनात मद्रास रेजिमेन्ट की एक बटालियन में रेडियो आपरेटर थे। 6 दिसम्बर, 1971 की सुबह इस चौकी पर शत्रु ने जबरदस्त हमला कर दिया और उसके एक टैंक का गोला सीधा प्रेक्षण चौकी पर आ गिरा। गोले से गनर दूध नाथ की छाती में घाव हो गया। बहुत ज्यादा खून बहने और तीव्र पीड़ा के बावजूद ये अपना काम करते रहे। इसी बीच प्रेक्षण चौकी अफसर, लगभग 500 गज की दूरी पर एक्जी पोजीशन में चले गए। लेकिन दूध नाथ ने न केवल हटाए जाने से इन्कार कर दिया बल्कि अपनी पीठ पर रेडियो सेट रखे नये ठिकाने पर गए और संचार कार्य जारी रखा।

इस कार्यवाही में गनर दूध नाथ ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

176. जी 26512 श्री प्रीतम चन्द, मिस्त्री (मरणोपरान्त)
जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स ।

17 दिसम्बर, 1971 को मेन्टिनेन्स टास्क फोर्स के श्री प्रीतम चन्द मिस्त्री, जब पश्चिमी क्षेत्र में पंडगौड़-बादला-गुजरात मार्ग पर कार्य कर रहे थे तब शत्रु के हवाई जहाज ने इनकी टोली पर हमला कर दिया। इनकी टोली के दो पायनियर गोलियों की बौछार से जख्मी हो गये। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना ये एक को पास वाली पुलिया की ओट में ल गये। दूसरे पायनियर को वहां से हटाने की कोशिश करते समय इन्हें गोले की किरचें लग गईं।

इस कार्यवाही में, श्री प्रीतम चन्द मिस्त्री, ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

177. श्री सुरिन्दर नाथ खन्ना, सहायक कम्पनी कमांडर,
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ।

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, स्पेशल फ्रन्टियर फोर्स के श्री सुरिन्दर नाथ खन्ना, पूर्वी क्षेत्र में "रंग पाड़ा" के पास एक गश्ती प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही इनकी प्लाटून खुले में पहुंची कि शत्रु ने अचानक अपनी मशीनगनों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे कठिन समय में इन्होंने असाधारण सूझबूझ और साहस के साथ अपनी गश्ती प्लाटून से शत्रु पर हमला कर दिया। इससे शत्रु के हौसले पस्त हो गए और वह मोर्चा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बाद में जब "बोआखाली बाजार" लूटने वाले मिजो-विरोधियों को पकड़ने का काम इन्हें सौंपा गया तब इन्होंने तेजी से बहादुराना कार्यवाही करके एक हल्की मशीनगन और कुछ गोलाबारूद के साथ विरोधियों को पकड़ा।

आद्योपान्त श्री सुरिन्दर नाथ खन्ना ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

178. श्री तिरपाल सिंह, सहायक कमांडेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

9 दिसम्बर, 1971 को श्री तिरपाल सिंह, सीमा सुरक्षा दल की उस कम्पनी की कमान कर रहे थे जिसे कच्छ क्षेत्र के "नगर पारकर" स्थान में शत्रु के मजबूत किलाबन्द ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। शत्रु पर आगे बढ़कर हमला करने के लिए इन्होंने अपने जवानों को प्रेरणा दी और उनका हौसला बढ़ाया और शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाकर ठिकाने पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में श्री तिरपाल सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

179. श्री देविंदर सिंह, सहायक कमांडेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

1971 पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, सीमा सुरक्षा दल के सहायक कमांडेन्ट श्री देविन्दर सिंह की कमान में एक बटालियन राजस्थान क्षेत्र में तैनात थी। उस बटालियन के प्रशासन और सिगनल्स संचार के कामों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। इनकी बटालियन ने इस्लामगढ़ के बाहरी क्षेत्र में कार्यवाही करके शत्रु की ऐसी दो चौकियों पर कब्जा कर लिया जहां से वह इनके प्रशासन और सिगनल संचार के कामों में रुकावट डाल रहा था। अपनी जान की तनिक परवाह किये बिना श्री देविन्दर सिंह, 10 दिन तक दिन और रात लगातार काम में जुटे रहे। एक मौके पर ये चार दिन तक बिना भोजन किये और सोये, काम करते रहे। पूरे इलाके में शत्रु के सिपाही मौजूद थे फिर भी लाइन बिछाने वाली टोलियों के काम की इन्होंने देखभाल की।

आद्योपान्त श्री देविन्दर सिंह ने वृढ़-निश्चय, साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

180. श्री गुरमित सिंह सिंद्धू, सहायक कमाडेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

7 दिसम्बर, 1971 को श्री गुरमित सिंह सिंद्धू, उस गश्ती नाव "चित्रांगदा" के अफसर इंचार्ज थे जिसे भारतीय नौ सेना के जहाज "पानवेल" और गनबोट "पद्मा" और "पलाश" को पूर्वी क्षेत्र में मोंगला-हार्बर तक रास्ता दिखाने का सौंपा गया था। इस काम को इन्होंने कुशलता पूर्वक पूरा किया और "मोंगली" ही में रुक गए। उधर तीनों जलयान, चालना और खुलना पोर्ट पर हमले के लिए आगे बढ़ गए। 10 दिसम्बर, 1971 को इन्होंने एक जलयान से शत्रु को साजो-सामान उतारते देख लिया। हालांकि शत्रु के बदला लेने का पूरा खतरा था तो भी इन्होंने उस जलयान पर गोलाबारी कर दी और उसमें आग लगा दी।

इस कार्यवाही में श्री गुरमित सिंह सिंद्धू ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

181. श्री किशन कुमार शर्मा, सहायक कमांडेन्ट,
सीमा सुरक्षा बल ।

कच्छ क्षेत्र के "बिआर बेट" क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा दल की एक बटालियन में श्री किशन कुमार शर्मा, कम्पनी कमांडर थे । 13 दिसम्बर, 1971 को इनकी कम्पनी के ठिकाने पर शत्रु के हवाई हमले के बाद एक गाड़ी पर लगे छद्मावरण जाल में बिना फटा राकेट अटका हुआ मिला । अपनी जान की तनिक परवाह किए बिना श्री किशन कुमार शर्मा उस राकेट को गाड़ी से काफी दूर ले गए, जहां वह अपने आप फट गया । इस तरह मौके पर कार्यवाही करके इन्होंने गाड़ी और अपने सैनिकों को बचा लिया । 14 दिसम्बर, 1971 को इनकी कम्पनी के ठिकाने पर शत्रु ने नापाम और फास्फारस बमों से हमला कर दिया । इससे सारे इलाके में आग लग गई । ऐसी खतरनाक हालत में भी श्री किशन कुमार शर्मा ने कुशलतापूर्वक एक आर्मर्ड और बहुत सी दूसरी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया ।

इस कार्यवाही में श्री किशन कुमार शर्मा ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

182. श्री नारायण सिंह चौहान, सहायक कमांडेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री नारायण सिंह चौहान, राजस्थान क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे, साथ ही अपनी एक वाह्य सीमा चौकी के इंचार्ज भी थे। इनकी आसूचना रिपोर्ट और सहायता से ही "रानी हालन" पर कब्जा करने में सफलता हुई । बाद में उस क्षेत्र में इन्होंने मोर्चे भी तैयार किए ।

इस कार्यवाही में श्री नारायण सिंह चौहान ने नेतृत्व, साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

183. श्री विश्राम सिंह, सहायक कमांडेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री विश्राम सिंह, पूर्वी क्षेत्र के "अगरदारी" स्थान में एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे । हमारी रक्षात्मक योजनाओं के अनुरूप इन्होंने शत्रु की मोर्चाबन्दियों का पता लगा कर उन पर हमला कर दिया और 20 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया और बहुतों को घायल कर दिया । हालांकि शत्रु काफी तादाद में था तो भी बिना झिझके इन्होंने अपना काम सामरिक कुशलता और साहस से पूरा किया और शत्रु की महत्त्वपूर्ण सूचनाएं अपने साथ लाए ।

इस कार्यवाही में श्री विश्राम सिंह ने पहल, साहस, और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

184. श्री के० जे० ठाकुर, सहायक कमांडेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री के० जे० ठाकुर, कच्छ क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी पर अग्रवर्ती प्रेक्षण अफसर थे । 10 दिसम्बर, 1971 को शत्रु पर हमला करने वाले सीमा सुरक्षा दल की एक बटालियन की एक कम्पनी को नजदीक से आर्टिलरी सहायता देने का काम इन्हें सौंपा गया था । शत्रु ने अपनी मशीनगन से भारी गोलीबारी डाल कर के जब इनके हमले को रोक दिया तब श्री के० जे० ठाकुर ने अचूक और विध्वंसकारी गोलाबारी करवा कर शत्रु की मशीनगन को खामोश कर दिया और अपना हमला जारी रखा ।

इस कार्यवाही में श्री के० जे० ठाकुर ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

185. श्री यशवंत सिंह बिष्ट, सहायक कमांडेंट,
सीमा सुरक्षा दल ।

10 दिसम्बर, 1971 को सीमा सुरक्षा दल की एक बटालियन के श्री यशवंत सिंह बिष्ट जम्मू एवं काश्मीर के "डुडगाई" स्थान पर धावा बोलने वाली एक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे । इन्होंने अपनी प्लाटून का सुयोग्यता और कुशलता से नेतृत्व किया और शत्रु की चौकी के बीहड़ क्षेत्र में होने के बावजूद उस पर सफलतापूर्वक धावा बोल कर उसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया और अपनी प्लाटून को सकुशल अपने अड्डे पर वापस ले आए ।

इस कार्यवाही में श्री यशवंत सिंह बिष्ट ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया ।

186. 660211523 श्री बाबू लाल, हैड कांस्टेबल,
सीमा सुरक्षा दल ।

हैड कांस्टेबल श्री बाबू लाल ऐसी फौज के सैक्शन कमांडर थे, जिसे राजस्थान क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था । आगे बढ़ते समय शत्रु की एक हल्की मशीनगन चौकी ने इनके सैक्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया जिससे हमला जारी रखना मुश्किल हो गया । श्री बाबू लाल अकेले आगे बढ़े और लाइट मशीनगन चौकी पर ग्रेनेड फैंककर उसे खामोश कर दिया । इसके बाद चौकी पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में श्री बाबू लाल हैड कांस्टेबल ने साहस, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

187. 66132016 श्री कुम्भा राम, निरीक्षक
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री कुम्भा राम राजस्थान क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल की डोगरा रेजिमेन्ट की एक बटालियन से संबद्ध थे । 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इस बटालियन को "तमाचीवाला टोबा", "अहमद खान का टोबा" और "मिर्जा वाला टोबा" में लगातार कई कार्यवाहियों में हिस्सा लेना पड़ा । इस तरह की हर कार्यवाही में रात के समय ऐसे रेगिस्तानी इलाके में जहां न सड़कें होती थीं न पगडंडियां उन्हें काफी दूर चलना पड़ता था । श्री कुम्भा राम ने तीनों कार्यवाहियों में स्वेच्छा से अपने को पेश किया और बटालियन का सफलतापूर्वक पथ-प्रदर्शन किया ।

इन कार्यवाहियों में निरीक्षक श्री कुम्भा राम ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

188. 66722002 श्री वीरेन्द्र लाल साहा, निरीक्षक,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री वीरेन्द्र लाल साहा सीमा सुरक्षा दल की उस कम्पनी के सैकण्ड-इन-कमान थे जिसने हमारी रक्षात्मक योजना के अन्तर्गत दीनाजपुर

क्षेत्र की सीमावर्ती बाहरी चौकी पर हमला किया। श्री धरिंद्र लाल साहा अगले सैन्य दल में थे। जब वे अपने लक्ष्य से केवल 40 गज दूर रह गए तो उनकी दोनों टांगों में गोलियां लगी। इनके घावों में से अत्याधिक खून बह रहा था परन्तु इन्होंने शत्रु के भारी गोलीबारी के बावजूद हमले का नेतृत्व किया और लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में निरीक्षक श्री धरिन्द्र लाल साहा ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

189. 690100996 श्री मदनलाल अरोड़ा, उपनिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल।

12 दिसम्बर, 1971 को सीमा सुरक्षा दल के श्री मदनलाल अरोड़ा को शत्रु के पीछे हटने के रास्तों को रोकने के लिए अपनी प्लाटून के साथ शत्रु के रक्षित मोर्चों के पीछे जाने का काम सौंपा गया था। इन्होंने अपनी प्लाटून का आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व किया और हालांकि ये मुख्य सेना से पूरी तरह अलग-अलग हो गए, परन्तु फिर भी, ये शत्रु को लगातार परेशान करते रहे और उसका पीछा करते रहे।

इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक श्री मदनलाल अरोड़ा ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

190. 660100184 श्री भीम सिंह, उप निरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल।

12 दिसम्बर, 1971 को श्री भीम सिंह सीमा सुरक्षा दल की इस बटालियन के नेतृत्व करने वाली प्लाटून के कमांडर थे जिसे कच्छ क्षेत्र म "जटलाई" पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। इनके आगे बढ़ने की गति शत्रु के स्वचालित और मार्टर के अचूक गोलाबारी की वजह से रुक गई। श्री भीम सिंह ने शत्रु की गोलाबारी करने के ठिकानों को ढूंढ निकाला और धावा बोलकर उन पर कब्जा कर लिया। जिसके कारण शत्रु को मजबूर होकर फौरन पीछे हटना पड़ा।

इस कार्यवाही में उप निरीक्षक श्री भीम सिंह ने साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

191. 660100209 श्री भाग सिंह, उप निरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल।

12 दिसम्बर, 1971 को कच्छ क्षेत्र में "जटरा सीमा" की बाहरी चौकी पर कब्जा करने के बाद श्री भाग सिंह को उसके आगे के क्षेत्र की छानबीन करने का काम सौंपा गया था। इन्होंने इस कार्य को बुद्धिमानी, साहस और संकल्प से किया और "टोगों" तक के क्षेत्र पर सफलता पूर्वक अधिकार बनाये रखा। इससे शत्रु की जवाबी हमले की योजनाएं विफल हो गई।

इस कार्यवाही में उप-निरीक्षक श्री भाग सिंह ने साहस, नेतृत्व शक्ति और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया

192. 6814002 श्री गोकुल देव, उप-निरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल।

4 दिसम्बर, 1971 को श्री गोकुल देव सीमा सुरक्षा दल की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे जिसे पश्चिमी क्षेत्र में "सुनेवाला खू" पर छापा मारने का आदेश दिया गया। इनके छापे को शत्रु ने भारी मशीनगन की गोलाबारी से रोक दिया। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना श्री गोकुल देव अपने जवानों को प्रोत्साहित करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए शत्रु पर झपटे। इनके निजी उदाहरण को देखकर इनके जवान इनके पीछे आ डटे और शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाया और साथ ही चौकी को भी हानि पहुंचाई।

इस कार्यवाही में उप निरीक्षक श्री गोकुल देव ने साहस, नेतृत्व, शक्ति और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

193. 66577064 श्री बलबीर सिंह, उप-निरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल। (मरणोपरान्त)

सीमा सुरक्षा दल के श्री बलबीर सिंह पश्चिमी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती बाहरी चौकी पर प्लाटून कमांडर थे। शत्रु ने भारी आर्टिलरी और स्वचालित हथियारों की गोलीबारी से चौकी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री बलबीर सिंह ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न की और एक खाई से दूसरी खाई में जाकर उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया जिसमे वे शत्रु से 2 घंटे तक लड़ते रहे। जब शत्रु ने इन्हें पूरी तरह घेर लिया तो इन्होंने कई हथगोले फेंके जिससे शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचा। इस प्रक्रिया में ये एक हल्की मशीनगन की गोली से घायल हो गए और बाद में घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए।

इस कार्यवाही में उप-निरीक्षक श्री बलबीर सिंह ने साहस और संकल्प शक्ति का परिचय दिया।

194. 67555070 श्री दरबारा सिंह, हैड कांस्टेबल, सीमा सुरक्षा दल।

हैड कांस्टेबल श्री दरबारा सिंह छम्ब क्षेत्र में मोइल सीमा बाह्य चौकी पर सीमा सुरक्षा दल के एक सैक्शन की कमान कर रहे थे। 3 दिसम्बर, 1971 को सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों को सीमा बाह्य चौकी से पीछे हटने का आदेश मिला। लेकिन हैड कांस्टेबल दरबारा सिंह और उनके सैक्शन ने स्वैच्छा से वहां रहकर सेना के कार्मिकों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ने का फैसला किया। लड़ाई में इस सैक्शन ने शत्रु द्वारा बार-बार किए गए हमलों को रोका और उसके बहुत से सिपाहियों को हताहत किया। हैड कांस्टेबल श्री दरबारा सिंह के कुशल नेतृत्व में यह सैक्शन अडिग रहा और जब तक उसे मुख्य ठिकाने पर पीछे हटने का आदेश न मिला, तब तक, वह चौकी पर डटा रहा।

इस कार्यवाही में हैड कांस्टेबल श्री दरबारा सिंह ने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

195. 66700208 श्री अमरेन्द्र नाथ मलिक, कांस्टेबल, सीमा सुरक्षा दल। (मरणोपरान्त)

1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई संक्रियाओं के दौरान कांस्टेबल श्री अमरेन्द्र नाथ मलिक पूर्वी क्षेत्र के दीनाजपुर इलाके में शत्रु की एक चौकी पर हमला करने वाली कम्पनी में थे। हमले के दौरान इस कम्पनी पर तोपखाने और मशीनगन से भारी गोलीबारी की गई पर अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए

श्री अमरेन्द्र नाथ मलिक ने तब तक हमला जारी रखा जब तक लक्ष्य से कुछ दूर गिरने से उनकी मृत्यु न हो गई। उनके इस साहसपूर्ण कृत्य से उत्साहित होकर कम्पनी ने तेजी से जोरदार हमला किया।

इस कार्यवाही में कांस्टेबल श्री अमरेन्द्र नाथ मलिक ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

196. 66276516 श्री दलबीर सिंह, कांस्टेबल, सीमा सुरक्षा दल।

3 और 4 दिसम्बर, 1971 को पश्चिमी क्षेत्र में "रनियन" चौकी पर शत्रु ने कई हमले किए। ये हमले शत्रु ने काफी तादाद में और आर्टिलरी के भारी और सही गोलाबारी की मदद से किए। एक हमले के दौरान अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए कांस्टेबल श्री दलबीर सिंह अपने बंकर से बाहर आ गए और शत्रु पर अत्यन्त निकट परास से गोलाबारी की और उसके बहुत से आदमियों को हताहत कर दिया। इन्होंने अपने साथियों में दृढ़-निश्चय, विश्वास और साहस भरा जिससे वे शत्रु के हमलों को विफल करने में कामयाब हुए।

आद्योपान्त कांस्टेबल श्री दलबीर सिंह ने साहस और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

197. 67143008 श्री पुलिकोटिल देवासी जोय, सीमा सुरक्षा दल।

सीमा सुरक्षा दल के श्री पुलिकोटिल देवासी जोय 1971 की संक्रियाओं के दौरान राजस्थान क्षेत्र में राजपूताना रायफल्स की एक बटालियन से संबद्ध थे। शत्रु के आर्टिलरी मार्टर और स्वचालित गोलाबारी के बावजूद ये हमेशा अपने उन सैन्य दलों के साथ रहे जो शत्रु की पूरी तरह रक्षित "इस्लामगढ़" और "भाई खान वाला खू" चौकियों पर कब्जा करने के लिए हमला कर रहे थे।

इस कार्यवाही में श्री पुलिकोटिल देवासी जोय ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

अशोक मित्र,
राष्ट्रपति के सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1974

नियम

सं० 20/1/74-अ० भा० से० (1):—निम्नलिखित सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए, 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम, संबंधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से, आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

5—481GI/73

वर्ग—I

(1) भारतीय प्रशासन सेवा, और
(2) भारतीय विदेश सेवा

वर्ग—II

(1) भारतीय पुलिस सेवा, तथा
(2) दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार, द्वीपसमूह पुलिस सेवा श्रेणी-2

वर्ग-III

(क) श्रेणी-1 की सेवाएं :—

(1) भारतीय पी० एण्ड टी० लेखा तथा वित्त सेवा,
(2) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा,
(3) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा,
(4) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
(5) भारतीय आयकर सेवा (श्रेणी-1),
(6) भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा, श्रेणी-1 (सहायक प्रबंधक अतकनीकी),
(7) भारतीय डाक सेवा,
(8) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,
(9) भारतीय यातायात सेवा, और
(10) सैन्य भूमि तथा सैन्य छावनी सेवा, श्रेणी-1

(ख) श्रेणी-2 की सेवाएं :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-2,
(2) भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' केन्द्रीय संवर्ग के समेकित ग्रेड-II तथा III (अनुभाग अधिकारी ग्रेड),
(3) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-2,
(4) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेजर) सेवा क्लास-2,
(5) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा श्रेणी-2,
(6) गोआ, दमन तथा दीव सिविल सेवा, श्रेणी-2,
(7) पांडिचेरी सिविल सेवा, श्रेणी-2, तथा
(8) सैन्य भूमि तथा सैन्य छावनी सेवा, श्रेणी-2

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवा संवर्गों में से किसी एक या अधिक के लिए परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। उसे संबंधित वर्ग/वर्गों के अन्तर्गत आने वाली उन सभी सेवाओं का, जिनके लिए वह विचार किये जाने का इच्छुक है, अपने आवेदन-पत्र में उल्लेख कर देना चाहिए।

परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा होने के 10 दिन के भीतर किसी उम्मीदवार द्वारा वर्ग/वर्गों के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं के संबंध में, जिन के लिए वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा है,

दी गई तरजीह को बदलने के लिए उसकी याचना मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग) में प्राप्त न हो जाये तो उसकी इस प्रकार की तरजीह बदलने की याचना पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम-स्वरूप भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए व्यक्तित्व आंच के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है उसे अलग से मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) को लिखने के लिए कहा जायेगा कि वह अपनी तरजीह के क्रम में विभिन्न राज्यों में आवंटन के लिए किस राज्य के लिए विचार किया जाये ।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है: संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950; संविधान (अनुसूचित जातियों) (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग 'ग' राज्य) आदेश 1951, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956; द्वारा यथा संशोधित, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन, अधिनियम, 1966 के साथ पठित, संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959; संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति, 1964 तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967 । संविधान (गोवा दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 और संविधान (गोआ, दमन और दीव) आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जातियां आदेश, 1970 ।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट-2 में निर्धारित विधि से लेगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे ।

4. भारतीय प्रशासन सेवा आदि में भर्ती के लिए ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा की इन तीन वर्गों की सेवाओं को, यानि, (1) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा । (2) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा और (3) केन्द्रीय सेवाएं, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, गोआ, दमन तथा दीव समूह सेवा तथा पांडिचेरी सिविल सेवा के लिए अलग अलग तीन परीक्षाएं समझा जाएगा ।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी न हो या कीन्या, उगान्डा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से न आया हो तो उसे ऊपर नियम 4 में उल्लिखित तीन वर्गों में से प्रत्येक की सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक तीन बार सम्मिलित होने दिया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध 1961 की परीक्षा से लागू है ।

नोट-1—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक अथवा अधिक विषयों में वस्तुत: परीक्षा देता है तो उसे सेवा की प्रत्येक श्रेणी की परीक्षा में बैठा समझा जायगा, जिसमें आयोग द्वारा उसे प्रविष्ट किया जाता है, संयुक्त परीक्षा में एक बार बैठा समझा जाने पर इस नियम के परन्तुक के अधीन परीक्षा देने की उम्मीदवार को अनुमति दी गई हो ।

नोट-2—उक्त परीक्षा की वर्तमान योजना विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या तथा उक्त परीक्षा में कोई उम्मीदवार कितनी बार प्रतियोगिता में बैठ सकता है, इन्हें वर्ष, 1974 के बाद ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संशोधित किया जा सकता है ।

6. (1) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो ।

(2) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से ऐसा भारतीय व्यक्ति, हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका (भूतपूर्व सीलोन) और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) देशों से आया हों ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) तथा (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

एक और शर्त यह भी है कि उपयुक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

7(क)(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और बाकी सभी सेवाओं के लिए सिवाय ऊपर के पैरा (1) में उल्लिखित भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं में उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1974 को 21 वर्ष पूरी हो गयी हो, किन्तु 26 वर्ष की न हुई हो

अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1948 से पहले और 1 अगस्त, 1953 के बाद नहीं हुआ हो ।

(II) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 1 अगस्त, 1974 को पूरे 20 साल की हो गई हो किन्तु 26 साल की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1948 से पहले और 1 अगस्त, 1954 के बाद न हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में और भी छूट दी जा सकती है ।

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(v) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका (भूतपूर्व सीलोन) से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत श्रीलंका (भूतपूर्व सीलोन) समझौते के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन तथा दयू का रहने वाला है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार कीनिया उगांडा तथा संयुक्त गण-राज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(ix) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(xi) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्य-वाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(xii) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनसूचित आदिम जातियों के हैं ।

(xiii) सीमा सुरक्षा दल के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो सन् 1971 के भारत-पाक संघर्ष में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए, तथा

(xiv) सीमा सुरक्षा दल के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो सन् 1971 के भारत-पाक संघर्ष में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं,

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जाएगी ।

8. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में उल्लिखित विद्यालयों में से किसी एक की कोई उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके पास परिशिष्ट 1-क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए ।

नोट 1:—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, पर अभी उस परीक्षा की परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एगजामीनेशन में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र कर सकता है बशर्ते कि अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए । ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और यदि वह अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के आरम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता, तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

नोट 2:—विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

नोट 3:—यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

9. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति वर्ग 1 (भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय विदेश सेवा) की किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (II) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (III) में उल्लिखित है :—

क्र० सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र
1	2	3
1.	भारतीय पुलिस सेवा	(i) वर्ग 1 (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा) (ii) वर्ग III में, केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I	(i) वर्ग (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा) (ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा
3.	केन्द्रीय सेवाएं क्लास-II (जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों की सिविल तथा पुलिस सेवाएं शामिल है)।	(i) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा) (ii) वर्ग II में भारतीय पुलिस सेवा (iii) वर्ग III में केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I।

10. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट I के अनुसार निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

11. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी रूप में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, या वर्क चार्जड कर्मचारी हो, किन्तु अनियत न हो अथवा दिहाड़ी पर रखा हुआ न हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग के अध्यक्ष की अथवा कार्यालय की अनुमति अवश्य लेनी होगी।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर बदल किए हुए प्रमाणपत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने, या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दांडिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा वारित किया जाना,

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अंतर्गत नौकरियों के लिए ;

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

16. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा (Personality Test) के इंटरव्यू के लिए बुलाएगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए सिफारिश करेगा जो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाएगी।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की उस संख्या तक जो सामान्य मानक के आधार पर न भरी जा सकती हो, आरक्षित कोटा की कमी को

पूरा करने के लिए शिथिल किये गये मानक द्वारा, इन सेवाओं में नियुक्ति के लिए इन उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर आयोग द्वारा संस्तुत किये जा सकेंगे, ऐसा करते समय परीक्षा में मैरिट के क्रम से उनके स्थान का ध्यान नहीं रखा जायेगा ।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल के बाद में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

19. उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र के समय, विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई तरजीह पर परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तियां करते समय उचित ध्यान दिया जाएगा ।

लेकिन शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के आधार पर वर्ग I (भा० प्र० से० अथवा भा० वि० से०) के अन्तर्गत आने वाली किसी सेवा में नियुक्त किया गया है, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

एक अन्य शर्त यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर नीचे के कालम (II) में उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस परीक्षा परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्हीं सेवाओं में की जा सकेगी, जो उस सेवा के सामने कालम (III) में दी गई है :—

क्रम सं०	सेवा जिसमें नियुक्ति की गई	सेवा जिसमें नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा
1	2	3
1	भारतीय पुलिस सेवा	(I) वर्ग I भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा) (II) वर्ग III में दी गई क्लास I की केन्द्रीय सेवाए
2	केन्द्रीय सेवाएं क्लास-I	(I) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा) (II) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा
3	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-II (जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की सिविल तथा पुलिस सेवाएं शामिल हैं)	(I) वर्ग I (भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा (II) वर्ग II में दी गई भारतीय पुलिस सेवा (III) वर्ग III में दी गई क्लास I की केन्द्रीय सेवाएं ।

20. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए, कि उम्मीदवार इसमें नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

21. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके । यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई की जा सकती है । डाक्टरी परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा चिकित्सा बोर्ड को कोई फीस नहीं दी जाएगी ।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा ले, नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्योरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विक्लांग सैनिकों तथा 1971 के भारत तथा पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान विक्लांग हुए तथा विक्लांग होने के फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को सेवा (ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी ।

22. (क) जिसने ऐसी महिला ऐसे पुरुष से विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो जिसका पति जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पती के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिससे विवाह किया गया हो उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कानून से छूट दे सकती है ।

23. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है ।

24. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं ।

वी० रंगानाथन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 8 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केंद्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थायें जो संसद् के अधिनियम से स्थापित की गयी हों। अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी हो।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।
माँडले विश्वविद्यालय

इंगलैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग शफील्ड और वैल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एडरबीन, एडिनबरा, गलास्गो, और सैंट ऐन्ड्रयुज विश्वविद्यालय।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डलब्रिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।
नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैंड।
क्वीन्स यनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।
सिंध विश्वविद्यालय।

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय।
राजशाही विश्वविद्यालय।

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाँडू।

परिशिष्ट I–क

भारत सरकार ने निम्नलिखित योग्यताओं को उन में से प्रत्येक के सामने लिखी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्रदान की हैं :—

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची

(नियम 8 के अनुसार)

1. शास्त्री, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

2. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique)

3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ रूरल हायर एजूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

4. विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (आल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन) से वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा।

6. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिये सरकार से मान्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा।

7. श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, पाँडचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम" यदि "पूर्व छात्र" (फुल स्टुडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।

9. मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपाधि-पत्र यू० एस० एस० आर० में उच्च शौषिक स्थापना में अनुप्रमाणित उपाधि-ग्रहण बिना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध का पक्ष लिये हुये परन्तु राज्य की परीक्षायें पास की हों।

10. शास्त्री (अंग्रेजी विषय के साथ) या पुराना शास्त्री या अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष, परीक्षा सहित सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा अर्थात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की वरिष्ठ शास्त्री परीक्षा।

11. गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगड़ी, हरिद्वार की अलंकार डिग्री।

12. अमेरिकन युनिवर्सिटी आफ बेरुत, लेबनान द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर आफ आर्टस (बी० ए०) तथा बैचलर आफ साईंस (बी० एस०) की डिग्रियाँ।

परिशिष्ट II

खण्ड I

लिखित परीक्षा की रूपरेखा

लिखित परीक्षा के विषय :—

(क) लिखित परीक्षा

(i) तीन अनिवार्य विषय (सभी सेवाओं के लिये) निबन्ध, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, प्रत्येक विषय के पूर्णांक 150 होंगे। [नीचे खंड-II का उपखंड (अ) देखें]।

(ii) निम्नलिखित खण्ड-ii के उपखण्ड (ब) में दिये गये ऐच्छिक विषयों में से चुने गये विषय। सेवा श्रेणी-II को छोड़ (नियम 1 और 4 देखें) शेष सभी सेवाओं के उम्मीदवार, उस उप-खण्ड के उपबन्ध के अधीन, कुल 600 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा श्रेणी-II के लिये उम्मीदवार कुल 400 अंकों तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर किसी भारतीय विश्वविद्यालय की आनर्ज डिग्री की परीक्षा के स्तर के लगभग होगा; और

(iii) निम्नलिखित खण्ड-II के उपखण्ड (स) में दिये गये अतिरिक्त विषयों में से चुने गये विषय। उस उप-खंड के उपबन्ध के अधीन उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-I) के लिये कुल 400 अंकों तक के अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। इन प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐच्छिक विषय के लिये उप-खण्ड (क-V) में विहित स्तर से ऊंचा होगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के साक्षात्कार के लिये [इस परिशिष्ट की सूची के भाग ( ) के अनुसार बुलाए जायेंगे] उसके लिये नीचे लिखे नम्बर होंगे :—

श्रेणी-I

	पूर्णांक
भारतीय प्रशासनिक सेवा . . .	300
भारतीय विदेश सेवा . .	400
श्रेणी-II और सभी सेवायें . . .	200

खंड II

परीक्षा के विषय

[देखिये ऊपर खंड (i) का उपखण्ड (क-i)]

(1) निबन्ध . . .	150
(2) सामान्य अंग्रेजी . .	150
(3) सामान्य-ज्ञान . . .	150

टिप्पणी :—ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' म दिया गया है।

(ब) ऐच्छिक विषय।

[देखिये ऊपर खण्ड (i) का उपखण्ड (क-ii)]

सेवा श्रेणी-II (नियम 1 और 4 देखें) के उम्मीदवार निम्न-लिखित विषयों में से किन्हीं दो विषयों को और अन्य सभी सेवाओं के उम्मीदवार किन्हीं विषयों को चुन सकते हैं :—

(1) शुद्ध गणित . . .	200
(2) अनुप्रयुक्त गणित . .	200
(3) सांख्यिकी . .	200
(4) भौतिकी . . .	200
(5) रसायन . . .	200
(6) वनस्पति-विज्ञान . .	200
(7) प्राणि विज्ञान . . .	200
(8) भू-विज्ञान . .	200
(9) भूगोल . .	200
(10) अंग्रजी साहित्य . .	200
(11) नीचे दी हुई में से एक :— आसामी, बंगाली, गजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालाम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू	200
(12) निम्नलिखित में से एक :— अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, पाली, फारसी, रूसी, संस्कृत . .	200
(13) भारतीय इतिहास . .	200
(14) ब्रिटिश इतिहास . .	200
(15) यूरोपीय इतिहास . .	200
(16) विश्व इतिहास . .	200
(17) सामान्य अर्थशास्त्र . .	200
(18) राजनीति विज्ञान . .	200
(19) दर्शन-शास्त्र . . .	200
(20) मनोविज्ञान . . .	200
(21) विधि I . . .	200
(22) विधि II . . .	200
(23) विधि III . . .	200
(24) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी . .	200
(25) समाज शास्त्र . . .	200

शर्त यह है कि विशेष विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी :—

(i) किसी भी सेवा-वर्ग के लिये 1, 2 और 3 विषयों में से दो से अधिक विषय नहीं चुने जा सकते।

(ii) भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के उम्मीदवार ऊपर मद 12 के अन्तर्गत दी गई भाषाओं में से एक से अधिक न चुनें। केवल भारतीय विदेश सेवा के लिये उम्मीदवारों को इन भाषाओं में से कोई दो को चुनने की अनुमति है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को पाली और संस्कृत दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किसी भी सेवा वर्ग के लिये इतिहास के विषयों 13, 14 15 से 16 में से अधिक नहीं चुने जा सकते। लेकिन किसी भी उम्मीदवार को विश्व इतिहास और युरोपीय इति-हास दोनों चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) संख्या 19 और 20 में उल्लिखित विषयों में से एक सेवा-वर्ग के लिये केवल एक ही विषय लिया जा सकता।

(v) किसी भी सेवा-वर्ग के लिये विधि के विषयों 21, 22 और 23 में से दो से ज्यादा नहीं चुने जा सकते।

(vi) सेवा-श्रेणी-II के लिये 24 विषय न चुना जाए।

टिप्पणी:— ऊपर लिखे विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट के अनुसूची के भाग 'ख' में दिया गया है।

(ग) अतिरिक्त विषय [देखिये ऊपर खंड-I का उपखंड (क-iii)]

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (श्रेणी-1) की प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय भी अवश्य लेने होंगे :—

		पूर्णांक
(1)	(अ) उच्च गणित	200
	अथवा	
	(ब) उच्च अनुप्रयुक्त गणित	200
(2)	उच्च भौतिकी	200
(3)	उच्च रसायन	200
(4)	उच्च वनस्पति-विज्ञान	200
(5)	उच्च-प्राणि-विज्ञान	200
(6)	उच्च भू-विज्ञान	200
(7)	उच्च भूगोल	200
(8)	अंग्रेजी साहित्य (1798-1935)	200
(9)	(अ) भारतीय इतिहास I (चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक')	200
	अथवा	
	(ब) भारतीय इतिहास - II महान मुगल सम्राट (1526-1707) अथवा	200
	(स) भारतीय इतिहास- III (1772 से 1950 तक)	200
(10)	(अ) उच्चतर अर्थशास्त्र	200
	अथवा	
	(ब) उच्चतर भारतीय अर्थशास्त्र	200
(11)	(अ) हाब्ज से आज तक का राजनीतिक सिद्धांत.	200
	अथवा	
	(ब) राजनीतिक संगठन और लोक-प्रशासन	200
	अथवा	
	(स) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	200
(12)	(अ) उच्चतर तत्मीमांसा जिसमें ज्ञान-मीमांसा भी शामिल है	200
	अथवा	
	(ब) उच्चतर मनोविज्ञान जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान भी शामिल है	200
(13)	(अ) भारत की संविधान विधि	200
	अथवा	
	(ब) विधि-शास्त्र	200
(14)	(अ) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570-1650 ईस्वी)	00
	अथवा	
	(ब) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ईस्वी-1650 ईस्वी) .	200
	अथवा	
	(स) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शनशास्त्र . .	200
(15)	मानव-विज्ञान . .	200
(16)	उच्चतर-समाज-विज्ञान . .	200

विशिष्ट अतिरिक्त विषयों के बारे में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू माने जायेंगे :—

(1) किसी भी उम्मीदवार को भारतीय इतिहास [(9) (क)] तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन [(14(ग)] दोनों ही विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जायगी।

(2) किसी भी उम्मीदवार को युरोपीय (इतिहास 9(ङ) तथा अंतराष्ट्रीय संबंध [11(ग)] दोनों विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :—ऊपर दिये गये विषयों का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग ग' में दिया गया है।

खण्ड III

सामान्य

1. (क) ऊपर के खंड-II के उपखण्ड (क) की मदों में क्रमश: (1) और (3) के अनुसार 'निबंध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिये जा सकते हैं, अर्थात असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालाम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप से किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिये चुननी होगी। **विकल्प सम्पूर्ण पत्र के लिए लागू होगा न कि उसके किसी अंश के लिए।**

(ख) ऊपर के खंड के उपखण्ड (ख) की मदों (11) तथा (12) के अनुसार भाषाओं के प्रश्न पत्र को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये जाने चाहिये। जब तक कि प्रश्न पत्र में अन्यथा विशिष्ट रूप से दूसरी भाषा में लिखना अपेक्षित न हो, उन भाषाओं के प्रश्न पत्रों, के उत्तर अंग्रेजी में अथवा संबंधित भाषा में दिये जा सकते हैं।

टिप्पणी-I—ऊपर दिये पैरा-I (क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न पत्र (ओं) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 33 में संबंधित भाषा का नाम संबंधित प्रश्न पत्र (प्रश्न-पत्रों) के सामने देना चाहिये। यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न पत्रों के संबंध में कोई अंदराज नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिये जायेंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा, और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिये कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी-II—ऊपर दिये गये पैरा 1(क) में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न-पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे :—

भाषा	लिपि
1. असमिया	असमिया
2. बंगला	बंगला
3. गुजराती	गुजराती
4. हिंदी	देवनागरी
5. कन्नड़	कन्नड़
6. कश्मीरी	फारसी
7. मलयालम	मलयालम
8. मराठी	देवनागरी
9. उड़िया	उड़िया
10. पंजाबी	गुरुमुखी
11. संस्कृत	देवनागरी
12. सिंधी	देवनागरी अथवा अरबी
13. तमिल	तमिल
14. तेलुगु	तेलुगु
15. उर्दू	फारसी

ऊपर पैरा 1(क) में दिए गये प्रश्न (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने के लिये सिंधी का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के कालम 33 में उस विशेष लिपि (देवनागरी या अरबी) का नाम लिखना चाहिये जिसमें वे उत्तर लिखेंगे।

2. उपरोक्त धारा II की उपधारा (क), (ख) और (ग) में दिये पत्रों के उत्तर के लिये 3 घंटे का समय दिया जाएगा।

3. उम्मीदवार को प्रश्न का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक नम्बर (क्वालिफाईंग मार्कस) निर्धारित कर सकता है।

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा वर्ग-I के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों के दो अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के अन्य सभी विषयों में एक निश्चित अल्पाधिकतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट असानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिये जायेंगे।

7. अनावश्यक ज्ञान के लिये नम्बर नहीं दिये जायेंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

9. उम्मीदवारों से तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर में जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाएं।

अनुसूची

भाग—क

[परिशिष्ट II की धारा II की उपधारा (क) के अनुसार]

1. **निबन्ध** :—उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबन्ध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिये कई विषय दिये जायेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबन्ध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभाव पूर्ण और ठीक ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी** :—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसाकि आमतौर पर होता है संक्षेप सार लेखन के लिए लेखांग दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान** :—सामायिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—ख

[परिशिष्ट II के भाग II के उपभाग (ख) के अनुसार]

1. **शुद्ध गणित** :—सम्मिलित विषय होंगे (1) बीजगणित; (2) अनन्त अनुक्रम और श्रेणियों, (3) त्रिकोण मिति, (4) समीकरण के सिद्धांत, (5) दो या तीन परिमापों के विश्लेषणात्मक रेखा गणित, विश्लेषण, और (7) अवकल समीकरण।

(1) **बीजगणित** :—समुच्चयों, संघ प्रतिच्छेदन, गुणों के अंतर और कोटिपूरक। वेन आरेखों। धनात्मक पूर्ण संख्याओं के गुण वास्तविक संख्या और दशमलव द्वारा उनका निरूपण। सम्मिश्र संख्या। आंरग आरेख। कार्तीय गुणनफल, सम्बन्ध, मानचित्रण। मानचित्रण के रूप में कार्य। तुल्यता संबंध। वर्गों,

वर्गों की एकक समाकारिता । उपवर्गों, प्रासामान्य उपवर्गों । लगरेंज का प्रमेय । फो वेनियस प्रमेह्।

रिंगों और फील्डों की परिभाषाएं और उदाहरण । शून्य और होमोरफिज्मों के विभाजन । वेक्टर स्थानों ।

सारणिकों (जोड़, घटना, गुणा और मैट्रिक्स का प्रतिलोमन रेखिक समघात और असमघात समीकरण । केले-हेमिल्टन प्रमेय) ।

असमताएं । समान्तर और गुण्यन्तर माध्यों (कोची, स्वंवार्ज, होल्डर और मिनकोस्की की असमताएं;

(2) अनन्त अनुक्रम और श्रेणियों :—धारणा की सीमा । अनंत श्रेणियाँ । अभिसारी, अपसारी और दोलनी श्रेणियाँ । कौची के अभिसरणों का सिद्धांत । तुलना और अनुपात के परीक्षण । गौज की जाँच । निरपेक्ष अभिसरण और श्रेणियों का उपविन्यासा ।

(3) त्रिकोण मिति :—परिमेय सूची और उसके अनुप्रयोग के लिए डिमोवाइर का प्रमेय । प्रतिलोम गृतीय और अतिपरबलियक फलन । त्रिकोणमिति श्रेणियों के प्रसार और संकलन । अनंत गुणनफलों के संबंध में साइन और को-साइन के लिए व्यंजक ।

(4) समीकरण के सिद्धांत :—बहुपद समीकरणों के सामान्य गुण । समीकरणों के रूपान्तरण । धनाकृति और चतुधार्त के मूलों की प्रकृति । धनाकृति का गार्डन का हल । संकल्प के चतुधार्त को वर्ग भिन्नों में । मूलों के स्थनन और न्यूनतम का विभाजकों का ढंग ।

(5) दो और तीन धातों की वैश्लेषिक रेखागणित:— सरल रेखा, रेखाओं का जोड़ा, वृत्त, वृत्तों की प्रणाली, दीर्घ वृत्त । पेराबोला, हाइपरबोला, दूसरी श्रेणी के समीकरण का स्तर फाम में घटाना ।

मैदानों, सरल रेखाओं, गोला, कोन, शाकवक्रों और उनके स्पर्श रेखा और प्रसामान्य गुणों (वेक्टर तरीकों के प्रयोग की आशा है) ।

(6) विश्लेषण :—धारणा की सीमा । सांतत्वय, व्युत्पत्ति एक वास्तविक अंतर के कार्य का अवकलन । सांतत्वय, कार्यों के गुण असांतत्य के गुण । समांतर मान प्रमेयों । अपरिमित फ़ोर्मों का मूल्याकन । लांगरेज और कोची के सारण फार्मों के साथ टेलर और मैक्लोरियन के प्रमेय । एक अंतर के कार्य के न्यूनतम और अधिकतम समतलवक्रों, विचित्र, बिन्दु वक्रता, वक्र अनुरेखण । आवरणों । औशिक विभेदन । एक से अधिक वास्तविक अंतर के गाम का अवकलन ।

समाकलन के स्तर के तरीके । सातत्य कार्य की स्पष्ट समकालन रीमैन की परिभाषा । समाकलन गणित के मूल प्रमेय । समाकलन गणित के प्रथम समांतर मान प्रमेय । चापकलन, क्षेत्रकलन, परिक्रमण । ठोसों के आयतजा और आधारों और उनके प्रयोगों ।

(7) अवकलन समीकरणों :—साधारण अवकलन समीकरण का बनना । क्रम और मात्रा । रेखागणित संबंधी डी० वाई० एफ० (एक्स० वाई०) के लिए प्रमेय के पास जाने का प्रदर्शन । प्रथम क्रम रेखाकार और बिना रेखाकार समीकरण । विचित्र बिन्दुओं । विचित्र हलों । रेखाकार अवकल समीकरणों और उनके विशेष गुणों । रेखाकार अवकल समीकरण लगातार गुणांकों के साथ कौची-यूलर प्रकार के समीकरणों । यथार्थ अवेकल समीकरणों और समाकलन-गुणक को प्रवेश कराने वाले समीकरणों, द्वितीय क्रम के समीकरणों । परखंत्रचरों और स्वतंत्रचरों का बदलना । हल जब कि एक समाकल ज्ञात हो । प्राचलों का विचरण ।

2. अनुपयुक्त गणित :—इसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायेंगे :—

(1) वेक्टर विश्लेषण
(2) स्थिति विज्ञान
(3) गति विज्ञान तथा
(4) द्रव्यस्थैतिकी

1. वेक्टर विश्लेषण :—वेक्टर बीजगणित । अदिशचर (Scaler Variable) के वेक्टर फलन का अवकलन । ग्रेडिएण कार्तीयं में अपसरण तथा कर्ल बेलनाकार तथा गोलीय निर्देशांक तथा उनकी प्राकृतिक व्याख्याएं उच्चतर धात व्युत्पन वेक्टर सर्वसभिकाएं तथा वेक्टर समीकरण । गाउस तथा स्ट्रोक प्रमेय ।

(2) स्थैतिकी :—न्यूटन की यांत्रिकी के मूल नियम । विभीय प्रमेय । समतलीय स्थैतिकी । कण-निकाय में संतुलन । कार्य तथा स्थिति ऊर्जा । द्रव्यमान केन्द्र तथा गुरुत्व केन्द्र । घर्षण सामान्य कैटिनरी । कल्पित कार्य का सिद्धांत । संतुलन का स्थायित्व तीन विमाओं का बल संतुलन । शलाकाओं में आवर्षण तथा स्थितिज ऊर्जा आयताकर तथा वृत्ताकार यडस्क, गोलीय कोग, गोल । समस्थितिज पृष्ठ उनके गुण । स्थितिजों के गुण । ग्रीन का समान स्तर । लौपले तथा पोइशन के समीकरण ।

(3) गति विज्ञान :—वर्ग वेक्टर । ओपक्षिक वेग त्वरण । कोलीय वेग । स्वतंत्रता की कोटि तथा प्रतिबंध । सरल रेखात्मक गति । सरल आवर्त गति । स्थचन में गति । प्रक्षयो । प्रतिबंधित गति । कार्य तजाऊर्जा आवेगी बलों के आधीन गति । कैप्लर के नियम केन्द्रीय बलों के अधीन कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के अधीन गति । जड़त्व के आधाणों और गुणनफलों । परिभित और आवेगी बलों के अधीन दृढ़पिंड की दो विमीय गतियां । पिंड लोलक ।

(4) द्रव्यस्थनिकी :—भारी तललों के दाब की गई पद्धति के बर्दों के अधीन परलों का संतुलन दाब का केन्द्र । वक्रपृष्ठों पर प्रणोद प्लावभवन पिंड का संतुलन । स्थायित्व का संतुलन । गैसों की दाब तथा वायु मंडल के संबंधित समस्याएं ।

3. **सांख्यिकी**

प्रायिक्ता :—प्रायिक्ता कि चिर सम्मत और सांख्यकीय परिभाषाएं । उदाहरणों के साथ प्रायिकेता पर सरल प्रमेय । प्रतिबंधी प्रायिकता और सांख्यकीय स्वतंत्रता । वेयका प्रमय । संयोगिक विचरणों —असंतत और संतत विचारों में प्रायिकता

विसरणों, गणितीय प्रत्याशाएं । टेकेबाइचेक की असमती । वृहत संख्याओं का सप्ताह नियम । केन्द्रीय सीमा प्रमेय का सरल फर्म ।

II साँख्यिकीय तरीके :—संकलन, वर्गीकरण सारणीयन और विभिन्न प्रकार के साँख्यिकीय आंकड़ों का आरेखी निरूपण ।

सांख्यिकी जा संख्या की धारण, और आवृत्ति वक्र । केन्द्रीय प्रवृत्ति और विक्षेपण के माप । आधूर्णों और संचयी । असम्य और कुकुदता । आधूर्ण——जनक फलन ।

स्तर प्रायिकता बंटनों का अध्ययन——द्विपद, विष, हाई-परज्या-मैट्रिक, प्रशामान्य कण-द्विपद, आयताकार और लांग सामान्य बंटप्रनों । पियर सोनियन वक्रों की पद्धति का सामान्य विवरण ।

द्विचर बंटन द्विचर प्रशामान्य बंटन के सामान्य गुणों साहचर्य और आसंग के माप । दो या अधिक चरों से संबंधित सहसंबंध और एकघात समाश्रयण । सहसंबंध अनुपात । अंतर्वर्ग सह-संबंध कोटि सहसंबंध । अरेखीय समाश्रण । विश्लेषण ।

स्वतंत्र हस्तवक्रों के तरीखों द्वारा वक्र-आंसंजन गतिमान माध्यों, वर्ग माध्यों, न्यूनतम वर्गों और आधूणों । लांबित बहुपदों और उन के प्रयोगों ।

III प्रतिबदर्शीबंटन और सांख्यिकीय अनुमान

आदृच्छिक प्रतिदर्श, सांख्यिक, प्रतिचमन बंटन और मानक-त्रुटि की धारणाएं ।

स्वतंत्र प्रशामान्य विचारों के माध्य के प्रतिदर्शी बंटन का व्युत्पन्न, एक्स (X^2) । टी०^2 (T^2) और एफ (F) सांख्यिक उनके गुणों और प्रयोगों । प्रतिदर्श मान्नयों के प्रतिदर्शी बंटनों का व्युत्पन्न, प्रसरणों और सहसंबंध गुणबंध द्विचर प्रसामान्य जनसंख्या-से । व्युत्पन्न, (बड़े प्रतिदर्शों में) और पियर सोनियन एक्स^2 (X^2) के प्रयोगों ।

आकलन का सिद्धांत :——अच्छे आकलन की आवश्यकताएं—.अनमिनतता, संगति, दक्षता तथा पर्याप्तता । आकलनों के प्रसरण का क्रेमर —— राज निम्नपरिबंध । सर्वोत्तम एकधात अनमिनत आकलनों ।

आकलन के तरीके ——गाधूणों के तरीकों के सामान्य विवरणों, अधिकतम संभाविता का तरीका, न्यूनतम वर्गों के तरीके और अधिकतम संभावित प्रागणकों के बिना प्रमाण) के न्यूनतम गुणों का तरीका । विश्वास्ता अंतरालों का सिद्धांत—— विश्वास्यत्ता सीमाएं, अस्तमन की सरल समस्याएं ।

परिकल्पनाओं की जांच का सिद्धांत :——सरल और संयुक्त परिकल्पनाएं । सांख्यकीय जांचों और संशय क्षेत्रों । दो प्रकार की त्रुटियों, सार्थकता का स्तर और परिक्षण की क्षमता ।

सरल परिकल्पना से एक परिमापी से संबंधित के लिए अनु-कुलतम संशय क्षेत्रों । प्रसामान्यतः जनसंख्या से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों की रचना ।

संभावित अनुपात परिक्षणों । माध्यम संबंधी परीक्षणों प्रसरण सहसंबंध तथा एकचर और द्विचर प्रसामान्य जासंख्याओं में सहसंबंध तथा सामाश्रयण गुणों को सरल अपरिमापीय परीक्षणों चिह्न, रन, माध्यय, कोटि और भादृच्छि की करण परीक्षणों ।

सरल वैकल्पिक (बिनाव्युत्पन्न) के विरुद्ध सरल परिकल्पनाओं का अनुक्रामिक परीक्षण ।

IV प्रतिदर्शी तकनीकी

प्रतिदर्शो प्रति पूरण गणना प्रतिदर्शों के सिद्धान्त । फ्रेमों और प्रतिदर्शों एक के । प्रतिदर्शों और अप्रतिदर्शों त्रुटियां । क्रमबद्ध प्रतिचयन । बहुक्रम और बहुकला प्रतिचयन । आकलन के अनुपात और समाश्रयण के तरीके । भचरत में अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर किए गए सवक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की अभिकल्पना ।

V प्रयोगों के अभिकल्प

कोशो में निरीक्षणों के विचारों का रूपांतरण । प्रयोगात्मक अभिकल्पों के सिद्धांत । पूर्णतः आदच्छीकृत यादृच्छीकृत खण्ड तथा लातीनी वर्गाकार अभिकल्प । अप्राप्त भूखण्ड तकनीक 12 S S——2(1) 5(3^2 3^3) तथा 3 अभिकल्पों के बीच भ्रम पर पुणनखण्डनात्मक प्रयोग । खण्डित भूखण्ड अभिकल्प । संतुलित अपूर्ण, अपूर्ण अभिकल्प तथा सरल चालक ।

4. भौतिकी

पदार्थ और यांत्रिक के सामान्यगुण——एकक तथा आयाम । परिभ्रमण गति तथा जड़ता विभ्रभिषा । स्वाकृटि तथा अभ्या-कर्षण, ग्रहीय गति । प्रत्यास्थजल तथा आयास सहसंबंध प्रत्यास्थ आपरिवर्तक तथा उनके पारस्परिक संबंध । तल-आतलि, केशालत्व । असंपीड्य द्रव्यों का प्रवहरण । तरल तथा वाति द्रव्यों का आलगत्व ।

ध्वनि:——क्लोत्पादित आवेपन प्रतिरुवन । तरंग गति । आवेपनांक परिवर्तन । दोरक तथा वायुस्तम्भ-आवेपन । वारं वारतामापन, ध्वनि का प्रवेग तथा चुम्बकन । स्वर ग्राम । प्रशाल-ध्वनि विज्ञान । पार स्वनिकी ।

ऊष्मा तथा ऊष्मा प्रवैगिकी——वातियों का गतिवाद/ब्राउन का गतिवाद । वान डेर थलिका स्थिति का समीकार । तापमान की माप, आपेक्षित तथा संवाही ऊष्मा । जूल-थामसन वातियों का प्रभाव तथा तरलन । ऊष्मा प्रवैगिकी नियम । ऊष्म यंत्र । कालकाय विकरण ।

प्रकाश:——रेखाकीय काशिकी तथा साधारण काशिक सहिति । दूरेक्ष तथा अण्वीक्ष । चाक्षुप प्रतिबिम्ब में दोष तथा उनका सुधार प्रकाश तथा तरंग सिद्धांत । प्रकाश । प्रवेग की माप । प्रकाश में बाधक, व्याभंग तथा अभिस्पंदन । साधारण मिथोघट्ट सरंगावलीक्षा के तत्व । रमन प्रभाव ।

विद्युत तथा चुम्बकत्व

साधारण मामलों के क्षेत्र में तथा शवम की गणना । गौस का प्रमेय । विद्युन्मान । पदार्थ के विद्युतीय तथा चुम्बकीय गुण और उनकी माप । विद्युत प्रवाह के कारण चुम्बकीय क्षेत्र । ध्रुवाहमान

विद्युत के वेग तथा माला की माप । प्रक्ममान । रोध, प्ररोचत तथा धारता; तथा उनका मापन । तापविद्युत । आवर्ती विद्युद्वाह के तत्व । विद्युज्जतिला तथा विद्युद्वहित्र । विद्यवंशन । विद्युच्चुम्बिक तरंगें । नमोवणी कपाद दीप तथा उनके द्वारा वितत तरंगों की साधारण प्रयुक्ति, पारर्षण आदान । दूरवीक्षण ।

आधुनिक भौतिकी के तत्व :—विद्युदणु प्राणु तथा क्लीवाणु के प्राथमिक तत्व । क्रिया ऊर्जाणु-स्थरांक । परमाणु का ग्रहवत् परमाणु सिद्धांत । क्ष-रश्मिचां तथा उनके गुण । तेजोद्विरेता के तत्व तथा आकार एवं अवर्ण रश्मियों के गुण । परमाणुओं की व्याष्टि । सापेक्षता पुंज्ज तथा ऊर्जा के विशेष सिद्धांत के तत्व । वखंडन तथा द्राव । ब्रह्मांड रश्मियां ।

5. **रसायन**

अकार्बनिक रसायन :—परमाणु की संरचना । रेडियोरगक्टिवता समस्थानिक । तत्वों का कृतिम तत्वांतरण । नाभिकीय विखंडन । रासायनिक बन्धों की प्रकृति । वायुमंडर की अक्रिय गैसें । अपेक्षाकृत अधिक सामान्य और उपयोगी तत्वों तथा उनके योगिको का रसायन । दुर्लभ मुद्रा तत्व । हाइड्राइड आक्साइड, आक्सी अम्ल । पर-अम्ल और पर-लवण तथा कार्बाइड । आकार्बनिक संकर । रसायनिक विश्लेषण का मूलभूत सिद्धांत ।

कार्बनिक रसायन—पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद । एलिफिटिक यौगिकों के निम्नलिखित वर्गों का रसायन : संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कोहार, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन मोनो और डाई-कार्बोक्सीलिक अम्ल, ईस्टर, प्रतिस्थापित कार्बोक्सीलिक आल । थायो, नाइट्रो और सायनों यौगिक । एमीग यूरिया यूरीआइड, कार्ब-धात्विक यौगिक, मोनोसेकेराइड (संरचना सहित), कार्बोहाइड्रट और प्रोटीन (सामान्य परिचय) सरल एलिचकीय यौगिक । विकृति सिद्धांत ।

एरोमेटिक—बैंजीन, नैफ्थैलीन और ऐन्थासीन तथा उनके मुख्य व्युत्पन्न, कोलतार, आसवन, फिनौल, एरो मेटिक, एल्कोहाल, एल्डिहाइड, कीटोन । एरोमेटिक अम्ल और हाइड्राक्सी अम्ल । त्रिविमविन्यासी बाधा । एरिल-एमीन, डाइएजो, एजो और हाइड्रजों यौगिक । क्विनोन । विषय-चक्रीय यौगिक । पाइरोल, पिरिडीन, क्विनोलीन, इन्डोल और नील । ऐजो, ट्राइफैनिल मेथेन और पथेलीन रंजक ।

सरल आपाविक पुनर्विन्यास, सामावयता, त्रिविम समावयक्ता और चलावयतवता । बहुलकीरणह् ।

भौतिक रसायन—अणुगति सिद्धांत गैसों के गुणधर्म, अवस्था-समीकरण, (वान-डेर-वाल, का, डाइटेरिसाइ) क्रान्तिक अवस्था, गैसों का द्रवण । रसायनिक संघटन के सापेक्ष द्रवों के भौतिक गुणधर्म । पारंभिक किस्टलिकी ।

ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम और इन नियमों का सरल भौतिक तथा रसायनिक प्रक्रमों में अनुप्रयोग । रासायनिक साम्य और द्रव्य-अनुपाती क्रिया का नियम । ला-शाते लिए का नियम । प्रोवस्था-नियम और उसका एक-घटक तंत्रों तथा लोह्-कार्बन तंत्र में अनुप्रयोग ।

अभिक्रिया की दर और कोटि । प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं । शृंखला अभिक्रियाएं । प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं । उत्प्रेरण । अधिशोषण ।

विद्युत्-अपघटनी वियोजन । आयनिक साम्य । अम्ल-क्षारिक साम्य और सूचक । विद्यु-अपघटनी चालकता और उसके अनुप्रयोग । इलैक्ट्रोड-विभव । सैल का विद्युत् वाहक बल । विद्युत्-वाहक बल के माप और उनके अनुप्रयोग ।

6. **वनस्पति विज्ञान**

क्रिप्टोगैम (बैक्टोरिया और वाइरस सहित) तथा फैनेरोगैम, विशेषकर भारतीय क्रिप्टोगैम और फैनरगैम, के विभिन्न्स मूहों और उपसमूहों अथवा कुलों और उपकुलों महत्वपूर्ण निरूपकों के रूप, संरचना, प्रकृति, आर्थिक महत्व, जीवनवृत्त और परम्पर संबंध ।

पादम-फिजियोलोजी के मूल सिद्धांत और प्रक्रम ।

भारत में मिलने वाले शस्य-पौधों के महत्वपूर्ण रोगों का सामान्य ज्ञान और उन रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन ।

परिस्थिति की और पावन भूगोल, विशेषत: भारतीय वनस्पति-समूह और भारत के वनस्पतिक क्षेत्रों से संबंधित मूलभूत तथ्य ।

विकास, कोशिका-विज्ञान और आनुबंशिकी और पादम-प्रजनन का मूल ज्ञान ।

मानव कल्याण के लिए और विशेषकर खाद्यान्नों, दालों, फलों, शर्कराओं, स्टार्चों, तेलबीजों, मसालों, पेयों, तन्तुओं लकड़ियों, रबर औषधियों और सगंध तेलों जैसे वनस्पति उत्पादों में पौधों, विशेषत: पुष्पी पौधों के आर्थिकज उपयोग ।

वनस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास का सामान्य परिचय ।

7. **प्राणिविज्ञान**

विशेषकर भारतीय संदर्भ आकर्डेटों और कार्डेटों का वर्गीकरण, जीव-परिस्थितिकी, अकारिकी, जीवन वृत्त और संबंध ।

अध्यावरण, अंत:कंकाल, चलन, भरण, रुधिर, परिसंचरण, श्वसन, आस्मो-रैग्यूलेशन, तंत्रिका-तंत्र, ग्रंथियों और पुनरुत्पादन की क्रियात्मक अकारिकी (रूप, संरचना और कार्य) । कशेरुकी भ्रण विज्ञान के तत्व ।

विकास :—प्रमाण-वाद और उनकी आधुनिकी व्याख्याएं । मेन्डेलीय आनुवांशिकता, म्युटेशन । प्राणी-कोशिका की संरचना । कोशिका-विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत । अनुकुलन और वितरण ।

8. **भुविज्ञान**

भौतिक, भूविज्ञान और भूआकृति विज्ञान:—पृथ्वी का उद्भव संरचन, गर्भ तथा आयु । भू-अधिनति और पहाड़ । समस्थिति ।

महाद्वीपों और महासागरों का सद्भाव । महाद्वीपीय विस्थापन भूकंप-विज्ञान । ज्वाला मुखी-विज्ञान । पृष्ठ एजेन्सियों की भू-वैज्ञानिक क्रिया ।

संरचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान—: —आग्नेय अवसादी और कायांतरित शैली की सामान्य संरचनाएं । वलन, भ्रंश, विषम विन्यासों, संधियों और क्षेपों का अध्ययन । भू—वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूमापन की विधियों की प्रारम्भिक जानकारी ।

क्रिस्टल-विज्ञान और खनिज विज्ञान :—क्रिस्टल रूप और निर्मिति के तत्व, क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र और वर्ग, क्रिस्टल प्रकृति, यमलन । विधि प्रक्षेप । खनिजों की भौतिक, रासायनिक और प्रकाशित गुणधर्म । अधिक महत्वपूर्ण शैल-कर तथा आर्थिक खनिजों का इनके रासायनिक और भौतिक गुण-धर्मों, क्रिस्टल संरचनात्मक और प्रकाशित लक्षणों, परिवर्तनों, प्राप्ति, और व्यावसायिक उपयोगों के संबंध में अध्ययन ।

स्तरित शैल-विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान :—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम । भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान । भूवैज्ञानिक अभिलेखों के अश्म-वैज्ञानिक और कालानुक्रम प्रविभाग । जीवाश्म-प्रकृति और परिरक्षण का ढंग; जैव विकास पर प्रभाव । अकशेरुकी तथा पादप जीवाश्म ।

आर्थिक भूविज्ञान :—अयस्क उत्पत्ति, के सिद्धान्त, वर्गीकरण, भूविज्ञान, प्राप्ति, भारत के प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों के क्षेत्र तथा स्रोत । भारत में खनिज उद्योग । भूभौतिकीय पूर्वेक्षण और अयस्क-प्रभाधन के नियम ।

शैलविज्ञान :—अग्निय, आवसादी और कायांतरित शैलों का उद्भव, रचना, संरचना और वर्गीकरण । सामान्य भारतीय शैल प्रकारों का अध्ययन ।

9. **भूगोल**

संसार, विशेषतः भारत का प्राकृतिक और मानव भूगोल । प्राकृतिक भूगोल के नियम, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायु-मंडल का विस्तृत अध्ययन करना शामिल है । चक्र-संकल्पनाओं समस्थिति, पर्वत विरचन के प्रकमों, मौसम घटनाओं, महासागर-जल की बहिस्तलीय और अधस्तलीय गति, आदि के संबंध में आधुनिक विचारों का ज्ञान भी हो ।

मानव भूगोल के नियम, जिसमें संस्कृति, प्रजापति, धर्म आदि के आधार पर जिन वितरण, वातावरण और जीवन-प्रणाली, जन-संख्या उपनति, जनसंख्या की आवाजाही का विस्तृत अध्ययन करना भी शामिल है ।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें भारत के प्राकृतिक, मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत ज्ञान हो ।

10. **अंग्रेजी साहित्य**

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि उन्हें चौसर से लेकर महारानी विक्टोरिया के शासन के अन्त तक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य ज्ञान हो तथा निम्नलिखित रचनाओं की कृतियों का विशेष ज्ञान हो ;

शेक्सपीयर, मिल्टन, ड्राइडन, जानसन, वर्डसवर्थ, कीट्स, डिकन्स, टेनिसन, आर्नल्ड तथा हार्डी ।

स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होना ।

प्रश्न पत्र इस प्रकार से बनाए जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता की जांच की जा सके ।

11. **असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दू** :—उम्मीदवारों से यह प्रत्याशा की जाएंगी कि भाषा के ज्ञान और उसके साहित्य को दर्शा सके । जिन कृतियों से वे संबंध रखते है उनमें से जो सर्वोत्तम समझी जाती है उनका उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान होना अनिवार्य है, यद्यपि प्रश्न कम आवश्यक कृत्यों पर भी तैयार किए जा सकते हैं । उनसे यह भी प्रत्याशा की जाएगी कि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बौद्धिक तथा कालात्मक आंदोलनों की पृष्ठ-भूमि का ऐसा ज्ञान रखते हों तथा भाषा-विषयक विकासों का जिससे उनको साहित्व को समझने में सहायता मिलेगी । प्रश्न साहित्व इतिहास और भाषा के ऊपर तैयार किए जा सकते हैं । उम्मीदवारों को अनुवाद । व्याख्या करनी होगी तथा परिच्छेदों पर टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है ।

टिप्पणी : मद (11) के अधीन दिए गए विषयों में से किसी विषय को लेने वाले उम्मीदवारों को संबंधित भाषा में कुछ अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर देने अपेक्षित होंगे । इन भाषाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपियां निम्नलिखित है :—

भाषा		लिपि
1. असमिया	.	असमिया
2. बंगला	.	बंगला
3. गुजराती	.	गुजराती
4. हिन्दी	.	देवनागरी
5. कन्नड़	.	कन्नड़
6. कश्मीरी	.	फारसी
7. मलयालम	.	मलयालम
8. मराठी	.	देवनागरी
9. उड़िया	.	उड़िया
10. पंजाबी	.	गुरुमुखी
11. सिंधी	.	देवनागरी अथवा अरबी
12. तमिल	.	तमिल
13. तेलुगु	.	तेलुगु
14. उर्दू	.	फारसी

12. **अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, पाली, फारसी, रूसी संस्कृत** :—उम्मीदवारों को प्रमुख परिनिष्ठित साहित्यकारों का ज्ञान होना अपेक्षित है और उनमें उस भाषा में रचना करने और उससे अनुवाद करने की योग्यता होनी चाहिए ।

टिप्पणी :—अरबी, फारसी और संस्कृत लेने वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्नों के उत्तर, यथास्थिति, अरबी, फारसी या संस्कृत में देने की अपेक्षा की जा सकती है । संस्कृत में लिखे जाने के लिए उत्तर देवनागरी लिपि में लिखे जाने चाहिए ।

13. भारतीय इतिहास

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से लेकर भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक ।

प्रश्न-पत्र में राजनैतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगें ।

14. ब्रिटिश इतिहास

अध्ययनाधीन अवधि 1485 से 1945 तक होगी । प्रश्न-पत्र में राजनैतिक, संविधानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास पर भी प्रश्न होंगें ।

15. यूरोप का इतिहास

अध्ययनाधीन अवधि सन् 1789 से 1945 तक होगी ।

प्रश्न-पत्र में राजनीतिक, राजनयिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर प्रश्न शामिल होंगे ।

16. विश्व इतिहास 1789 से 1945 तक

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि उन्हें विश्व के राजनीतिक और आर्थिक विकास विशेषत: यूरोप, अमेरिका, सुदूरपूर्व मध्यपूर्व तथा अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में गहन ज्ञान हो । सार्वभौमिक महत्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष बल दिया जाएगा ।

उम्मीदवारों से यह भी आशा की जाएगी कि उन्हें विज्ञान, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में प्रदर्शित सम्पूर्ण सभ्यता के योगदान में प्रतिबिंबित सांस्कृतिक विकास का ज्ञान हो ।

17. सामान्य अर्थशास्त्र

उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि उन्हें निम्नलिखित विषयों का सामान्य ज्ञान हो :

(क) आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत, तथा

(ख) आर्थिक मन्तव्यों का इतिहास ।

उनमें अपने सैद्धांतिक ज्ञान को वर्तमान भारतीय आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग करने की अयोग्यता होनी चाहिए ।

18. राजनीतिक विज्ञान :—उम्मीदवार से राजनैतिक सिद्धांत और उसके इतिहास का ज्ञान अपेक्षित है । राजनीतिक सिद्धांत का तात्पर्य केवल विधान-सिद्धांत से ही नहीं है अपितु सामान्य राज्य सिद्धांत से भी है । संविधानक रूपों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और केन्द्रीय स्थानीय तथा लोक प्रशासन संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । उम्मीदवारों का वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान भी होना चाहिए ।

19. दर्शन शास्त्र :—उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पूर्व और पश्चिम के नीति शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी होगी । नैतिक स्तर और उनके अनप्रयोग की समस्याएं नैतिक निश्चय, नित्यवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, नैतिक, व्यवस्था और प्रगति, व्यक्ति स माज और राज्य के बीच संबंध, अपराध और दण्ड के सिद्धान्त तथा नीतिशास्त्र का धर्म से संबंध ।

उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे निम्नलिखित के विशेष संदर्भ सहित पश्चिमी दर्शनशास्त्र के इतिहास की जानकारी रखेंगे । दर्शनशास्त्र की प्रकृति और उसका विज्ञान तथा धर्म से संबंध, पदार्थ एवं आत्मा, स्थान एवं समय, कारणता एवं विकास तथा मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांत और ईश्वर, आत्म एवं मुक्ति, एवं कारणता, विकास एवं प्रतीति के सिद्धान्तों के विशेष संदर्भ सहित भारतीय दर्शन (धर्मनिष्ठ और धर्म विरोधी प्रणालियों सहित) का इतिहास ।

20. मनोविज्ञान

मनोविज्ञान:—उसका स्वभाव, क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियां, मनोविज्ञान में प्रयोगिक विधियां ।

मानवीय विकास के कारक :—आनुवेशिक की एव परिवश ।

अभिप्रेरणा भावनाएं एवं संवेग, उनका स्वभाव एवं विकास, संवेगों के सिद्धांत, चरित्र का विकास ।

संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संवेदन, प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिगम, स्मरण शक्ति तथा विस्मरण और मनन ।

प्रज्ञा एवं योग्यताएं :—संकल्पना और माप, व्यक्तित्व-स्वभाव निर्धारक तत्व, सिद्धांत, और मूल्यांकन ।

दलगत प्रक्रियाएं एवं दलगत प्रभाव, समूहगत व्यवहार, नेतृत्व एवं मनोबल, अभिवृत्ति एवं अपकृति, सामाजिक-परिवर्तन ।

अपसामान्यतया की संकल्पना, मत:स्ताप और मनोविक्षिप्ति विकारों के मुख्य रूपों की पहिचान एवं कारण, सामाजिक विकृति विज्ञान और बाल-अपराध—कारण और उपाय चिकित्सा विधियां के मुख्य रूप ।

21. विधि I

1. विधि शास्त्र : विधि संकल्पना : विधि के प्रकार; सकारात्मक विधि, न्याय प्रशासन । विधि के स्रोत; विधि के तल जिनमें विधिक अधिकार और कर्त्तव्य शामिल हैं; दायितायें स्वामित्व कब्जा विधिक व्यक्तित्व; सम्पत्ति ।
2. संविधान विधि : भारत की संविधान विधि जिसमें प्रशासनिक विधि शामिल है, ब्रिटिश संविधान के मूल सिद्धांत ।
3. टार्ट्स विधि जिसमें टार्टस के लिए राज्य की दायिता शामिल है ।
4. दांडिक विधि (भारतीय दंड संहिता) ।
5. साक्ष्य विधि : सूसंगति और प्रकल्पनायें : साक्ष्य के प्रकार मौखिक और लेख्य साक्ष्य प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य: प्रमाण-भार विवंधन, अदालती नोटिस ।

22. विधि II

1. संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत (भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1 से 75 तक) ।
2. भारतीय संविदा अधिनियम के विशेष संदर्भ में क्षति पूर्ति विधि गारंटी गिरवी और एजेंसी ।

3. भारतीय विधि के विशेष संदर्भ में सामान बिक्री विधि, साझेदारी विधि पराक्रमय उपकरण तथा बैंकिंग (सामान्य सिद्धांत) ।

4. समवाय विधि ।

23. विधि III

अन्तर्राष्ट्रीय विधि की कृति और स्रोत । अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संप्रदाय अंतर्राष्ट्रीय विधि और देश विधि ।

अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों के रूप में राज्य । अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अधिग्रहण और हानि । राज्य मान्यता । राज्य उत्तराधिकार ।

राज्य के अधिकार और कर्त्तव्य सामानता का सिद्धांत । राज्यों का क्षेत्राधिकार ।

संधियां ।

अंतर्राष्ट्रीय संवर्ग के एजेंच/राजनियक एजेंटों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय विधि । अन्य देशीय निवासी राष्ट्रिकता । देशीकरण। राष्ट्रीहीनता । प्रत्यर्पण युद्ध अपराधी ।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों को तय करने का ढंग ।

युद्ध । घोषणा । प्रभाव ।

स्थल-जल और वायु-युद्ध के नियम।

आत्म रक्षा के लिए युद्ध : सामुहिक सुरक्षा। क्षेत्रीय समझौते । युद्ध को अवैध घोषित करना युद्धकारी दखल के नियम। युद्धकारिता और राज्य प्रतिरोध ।

युद्ध के ढंग । युद्ध-कैदी। निरीक्षण और तलाशी का अधिकार

नौजितमाल न्यायालय

नाकाबन्दी और विनिषिद्ध ।

तटस्थता और तटस्थीकरण। युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकार और कर्त्तव्य । असटस्थ सेवा । संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन तटस्थता ।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और राष्ट्र संघ का प्रतिज्ञापात्र संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग । विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ।

उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिए गए फैसलों सहित मामलों की जानकारी दे सकेंगे ।

24. प्रयुक्त यांत्रिकी

निर्माण

छतकैंची के सन्निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर विचार ।

इस्पात और इमारत लकड़ी । छतकैंचियों के प्रतिघल का विभिन्न पद्धतियों से निर्धारण । अचल भार और वायु दाब क्षेम और काईकारी प्रतिबल के घटक ।

छतकैंचियों का डिजायन : विभिन्न प्रकार के छतकैंचियों और छत्तादन कालरबीम और अधगोल कैंचियां । स्तम्भों के डिजाइन में यूलर गोरडन रेंकिन फिड्लर जान्सन कर्व और सरल रेखा के सूत्रों का उपयोग स्तम्भों का बहुकावकारक विभिन्न सूत्रों से प्राप्त स्तम्भों की तुलनात्मक सामार्थ्य को दर्शाने वाले वक्र । कौंटों के कार का चयन । इस्पाती कार्य की परिसरजा जोड़ एडबैयरिंगों का डिजाइन सिरों को जमाने के सहारे देने की पद्धतियां ।

संरचनाओं के डिजाइनों में प्रतिफल के वृत्तों और दीर्घवृत्तों तथ क्लेयप्रान प्रमेय का अनुप्रयोग ।

ढले लोहें और इस्पात के स्तम्भ : इस्पाती स्तम्भों के साथ प्लेज और बेव फनेक्शन : टोपियों आधार स्तम्भों की तिर्यक तान ।

नींव : सुरक्षित दाब स्तम्भों की नींव । पटियां नींव, बाहुधरन नींव, झंनींरीदार नींव । कूप स्थूणा ।

पुश्ता दीवार और मिट्टी के दाब : रेंकिन सिद्धांत, वेज सिद्धांत, विकंर और ढलाई की ग्राफीय रचनाएं, संशोधनों सहित । चिनाई में विभिन्न प्रकार की की पुश्ता दीवारों का डिजाइन ।

ऊंची चिनाई और इस्पाती चिमनियां : सिद्धांत और डिजाइन ।

इस्पाती और पक्के जलाशयों का डिजाइन : वायु दाब के विचार से ।

ढांचेदार संरचाओं के विक्षप और अतिरिक्तांगी ढांचों में प्रतिबल आदि का अवधारण

कैंचियों आबद्ध धरनों और तीन पिनी परबलयिक, अर्धवृत्ताकार तथा अर्ध वृत्ताकार डाटों पर समान रूप से वितरित और अनियमित भार के वकन घूर्णन और कर्त्तन के प्रभाव-आरेख

गुम्बद डिजाइन के सामान्य सिद्धांत ।

निर्माण, डिजाइन के सिद्धांत, निर्माणों पर भार का विचार इस्पात, कर्म गर्डर आदि ।

पुल

ऊपरी ढांचे का डिजाइन । चरमारों और वायु दावों के कारण हुए वंकन घुर्णन का ग्राफीय और वैश्लैषिक पद्धतियों से निर्धारण । पक्के पुलों और पुलियों का डिजाइन ।

प्लेट बेच गर्डर । प्रतिबलो का विश्लेषण ।

बारेन और जालदार गर्डर ।

तीन पिनी डाट दो पिनी ओर दृढ़ डाट ।

झूला, बाहुधारन और नलिकाकार पुलों के डिजाइन पर सामान्य विचार इस्पाती डाटदार पुल ।

झूलना पुल ।

प्रबलित कंक्रीट

कर्त्तन, बंध और विकर्ण तनाव, इसका स्वरूप, प्रबलन का मूल्यांकन और स्थान ।

सरल और दोहरी प्रबलित धरन और अनुकालंब धरन का डिजाइन ।

प्रबलित कंक्रीट स्तम्भों और स्थुनाओं का सिद्धांत और डिजाइन ।

पटियाँ नियों का डिजाइन ।

सरल बाहुधरन और पुश्तेदार धारक दीवारों का डिजाइन प्रबलित कंक्रीट फर्शों के लिए तुल्य जड़ता-घर्ण ।

प्रत्यास्थ विक्षेप का सिद्धांत और प्रबलित कंक्रीट डाटों में प्रतिबलों के अन्वेषण की रूप रेखा ।

सामान्य

प्रतिबल विश्लेषण, विकृति प्रत्यास्थता सीमा और चरम सामर्थ्य का विश्लेषण : प्रत्यास्थ स्थिरांकों में परस्पर संबंध । किसी संरचना अवयव में कार्यकारी प्रतिबलों के लिए लानहार्ट-जेरोध सूत्र और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का अवधारण । प्रतिबलों पुनरावृत्ति । अचल मारों के लिए वंकन धूर्णन और कर्त्तन-बल के आरेख ढांचों में प्रतिबलों का ग्राफीय अवधारण वायुदाब का प्रभाव, कांटों की पद्धति । बंकन (M/I-F/Y-E/h) के कारण धरन की अनुप्रस्थ काट में प्रतिबल, मिश्रित और संयुक्ति प्रतिबल । मिट्टी के दाब का रैंकीन सिद्धांत, नीवों को गहराई खसकों की सामार्थ्य झंझरीदार नीव, मिट्टी के दाब का क्लाम सिद्धान्त रेबान के कारण परिवर्तन ।

चलमारों के लिये वंकन धूर्णन कर्त्तन बल के आरेख । समान और समान रूप से बदलते हुए प्रतिबल का विश्लेषण धरनों के वंकन का प्रत्यास्थता-सिद्धांत धरनों में वंकन और कर्त्तन प्रतिबल, काट का मांपांक और तुल्य क्षेत्र । उत्केंद्र भारत के कारण जोड़ में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल । बांधों और चिमनियों में प्रतिबल : ब्लैंक की स्थिरता, कार्य संरचनायें । वाष्पित्र खोलों में प्रतिबलों और रिवेटदार जोडों का डिजाइन : थाम के संबंध में आयलर का सिद्धांत, रैंकिन, गार्डर और अन्य सिद्धांत के कारण परिवर्तत ऐंठन, संयुक्त ऐंठन और संकन विक्षेप । आबद्ध धरने, अनेकालंब धरने और त्रिपूर्ण प्रमेय । डांटों का प्रत्यास्थता-सिद्धांत, पक्की डांटे ।

25. समाज शास्त्र

समाजशास्त्र का स्वरूप, विषय क्षेत्र तथा पूर्ववृत्त—समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध ।

जाति तथा समाज–भौगोलिक वातावरण तथा समाज—जनसंख्या तथा समाज—संस्कृति, धारणा, उसका महत्व तथा समाज और व्यक्तित्व के साथ संबंध ।

समाजशास्त्र की मूल धारणाएं : समूह—प्राथमिक, माध्यमिक और संदर्भ समूह–भूमिका—समाजिक –संरचना समाजिक कार्य—सामाजिक संगठन—मानदण्ड तथा मान्यताएं —

समाजीकरण—सामाजिक नियंत्रण—समाजिक दण्ड–विधान

मूल सामाजिक संस्थान : परिवार और संगोत्रता—संयुक्त परिवार—आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा कानूनी संस्थान ।

सामाजिक स्तरीकरण : जाति, सम्पदा तथा वर्ग—सामाजिक प्रक्रियाएं—सहकारिता तथा प्रतिद्वन्द

समितियों की किस्में :—असभ्य तथा सभ्य—सरल तथा जटिल —परम्परागत तथा आधुनिक

सामाजिक परिवर्तन : सामजिक परिवर्तन के सिद्धांत—आयोजित सामाजिक परिवर्तन—सामाजिक विकास ।

ग्राम्य और शहरी समुदाय—शहरीकरण ।

नोट:—उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे तथ्यों द्वारा सिद्धांतों का निरूपण करें तथा सिद्धांतों की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें । उनसे भारतीय समस्याओं की विशेष जानकारी अपेक्षित होगी ।

भाग—ग

परिशिष्ट II के भाग II के उप भाग (ग) के अनुसार

1. (क) उच्चतर विशुद्ध गणित:

(1) आधुनिक बीजगणित—समूहों, जयसमूहों, प्रसामान्य उपसमूहों । खंड समूहों ? समरूपता तथा एकक समाकरिता । एकक समाकारिता पर प्रमेय । क्रमयय समूहों । रूपांतरण समूहों । स्वसमाकृतिकता के समूहों । आंतरिक स्वसमाकृतिकता । प्रासामान्यकर्त्ता, केन्द्र तथा दिक् परिवतक । केले और सोलों के प्रमेय । परिमितीय जनक आबेली ग्रुपों के लिये वियोजन प्रमेय । निश्चरों । प्रसामान्य श्रेणी, संयोजक श्रेणी, आर्डन—होल्डर प्रमेय । रिंग पूर्णकाय डोमेन । विभाजन रिंग । क्षेत्रों । आदर्श, प्रारंभिक तथा मैक्सिमल आदर्श, आदर्श के धनराशि तथा गुणनफल । भागफल रिंग । रिंगों, के लिये एकक समाकारिता प्रमेय । पणीकीय डोमेन के भागलों का क्षेत्र । यीविलडी डोपेन । मुख्य आदर्श डोमेन । अद्वितीय गुणनखंडम्र डोमेन । दिक परिवर्पित रिंग के ऊपर बहुपद रिंग अद्वितीय गुणनफल डोमेन से बहुपद गाणांकों सहित । नियोथ-स्मिन रिंग । वेक्टर स्थानों । वेक्टर स्थान का आधार विपत्र । लांबिकता । आदेशगुणनफल । आर्थोनिर्माल आधार ।

क्षेत्र विस्तार । विभाजाकफील्ड । पृथक होंने योग्य और प्रथम न होने योग्य विस्तार । परिमित विस्तारों का गोलोइस का प्रमेय । करणी द्वारा समीकरणों के हल का अनुप्रयोग । परिमित क्षेत्र ।

स्थान वैज्ञानिक स्थान । मानचित्रों तथा आस-पास, बंद-समच्चय, स्वांतर समुच्चय स्थान वैज्ञानिक स्थान के लिये आधार उपस्थान, पागफल स्थान । स्थान विज्ञान तथा स्थान विज्ञाणों के सामर्थ्य की परिभाषा के विभिन्न तरीके । मैट्रिक स्थान, यविलडी स्थान तथा मैट्रिक स्थानों के अन्य उदाहरण । दो स्थान वैज्ञानिक स्थानों के संयोजकों कार्तीय गुणनफल, स्थानीय संयोजन । पथ के अनुसार संयोजन । संहिता स्थान, संहित स्थानों के गुणनफल, स्थानीय संहित स्थानों । पार्थेव्य-अभिगृहीत । हाजडोर्फ, प्रसामान्य तथा नियमित स्थान ।

(2) वास्तविक चरों के फलनों का विश्लेषण:

वास्तविक संख्याओं का डकेकाइंड का प्रमेय । परिबंध और सीमायें । अनुक्रमों । संतत तथा एक समान संतत । अवकालनीयता अस्पष्ट फलनों । फलनों के अधिकतम और न्यूनत । रीमन समाचे कलम । माध्यमान प्रमेयों ? अनुचित पूर्णकीयों (रेखा, समतल तथा गणांक पूर्णाकीयों) । रेखा समतल तथा गुणांक पूर्णाकीय ग्रीन और स्टकों के प्रमेय ।

एक समान अभिसारी श्रेणियों के एकसमान अभिसरण की श्रेणियों और गुण । अपरिमित गुणनफलों का अभिकरण । समुच्चय के फलनों के आर्थोनार्मालटी तथा सम्पूर्णता । फूरिये श्रेणियां तथा फूरिये प्रमेय । वायरस्ट्रास सेन्निगटन प्रमेय । लबंस्यु का भाप प्रबंधित फलनों के मापीय फलन तथा लेबेस्ग्यु पूर्णकीय ।

(3) **मिश्रितचर के फलन**—उस के समतल और रीमैन के गौला परसंमिश्र संख्याओं का निरूपणा । द्विचरएकघाती रूपांतरणों विश्लेषिक फलनों । कौची का प्रमेय तथा उसका विलोभ । कौची का पूर्णकीय सूत्र । टेलर तथा लारेंट की श्रेणियां । वियोऊवाइल का प्रमेय । विचित्रतायें । शून्यों/अवशेषों का प्रमेय तथा पूर्णकीयों के मूल्योकन के लिये इस का अनुप्रयोग । बीजगणितट का मूल प्रमेय तथा बीजगणित के समीकरणों के मूल । अनूकोण निरूपण । विश्लेषिक संगत । मिटेगलेयर का प्रमेय । वाइरेस्टास का गुणनखंड का प्रमेय अधिकतम मापांक सिद्धांत । हैडामार्ड का त्रिवृतीय प्रमेय ।

(4) **ज्यामिति** :—समतल परिच्छेदों तथा द्विघातियों की जन रेखायें द्विघाती पृष्ठ तथा इसका विश्लेषण । संतामि द्विघाति । द्विघाती की पैंसिलों का प्रारंभिक प्रमेय । सोला में वर्क/वक्रता तथा ऐठन । फ्रमेट के सूत्र । आवरण । विकास योग्य समतल । विकासयोग्य वक्र से संगुणित, रेखजप्रष्ठ । पृष्ठों की वक्रता । वक्रता की रेखाएं संयुग्मी रेखायें । उपगमी रेखायें । अल्पांतरी ।

(5) अवकल समीकरण

सामान्यअवध अवकल समीकरण:— पिकार्ड का अस्तित्व प्रमेय । प्रारंभिक तथा सीमांत प्रतिबंध । चरगुणांकों के साथ रेखाकार अवकल समीकरण । श्रेणियों में समाकलन बेसिल तथा लेगेंडर फलन । संपूर्ण तथा युगपत अवकल समीकरण ।

आंशिक अवकल समीकरण

आंशिक अवकल समीकरणों की बनावट । आंशिक अवकल समीकरणों के पूर्णकीय के प्रकार । प्रथम क्रम के आंशिक अवकल समीकरण चारपिट का तरीका । अचर गुणकों के साथ औश्कि अवकल समीकरण । मांगे का तरीका । द्वितीय क्रम के औश्कि अवक समीकरणों का वर्गीकरण । आप्लेस समीकरण तथा इसकी सीमांतमान समस्यायें । तरंग समीकरण तथा ऊष्माचालन के समीकरण का हल ।

1. (ख) उच्चतर अनुपयुक्त गणित—

शामिल विषय ये होंगे :—

(1) गति विज्ञान
(2) द्रवगति विज्ञान
(3) प्रत्यास्थता
(4) विद्युत तथा चुंबकत्व
(5) आपेक्षिता का विशेष प्रमेय ।

(1) **गति-विज्ञान:**—कण तथा ऊर्जा । भूगतिमान से संबंधित गति । फौकाल्ट का लोलक । जनक निद्रेशांक । होलोनोमिक तथा अहोलोनोमिक प्रणालियाँ । छोटे-दोलन । यूलर के ज्यामितीय तथा गतिक समीकरण । लूइकी गति । न्यूनतम कर्मका हैमिलटन का सिद्धांत । हैमिल्टन के विहित समीकरण तथा उनके समाकल निश्चर । संस्पर्श रूपांतरण ।

(2) **द्रवगति विज्ञान**

सामान्य:—सांतत्य का समीकरण संवेग तथा ऊर्जा ।

इनविसिड प्रवाह प्रमेह:—द्विविभगति । प्रवाही गति । स्त्रोत तथा अभिगत । प्रतिबिम्ब के तरीके तथा इसके अनुप्रयोग तरल में बेलन तथा गोला की गति । भ्रमिलगति । तरंगें ।

विस्कोस प्रवार प्रमेह:—प्रतिबल तथा विकृति विश्लेषण । नेवियर-सट-स्टोकेल समीकरण । भ्रमिलता । अर्जा-क्षय । समानांतर पट्रिकाओं के बीच प्रवाह । नली में होकर प्रवाह । गोला के पार धामी प्रवाह गति । सीमांतस्तर संकल्पना-द्विविम प्रवाहों के लिए सीमांतस्तर । पट्रिका के साथ सीमांतस्तर । समरूपता हल । संवर्ग तथा ऊर्जा समाकल । करमत तथा पोहलहौसेन का तरीका ।

(3) **प्रत्यास्थता** :—कातीर्य टेंसर । प्रतिबल तथा विकृति विश्लेषण कार्य तथा ऊर्जा । सट वेनेन्ट का सिद्धांत । दंड और पपिकाओं का मोड़ना । एठन ।

(4) **विद्युत तथा चुम्बकत्व** :—स्थिर वैद्युत चालक तथा संधारित चालकों की प्रणालियों । परावैद्युत । संकल्पनाओं के तरीके तथा इनके अनुप्रयोग । जालों में विद्युत धाराओं के प्रवाह चुंबकत्व । चुंककत्व वैद्युत । प्ररेण । प्रत्यावर्ती धारायें मेक्सवल के समीकरण दोलनी परिपथ ।

(5) **अपेक्षिकता का विशेष प्रमेय** :—गलीलियन सिद्धांत । माइकल्सन-मोरलेय प्रयोग । आपेक्षिकता के प्रमेय के सिद्धांत । लोरेंज रूपांतरण तथा इसके परपद । मैक्सवेल के समीकरणों में लोरेंज निश्चयर । निर्वात का विद्युत गार्तक । द्रव्य तथा ऊर्जा ।

2. उच्च भौतिकी

द्रव्य और ध्वनि के सामान्य गुण धर्म:—विरूपणेय पिंडों की यांत्रिकी । कुंडलिनी कमानी केशिका घटनायें । ध्वनिक मापन पराश्रव्यिकी ।

ऊष्मा और ऊष्मागतिकी :—आउनी गति । गैसों का अणुगति सिद्धांत । निम्न दाब पर गैसों में मिलने वाली अभिगमन-घटनायें उशमागतिक कार्य और उनके अनुप्रयोगन्धनाकृतियों और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा । निम्न तापमान लाना और उन्हें मापना । विकिरण और ऊर्जा वितरण का पलैक नियम ।

प्रकाश विज्ञान :—समाक्ष सममित प्रकाशित तंत्रों का सिद्धांत प्रायोगक स्पेक्ट्रम-विज्ञान । विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत प्रकाश प्रकीर्णन । रामन-प्रभाव । विवर्तन । ध्रुवण ।

विद्युत और चुम्बकत्व :—गाउस-प्रमेय । विद्युतमापी चुम्बकीय शैथिल्य । स्थायी चुम्बकों का सिद्धांत । वैद्युत राशियों का मापन । प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत । साइक्लोट्रान और उच्च वोल्टता के उत्पादन की अन्य विधियाँ । बेतार तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण । टेलीविजन ।

आधुनिकता भौतिक:—आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत । प्रकाश और द्रव्यों की द्वैत प्रकृति । शरोइड्जिर समीकरण और साधारण मामलों में उनके हल । हाइड्रोजन और हीलियन स्पक्ट्रा जीमन और स्टार्क प्रभाव । पोली नियम और तत्वों का आवर्ती

वर्गीकरण । एक्स किरण और एक्स-किरण स्पैक्ट्रम-विज्ञान । कॉम्पटन प्रभाव । धातुओं में चालन । अतिचालकता । तापायनिकी तापीय आयनन परमाणु नाभिकों के गुणधर्म । द्रव्यमान स्पक्ट्रम-विज्ञान । मूलकण और उसके गुणधर्म । नाभकीय अभिक्रियायें । अंतरिक्ष-किरणें । नाभिकीय विखंडन और संलयन ।

3. उच्च रसायन

अकार्बनिक रसायन :—परमाणु संरचना । रेडियोऐक्टिवता, प्राकृतिक एवं कृत्रिम । नामिकों का विखण्डन तथा संलयन । सयास्थनिक । रेडियोऐक्टिवसूचक । रेडियोऐक्टिव श्रेणियाँ । परायुरेनियम तत्व । तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, विशेषत:, Be, W, TI, V, MO, HF, ZV तथा दुलर्भ मृदा तत्वों और उनके मुख्य यौगिकों, का रसायन ।

उपसहसंयोगिता-यौगिक । अंतराअवाशी तथा अतत्व-योगमितीय यौगिक । मुक्त मूलक । विश्लेषण की पगत भौतिक-रासायनिक विधियाँ ।

कार्बनिक रसायन:—अनुबाद तथा हाइड्रोजनबन्ध विरचन सहित कार्बनिक रसायन के सिद्धांत । महत्वपूर्ण कार्बनिक अभि-क्रियाओं की क्रियाविधि समनुरूपण सहित विन्यास-रसायन ।

विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के वर्गों, विशेषत: निम्नलिखित वर्गों का रसायन : बहु-शर्कराइड, टर्पीन, प्राकृतिक रंजक द्रव्य एले-केलाइड, विटामिनइ महत्वपूर्ण हामोन, मलेरिया रोधक, क्लोरीन कीट-नाशी, मुख्य पतिजैविक, तथा संश्लिष्ट बहुलक ।

भौतिक रसायन:—अणुगतिक सिद्धांत, ऊष्मागति की विज्ञान; के तीन नियम तथा भौतिक रसायनिक प्रक्रमों में उनका अनुप्रयोग आणविक संरचना से संबंधित तथा उसका स्पष्टीकरण करने वाले भौतिक-रासायनि गुणधर्म । क्वन्टम-सिद्धांत तथा रसायन में इसका अनुप्रयोग ।

रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की विक्रया विधि तथा बलागतिकी । उत्प्रेरण । अधिलोषण । पृष्ठरसायन । कोलायड । विद्युत-रसायन ।

4. उच्च वनस्पति शास्त्र

उम्मीदवारों को भारतीय वनस्पति समूह पर विशेष ध्यान देते हुए, वर्तमान और विलुप्त दोनों प्रकार के वनस्पति-जगत् के मुख्य समूहों (अर्थात् शैवाल, कवक, ब्रयोफाइटा, टेरिडो-फाइटा, जिम्नोस्पर्म और एजिओस्पर्म) का उच्च ज्ञान होना चाहिए ।

वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान:—एजियोस्पमर्स के महत्वपूर्ण समूहों का सामान्य ज्ञान तथा उनके वर्गीकरण के सिद्धांत ।

शरीर:—पादऊपक्रों का उद्भव, स्वरूप और विकास और पारस्थितिक तथा कार्त्यिकीय दृष्टि से उनका वितरण ।

पारिस्थितिकी:—भारत की वनस्पति के मुख्य प्रकार, उनका वितरण और वैनस्पतिक अध्ययन का महत्व । पादप भूगोल के सिद्धांत ।

कार्यिकी:—पादप कार्य के महत्वपूर्ण कार्यिमकीय प्रक्रम का उच्च ज्ञान । इसमें पादप जीव रसायन ज्ञान भी शामिल है ।

पादप रोग विज्ञान:—जीवाणु, कवक, विषाणु द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण पादप रोगों तथा आर्थिकी रोगों और उनके नियंत्रण की विधियों का उच्च ज्ञान ।

आर्थिक वनस्पति विज्ञान:—आर्थिक दृष्टि से उष्णक एवं उपोष्णक क्षेत्रों के विशेष रूप से भारत के महत्वपूर्ण पौधों का अध्ययन ।

सामान्य **जीव विज्ञान:**—विभिन्नता, आनुवंशिकता क्रम विकास कोशिका—विज्ञान तथा आनुवंशिकी के मूल तत्वों और आधुनिक विकास एवं पादम प्रजनन के सिद्धांतों का ज्ञान ।

5. उच्च प्राणिविज्ञान

आकाइटों और कार्डेटों, विशेषकर भारतीय प्राणि समूहों, का वर्गीकरण, जीवपरिस्थिति की, आकारिकी, जीवनवृत्त तथा संबंध ।

अंग-तंत्र का क्रियात्मक आकृतिविज्ञान (रूप संरचना तथा कार्य) । कशेरुकी भ्रूणविज्ञान की रूपरेखा ।

प्राणियों का वर्गीकरण व्यक्तिवृत्त, अनकली समाभिरूपता तथा विषाभिरूपता, पशु, परिस्थिति की, प्रवास तथा रंजन ।

विकास: प्रमाण, वाद और उनकी आधुनिक व्याख्याएं । अनु-कूलन, अंतरिक्ष में प्राणियों का वितरण ।

कोशिका, कोशिका-विज्ञान, आनुवंशिकी, लिंग-निर्धारण तथा अंत: साव-विज्ञान के ज्ञान में नवीन प्रगतियाँ ।

भौतिक, रसायनिक तथा जैविक कारकों के सामिश्र के रूप में वातावरण तथा व्यक्ति, जनसंख्या और समुदाय के रूप में जीवों की आधुनिक संकल्पना ।

निम्नलिखित विषयों में से किस एक पर निबन्ध : प्रोटोजोआ तथा रोग, कीट तथा मानव, परजीवी, विज्ञान, अलवण जल तथा समुद्री जीव विज्ञान, सरोवर-विज्ञान तथा मत्स्य-जीवविज्ञान, ज्ञान तथा सभ्यता के लिए महान जी-वैज्ञानिकों को योगदान ।

6. उच्च भूविज्ञान

सामान्य भूविज्ञान :—भूविज्ञान का इतिहास तथा विकास इसकी विभिन्न शाखाएं तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं से इसका संबंध । पृथ्वी का उद्भव, विकास, संरचना, रचना, गर्भ तथा आयु । भूआकृति-विज्ञान, रेडियोएक्टिवता तथा भूविज्ञान, भूकंप, विज्ञान, ज्वालामुखी-विज्ञान, भू-अभिनातियों, समास्थितियों में उसका अनुप्रयोग । महाद्वीपों तथा महासागर द्रोणियों का विकास । पृष्ट एजन्सियों और अन्त:भूमिका एजेंसियों की भूवैज्ञानिक क्रिया महाद्वीपीय विस्थापन ।

संरचना तथा क्षेत्रभूविज्ञान-पटल निरूपण— शैल विरूपण, पर्वतों का उद्भव, स्थल-आकृति तथा खनन सम्बन्धी संरचनाएं । भारत का विवर्तनिक इतिहास । भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूमापन की विधियाँ ।

स्तरिता-शैलविज्ञान तथा जीवाश्म विज्ञान:—स्तरित शैल-विज्ञान के नियम तथा सह सम्बन्ध । भारतीय स्तरित शैल विज्ञान का विस्तृत अध्ययन तथा विश्व स्तरित शैल विज्ञान की रूपरेखा

विभिन्न कालों में पृथ्वी, समुद्र, प्राणी समूहों तथा वनस्पति समूहों का विभाजन। जैव-विकास के सिद्धांत। जीवाश्म—उनका महत्व। प्रतिरूपी इन्डेक्स जीवाश्म तथा सह सम्बन्ध, भारत विशेष संदर्भ, में अकशेरुकी का विस्तृत अध्ययन। और भूवैज्ञानिक इतिसाहू।

क्रिस्टल विज्ञान तथा खनिज विज्ञान:—क्रिस्टल आकारिकी क्रिस्टल-विज्ञान के नियम, क्रिस्टल तंत्र तथा वर्ग, प्रकृति यमलन क्रिस्टलों का कोपामापी तथा ऐक्स-किरण अध्ययन। परिमाणु-संरचना। शैल कर तथा आर्थिक खनिजों का भारत में उनके अस्तित्व के विशेष संदर्भ में विस्तृत अध्ययन।

शैल-विज्ञान :—अग्नेय अवसादी तथा कायन्तरित शैलों का उद्भव और विकास संरचना खनिज घटक, गठन तथा वर्गीकरण का यांतरण सहित शैलजनन शैलरसायन/उल्का पिण्डों का अध्ययन/मुख्य भारतीय शैल प्रकारें।

आर्थिक भूविज्ञान:—अयस्क-उत्पत्ति, आर्थिक खनिजों का वर्गीकरण तथा अयस्क-स्थान निर्धारण। भारत के विशेष संदर्भ में आर्थिक खनिज विक्षेपों का भूविज्ञान। खनिज उद्योगों का स्थान-निर्धारण (1) गुणधर्मों का मूल्यांकन खनिज अर्थशास्त्र खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग। राष्ट्रीय खनिज नीति स्ट्रैटेजिक खनिज भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय तथा भूरासायनिक पूर्वेक्षण तकनीकें तथा उनके अनुप्रयोग। खनन प्रतिचयन अमस्कप्रसाधन तथा अयस्क सज्जीकरण की मुख्य विधियां। भूमि तथा भौम जल। सामान्य इंजीनियरी समस्याओं में भूविज्ञान का अनुप्रयोग।

7. उच्च भूगोल

पर्चे के दो भाग होंगे:—पहले भाग के अन्तर्गत भारत के विशेष संदर्भ में भौतिक मानव तथा आर्थिक भूगोल का प्रगत अध्ययन होगा।

दूसरे भाग में निम्नलिखित विशेष विषयों का प्रगत अध्ययन शामिल होगा और उम्मीदवार से आशा की जाती है कि उसे कम-से-कम दो विषयों का ज्ञान होगा :—

भू-आकृति विज्ञान। जलवायु विज्ञान (मौसम के पूर्वानुमान तथा विश्लेषण की नई विधियों सहित)। मानचित्रकला (समकोणीय गोलीय त्रिकोण के हल, थियोडोलाइट के उपयोग, तियर्क विमध्य जाल जैसे प्रगत प्रक्षेप, आदि सहित)। ऐतिहासिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल। भौगोलिक विचार तथा खोजों का इतिहास।

8. अंग्रेजी साहित्य

प्रश्न पत्र अंग्रेजी साहित्य (1798-1935) के अध्ययन पर आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित रचनाकारों का विशेषाध्ययन अपेक्षित होगा :—

वर्डस्वर्थ, कोलरिज, शैली, कीट्स, लैम्ब, जैन, ऑस्टिन, कारलाइल, रस्किन, थैकरे राबर्ट ब्राऊनिंग, जार्ज इलियट, जी० एम० हौपकिन्स, मां, डब्ल्यू० बी० मीट्स, गाल्सवार्दी, जे० एम० सिंज, ई० एम० फोस्टर तथा टी० एम० इलियट। स्वयं पुस्तकें पढ़ने का प्रमाण अपेक्षित होगा।

प्रश्न पत्र इस प्रकार बनाए जायेंगे जिससे इन अवधि की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का ज्ञान ही नहीं, अपितु उनके आलोचनात्मक मूल्यांकन की जांच भी की जा सके। इसमें उस अवधि, की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्रश्न भी शामिल किये जा सकते हैं।

9. (क) भारतीय इतिहास :—(चन्द्रगुप्त मौर्य से हर्ष तक) मौर्य वंश—साम्राज्य का अभ्युदय तथा दृढ़ीकरण। प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था। साम्राज्य का पतन।

मगध का पतन

शुंग तथा कण्व वंश—चोल, चेर तथा पाण्ड्य।

पश्चिम से सम्पर्क उत्तर भारत-भारत यूनान।

दक्षिण भारत-रोमन व्यापार।

मध्य एशिया तथा भारत।

शक वंश। कुशान वंश।

शत्वानक वंश।

एशियाई वंशों से भारत का सम्पर्क—बौद्ध मत का प्रसार।

गुप्त साम्राज्य

भारतीय शास्त्रीय संस्कृति का निर्माण। भारत के और समुद्रपारीय सम्पर्क। गुप्त वंश का पतन/हूण जाति।

उत्तर भारत बदली हुई अर्थ व्यवस्थाएं तथा राजनीति पर उनका प्रभाव।

वाकटक तथा चालोक्य वंशों का अभ्युदय।

पल्लवों का अभ्युदय। हर्षवर्धन।

हर्षवर्धन

9. (ख) भारतीय इतिहास (मुगल साम्राज्य 1526–1707 राजनीति इतिहास—

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका दृढ़ीकरण तथा विस्तार। सूर राज्यान्तराव। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष। अकबर, जहांगीर और शाहजहां। मुगलों के फारस तथा मध्य एशिया से सम्बन्ध। प्रशासनिक पद्धति का विकास। मुगल दरबार में यूरोप के लोग, प्रारम्भिक पूर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी बस्तियां पतन का प्रारम्भ। औरंगजेब, उनके युद्ध तथा नीतियां।

सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक जीवन—

सांस्कृतिक जीवन तथा कला का विकास, वास्तुकला तथा साहित्य।

धार्मिक आन्दोलन : भक्ति आन्दोलन, सूफीमत, दीने-इलाही। मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति।

आर्थिक जीवन, कृषि जीवन। भूधारण पद्धतियां। उद्योग। वाणिज्य तथा व्यवसाय। आयात तथा निर्यात परिवहन व्यवस्था। भारत का ऐश्वर्य।

सामाजिक जीवन: दरबारी जीवन, नागरिक जीवन, ग्रामीण जीवन। वेशभूषा। रीति-रिवाज, खाद्य तथा पेय, मनोरंजन तथा मेल, त्यौहार, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति।

9. (ग) भारतीय इतिहास III/1772 से 1950'

बंगाल तथा दक्षिण भारत में ब्रिटिश सत्ता का दृढ़ीकरण भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास । ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश राज्य । सिविल सर्विस, न्याय पद्धति पुलिस तथा सेना का विकास । नई भूमिकर पद्धति तथा भूधारण पद्धति का विकास । ब्रिटिश व्यवसाय नीति । भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । 1857 का विद्रोह । भारतीय राज्यों के साथ सम्बन्ध विदेश नीति, तथा ब्रह्मा व अफगानिस्तान के साथ सम्बन्ध । आधुनिक उद्योग तथा संचार साधनों का विकास । आधुनिक शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास ।

भारतीय पुनः जागृति ––राजा राम मोहन राय, ब्रह्मसमाज और विद्यासागर, आर्य समाज, थियोसोफिस्ट, रामकृष्ण तथा विवेकानन्द, सैयद अहमद खां सामाजिक सुधार आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास ।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभ्युदय : इण्डियन नेशनल कांग्रेस (1885 से 1905) दादाभाई नारोजी, राणाडे, गोखले उग्र राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आन्दोलन, स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन, तिलक व अरबिन्द घोष, होमरुल लीग तथा लखनऊ समझौता ।

सांविधानिक विकास—1861 तथा 1862 के अधिनियम, मिन्टो मार्ले सुधार, मौट फोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम ।

महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश तथा स्वतन्त्रता संग्राम । सत्ता-हस्तान्तरण : क्रिप्स मिशन, कैबीनेट मिशन, स्वतन्त्रता अधिनियम तथा विभाजन । 1950 का संविधान । स्वतन्त्र भारत विदेश नीति तटस्थता धर्मनिरपेक्षता की योजना ।

9. (घ) ब्रिटिश संविधान का इतिहास (1601 से 1950 तक) ।

ताज बनाम संसद्:—

जम्स तथा संसद् के बीच सम्बन्ध । अधिकारयाचिका । चार्ल्स तथा परमाधिकार बनाम सामान्य कानून । (गृह युद्ध)

संविधान प्रवर्तक––

लांग संसद् की सरकार । लिट्स संसद् । प्रोटैक्टोरेट । पुनः स्थापन । म्लोरियम रिवौल्यूशन । बिल आफ एइंग्स ।

ताज, कार्यपालिका तथा संसद् ।

राजा तथा उनके मंत्री । ताज का प्रभावाधिकार । मन्त्रिमंडल तथा संसद 1936 का राजतन्त्रीय आपातकाल ।

संसद का सुधार

सुधार अधिनियम तथा हाऊस आफ कामन्स । हाऊस आफ कामन्स तथा हाऊस आफ लार्डस । हाऊस आफ लार्डस का सुधार ।

कामनवैल्थ (राष्ट्रमंडल)

कामनवैल्थ का उद्गम तथा विकास । वैस्मिस्टर का परिनियम कामनवैल्थ सहयोग का कार्यन्वयन । कामनवैल्थ में ताज की स्थिति ।

9. (ङ) यूरोपीय इतिहास (1871—1945)

यूरोप का औद्योगिक विकास––राष्ट्रवाद तथा लोक तांत्रिक और समाजवादी आन्दोलन का विकास ।

जर्मन साम्राज्य, "तृतीय फ्रांसीसी गणराज्य", हैब्सबर्ग, राजवंश राजतन्त्री रूप । संधियां और मंत्रियों की नीति ।

पूर्व संबंधी (ईस्टर्न) प्रश्न ।

साम्राज्यवाद का उत्थान तथा निकट पूर्व, मध्यपूर्व अफ्रीका और सुदूरपूर्व में यूरोप के साम्राज्यवादी हित ।

प्रथम विश्वयुद्ध का उद्गम तथा परिणाम ।

रूस की क्रांति तथा उसके परिणाम ।

वर्साइ समझौता, राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशंज), विश्व व्यापी निरस्त्रीकरण के प्रयत्न, सुरक्षा की खोज, फासिज्म तथा नाजिज्म का उदय और उसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम ।

द्वितीय विश्व युद्ध ।

10. (क) उच्च अर्थशास्त्र

आर्थिक विश्लेषण के कृत्य ।

मूल्य का सिद्धांत । खपत और मांग का सिद्धांत । उत्पादन का संगठन । एकाधिकार का सिद्धांत । एकाधिकार का नियंत्रण ।

वितरण का सिद्धांत । किराया । पूंजी का सिद्धांत । धन तथा ब्याज का सिद्धांत । बचत तथा विनियोजन । बैंकिंग तथा उधार सम्बन्धी नियम मजदूरी तथा नियोजन सम्बन्धी सिद्धांत । सामूहिक सौदाबाजी तथा औद्योगिक शान्ति ।

राष्ट्रीय आय । आर्थिक प्रगति तथा वितरणात्मक न्याय ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत । विदेशमुद्रा । अदायगियों का शेष ।

व्यापारिक चक्र तथा उनका नियन्त्रण । सरकार का आर्थिक योग । आर्थिक कल्याण । लोक (हित) के साधन मूल्यांकन तथा नियमन ।

कराधान के सिद्धांत :—कराधान का प्रभाव क्षेत्र, सरकारी कर और व्यय के प्रभाव, घाटे का अर्थ प्रबन्ध और मुद्रा-स्फुति आर्थिक विकास आयोजन ।

10. (ख) उच्च भारतीय अर्थशास्त्र

युद्धकालीन तथा योद्धोत्तर अवधि में आर्थिक विकास प्राकृतिक साधन सामाजिक सस्थाएं । कृषि उत्पादन तथा वित्त । अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण तथा वितरण भूमि सुधार । किसी विकासमयी अर्थ-व्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का स्थान आधुनिक संगठित उद्योग का विकास । लोक कम्पनियों का नियमन । औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम (दल) की समस्याएं । समिश्रित अर्थ व्यवस्था । सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार, क्षेत्र तथा दक्षता । भारतीय पूंजी तथा प्रत्यय पद्धति । रिजर्व बैंक का योगदान । जनसंख्या, समस्याएं तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीति । बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी । भारतीय राष्ट्रीय आय का निर्धारण । विदेशी व्यापार का नियमन । अदायगियों का शेष भारतीय करारोपण पद्धति संबंधी वित्त । आर्थिक विकास के लिए योजना । क्रमबद्ध

योजनाओं का आकार तथा ढांचा । स्त्रोत तथा कार्यान्वयन की समस्याएं ।

11. (क) हाब्स से लेकर आज तक के राजनीतिक सिद्धांत

ठेका (कान्ट्रैक्ट) तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत-हाब्स, लोक, रूस्सो । प्रभुता के मन्तव्य का विकास । इतिहासकार-वीको मौन्टैस्क तथा बर्क । उपयोगितावादी । विकासवादी । आदर्शवादी कान्ट, हेगल, ग्रीन, ब्राडले तथा बोसंक वे । रूढ़िवाद तथा उदारवाद । मार्क्सवाद तथा समाजवाद व साम्यवाद की धाराएं । बहुलवाद । फासिज्म । मनोविज्ञान का प्रभावी क्षेत्र । पूर्वी देशों में बीसवीं शताब्दी की विचारधाराएं ।

11. (ख) राजनीतिक तथा लोक प्रशासन

राजनीतिक संस्थाएं :—आधुनिक राष्ट्रों का विकास संसदीय तथा राष्ट्रपति सहित सरकारें । एक सत्ता तथा संघीय सरकारें । विधानांग कार्यपालिका तथा न्यायपालिका । प्रतिनिधित्व के प्रकार साम्यवादी तथा एक सत्ताधारी सरकारें ।

लोक प्रशासन :—आधुनिक सरकार में लोक प्रशासन । नीति निर्धारित तथा उच्चत्तर नियन्त्रण न्यायपालिका तथा कार्यपालिका । संगठन, प्रबंध, प्रकार तथा माध्यम । नियामक आयोग तथा लोक निगम । कर्मचारी वर्ग प्रशासन-सिविल सेवा तथा इसकी समस्याएं बजट तथा वित्तीय प्रशासन । प्रशासनिक अधिकार । न्यायालयों द्वारा नियंत्रण । लोक सेवाएं तथा जनता ।

11. (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

भाग 1

राष्ट्रीय शक्ति के आधार और सीमाएं ।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सिद्धांत तथा नैतिक का स्थान ।

अंतर्राष्ट्रीय सबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थान ।

विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित का योग ।

शक्ति संतुलन का सिद्धांत ।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का स्वरूप और उनके कार्य ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्देश्य, संरचना और कार्य प्रणाली ।

भाग 2

प्रथम विश्वयुद्ध के मूल कारण तथा शांति "समझौते" का स्वरूप ।

राष्ट्रसंघ (लीग आफ़ नेशंज) तथा दोनों युद्धों के बीच के वर्षों में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए किए गए प्रयत्न ।

द्वितीय विश्व युद्ध के मूल कारण ।

परमाणु युग तथा परंपरागत अन्तर्राष्ट्रीय संबंध पर इसके प्रभाव ।

"शीत युद्ध" तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव ।

नए राष्ट्रों का अभ्युदय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिमान में परिवर्तन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत तथा निम्नलिखित में से किसी एक देश की विदेश नीति :—
ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा फ्रांस ।

12. (क) उच्च अमूर्त विषय विज्ञान (ज्ञान-मीमांसा सहित)

उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे कान्ट से लेकर आज तक के प्रमुख दार्शनिकों (नामत: कान्ट, हीगल, ब्राडले, रायस, क्रोचे, मूर, यसल, जेम्स, शिल्लर, ड्यूई, वगसन एलेक्साण्डर, ह्वाईटहैड, विटगनस्थाईन, अयर हार्मडग्गर तथा फार्मुल ।

निम्नलिखित विषयों में से किसी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

ज्ञान के स्त्रोत, तत्व, भिन्न-भिन्न रुप । उसकी सीमाएं मापदण्ड तथा समाजविज्ञान ।

सत्य, मिथ्या, मूल ।

वास्तविकता के सिद्धांत । वास्तविकता । जीवन और श्री अस्तित्व । एकत्ववाद, द्वैतवाद, बहुलवाद, प्रकृतिवाद, अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद, मोक्षवाद और रहस्यवाद ।हेगलोत्तर आदर्शवाद । नवीन यर्थातवाद । मौलिकवाद, अनुभूतिवाद । उपयोगितावाद ।

उपकरणवाद । मानववाद-प्रकृतिवादी और धार्मिक ।

तार्किक प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद अनीश्वरवादी और ईश्वर वादी । आगमन की समस्याएं, प्रकृतिक नियम, सापेक्षावाद ईश्वर और अनिश्चयवाद के सम्बन्ध में दर्शन के क्षेत्र में नवीन विचार-धाराएं ।

12. (ख) उच्च मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सहित

मनोविज्ञान की विषय-वस्तु, क्षेत्र और पद्धतियां, अन्य विज्ञानों से इसका सम्बन्ध ।

आनुवंशिकता और परिवेश सम्बन्धी विवाद मानव के विकास पर इन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव सम्बन्धी प्रयोगात्मक अध्ययन ।

अभिप्रेरण एवं संवेग की समस्याएं । कुंठा और विग्रह; विग्रहों के प्रकार । आत्मरक्षातन्त्र—अभिव्यंजक गतिविधियों से संबधित अध्ययन; मनोधारानुक्रिया (PGR) असत्य परिचयन ।

संवेदना और अनभूति—मनोवैज्ञानिक पद्धतियां, देश-प्रत्यक्ष ज्ञान, शाश्वत, संगठन के कारक; गत्यात्मक, व्यक्तित्व तथा सामाजिक कारकों का योग; अन्तर्वैयक्तिक अनुभूति ।

अधिगम स्मृति, विस्मरण और चिंतन के अध्ययन की प्रायोगिक पद्धतियां—अधिगम और सिद्धांत—अर्थ का स्वभाव ।

व्यक्तित्व मनोविज्ञान—निर्धारक तत्व, गुण, किस्म, परिमाप, और सिद्धांत, व्यक्तित्व का मूल्यांकन—व्यक्तित्व के आचारण मूलक माप-क्रम निर्धारण मान, नाम-निर्देशक तकनीकें प्रश्नावलियां तथा तालिकाएं, अभिवृत्ति मान, प्रक्षेपीय परीक्षण ।

व्यक्तिगत भेद—प्रज्ञा और अभिवृत्तियों का स्वभाव एवं नाप । परीक्षण विन्यास-इकाई विश्लेषण । परीक्षण मान और मानक मापों की विश्वसनीयता और वैद्यता-कारक विश्लेषण-सिद्धांत ।

मनोविज्ञान के मत और संहतियां—मनोविज्ञान के परंपरावादी मत और मुख्य समकालीन संहतियां, फायडवादी, नव-फायडवादी नव-आचरणवादी, पूर्णाकार (गेस्टाल्ट) और प्रयोग-क्षेत्रीय सिद्धांत।

13. (क) भारत की संविधान विधि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—भारत के संविधान का विकास जिसमें 1861 के इंडियन काउंसिल ऐक्ट से 1950 तक के भारतीय संविधान में प्रतिनिधि तथा उत्तरदायी सरकार के विकास का विशेष रूप से प्रश्न होंगे।

सामान्य तत्व; कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान का प्राक्कथन तथा राज्य की नीति के मार्ग दर्शन सिद्धांत, केन्द्रवर्ती तथा संघात्मक शासन पद्धतियों की मान्यताएं मंत्रिमंडलीय पद्धति, विधिनियम की यथावत् पद्धति, न्यायिक पुनरेक्षण, संवैधानिक प्रथाएं, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों का संयुक्तगण राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना।

अधिकारों का विभाजन, अधिकारों के पार्थक्य का सिद्धांत।

विधानांग

विधायी कार्य-विधि, विधानांग को विशेषाधिकार, विधायी अधिकारों का प्रत्यायोजन।

कार्यपालिका :—अध्यक्षीय तथा संसदीय, कार्यपालिका, सेवाओं तथा लोक-सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान, विधि शासक का सिद्धांत,

न्यायपालिका:—प्रशासनिक एवं अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों का न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण-रिट के अधिकार-क्षेत्र की व्याप्ति स्वतंत्रता न्यायपालिका

विधायी अधिकारों का विभाजन, ट्रिटी पावर के विशष्ट परिवेश में अधिकारों के विभाजन के सिद्धांत, कर लगाने का अधिकार; संविधानी (संविधान-संशोधन) अधिकार; अवशिष्ट अधिकार, अधिकारों के विभाजन संबंधी न्यायिक सिद्धांत;

मूलभूत अधिकार—संविधान में प्रत्याभूत विभिन्न मूलभूत अधिकारों का रूप तथा उनका प्रभाव विस्तार।

नोट:—उम्मीदवारों से प्रत्याशा की जाती है कि उन्हें भारत के संविधान का पाठ्य-ज्ञान, संविधान के संशोधनों का तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का कुशल ज्ञान है।

(ख) विधिशास्त्र

विधिशास्त्र—परिभाषा तथा क्षेत्र, विधिशास्त्र के विभिन्न मतवाद। विधिनियम, विधिनियम तथा आदर्श, विधिनियमों का विकास, प्राकृतिक नियम राज्य के विधिनियम; विधिनियम की अनुलंघीनीयता का सिद्धांत; विधिनियम की समाजकतावादी सिद्धान्त; विधिनियम के प्रकार; सिविल विधिनियम; दण्डविधि-नियम; स्थायी तथा प्रक्रिया संबंधी विधिनियम व्यक्तिगत विधि-नियम तथा सामाजिक विधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय विधिनियम; विधिनियम तथा न्याय विधिनियम तथा समानता, विधिनियम के अनुसार, न्याय; न्याय-प्रशासन प्रभुत्त के बारे में मान्यताएं तथा सिद्धान्त।

प्रथा, न्यायिक पूर्व निर्णय, विधान संहिताकरण विधि के तत्व न्यायिक मान्यताओं का विश्लेषण तथा वर्गीकरण; व्यक्तित्व; अधिकारी कर्त्तव्य, स्वतन्त्रता, शक्ति उन्मुक्ति; अयोग्यता, स्तर, कब्जा, स्वामित्व; पट्टा, न्यास, सुविधाधिकार, सुरक्षा हानि, उत्तर-दायित्व, दायित्व, अधिनियम, नीयत, उद्देश्य, लापरवाही; स्वत्व, चिरभोगधिकार, उत्तराधिकार तथा वसीयतें। विधिनियम संबंधी मान्यताओं का विकास, संविदा का विकास, जिह्वा, अपराध सम्पत्ति, तथा वसीयत, न्यायिक विचारधारा में वर्तमान विचार धारा।

14. (क) अरबी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई०—1650 ई०)।

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक राजनीति तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जाएगी।

(ख) फारसी साहित्य में प्रतिबिम्बित मध्ययुगीन सभ्यता (570 ई० 1650 ई०)

इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों के भूगोल इतिहास और सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की जांच की जायगी।

(ग) प्राचीन भारतीय सभ्यता और दर्शन शास्त्र

2000 ई० प्र०—1200 ई० तक भारतीय सभ्यता, दर्शन और विचार धारा का इतिहास।

टिप्पणी:—इस प्रश्नपत्र में उम्मीदवारों के भूगोल, इतिहास और सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक क्रम-विकास और प्रगति विषयक ज्ञान की परीक्षा की जाएगी। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिन में पुरातत्व सम्बन्धी खोजों की जानकारी अपेक्षित हो।

15. मानव विज्ञान

(क) भौतिक मानव विज्ञान:—इसकी परिभाषा और क्षेत्र। भौतिक मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध। मानवजाति का क्रम विकास, वानरगणों में मानव का स्थान—उसका पैरेनिथैकस से लगाकर आस्ट्रा लाईथैकस तक प्रीह्यमैन तथा प्रोटोह्यूमैन जातियों से सम्बन्ध-पैलैआनथ्रामिक मानव पिथैकैन्थ्रोपस। सिनैन्थ्रोपस तथा नीएंडर्थल। नीन्थ्रोपिक। मानव—क्रोमैगनन, ग्रिमाल्डी तथा चान्सेलेड-होमसेपिअन्स।

मानव में जातिगत अन्तर तथा जातीय वर्गीकरण-शरीर रचना सम्बन्धी, रक्त वर्गीय तथा वानुवंशिक। जातियों के निर्माण में आनुवंशिकता तथा परिवेश का प्रभाव। मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्त—मैंडेलियन नियम जैसे कि वे मानव पर लागू होते हैं।

मानव का शरीर विज्ञान :—आहार-पोषण, अन्तः प्रजनन तथा वर्ण-संकरीकरण के प्रभाव पाषाणकाल से सिंधुघाटी सभ्यता तथा मध्य और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियों तक भारत में मानव के प्रसार का इतिहास। जातीय वर्ग और भारत में उनका वितरण।

(ख) सामाजिक (सांस्कृतिक) मानव विज्ञान :—क्षेत्र तथा कार्य । समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान तथा पुरातत्वशास्त्र से सम्बन्ध । सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान के विभिन्न मत—विकासवादी, ऐतिहासिक कार्यात्मक और सांस्कृतिक । मानव समाज का गठन तथा विकास ।

आर्थिक संगठन:—प्रारम्भिक शिकार तथा खाद्य संग्रह की अवस्था, पशुपालन, कृषि, परवर्ती कृषि, सघन कृषि, औजारों का प्रयोग ।

राजनैतिक संगठन:—दल, जनजातियां तथा दुहरा संगठन, जनजाति-परिषदें, मुखियों के कार्य ।

सामाजिक संगठन :—विवाह तथा पारिवारिक रचना के प्रकार, मातृसत्ताक, पितृसत्ताक, बहुपत्नीव, बहुपतित्व, बर्हिजातीय विवाह तथा संग्रोत्रविवाह, स्त्रियों की स्थिति, उत्तराधिकारी तथा तलाक ।

आद्य धर्म:—टोटमपाद, निषेध, गर्भाधान के अधिकार, नर-हत्या तथा नर बलि ।

कला, संगीत, लोक नृत्य तथा खेलकूद । दलगत सम्बन्ध, विवाह निर्णय, न्याय तथा दण्ड-सम्बन्धी मान्यताएं ।

बौद्धिक विकास का स्तर, विशेष रुचियों और योग्यताएं, आदि मानव के आचरण और प्रान्तपालों के केन्द्रीयतावाद की पृष्ठभूमि में भावात्मक आवश्यकताएं ।

व्यक्तित्व का निर्माण तथा व्यक्तित्व और आदिम समाज में उसके योगदान का विकास ।

आदिम जातियों का संस्कार तथा सम्पर्क का उन पर प्रभाव बस्तियों का उजड़ना और उसके कारण । आर्थिक तथा मनोविज्ञानिक कुण्ठन । अमरीका, अफ्रीका तथा ओशियाना में आदिम जनजातियों का ह्रास । भारतीय जनजातियों में जन-संख्या का ह्रास तथा उसको रोकने के उपाय ।

(ग) जातित्व के आधार पर भारतीय जनजातियों में से किसी एक का गहन अध्ययन

1. भारत की उत्तर-पूर्वी सीमान्त वासी आदिम जनजातियां ।
2. नागा पहाड़ियों—तैवान सांग क्षेत्र की जनजातियां ।
3. आसाम की स्वायत्ता प्राप्त जनजातियां—खासियां, गारो, मिकिर तथा लुशाई ।
4. छोटा नागपुर तथा मध्य भारत की आष्टिक जनजातियां ।
5. दक्षिण भारत की, नीलगिरि पर्वत निवासी जनजातियां सहित, जनजातियां ।
6. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां ।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को भाग (ग) तथा (क) अथवा (ख) में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।

16. उच्च समाज शास्त्र

समाज शास्त्र के स्वरूप, विस्तार तथा प्रणाली के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार ।

समाजशास्त्रीय विचारक-मार्कस, वेबर, डरखैम तथा उनके आधुनिक व्याख्याता ।

सामाजिक संरचना तथा कार्य के सम्बन्ध में सिद्धान्त—प्रगति, विकास तथा परिवर्तन—अन्तर्द्वन्द तथा एकीरकण स्तर, भूमिका, भूमिका विरूपण तथा भूमिका अन्तर्द्वन्द—सामाजिक—तन्त्र—सामाजिक मानक, नियन्त्रण, अनुसमर्थन तथा विचलन पुरस्कार तथा दण्ड ।

मुख्य सामाजिक संरचनाएं तथा संस्थाएं, परिवार तथा संगोत्रता ।

आर्थिक, राजनीतिक, विधिसम्मत, तथा धार्मिक संस्थाएं—शिक्षा अधिकारी वर्ग—सामाजिक स्तरीकरण (जिसमें जाति, वर्ग तथा विशिष्ट वर्ग शामिल हैं)

समाजशास्त्र में अनुसंधान प्रणाली, सर्वेक्षण, प्रश्नपत्रक तथा साक्षात्कार—निदर्श तथा अनुमाप तकनीक—साक्षेदार तथा गैर-साक्षेदार पर्यवेक्षण—सूक्ष्म तथा बृहत प्रणालियां—समाजशास्त्र में प्रयोग—लघु समूह अनुसंधान प्रणाली ।

सामाजिक परिवर्तन में समाजशास्त्रियों की भूमिका ।

भारत का समाजशास्त्र

परिवार संगोत्रता तथा विवाह—जाति—राजनीति में जाति की भूमिका—ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय—राष्ट्रीय एकीकरण की समस्यायें : प्रादेशिकता, भाषावाद, साम्प्रदायिकता तथा राष्ट्रीयता ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग । असमानता की समस्या ।

आर्थिक विकास के सामाजिक पहलू, योजना औद्योगीकरण तथा नगरीयकरण ।

पंचायतराज तथा स्थानीय राजनीति ।

आधुनिक भारत में सामाजिक आन्दोलन : सामाजिक सुधार आन्दोलन, पिछड़े वर्गों का आन्दोलन, भूदान तथा ग्रामदान और "पुनरुद्धार-वृत्ति" आन्दोलन भूमि संबंधी तथा विद्यार्थी-अशान्ति ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे तथ्यों द्वारा सिद्धांतों का निरूपण करें तथा सिद्धांतों की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें । उनसे भारतीय समस्याओं की विशेष जानकारी अपेक्षित होगी ।

खण्ड (घ)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उपधारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा:—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा । इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत्त होगा । उससे सामान्य रूचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह इन्टरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र दिय है, उसके/उनके लिए वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव

न केवल उसके बौद्धिक गुणों का अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-सूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि लें जोकि एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

परिशिष्ट 3

आई० ए० एस० आदि परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. **भारतीय प्रशासन सेवा**—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवार को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ङ) **वेतनमान:—**

जूनियर—रु० 400-400-500-40-700-द० रो०-30-1000 (18 वर्ष)।

सीनियर स्केल:—

(i) समय-मान रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)-50-1000-60-1600-50-1800 (22 वर्ष)।

(ii) सलेक्शन ग्रेड—1800-100-2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2500 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(च) **भविष्य निधि:**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्यनिधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(छ) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1964 के अन्तर्गत अनुमान्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(झ) **सेवा निवृत्त लाभ** :—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु व सेवा-निवृत्ति लाभ 71) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. **भारतीय विदेश सेवा** :—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कौंसुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया जाएगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए सन्तोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है या परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (substantive post) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) **वेतन मान**:—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–द० रो०–30–1000 ।

सीनियर स्केल—रु० 900–(छठे वर्ष या पहले)—50–1000–60–1600–50–1800 ।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है ।

(ङ) परख अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

तीसरे वर्ष—रु0 500 प्रति मास

टिप्पणी 1—परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान, में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी 2 :—परखाधीन अधिकारी की परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हों) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद-प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं ।

टिप्पणी 3—परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ० आर० 22-बी० (1) के अधीन दिया जाएगा ।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं की जा सकती हैं ।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (status) के अनुसार विदेश-भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के खर्च को पूरा कर सकें; और अतिथ्य (एन्टरटेनमैन्ट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान ।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted) Medical Attendance Scheme के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों, (emergencies) में ही दिया जाएगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 21 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें । परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी ।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा भत्ता ।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा भत्ता (out fit allowance) अधिकारी के सेवाकाल को विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । साधारण सज्जा भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए ।

(vii) विदेश में कम से कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया ।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली 1933 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी । विदेशों में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाले छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी ।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य भविष्यनिधि/(केन्द्रीय सरकार) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं ।

(ञ) **सेवानिवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली, 1950 द्वारा शासित होते हैं ।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं ।

2. **भारतीय पुलिस सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चत रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख) (ग) और (ग) में दिया गया है ।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(ङ) **वेतनमान**—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०–35–950 (18 वर्ष) ।

सीनियर—740 (छठे वर्ष या पहले)—40—1100—50/2—1250—50—1300 (22 वर्ष) ।

सलैक्शन ग्रेड—रु० 1400 ।

पुलिस उप महा निरीक्षक—रु० 1600—100—2000 ।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800—100—2000 ।

पुलिस महा निरीक्षण—रु० 2500—125/2—2750 ।
निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 3000 ।

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा ।

(च)
(छ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड
(ज) (च), (छ), (ज) और (झ) में दिया गया है ।
(झ)

4. दिल्ली और अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-2

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जाएगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) वेतन-मान:—

ग्रेड-I (सलैक्शन ग्रेड) 2000 रु० स्थिर ।

ग्रेड—II—समय-मान—350—25—500—30—590—द० अ०—30—800 रु० ।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किय जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा का अवधि म उसका वेतन मूल-नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जायेगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धियों मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतन-मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा ।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिये जाएंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और उन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उस नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले तदनुरूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

भारतीय डाक व तार लेखा तथा वित्त सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण, असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है ।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(घ) भारतीय डाक व तार लेखा तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी भी भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है ।

भारतीय डाक व तार तथा वित्त सेवा

(I) कनिष्ठ समय वेतनमान रु० 400—400—450—30—600—35—670—द० रो०—35—950 ।

(II) वरिष्ठ समय वेतनमान रु० 700—40—1100—50/2—1250 ।

(III) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु० 1300—60—1600 ।

(IV) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु० 1800—100—2000—125—2250 ।

टिप्पणी 1:—परखाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ

होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से उसकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी ।

2. परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर विहित किए जाने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नही कर लेंगे,

3. यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी 450 रु० तक ले जाने वाली वेतन वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतनवृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन वृद्धि स्थगित रहेगी ।

4. जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त या उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा

7. भारतीय सीमा शुल्क कर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा

8. भारतीय रक्षा लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने को पक्का किये जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी ।

(ख) यदि यथास्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थित, सरकार, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा में अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिये चुना जाये इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किये गये केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग के अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा ।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा फील्ड-सर्विस पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है ।

(च) वेतन-मान—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा का समय-मान–

रु० 400–400–450–30–510– कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60– 1600।

महालेखापाल—रु० 1800–100–2000–125–2250।

अपर उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ग्रेड–रु० 2,500–125/2–2,750 रुपए।

भारतीय उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक—3,000/- रुपए।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उसकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रू० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिए उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी।

नोट 4—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के

अन्तिरित किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क रु० 400–400–450–30 क्लास 1, सहायक कलक्टर, –510–द० रो०–700– भारतीय उत्पादन शुल्क, सहायक 40–1100–50/2– कलक्टर, सीमाशुल्क। 1250।

डिप्टी कलक्टर, सीमाशुल्क, डिप्टी रु० 1300–60–1600। कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क,

अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट

कलक्टर सीमाशुल्क तथा उत्पादन

शुल्क।

कलक्टर, सीमाशुल्क, कलक्टर रु० 1800–100–2000– केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 125–2250।

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी, किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर के स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थाई रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने पर स्थाईकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जाएगा।

(घ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास 1 के अधिकारी की भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही 'फील्ड सर्विस' भी करनी होगी।

नोट 1—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400–400–450–30–510–द० रो०–700–40–1100–50/2–1250 के समय वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मानेगा।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतनमान में रु० 400 से अधिक वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती।

नोट 3—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा श्रेणी 1 में नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त स्थाई पद पर नियक्त था उसका वेतन मूल नियम 22–ख(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

टिप्पणी 4—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), नई दिल्ली में विभागीय प्रशिक्षण तथा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी में बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होगा मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी। पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर रु० 450 कर दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जाएगा। वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम सपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उसके एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जाएगा।

नोट 5—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा क्लास I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा समय-मान

रु० 400–400–450–480–510–द० रो० –700–40–1100–1100–1150–1150–1200–1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300–60–1600।

रु० 1600–100–1800 (सलैक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1800–100–2000–125–2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक

रु० 2750 (नियत)

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर सार्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल्य नियम 22–ख(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब नहीं मिलेगा, जब तक कि समय, समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे; इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन-वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होती उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थित स्थगित कर दी जाएगी अथवा खण्ड-II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

9. भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी 1

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आप को पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) **वेतनमान—**

आयकर अधिकारी, श्रेणी–I

रु० 400–400–450–30–510–द० रो०–700–40–1100–50/2–1250।

आयकर सहायक आयुक्त :—रु० 1300–60–1600। आयकर के अपर आयुक्त।

रु० 1600–100–1800।

आयकर आयुक्त :—रु० 1800–100–2000–125–2250।

(च) परखाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर रु० 480 कर लिया जाएगा। रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाए।

यदि वह एकादमी की पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब तक कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भली-भांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयकर सेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

10. भारतीय आयुध कारखाना सेवा, श्रेणी-I
(अतकनीकी संवर्ग)

(क) चुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धकों (परिवीक्षा पर) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। इस अवधि को आयुध कारखानों के महानिदेशक की सिफारिश से सरकार द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सहायक प्रबन्धक (परिवीक्षा पर) सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। भाषा परीक्षाओं में एक परीक्षा हिन्दी की होगी।

अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार उसको उसकी नियुक्ति पर स्थाई करेगी, परन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि में अथवा अन्त में उसका काम या आचरण, सरकार की राय में, असन्तोषजनक रहा है तो सरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकती है जितना वह उचित समझे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के आदेश देने से पहले अधिकारी की सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातों से अवगत कराया जाएगा जिनके आधार पर उसको कार्यमुक्त किया जाने वाला है और उसको उसपर लगाए गए दोषों के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।

(ख) भारतीय आयुध कारखाने में सहायक प्रबन्धक (परिवीक्षा पर) को 400–400–450–30–600–35–670–द० रो० –35–950 रुपए के निर्धारित वेतनमान में वेतन मिलेगा। परिवीक्षा की अवधि के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशिक्षण के आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा। 'पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा' और विभागीय परीक्षा पास करने पर वे अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे जिससे उनका वेतन बढ़ कर 450 रुपए प्रतिमाह तथा 480 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। उनकी यह वेतन-वृद्धि प्रथम व द्वितीय विभागीय परीक्षा के उस अन्तिम प्रश्न पत्र की तारीख से होगी जिसमें वे उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद उनकी वेतन-वृद्धि समय वेतन-मान में उनकी स्थिति के अनुसार तथा ग्रेड में उनके स्थाई हो जाने के बाद, नियमित-रूप से होती रहेगी।

यदि सहायक प्रबन्धकों (परिवीक्षा पर) में से कोई लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में "अन्तिम पाठ्यक्रम परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं होती तो उसकी वेतन-वृद्धि उस तारीख से एक वर्ष के लिए रोक दी जाएगी, जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती अथवा विभागी विनियमों के अधीन उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो तब तक रुकी रहेगी इनमें से जो भी पहले हो।

(ग) (1) चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता होने पर कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करना होगा। इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि भी, यदि हो तो, शामिल होगी, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे अधिकारी के लिए (i) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष के बाद कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना आवश्यक नहीं होगा और (ii) चालीस वर्ष की आयु हो जाने के बाद आम-तौर से कमीशन-प्राप्त अधिकारी के रूप में काम करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) तारीख 9–3–1957 के सा० नि० आ० सं० 92 के अधीन प्रकाशित, रक्षा सेना में असैनिक व्यक्ति (क्षेत्रीय सेवा दायिता) नियम, 1957 इन उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे। उन नियमों में निर्धारित स्वास्थ्य-स्तर के अनुसार इनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी।

(घ) स्वीकार्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं :—

सहायक प्रबन्धक तकनीकी कनिष्ठ वेतनमान :

स्टाफ अधिकारी	रुपए 400–400–450–30–600–35–670–द० रो०–35–950।
उप-प्रबन्धक/उप-सहायक महानिदेशक, आयुक कारखाना	वरिष्ठ वेतनमान :— रुपए 700–40–1100–50/2–1250।
प्रबन्धक-वरिष्ठ उप-सहायक महानिदेशक, आयुध कारखाना	रुपए 1100–50–1400।
उप-महाप्रबन्धक/सहायक महानिदेशक, आयुध कारखाना, श्रेणी-II	रुपए 1300–60–1600–100–1800।
सहायक महानिदेशक, आयुध कारखाना, श्रेणी-I	रुपए 1800–100–2000।
उप-महानिदेशक आयुध कारखाना	रुपए 2000–125–2250।

II. भारतीय डाक सेवा

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आम तौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परखावधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परखावधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान :—

समय-मान रु० 400–400–450–30–510–द० रो०–700–40–1100–50/2–1250।

(प्रशिणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)

डाक सेवा निदेशक—रु० 1300–60–1600।

महापोस्ट मास्टर—रु० 1800–100–2000–125–2250।

सदस्य, डाक-तार-बोर्ड—रु० 2500–125/2–2750।

Senior Members, Post & Telegraphs Board, Rs. 3000

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी रु० 400–400–450–30–480–510–द० रो०–700–40–1100–50/2–1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रम परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमांत परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जाएगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थाई किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जाएगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा। यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होगी उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकार का दावा नहीं कर सकेंगे।

(ज) चुने गए उम्मीदवारों को, सरकार के निदेशानुसार, सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

12. भारतीय रेलवे लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं करेगा।

सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी, का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले हो या परखा अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी (क) पैंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अधीन जो अधिकारी भर्ती किए जाएंगे वे समय-समय पर लागू होने वाले छुट्टियों के सुविधाजनक नियमों के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हों, भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(1) वेतनमान :

(क) कनिष्ठ वेतनमान :—400–400–450–30–600–35–670–द० रो०–35–950 रु० (प्राधिकृत वेतनमान)

वरिष्ठ वेतनमान :— 700 रु० (छठा वर्ष और उससे कम) –40–1,100–50/2–1,250 (प्राधिकृत वेतनमान)।

कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड :— 1,300–60–1,600 रु० (प्राधिकृत वेतनमान)

इंटरमीडिएट प्रशासन ग्रेड :—1,600–100–1,800 रु०।

वरिष्ठ प्रशासन ग्रेड :— रु० 2,000–100–2,500।

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंही उसको रु० 400–950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएंगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

नोट 2—तथापि, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थाई पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018क (I) नियम II [(मू० नि० 22–ख(i)] में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

13. सैनिक भूमि और छावनी सेवा (श्रेणी I और श्रेणी II)

(क) (i) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नही होगी इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षण लेना होगा।

(ii) तथापि जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थाई पद पर मूल रूप से कार्य करता था उसका वेतन एफ० आर० 22(ख) (i) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ख) परख अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते

हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(ii) यदि परख-अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकारी अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोष-जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति को आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(घ) यदि ऊपर उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जाएगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कैलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, रेवेन्यू अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा। जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरीवेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) वेतन-मान इस प्रकार हैं :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां : रु० 1800-100-2000—125-2250।

(ii) संयुक्त निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां : रु० 1600-100-1800।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां : रु० 1300-60-1600।

(iv) सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां : रु० 1100-50-1400।

श्रेणी I

(v) उप-सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्य-पालक अधिकारी। रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250।

श्रेणी II

(vi) कार्यपालक अधिकारी रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200

(vii) सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200

(ज) (i) श्रेणी-I के अधिकारियों को, सामान्यता उप-सहायक निदेशक, सैनिक सम्पदा अधिकारी और श्रेणी-I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा 13 की उपधारा—(4) के खण्ड (क) का उप-खण्ड (i) लागू होता है।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यता उन छावनियों में नियुक्त किया जायेगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गयी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (By Selection) की जाएंगी। [वरीयता (सीनियारिटी) पर तभी विचार किया जायेगा जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे]। श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी-I में तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गयी हो।

(ञ) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली 1933 लागू होगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जोकि उसके सरकारी काम से संबंधित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनियों के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है, और उन्हें सेवा-क्षेत्र (Field

Service) पर भी भारत के किसी भाग में भेजा जा सकता है।

14. **भारतीय रेलवे यातायात सेवा**

(क) नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उनकी परख-अवधि तीन वर्ष होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ङ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायगी तो उसके अनुसार परख की कुल अवधि भी बढ़ जायगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से जो, कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख अवधि में उसे दी गयी सब रकमें वापस करनी होंगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि तीन वर्ष होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगें और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे, उन्हें कार्यकारी पद का कार्य-भार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों। ध्यान रहे कि ये परीक्षाएं नियमित प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें, क्योंकि विशेष ('एक्सेप्शनल') परिस्थितियों को छोड़कर बाकी किसी भी हालत में दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतन वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद परखाधीन अधिकारियों को एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी। जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिए जाएंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा। जिन मामलों में किसी कारण से परख की अवधि बढ़ाई गयी हो, उनमें विभागीय परीक्षा पास करने पर और पक्का होने पर समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार पहली और बाद की वेतन वृद्धियां ली जा सकेंगी।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की एक हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही या परख अवधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गये भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(क) रेलवे पेंशन नियमों द्वारा अधिशासित होंगे; और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदानरहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान भी कर सकेंगे।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारंभ होगा। वेतन वृद्धि के प्रयोजनों से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी।

(छ) इन नियमों के अधीन जो अधिकारी भर्ती किए जाएंगे वे समय-समय पर लागू होने वाले छुट्टियों के सुविधाजनक नियमों के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे।

(ज) अधिकारियों को, आम तौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिये जायेंगे और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिये साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे। परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सके।

(झ) वेतन-मान—

जूनियर वेतनमान—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 (प्राधिकृत वेतनमान)।

सीनियर वेतनमान —रु० 700 (छटे वर्ष या पहले)-40-1100-50/2-1250 (प्राधिकृत वेतनमान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300-60-1600 (प्राधिकृत वेतनमान)।

माध्यमिक प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1600-100-1800- (प्राधिकृत वेतनमान)।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 2,000-100-2,500 (प्राधिकृत वेतनमान)।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी। और उसके बाद ही उनका वेतन मान रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और परख अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जायेगा तो अंतिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जायेगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया

नहीं मिलेगा, ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर वेतन मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को वेतन-मान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी, अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 2—तथापि, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018 क (i) नि०— (ii) [मू० नि० 22-ख (i)] में दिये गये उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जायेगा ।

(ञ) वेतन वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जाएंगी ।

(ट) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति स्थापना (Establishment) में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्णरूप से चुनाव (Selection) के आधार पर ही की जायेंगी । एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता ।

(ठ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज बड़ोदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जाएगा जब तक कि वे परीक्षायें पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है । इसमें महाप्रबन्धकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुये परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई जानी चाहिये ।

नोट 4—प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी को, गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है । प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिये यात्रा करनी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं । उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिये किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रक कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है । इस सब के लिये बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है ।

ड (i) **पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष**

मद	अवधि (सप्ताह)
1	2
1. लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी	17
2. बड़ौदा स्टाफ कालिज (प्रथम दौर) .	12
3. क्षेत्रीय स्कूल, गार्ड के कर्त्तव्य सीखने के लिये (प्रथम दौर) . . .	4
4. गार्ड के रूप में कार्य करते हुए . .	3
5. बुकिंग/पार्सल आफिस गुड्स शेड तथा ट्रांसशिपमेंट रोड . . .	10
6. यातायात लेखा तथा लेखाओं का यांत्रिक निरीक्षक . . .	5
7. क्षेत्रीय स्कूल में सहायक स्टेशन मास्टर के कर्त्तव्य सीखने के लिये (द्वितीय दौर) .	4
8. यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन तथा ट्रेन परीक्षक के रूप में कार्य करते हुए . . .	13
9. सहायक लोको फोरमैन के रूप में कार्य करते हुए	1
10. सहायक नियंत्रक . .	4
11. उप सहायक नियंत्रक, विद्युत नियंत्रक का प्रशिक्षण	6
12. बड़ौदा स्टाफ कालिज (द्वितीय दौर) .	6

13. पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण

(क) आसन सोल डिवीजन

(i) कोल पाइलट कार्य करते हुए 1.5 सप्ताह (ii) अन्दाल और आसनसोल यार्ड कम्पलेक्स का कार्य—इसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी शामिल है।	2.5

(ख) धनबाद डिवीजन

(i) कोयला आवंटन की कार्यविधि—इसमें पेह और करनपुरा जैसे यार्डों तथा पेह और धुगदा वाशरीज तक के क्षेत्रों का दौरा करना होगा। (ii) क्षेत्रीय कोयला अधीक्षक के कार्यालय का कार्य	2
(ग) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड—साथ ही मन्दुआदीह—देहरी ओन-सन तक दौरे भी करने होंगे। . .	1

14. दक्षिण पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण

(i) चक्रधरपुर डिवीजन-बोंडामुंडा यार्ड, राउरकेला इस्पात कारखाना—इसके साथ-साथ कैपटिव माइन्स के दौरे। . .	1.5
(ii) **बिलासपुर डिवीजन** भिलाई मार्शलिंग यार्ड, भिलाई इस्पात कारखाना—तथा चीरीमीरी और महेंद्रगढ़ कोयला खानों के क्षेत्रों का दौरा . .	1.5

15. रेलवे जिनमें आवंटित किया गया—उसमें प्रशिक्षण

(क) मुख्य कार्यालय (संचालन)	4.00	8.00
(ख) मुख्य कार्यालय (वाणिज्यिक)	4.00	
विभिन्न प्रकार के परीक्षण के लिये यात्रा समय तथा अतिआवश्यक छुट्टी के लिये रखी गई समयावधि . .		2.5
कुल . . .		104.0

सप्ताह
या 24 महीने

टिप्पणी—3 से 11 तक की मदें जिनका समय 1 वर्ष होगा आसनसोल डिवीजन में होंगी।

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जाएगा, परीक्षा आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण अवधि में निश्चित समय पर ली जाएगी।

नोट—किसी परखावधि अधिकारी को, स्वतन्त्र रूप से, गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के संबंध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाए।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं:—

ग्रेड	वेतनमान
सेलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800।
ग्रेड-I अवर सचिव	रु० 900-50-1200।
अनुभाग अधिकारी ग्रेड	रु० 650-30-740-35-810-द० रो० -35-880-40-1000-द० रो० -40-1200।
सहायक ग्रेड	रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800।

सेलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल-सचिवालय आधार पर मंत्रीमण्डल (कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग) करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को,

सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे ।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे ।

16. भारतीय विदेश सेवा ब्रांच 'बी०' सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II तथा III (अनुभाग अधिकारी ग्रेड) ।

(क) भारतीय विदेश सेवा ब्रांच 'बी०' (श्रेणी II) के एकीकृत ग्रेड II तथा III की अनुरक्षण रिक्तियों की 33% रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाती हैं । इस ग्रेड का वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-इ० रो०-30-830-35-900 है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड से सीधे भर्ती किये गये अधिकारी 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा विहित की गई ट्रेनिंग तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न कर पाने अथवा विहित परीक्षायें पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा से अलग कर दिया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पद उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा उसका कार्य अथवा आचरण, सरकार की राय में, असंतोष प्रद होने पर या तो उसे सेवा से अलग किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को उतना और बढ़ाया जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(घ) इस सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किये जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त खण्ड में विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) इस सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारी सामान्यतः अनुभागाध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय/विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में नियुक्त होने पर उनका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवा पर होने पर उनका पदनाम रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिये उन्हें राजनयिक हैसियत का अताशे (अटैची) कहा जा सकता है ।

(च) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-I में इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार रु० 900-50-1250 पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(छ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I के अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ए०) के वरिष्ठ वेतनमान में, रु० 900 (छः वर्ष या कम)-50-1000-60-1600-50-1800 के वेतनमान में नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(ज) भारतीय विदेश सेवा, ब्रांच (बी०) विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है और इस सेवा में नियुक्त अधिकारी विदेश व्यापार मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्यतः अन्तरित नहीं किये जाते । किन्तु उन्हें भारत में तथा बाहर कहीं भी सेवा में जाना पड़ सकता है ।

(झ) विदेश में सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा (बी०) के अधिकारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त, समय-समय पर मंजूर की गई दरों पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो सम्बन्धित देश में निर्वाह-खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, जिस रूप में वे भारतीय विदेश सेवा (बी०) के अधिकारियों पर लागू किये गये हैं, के अनुसार रियायतें भी दी जाती हैं :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास ।

(ii) सहायता प्रदत्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) विशेष संकट काल में जैसे किसी निकटतम संबंधी की भारत में मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में, जैसा कि सरकार द्वारा परिभाषित किया गया हो, अधिकारी के सेवा काल के दौरान अधिकतम दो बार विदेश में ड्यूटी स्थल से भारत और वहाँ से वापिस ड्यूटी स्थल तक का वापसी हवाई भाड़ा ।

(iv) भारत में पढ़ रहे 8 और 21 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को छुट्टियों के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के लिये कतिपय शर्तों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाड़ा ।

(v) 5 और 18 वर्ष के बीच की आयु के अधिकतम दो बच्चों के लिये, सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई दरों पर शिक्षा भत्ता ।

(vi) सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दरों तथा विहित नियमों के अनुसार विदेश सेवा के संबंध में आऊट-फिट भत्ता । साधारण आऊट-फिट भत्ते के अतिरिक्त ऐसे देशों में पदस्था अधिकारियों को विशेष आऊट-फिट भत्ता भी मिलता है जहाँ की जलवायु असामान्य रूप से शीतल होती है ।

(vii) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को होम लीव (घर जाने की छुट्टी) भाड़ा ।

(ञ) इस सेवा के सदस्यों पर संशोधित छुट्टी नियम, 1933 समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमें कुछ संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में, पड़ोसी देशों को छोड़-

कर, अधिकारी संशोधन छुट्टी नियम के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50% तक छुट्टी का एडीशनल क्रेडिट पाने के हकदार हैं।

(ट) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रिआयतें पाने के हकदार होंगे जो बराबर के और मिलती-जुलती हैसियत के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को प्राप्य हैं।

(ठ) भारतीय विदेश सेवा (बी०) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960, यथा समय-समय पर संशोधित और उनके अधीन जारी किये गये आदेशों द्वारा शासित होंगे।

(ड) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1950, यथा समय-समय पर संशोधित तथा उनके अधीन जारी किये गये आदेशों द्वारा शासित होंगे।

17. सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी ग्रेड श्रेणी II

(क) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा में फिलहाल निम्नलिखित पाँच ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
1	2
*(1) संयुक्त निदेशक (क्लास-I)	रु० 1300-60-1600।
*(2) सीनियर सिविलियन स्टाफ आफिसर (क्लास-I)	रु० 1100-50-1400।
*(3) सिविलियन स्टाफ आफिसर (क्लास-I)	रु० 740-30-800-50-1150।

(उपर्युक्त ग्रेडों के वेतन मानों को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही संशोधित किए जाने की संभावना है)।

(4) सहायक सिविलियन स्टाफ (आफिसर क्लास-II राजपत्रित)	रु०	650-30-740-35-810 द० रो० -35-880-40-1000- द० रो० -40-1200।
(5) सहायक (क्लास-II अराजपत्रित)	रु०	425-15-500- द० रो० -15-560-20-700-द० रो० -25-800।

उपरोक्त सेवा सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तरसेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती है।

सीधी भर्ती केवल सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा सहायक ग्रेड में ही की जाती है।

(ख) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी ग्रेड पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ सकता है अथवा परीक्षाएं पास करनी पड़ सकती हैं। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न होने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जायेगा।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो सम्बन्धित अधिकारी को उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य, अथवा आचरण सरकार के विचार में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवा से निकाल दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिये बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियाँ करने का अधिकार सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाये तो वह अधिकारी उपयुक्त अनुच्छेदों में वर्णित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय के सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा अन्तः सेवा संगठनों में सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी सामान्यतः अनुभागों के प्रमुख होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या एकाधिक अनुभागों के कार्यकारी होंगे।

(च) सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के हकदार होंगे।

(छ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सेवा के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हकदार होंगे।

(ज) जहाँ तक छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, उनका नियंत्रण सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी, समय-समय पर रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लागू विनियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे।

18. सीमा-शुल्क मूल्यांकन सेवा-क्लास II

(क) मूल्यांकन ग्रेड में रु० 350-25-500-30-590-द० रो० -30-800 द० रो०-30-830-35-900 के वेतनमान में भरती की जाती है। नियुक्तियाँ दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती हैं तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है। परिवीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। उन्हें रु० 375 के ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते।

(ख) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की

अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है, अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जाएगा ।

(घ) लागू नियमों के अनुसार भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद सेवा क्लास-I (400/1250 रु०) में सहायक कलक्टर के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए मूल्य निरूपक (एप्रेजर) पात्र होंगे ।

(ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास-II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे । जहां तक उन की सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा-शुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी समान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

19. दिल्ली, और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) वेतनमान :—

ग्रेड-I (सिलेक्शन ग्रेड) रु० 900–50–1250/-

ग्रेड-II समयमान रु० 400–25–500–30–590–द० आ०–30–800–द० आ०–30–830–35–900 ।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सांविधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतनों-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

(ङ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा ।

(च) मंहगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(छ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, और अन्डमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली 1971 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

20. गोआ, दमन तथा दीयु सिविल सेवा क्लास 2

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोआ, दमन और दियु संघ राज्य के प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसमे यह प्रकट होता है कि अधिकारी सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नही रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (चयन ग्रेड) रु० 700-40-1100-50/2-1250-

ग्रेड II रु० 350-25-500-30-590-द० रो० -30-800-द० रो० -30-830-35-900 ।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले

मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जाएगा। सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

21. पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे आगे बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान	(I) ग्रेड I (चयन ग्रेड)	रु० 700-40-1100-50/2-1250।
	(II) ग्रेड II (समय वेतनमान)	रु० 350-25-500-30-590-द० रो० -30-800-30-830-35-900।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति को सेवा में न नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जाएगा। सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र न होंगे।

(घ) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

टिप्पणी :—उपर्युक्त विभिन्न सेवाओं के वेतनमानों को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्णयों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

टिप्पणी—1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इस लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका शारीरिक स्तर अपेक्षित तक का है। इन अधिनियमों का यह भी ध्येय है कि स्वास्थ्य परीक्षकों को ऐसे उम्मीदवारों को जो अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा अरोग्य घोषित न हो जाए मार्ग दर्शा सकें। तथापि, यह जानते हुए कि उम्मीदवार इन अधिनियमों में दी हुई शर्तों के अनुसार अरोग्य नहीं हैं स्वास्थ्य बोर्ड की आज्ञा होगी कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कारण सिफारिश करें जिस से वह बिना असुविधा के सेवा में भर्ती किया जा सकता है।

2. तथापि, यह भी स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार को किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा अतकनीकी" के अधीन इस प्रकार से होगा :—

(क) तकनीकी

(1) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(2) भारतीय पुलिस सेवा।

(ख) अतकनीकी

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० और ए० एस०, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा के सभी अन्य पद भारतीय रक्षा लेखा सेवा, आयकर अधिकारी (श्रेणी-I) सेवा, भारतीय डाक सेवा, सैनिक भूमि और छावनी सेवा-II और II, के तकनीकी अधिकारी।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों को आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के उपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए।

यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा ।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता ।

	कद	छाती का घेर पूरा (फैला कर)	फैलाई
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) भारतीय रेलवे	152	84	5 (पुरुषों के लिए)
यातायात सेवा	150	79	5 (स्त्रियों के लिए)
(2) भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	165	84	5 (पुरुषों के लिए)
पुलिस सेवा श्रेणी-II	150	79	5 (स्त्रियों के लिए)

"गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जातियों आदि से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी जिनकी औसत कद की लम्बाई दूसरों से छोटी होती है ।"

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दण्ड (स्टेण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे माप-दण्ड के साथ लगे रहेंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेन्टल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे-सेंटीमीटरों में नापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे (फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले । अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93.5 आदि । नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट:—अन्तिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती दो बार नापनी चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम से कम के फेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड़ आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फोर्मेशन) मिल जाएगी ।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

सेवा की श्रेणी	दूर की नजर		नजदीक की नजर	
	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
अ० भा० से, अ० पु० से तथा केन्द्रीय सेवाएं वर्ग-I और II				
(i) तकनीकी	6/6 या 6/9	6/12 6/9	जे० I	जे० II
(ii) अतकनीकी	6/9	6/12	जे० I	जे० II
भारतीय आर्डिनेन्स	6/6 अथवा	6/18	जे० I	जे० II
फैक्टरी सेवा	6/9	6/9		

(घ) (i) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित कोई अन्य सेवाओं के संबंध में (सिलिंडर मिलाकर) मायोपिया कुल—4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं हो। हाइपरमेट्रोपिया की कुल (सिलिंडर मिलाकर) 4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) आयोगिता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। व्याधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) **दृष्टि क्षेत्र**:—सभी सेवाओं के लिए सम्मुख विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड़) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि-क्षेत्र को परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) **रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस)**—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन 'ए०' की कमी होने के कारण और (2) रेटीना के शारीरिक रोक के कारण रेटीनीटिस पिगमेन्टोसा होना है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रगामान्य होना है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए०' के खाने से ठीक हो जाता है। उपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस में खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस् की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेषतया जब फंडस खराब न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण चैकित्सिक जांच के लिए यह समय नहीं है। तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर होगा कि पद से सम्बन्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली उनकी ड्यूटी जिस तरह की होगी।

कलर **विजन**—रंगों के सम्बन्ध में नजर की जांच जरूरी है।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रैडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारा (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16/	16/
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकड़ा	5 सैकड़ा

लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपर्युक्त लैटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबन्धित सेवाओं के लिए लैटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए। तथापि कलर विजन की जांच के लिए इशिहारा प्लेट और एड्रिज की हरी लालटेन दोनों का प्रयोग भारतीय रेल यातायात सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा। जहां तक अतकनीकी सेवाओं/पदों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को चिकित्सा बोर्ड को यह सूचना भेजनी होगी कि उम्मीदवार ऐसी सेवा के लिए है जिसके लिए कलर विजन की जांच आवश्यक है या नहीं।

(ज) **दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशस)** :—

(i) आंख की उस बीमारी की या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफेक्टेव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) **भेंगापन (स्क्विंट)**—तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। यह रेलवे सुरक्षा दल के उम्मीदवारों के लिए भी लागू होगा। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता के कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) किसी व्यक्ति की एक ही आंख हो अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा उप-सामान्य

दृष्टि हो, जिसका प्रायः प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति में गहराई बोध हेतु त्रिविभिन्नीय दृष्टि का अभाव होता है। इस प्रकार की दृष्टि अनेक सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य के रूप में अनुशासित कर सकता है। बशर्ते कि सामान्य आंख का

(i) दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे०—1, चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना, हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टेरिज से अधिक न हो।

(ii) दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो,

(iii) सामान्य वर्ण दृष्टि, जहां अपेक्षित हो।

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन विशिष्ट कार्य से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है।

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त मानक "तकनीकी रूप में वर्गीकृत पदों/सेवाओं के लिए उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी। सम्बद्ध मंत्रालय विभाग को चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवार "तकनीकी" पद के लिए है अथवा नहीं।

(iv) कोनटेक्ट लेंस (Contact Lenses)—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी : आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 15 फुट से प्रकाशित हों।

7. ब्लड प्रैशर :—

ब्लड प्रैशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आंकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है :—

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100+ आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रशर के आंकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रैशर को और 90 से ऊपर के जायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आगनिक बीमारी) है। ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स-रे और विद्युत् हल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त-यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल कराना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे पर कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर सामान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टैस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 m.m.Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी-हुई-सी लुप्त प्राय हो जाए, वह डायस्टालिक प्रैशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबिटीज) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूलिरआ) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अन्तिम राय

आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांच के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10 निम्नलिखित, अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए:—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं ? यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि उसके कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबन्ध रेल सेवाओं के मामले में लागू नहीं होता। चिकित्सा-परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग-दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होना।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष-बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग ऐड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
(3) सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्पेनिक मेम्बरेन में छिद्र	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिम्पेनिक मेम्बरेन छिद्र विद्यमान हो तो अस्थाई रूप में अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधरने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थाई रूप में अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों में सैन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
(4) एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कोविटी सबनार्मल श्रवण वाले कान।	(i) किसी एक कान से सामान्य रूप में सुनाई देता हो, दूसरे कान में मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य। (ii) दोनों ओर से मस्ट्रायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण-यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसिमल हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिए योग्य।
(5) बहते रहने वाले कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिए अस्थाई रूप में अयोग्य।
(6) नासा-पट की हड्डी संबंधी विसमताओं (बोमी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रसाहक /एसर्जिक दशा	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (ii) यदि लवणों सहित नासा पट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप में अयोग्य।
(7) टांसिल्स और/अथवा स्वर-यंत्र (लैरिक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा	(i) टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा—योग्य। (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप में अयोग्य।
(8) कान, नाक, गले (ई० एन० डी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम्य ट्यूमर।	(ii) हल्का ट्यूमर—अस्थाई रूप में अयोग्य। (iii) दुर्दम्य ट्यूमर—अयोग्य।

(9) ओटॉस्क्लिरोसिस	श्रवण-यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(i) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11) नेजल पोली	अस्थाई रूप में अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रेप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोसील बेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई मजात, कुरचना या रोप है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं। जिन से कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवार का सम्बन्ध है, इसके लिए ऊपर पैरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवारों की अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किए जाएंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा। दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए मंत्री मंडल (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन-फर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बन्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार को परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउन्टस् सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताएं

जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार स्थाई तौर से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए, उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम .....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं .....

"2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जातियों आदि से सम्बन्धित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए"।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमैटिज्म, अपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

(ख) दूसरी कोई भी बीमारी या दुर्घटना, के जिस कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है—

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा दें।

यदि पिता जीवित हों तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आप के कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हों तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? .....

10. कब और कहां मेडिकल का परिणाम

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

नोट:—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ..... की शारीरिक परीक्षा की।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा ....बीच का ....कम ....

पोषण : पतला .....औसत .....मोटा ....

कद (जूते उतार कर) .....वजन .....

अत्युत्तम वजन ..... कब था ? .....

वजन में कोई हाल में ही हुआ परिवर्तन .....

तापमान .....

छाती का घेर .....

(1) पूरा सांस खींचने पर .....

(2) पूरा सांस निकालने पर .....

2. त्वचा—कोई जाहिरी बीमारी .....

3 नेत्र .....

(1) कोई बीमारी .....

(2) रतौंधी .....

(3) कलर विजन का दोष .....

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) .....

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी) .....

(6) फंडस परीक्षा .....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे से चश्मे की पावर
		गोल सिलि० अक्ष
दूरी की नजर	दा० ने०	
	बा० ने०	
पास की नजर	दा० ने०	
	बा० ने०	
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०	
	बा० ने०	

4. कान : निरीक्षण ..... सुनना :

दायां कान .....बायां कान .....

5. ग्रंथियों .....थाइराइड .....

6. दांतों की हालत .....

7. श्वसन तन्त्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें ?

8. परिचरण तंत्र (सर्क्यूलेरटी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आरगनिक लीजन) ? .....

गति (रेट)

खड़े होने पर :

25 बार कुदाए जाने के बाद .....

कुदाए जाने के 2 मिनट के बाद .....

(ख) ब्लड प्रैशर .....सिस्टालिक .....

डायस्टालिक .....

.....

9. उदर (पेट) : घेर .....दांव वेदना (टैडरनेस)

हार्निया .....

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर ....तिल्ली ....

गुर्दे .....ट्यूमर .....

(ख) बवासीर के मस्से .....फिस्चुला .....

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)

कोई विलक्षणता .....

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसील वेरिकोसील आदि का कोई संकेत ।

मूत्र परीक्षा :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एल्ब्यमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) केशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है?

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक से गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9।

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ।

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I से II

(ii) क्या वह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरन्तर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।

(ग) भारतीय रेलवे यातायात सेवा (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है?

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण .....

(iii) अस्थाई रूप से अयोग्य, जिसका कारण .....

स्थान ..... अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) ..

तारीख ..... सदस्य .....

सदस्य .....

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1974

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद-पुनर्गठन

सं० एफ-24/64/68-जनस्वास्थ्य—उपर्युक्त विषय पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के 7 जनवरी, 1971 के संकल्प संख्या एफ० 24-64/68 जन-स्वास्थ्य के पैरा 1 में वर्तमान प्रविष्टि में क्रम संख्या 1 के समक्ष निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए :

"स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन उप मंत्री ..... अध्यक्ष"

2. क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित प्रविष्टि को अर्थात् "केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास और नगर विकास राज्य मंत्री—उपाध्यक्ष" हटा दिया जाए।

3. क्रम संख्या 3 से 40 की संख्या बदल कर उसे 2 से 39 कर दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारी, स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, 2 से 40 क्रम संख्या पर दिए गए परिषद के सभी सदस्यों एवं महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

श्रावण कुमार,
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1974

प्रस्ताव

सं० 35-2/73-एल० डी०-3— गोवर्धन सलाहकार परिषद् के पुनर्गठन के बारे में इस मंत्रालय के 7 मई, 1973 के इसी संख्या के प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 31-3-1976 तक की अवधि के लिए परिषद् के सदस्य के तौर पर तत्काल नियुक्त करने का निर्णय किया है :—

1. डा० गोविन्द दास, संसद सदस्य, लोक सभा

2. श्री एम० भीष्म देव, संसद सदस्य, लोक सभा

3. श्री रणवीर सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा

2. मुख्य आयुक्त, केरल के स्थान पर डेरी विकास निदेशक केरल, त्रिवेन्द्रम को परिषद के सदस्य के तौर पर नियुक्त करने का भी निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी० के० मलिक,

निदेशक

(पशु पालन तथा राज्य संपर्क)

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 फरवरी 1974

संकल्प

सं० 2-5/73-आर० पी० यू०-दिनांक 31 जुलाई, 1973 के आंशिक आशोधन में भारत सरकार की वीरराघवन, निदेशक (योजना) शिक्षा विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, के स्थान पर श्रीमती एस० डोरायस्वामी, उप शिक्षा सलाहकार (वयस्क शिक्षा), शिक्षा विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, को छोटे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण स्त्रियों के लिए प्रायोगिक औपचारिक शिक्षा परियोजना में सम्बद्ध सलाहकार समिति की एक सदस्या के रूप में नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्र० प० त्रिवेदी,

संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February 1974

No. 29-Pres./74.—The President is pleased to approve the award of "Sena Medal"/"Army Medal" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage:—

1. Lieutenant Colonel SUKHDEV KHULLAR (IC-6743), The Regiment of Artillery. (Posthumous)

On the 8th December, 1971, when the enemy started shelling the gun position of 183 Light Regiment, Lieutenant Colonel Sukhdev Khullar rushed to the gun position to inspire his men and ensure continuous fire support to our troops. While he was in the gun position, an enemy shell hit an ammunition vehicle resulting in an explosion in which a Junior Commissioned Officer was wounded. At great risk to his life, and undeterred by enemy shelling, he rushed to evacute the Junior Commissioned Officer. While doing so, another shell exploded near him as a result of which he died.

In this action, Lieutenant Colonel Sukhdev Khullar displayed courage, comradeship and devotion to duty.

2. Lieutenant Colonel ASHOK MANGALIK (IC-6161), The Regiment of Artillery.

On the 5th/6th December, 1971, Lieutenant Colonel Ashok Mangalik who was commanding a Field Regiment was given the task of providing effective fire support during an attack for the elimination of the Dera Baba Nanak Enclave. With complete disregard to his safety, he positioned himself at a place which was subjected to intense artillery, mortar and small arms fire. Later, he moved around constantly to keep in touch with the Brigade Commander for modification of fire plans to suit the changing tactical situations.

Throughout the attack, Lieutenant Colonel Ashok Mangalik displayed courage, leadership and devotion to duty.

3. Lieutenant Colonel ANIL KUMAR SINHA (IC-5961), The Regiment of Artillery.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Colonel Anil Kumar Sinha was commanding a Mountain Regiment in the Eastern Sector. He ensured effective artillery support to the troops throughout the operations. With utter disregard to his safety, he moved from one location to another to ensure coordinated artillery support. His calm and cool posture was a source of inspiration to his men.

Throughout, Lieutenant Colonel Anil Kumar Sinha displayed courage, leadership and devotion to duty.

4. Lieutenant Colonel ANIL BARAN GUHA (IC-7557). The Regiment of Artillery. (Posthumous)

On the 3rd December, 1971, a Medium Regiment deployed in the Chhamb Sector was heavily attacked by the enemy. Lieutenant Colonel Anil Baran Guha, who was commanding a Field Regiment volunteered to lead a group of the Medium Regiment to the gun position to recover the guns and reorganize the regiment. Unmindful of the heavy and accurate enemy shelling and air raids, he pressed forward and reached the Gun Area. In this process, he was hit by an enemy rocket as a result of which he died.

In this action Lieutenant Colonel Anil Baran Guha displayed courage, leadership and devotion to duty.

5. Lieutenant Colonel PATWITTAR SINGH TAKHAR (IC-5830). The Armoured Corps.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lieutenant Colonel Pawittar Singh Takhar was commanding an Armoured Regiment in the Eastern Sector. On the 7th December, 1971, his regiment established a road block so as to split the enemy forces. This action was executed with great speed and took the enemy by surprise and forced him to abandon the position. The enemy counter-attacked this position on the night of the 7th/8th December 1971 with armour and infantry. Under the inspiring leadership of Lt. Col. Takhar, the attack was repulsed and heavy casualties were inflicted on the enemy. On the 10th December, 1971 Lieutenant Colonel Pawittar Singh Takhar successfully manoeuvred the regiment in a wide outflanking move, thus entrapping a battalion group of the enemy occupying well coordinated defences and captured its complete transport, supporting artillery and tanks, besides large quantities of arms, ammunition and explosives.

Throughout, Lieutenant Colonel Pawittar Singh Takhar displayed courage, leadership and devotion to duty.

6. Major PAHLAD TORO (IC-15613). Artillery.

Major Pahlad Toro was the affiliated battery commander with an infantry battalion operating in the Shakargarh sector. On the 15th December 1971, the battalion was given the task of establishing a bridge-head across the Basantar River. The objectives were captured but the enemy reacted violently

and on the 16th and 17th December 1971, put in a fierce counter attack supported by intense artillery and tank fire. Due to the very wide frontage covered by the battalion, the two forward observation officers with the companies could not adequately cover the same. Major Pahlad Toro, though normally located with the battalion headquarters, moved to one of the forward companies inspite of heavy enemy artillery and tank fire and with complete disregard to his personal safety, provided effective artillery fire, which, along with the infantry mortars foiled all enemy attempts to re-capture the position.

In this action, Major Pahlad Toro displayed courage, initiative and devotion to duty.

7. Major VIRENDRA KUMAR BHATNAGAR (IC-8251),
63rd Cavalry.

Major Virendra Kumar Bhatnagar was commanding a Squadron of the 63rd Cavalry during the advance from Daudpur to Bhaduria in the Eastern Sector. On the 8th December 1971, while leading the advance, the squadron encountered stiff resistance from an enemy infantry company supported by tanks and artillery at Bajitpur and Bhaduria. Major Bhatnagar handled his squadron with competence and skill and on each occasion moved his troops boldly to encircle the enemy and forced him to withdraw. In the encounters, the enemy suffered heavy casualties.

Throughout, Major Virendra Kumar Bhatnagar displayed courage, leadership and devotion to duty.

8. Major RAM LAL VERMA (IC-18712),
The Rajputana Rifles.

When the defences occupied by a Battalion of the Rajputana Rifles in the Telikhali area in the Eastern Sector were subjected to repeated attacks by the enemy forces, Major Ram Lal Verma, commanding a Company, showed exemplary courage and leadership in moving about in the open from trench to trench to inspire his men to hold their ground. He also directed artillery fire with skill and accuracy and repulsed the enemy attacks.

In this action, Major Ram Lal Verma displayed courage and leadership.

9. Major GURCHARAN SINGH PREET (IC-20646),
The Sikh Light Infantry.

Major Gurcharan Singh Preet, who was commanding a mixed force, was assigned the task of exerting pressure on the enemy defences at 'Durgapur' in the Eastern Sector. Despite intense enemy fire, he inspired his men to move forward and succeeded in encircling the enemy. The enemy launched a determined counterattack, but Major Preet quickly readjusted his position and by his close presence succeeded in repulsing the attack. The enemy, completely unnerved, gave up the position and withdrew in haste.

In this action, Major Gurcharan Singh Preet displayed courage, leadership and devotion to duty.

10. Major KALLIANPUR KRISHANJI RAO (IC-14662), (*Posthumous*)
The Brigade of Guards.

Major Kallianpur Krishanji Rao was a company commander in a Battalion of The Brigade of Guards which was deployed in the Eastern Sector. While attacking the enemy he secured a foot-hold on the objective and led his men in a bayonet charge on the enemy. Fighting from bunker to bunker, with utter disregard to his safety and unmindful of his own serious wounds, he motivated and inspired his troops and the objective was captured. Major Rao later succumbed to his injuries.

In this action, Major Kallianpur Krishanji Rao displayed courage, leadership and devotion to duty.

11. Major RANJIT SINGH (IC-11504),
The Garhwal Rifles.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Major Ranjit Singh was company commander in a Battalion of Garhwal Rifles which was deployed in the Eastern Sector. He led his company's attack to capture an enemy position. Realising that any move forward frontally was dangerous, Major Ranjit Singh moved his company to the flank and charged the enemy position. With utter disregard to his safety, he led his company fighting from bunker to bunker. He personally charged and destroyed the enemy machine gun which was inflicting casualties and had halted the attack of his company and was thus instrumental in the capture of the objective.

In this action, Major Ranjit Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

12. Major ASHOK RAJ KOCHHAR (SS-19750),
The Brigade of Guards.

On the night of 5th/6th December, 1971 Major Ashok Raj Kochhar who was commanding a company of a Battalion of the Brigade of Guards was assigned the task of attacking a well defended enemy post in the Western Sector. During the attack, intense and accurate enemy medium machine gun fire slowed down the momentum of the assault. Major Kochhar changed the direction of the company's assault, completely surprising the enemy who fled from the position in confusion leaving behind large quantities of arms, ammunition and equipment.

In this action, Major Ashok Raj Kochhar displayed courage, leadership and devotion to duty.

13. Major SHER SINGH GREWAL (IC-14009),
The Punjab Regiment.

On the night of the 10th December 1971, Major Sher Singh Grewal was commanding a company of a Battalion of the Punjab Regiment which was assigned the task of attacking an enemy position in the Poonch Sector. Unmindful of the effective enemy fire and inspite of his own injury sustained during the action, he led his men with great determination and captured the objective.

In this action, Major Sher Singh Grewal displayed courage, determination, leadership and devotion to duty.

14. Major NARAIN SINGH KOAK (IC-14488),
The Sikh Regiment.

On the 3rd December 1971, the enemy launched a company attack on a border post in the Amritsar Sector which was manned by an infantry platoon. Due to the shelling, the communications between the platoon and the company headquarters were disrupted. Major Narain Singh Koak promptly led a patrol of 10 men from the company headquarters to establish contact with the platoon position under intense artillery and mortar shelling. Having done so, he brought back the wounded and the equipment captured from the enemy.

In this action, Major Narain Singh Koak displayed courage, determination and devotion to duty.

15. Major JAGTAR SINGH VIRK (IC-19923),
The Regiment of Artillery.

On the night of the 4th December 1971, Major Jagtar Singh Virk was the Forward Observation Officer with an Infantry company which captured Jhandi—Mall in the Western Sector. As the company was settling down on the objective, the enemy counter-attacked the position in strength, supported by heavy and effective artillery fire. With complete disregard for his safety, Major Virk moved in the open and brought down accurate fire from own artillery and was thus instrumental, in repulsing the attack.

In this action Major Jagtar Singh Virk displayed courage, determination and devotion to duty.

16. Major SHREE KUMAR NARAYAN (MR 1498),
The Army Medical Corps.

During the operations against Pakistan in December 1971 in the Rajasthan Sector, Major Shree Kumar Narayan displayed exceptional devotion to duty and professional skill. Showing boundless energy, great endurance and selfless service, he worked long hours resuscitating the wounded and undertaking life and limb saving surgery of a large number of serious casualties even under heavy enemy shelling an air attacks.

Throughout, Major Shree Kumar Narayan displayed courage, professional skill and devotion to duty.

17. Major SURESH YESHWANT REGE (IC-7306),
The Regiment of Artillery.

On the 6th December, 1971, while flying ahead of own advancing ground columns in the Shakargarh Sector, Major Suresh Yeshwant Rege spotted the advancing enemy tanks and engaged them by directing own artillery fire as a result of

which two enemy tanks were hit. Though his own aircraft was damaged, he continued to direct our artillery fire till the enemy withdrew. Later, on the 16th December 1971, while on an airborne mission, he was intercepted by enemy aircraft. Even though his aircraft was damaged, he succeeded in evading the enemy aircraft and stayed on till the mission was completed.

In this action, Major Suresh Yeshwant Rege displayed courage, professional skill and devotion to duty.

18. Major SUSHIL KUMAR SEKHRI (IC-13019), The Regiment of Artillery.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Major Sushil Kumar Sekhri was incharge of the Fire Direction Centre of an Independent Artillery Brigade. During the first four days, he continuously manned the centre for sixty hours and controlled the fire of the guns in a most effective manner. It was due to his efforts that the capture and subsequent foiling of the counterattacks on the Dera Baba Nanak position was made possible.

Throughout, Major Sushil Kumar Sekhri displayed courage, determination and devotion to duty.

19. Major CODANDA KARIAPPA KARUMBAYA (IC-11019), The Maratha Light Infantry.

On the 4th December 1971, Major Codanda Kariappa Karumbaya Second-in-Command of a Battalion of the Maratha Light Infantry was with a company which attacked an enemy position in the Eastern Sector. As the attack progressed, the enemy brought down heavy and intense machine gun fire. Major Karumbaya, with complete disregard to his safety, rushed ahead encouraging and exhorting his men to capture the objective and in the process inflicted heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Codanda Kariappa Karumbaya displayed courage, leadership and devotion to duty.

20. Major JANAK RAJ RAJPUT (IC-19272), The Rajputana Rifles.

On the 10th December 1971, Major Janak Raj Rajput was commanding a company of a Battalion of the Rajputana Rifles which was assigned the task of a capturing an enemy position in the Rajasthan Sector. The company attack was held up due to heavy enemy machine gun and mortar fire. Undeterred, Major Janak Raj Rajput rallying his men charged the objective and destroyed the enemy machine gun. His action was a source of inspiration to his command and enabled them to capture the objective.

In this action, Major Janak Raj Rajput displayed courage, leadership and devotion to duty.

21. Major NARESH SHARMA (IC-14439), The Kumaon Regiment.

On the 8th December, 1971, Major Naresh Sharma was commanding a company of a Battalion of the Kumaon Regiment during the attack on the enemy defences in an area in the Eastern Sector. Despite strong enemy resistance and seriously wounded, he exhorted and encouraged his men to press forward and capture the objective.

In this action, Major Naresh Sharma displayed courage, leadership and devotion to duty.

22. Major SUBHASH CHANDER SHARMA (IC-22672), The Rajputana Rifles.

When the enemy attacked one of our Border Out Posts in the Eastern Sector and the Officer Commanding was wounded, Major Subhash Chander Sharma rose to the occasion and inspired his men to fight back and repulse the enemy attack.

In this action, Major Subhash Chander Sharma displayed courage, leadership and devotion to duty.

23. Major OM PRAKASH KOHLI (SS-19586), The Brigade of the Guards.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Major Om Prakash Kohli who was commanding a company of a Battalion of the Brigade of the Guards, was ordered to capture an enemy post in the Eastern Sector. Attacking on a narrow frontage, over a railway line, the company was held up by heavy and effective machine gun and recoilless gun fire. Major Kohli, with complete disregard to his safety, enthused and encouraged his men, to press home the attack and captured the objective inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Om Prakesh Kohli displayed courage, determination and leadership.

24. Major KAILASH NATH (IC-8460), The Regiment of Artillery.

When the enemy launched determined attacks on a defensive position held by a Battalion of the Punjab Regiment, Major Kailash Nath who was the Battery Commander affiliated with this battalion manned the Observation Post and directing accurate and effective fire, repulsed the enemy attack. Despite heavy shelling and small arms fire, he moved from one defended locality to another, directing the fire and inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Kailash Nath displayed courage, leadership and devotion to duty.

25. Major SANTOSH CHAUHAN (IC-20402), The Kumaon Regiment.

On the 17th December, 1971, Major Santosh Chauhan was commanding a company of a Battalion of the Kumaon Regiment which had captured certain enemy positions in the Shakargarh Sector. The enemy counter-attacked this position in strength supported by intense and accurate artillery fire. Major Santosh Chauhan, undeterred by the heavy volume of fire, moved from trench to trench encouraging his men to remain steadfast and beat back the attack.

In this action, Major Santosh Chauhan displayed courage, leadership and devotion to duty.

26. Major SURENDRA KUMAR BHARDWAJ (IC-7364), The Army Ardnance Corps.

When one of the wagons of a military special train carrying a Medium Regiment to the Amritsar Area caught fire, the tractor loaded in the wagon with gun ammunition was completely burnt and the ammunition lay scattered all over the track in a highly sensitive state. Removal of the live ammunition from the track and its vicinity was imperative for the resumption of traffic. At great personal risk, Major Surendra Kumar Bhardwaj removed all the live rounds, fuzes and other components.

In this action, Major Surendra Kumar Bhardwaj showed courage, determination and devotion to duty.

27. Major TIRATH SINGH (IC-13931), *(Posthumous)* The Sikh Light Infantry.

On the night of the 11th December 1971, Major Tirath Singh was commanding a company of a Battalion of the Sikh Light Infantry which captured Dussi Bund Junction in the Western Sector. The enemy launched two counter attacks but these were beaten back under the inspiring leadership of Major Tirath Singh. The third counter attack launched by the enemy in strength was also repulsed but in the process Major Tirath Singh was mortally wounded and died on the spot.

Throughout, Major Tirath Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

28. Major SUSHIL KUMAR SIKKA (IC-8232), The Corps of Engineers.

On the 9th December 1971, Major Sushil Kumar Sikka was assigned the task of establishing the depth and composition of the enemy defensive minefield in Lohara-Mehlwan-Laisar Kalan area in the Western Sector. To achieve this task, he led two reconnaissance patrols on the nights of 9th and 10th December 1971. Undeterred by enemy shelling and small arms fire, he penetrated 600 yards into the minefield and brought back valuable information.

In this action, Major Sushil Kumar Sikka displayed courage, determination and devotion to duty.

29. Captain RABINDER SINGH DEOL (IC-16714), 17th Horse.

On the night of the 15th December, 1971, Capt. Rabinder Singh Deol was leading the 17th Horse's Column which was crossing the Basantar River from the bridgehead established by

the infantry. Undeterred by heavy enemy shelling, he forced his way through the minefield over-running the enemy strong point at Saraj Chak. Despite the pitch dark night, he brought his squadron to the bridgehead. In the tank battle that followed on the morning of the 16th December 1971, Captain Deol repulsed repeated counter-attacks. When his own tank was hit and started burning, he with complete disregard to his safety, and in the face of enemy fire, pulled out his driver from the burning tank and brought him to safety.

In this action, Captain Rabinder Singh Deol displayed courage leadership and devotion to duty.

30. Captain KAILASH CHANDRA SHARMA (IC-22304), Artillery.

Captain Kailash Chandra Sharma was the Ground Liaison Officer at the Air Force Station at Jaisalmer. In addition to his own duties, he carried out the duties of Air Force Intelligence Officer and Air Photo Interpreter most efficiently. He took great pains to brief the debrief the pilots. He established a good rapport with the pilots and helped them to reduce their reaction time in visualisation of the ground situations at all times.

Throughout, Captain Kailash Chandra Sharma displayed professional skill and devotion to duty.

31. Captain BABU KHAN (SS 20071) The Grenadiers.

Captain Babu Khan was detailed to reconnoitre the enemy defensive positions at Relnor in the Rajasthan Sector. He contacted the enemy forward platoon just short of Relnor, which withdrew after a brief encounter. On advancing further, the enemy brought down heavy mortar and machine gun fire, forcing his platoon to take position on a sand dune. Shortly thereafter, the enemy attacked this platoon supported by medium artillery. He inspired his troops and repulsed the attack inflicting heavy casualties. He then established a firm base and passed back information which was of immence value in the subsequent attack and capture of Relnor.

In this action, Captain Babu Khan displayed courage, leadership and devotion to duty.

32. Captain PRAVEEN KISHORE JOHRI (IC-23382) *Posthumous* The 5th Gorkha Rifles.

Captain Praveen Kishore Johri was commanding a company of a Batalion of the 5th Gorkha Rifles during the attack on the enemy defences at 'Atgram' in the Eastern Sector. The assault was held up due to intense artillery and small arms fire. Though hit in the stomach by a machine gun burst, he with complete disregard for his own safety and unmindful of his wounds, led the attack and encouraged his men to follow him. He personally charged and destroyed one enemy bunker, killing its three occupants. After capturing the objective, he succumbed to his injuries.

In this action Captain Praveen Kishore Johri displayed courage, determiantion and leadership.

33. Captain SAPRU MATHEWS (IC-18664) Artillery

On the 16th December 1971, Captain Sapru Mathews, along with another officer was returning from an air borne mission in the Western Sector, when his aircraft was fired upon by enemy machine guns, seriously wounding the other officer who was piloting the aircraft and puncturing the petrol tank. Captain Mathews, showing great presence of mind, took over the controls and skillfully force-landed the aircraft in nearby river bed. Despite heavy shelling and small arms fire, he removed the injured officer to a safe place, about a hundred yards distance and then rushed fo rhelp for his comrade.

In this action, Captain Sapru Mathews displayed courage, professional skill and devotion to duty.

34. Captain ANNAVARAPU LAXMINARASHIMHA SHARMA (MR 2612) The Army Medical Corps.

When the enemy launched an attack on one of our Border ports in the Eastern Sector inflicting heavy casualties Captain Annavarapu Laxminarashimha Sharma worked untiringly attending to the casualties under adverse conditions. On learning that there were two serious casualties in the forward companies who could not be evacuated due to intense shelling by the enemy he, showing utter disregard for his own safety, moved forward with his medical haversack and rendered the much needed medical aid to the casualties.

Throughout, Captain Annavarapu Laxminarashimha Sharma displayed courage and devotion to duty.

35. Captain MADAN MOHAN SHAMRAO GADAGKAR (IC-19131) Artillery

Captain Madan Mohan Shamrao Gadagkar was the forward observation officer with a company of a Battalion of the Grenadiers during their attack on "Chakra" in the Western Sector. He brought accurate and effective artillery fire on the objective during the forming up and assault across the minefield enabling the assaulting troops to reach the objective with minimum casualties. During the bitter fighting on the objective lasting over three hours, he was always with the company commander and engaged a number of targets thereby ensuring the success of the attack. When the enemy were preparing for a counter attack, he, with complete disregard for his personal safety, moved in the open under heavy enemy artillery and mortar fire, and brought down accurate artillery fire and inflicted heavy casualties on the enemy and forced him to disperse.

In this action, Captain Madan Mohan Shamrao Gadagkar displayed courage, determination and devotion to duty.

36. Captain GIRJESH PRATAP SINGH (IC-21768) The corps of Signals

On the 16th December, 1971, Captain Girjesh Pratap Singh was assigned the task of laying a telephone line over a distance of 25 kilometre upto Bari in the Western Sector. The line was laid along an operational track and was subjected to frequent air raids and continuous shelling. The line was therefore frequently cut at many places. Undeterred by the bombing and shelling, he encouraged and inspired his men who kept on working round the clock for thirty-six hours ensuring that the lines of communication were through all the time.

In this action, Captain Girjesh Pratap Singh displayed courage, determination, leadership and devotion to duty.

37. Captain VISHNU LAXMAN WADODKAR (IC-22128) Artillery

On the 8th December 1971, Captain Vishnu Laxman Wadodkar was the Forward observation officer with a company of a Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles which attacked an area in the Western Sector. The attack was virtually halted due to intense and accurate enemy fire. Captain Wadodkar moved from position and in complete disregard of his own safety neutralised enemy positions effectively. Later, he was instrumental in breaking up a counter attack by the enemy.

In this action, Captain Vishnu Laxman Wadodkar displayed courage and devotion to duty.

38. Captain YADAV MUKHERJEE (IC-21068) The Army Ordnance Corps

On the 5th December 1971, there was a fire due to enemy bombing at the Ammunition Point Akhnoor. The fire threatened other areas where large stocks of ammunition were held Captain Yadav Mukherjee undaunted by the risk to his own life, moved around the area fighting the fire for seven hours before it could be brought under control. By his tireless efforts, Captain Mukherjee prevented a major disaster.

In this action Captain Yadav Mukherjee displayed courage leadership and devotion to duty.

39. Captain RAMESH CHANDRA DABRAL (SS-22223)
Artillery

On the 11th December 1971, Captain Ramesh Chandra Dabral was assigned the task of providing air defence to our tanks which had bogged down in Kari Nadi in the Shakargarh Sector. Moving his troops at night and over difficult terrain, he deployed his guns in the area effectively and engaged the enemy aircraft when they attacked our tanks in the morning of the 12th December 1971. The accuracy of his fire was such that the enemy aircraft flew away from the area, leaving the tanks undamaged.

In this action, Captain Ramesh Chandra Dabral displayed courage, leadership and devotion to duty.

40. Captain MALKIAT SINGH DULLAT (IC-15949)
Artillery

On the 4th December 1971, Captain Malkiat Singh Dullat was assigned the task of engaging enemy tanks likely to interfere with our attack on 'Darsana' in the Eastern Sector. While flying low due to bad visibility, his aircraft was hit by Heavy Machine Gun fire. Undeterred and unmindful of the damage to his aircraft, he located the enemy tanks and engaged them effectively and thus contributed to a great extent in the completion of the mission.

In this action Captain Malkiat Singh Dullat displayed courage, professional skill and devotion to duty.

41. Captain TEK CHAND BHARDWAJ (SS-20880)
The Parachute Regiment.

On the night of the 11th December 1971, after an airborne assault by a Battalion of the Parachute Regiment on Poongli Bridge at Tangail in the Eastern Sector, Captain Tek Chand Bhardwaj who was leading a special mission was assigned the task of securing an area 10 kilometres to the North and to give advance information of enemy counter attacks. The area to be secured was held by an enemy platoon supported by Medium Machine Guns. His own force was barely a section of infantry and engineers supported by a detachment each of Medium Machine Gun and Recoilless Gun. Captain Tek Chand Bhardwaj deployed his force skilfully as a result of which the enemy abandoned the position which was occupied by Captain Tek Chand Bhardwaj. The enemy, duly reinforced attacked this position with his companies. Realising that holding out in the face of the enemy superiority was difficult, he withdrew his small force and laid an embush. The enemy following up fell into the trap and suffered heavy casualties. Thereafter, the force withdrew and rejoined the Battalion. On the night of the 15th/16th December 1971, during the advance to Dacca, Captain Bhardwaj was ordered to lead a combat team and establish contact with the enemy. While crossing a bridge the party came under intense and accurate small arms fire. He engaged the enemy from a different direction and inflicted heavy casualties on him.

In these actions, Captain Tek Chand Bhardwaj displayed, courage, determination and leadership.

42. Captain KUPPUSWAMY CHANDRASEKHAR (IC-23427)
The Madras Regiment

On the 5th December 1971, Captain Kuppuswamy Chandrasekhar was ordered to capture and hold Kalsian Khurd in the Western Sector. Despite stiff enemy opposition, he captured the objective. The enemy launched several counter-attacks but under the inspiring leadership of Captain Kuppuswamy Chandrasekhar, these were repulsed.

In this action, Captain Kuppuswamy Chandrasekhar displayed courage, leadership and devotion to duty.

43. Captain LALGUDI NARAYANASWAMY SUNDRA RAJAN (SS-19509)
Artillery

On the night of the 11th December, 1971, Captain Lalgudi Narayanaswamy Sundra Rajan was the Forward Observation Officer with a company of a Battalion of the Sikh Light Infantry during their attack on Fatehpur Post on the Western Sector. Having lost the objective, the enemy counter-attacked repeatedly in overwhelming strength supported by heavy artillery fire. Captain Rajan, unmindful of his own safety, moved from one position to another observing and directing fire on the assaulting enemy. It was largely due to his efforts that the attacks were repulsed.

In this action, Captain Lalgudi Narayanaswamy Sundra Rajan displayed courage, determination and devotion to duty.

44. Captain SHRIKANT NAGESH DHARMADHIKARI (IA-41367).
Air Defence Regiment (TA).

During the operations against Pakistan in December, 1971, Captain Shrikant Nagesh Dharmadhikari was the troop commander in an Air Defence Regiment providing air defence to Okha Port in the Rajasthan Sector. On the 5th and 9th December 1971, this port was subjected to attacks by enemy aircraft. Captain Dharmadhikari controlled and directed the fire of his troops with competence and skill and shot down two enemy aircraft.

In this action, Captain Shrikant Nagesh Dharmadhikari displayed courage, professional skill and leadership.

45. Captain PRAMOD KUMAR CHOPRA (IC-15898)
Artillery.

On the 13th December 1971, Captain Pramod Kumar Choptra was the Forward Observation officer with a company of a battalion of the Sikh Regiment during the attack on Nayachor in the Western Sector. The attack was held up due to effective and intense enemy fire. Unmindful of his own safety, Captain Pramod Kumar Chopra moved forward and occupying a vantage point which was under heavy shelling, directed own artillery fire accurately to neutralise the enemy weapons thereby enabling the company's attack to go through.

In this action, Captain Pramod Kumar Chopra displayed courage, leadership and devotion to duty.

46. Captain SHEKHAR DUTT (SS-19877)
Artillery

On the 15th December 1971, Captain Shekhar Dutt was the Forward Observation Officer with an armoured squadron during the attack at Nayachor in the Western Sector. As the attack progressed, his own tank was hit and immobilised. Captain Dutt, undeterred by the heavy shelling got out of the tank and moved to a vantage point from where he directed accurate and effective artillery fire.

In this action, Captain Shekhar Dutt displayed courage, leadership and devotion to duty.

47. Captain BHAJAN SINGH KATWAL (IC-22658)
Artillery. (*Posthumous*)

On the 17th December 1971, Captain Bhajan Singh Katwal was the Observation Post Officer with a Battalion of the Madras Regiment occupying a defensive position at Hingoro Tar in the Western Sector. At dawn, the enemy attacked this position in strength supported by artillery but the attack was repulsed. The enemy assaulted again in larger strength, overwhelming the forward defended localities. Unable to direct our artillery fire on the enemy due to proximity of own troops, Captain Bhajan Singh Katwal with a handful of men, led an assault on the attacking enemy. In the process, he was hit on the forehead as a result of which he died.

In this action, Captain Bhajan Singh Katwal displayed courage and leadership.

48. Captain BIR NATH (IC-23317)
The Sikh Light Infantry

On the 11th December 1971, four enemy sabre aircraft attacked Parche Ji Veri Railway Station in the Rajasthan Sector hitting the ammunition and other stores that had been unloaded during the night. Some ammunition caught fire and started exploding. Captain Bir Nath, who was incharge of the unloading party, with complete disregard for his own safety, rushed to isolate the undamaged ammunition boxes and stores to a safe place. While doing this, he was seriously wounded by a medium artillery shell which exploded.

In this action Captain Bir Nath, displayed courage and devotion to duty.

49. Captain EDWARD RATHNAKUMAR MUTHUMANI DEVID (MR-8498)
Army Medical Corps.

On the 8th December 1971, during the advance of a company of a Battalion of the Sikh Light Infantry on Purbat Ali feature, our troops suffered heavy casualties to intense and accurate enemy fire. Evacuation of casualties was extremely difficult due to effective enemy fire. Captain David who was the Medical Officer with this Battalion, in complete disregard to his own safety, took a jeep to a point four hundred yards short of the forward most troops got down and rushed forward despite the enemy fire and constant shelling, to render first aid. He then brought the casualties to the jeep for evacuation.

In this action, Captain Edward Rathnakumar Muthumani David displayed courage, initiative and devotion to duty.

50. Captain RANSHER SINGH RANAWAT (IC-19420)
The Brigade of Guards.

Captain Ransher Singh Ranawat was serving with a Battalion of the Brigade of Guards during an attack on a well fortified enemy position in the Eastern Sector. During the assault one of the company commanders was hit by a light machine gun burst. Noticing the bunkers from where the enemy fire was effectively interfering with the attack, Captain Ranawat, with complete disregard to his personal safety, rushed forward and neutralized the three bunkers inspite of his having receievd a bullet injury.

In this action, Captain Ransher Singh Ranawat displayed courage, leadership and devotion to duty.

51. Captain BALBIR SINGH (SS-21116)
The Punjab Regiment.

Captain Balbir Singh was commanding a company of a Battalion of the Punjab Regiment which was occupying a defensive position in the Eastern Sector. When this position was attacked by enemy infantry supported by tanks he, with complete disregard for his personal safety, moved from trench to trench under intense artillery, tank and small arms fire motivating his men and directing their fire. Under his able leadership, the company repulsed the attack and inflicted heavy casualties on the enemy.

In this action, Captain Balbir Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

52. Captain PURSHOTAM LAL BAWA (IC-20903)
The Parachute Regiment

On the 7th December 1971, Captain Purshotam Lal Bawa was incharge of a party which was ordered to raid Cachra and Virvah in the Rajasthan Sector. As his party was moving behind the enemy lines, an enemy medium machine gun opened fire inflicting heavy casualties. Captain Bawa immediately charged the machine gun post which so unnerved the enemy that he fled away. Again, on the 16th December 1971, when he realised that one of the columns was out of communication, he took his control set and moved deep into the enemy territory and stayed there for twenty-four hours to re-established contact.

Throughout Captain Purshotam Lal Bawa displayed courage, leadership and devotion to duty.

53. Captain SHRI PRAKASH MADHAV NAIK (MS-8393)
Army Medical Corps.

Captain Shri Prakash Madhav Naik was a medical officer of a Battalion of the 5th Gorkha Rifles during the attack on Sehjra in the Western Sector. He rendered immediate medical aid and arranged speedy evacuation of casualties. He performed his duties unflinchingly under heavy shelling and automatic fire. His prompt attention to the injured was a source of inspiration to the men of the battalion.

Throughout, Captain Shri Prakash Madhav Naik displayed courage and devotion to duty.

54. Captain HARBANS SINGH SANDHU (SS-22335)
Artillery.

Captain Harbans Singh Sandhu was in command of guns deployed for the defence of an important Radar Station in the Western Sector. This Radar Station was subjected to seventeen intense air attacks by the enemy both during day and night. During the attacks, Captain Sandhu moved from one gun position to another to inspire his men and ensure effective anti-aircraft fire. It was mainly due to his inspiring leadership and efforts that his men were able to repulse repeated attacks on this vital radar station and kept it fully operational.

Throughout, Captain Harbans Singh Sandhu displayed courage, leadership and devotion to duty.

55. Captain RAHUL KAR, (IC-19120)
Engineers.

Captain Rahul Kar was incharge of an engineer demolition party which was assigned the task of destroying Railway Bridge in the Eastern Sector. On the 11th December, 1971, he led his party deep into enemy locality to blow up this bridge. When he was nearing the bridge, his party came under heavy enemy fire. Undaunted, he deployed his party to engaged the enemy and taking three other sappers went to the bridge and completed his task.

In this action, Captain Rahul Kar displayed courage, leadership and devotion to duty.

56. Captain ANUP KUMAR (IC-20752)
The Brigade of the Guards

A Battalion of the Brigade of the Guards was given the task of clearing an enemy occupied post in the Eastern Sector. This was a well fortified post held in strength by the enemy, Captain Anup Kumar, commanding a company, led his troops. The company was subjected to intense small arms and artillery fire. Undaunted, he led his company in an instant assault and though seriously wounded, succeeded in silencing one of the enemy light machine guns and thereafter continued to direct and encourage his men to capture the objective. The enemy was overwhelmed by the speed and momentum of the attack and fled from the position after suffering heavy casualties.

In this action, Captain Anup Kumar displayed courage, leadership and devotion to duty.

57. Captain PUSHPINDER SINGH MANN, (SS-19825)
The Brigade of the Guards.

Captain Pushpinder Singh Mann was a Platoon Commander in a Company of a Battalion of the Brigade of the Guards during an attack on an enemy strong hold in the Eastern Sector. He led his platoon and attacked the enemy depth localities from the rear. This unbalanced the enemy who started withdrawing from the position. Captain Mann, pursued the fleeing enemy and killed the occupants of any enemy jeep who were attempting to escape. In the process, he was wounded by a sniper but undeterred he charged the sniper position and killed the enemy by a burst from his sten.

In this action, Captain Pushpinder Singh Mann displayed courage, leadership and devotion to duty.

58. Captain BRATINDRA BANERJEE, (IC-22371)
Engineers.

On the 4th December 1971, Captain Bratindra Banerjee was ordered to carry out a reconnaissance for the construction of a road in the Eastern Sector. The construction of the road was vital to the advance of our forces operating in this sector. Despite the fact that the enemy was still operating in these areas Captain Banerjee led his party with course. His party was often shot at by enemy snipers and on one occassion straffed by the enemy aircraft, but undeterred, he carried on with his task and brought back valuable information.

In this action, Captain Bratindra Banerjee displayed courage, leadership and devotion to duty.

59. Captain HITESH KUMAR MEHTA (IC-23102)
Gorkha Rifles

During the operations against Pakistan in December, 1971, Captain Hitesh Kumar Mehta was the 'Aid-de Camp' to a General Officer Commanding. In addition to his own duties he acted as a staff officer and manned the Rover Radio Set. On the 16th December 1971, he volunteered to proceed to Dacca to deliver a message to the Chief of the Pakistan Forces. While at Dacca, he volunteered to proceed along with a Pakistani Officer to deliver a message to the Indian and Pakistani Forces to stop firing as the surrender had been accepted. During this mission, he was hit by a burst from a Pakistani tank machine gun as a result of which he died.

In this action, Captain Hitesh Kumar Mehta displayed courage and devotion to duty.

60. Captain RAJENDRA RAO TAMBE (MS-8430)
Army Medical Corps

During the operations against Pakistan in December, 1971, Captain Rajendra Rao Tambe was the Regimental Medical Officer with a Battalion of the Maratha Light Infantry during their attack on the enemy fortifications in an area in the Eastern Sector. The assaulting companies came under intense artillery and Medium Machine Gun fire and suffered heavy casualties. The Regimental Aid Post was also subjected to heavy shelling. Undeterred, Captain Rajendra Rao Tambe worked tirelessly to render medical aid to the wounded. He moved forward to attend to casualties lying in the bullet swept battle field and saved many lives.

In this action, Captain Rajendra Rao Tambe displayed courage and devotion to duty.

61. Lieutenant RAYADURG RAMA MURTHY, (SS-21456)
Engineers

Lieutenant Rayadurg Rama Murthy was commanding a platoon of an Engineer Regiment which was holding a defended locality in the Eastern Sector. The enemy attacked this position at night in overwhelming strength, supported by artillery. Lieutenant Rama Murthy's platoon had to take the brunt of the attack. He encouraged his men by personal example to stand firm and steadfast. The attack was repulsed inflicting heavy casualites on the enemy.

In this action, Lieutenant Rayadurg Rama Murthy displayed courage, leadership and devotion to duty.

62. Lieutenant NARAYAN PILLAI CHANDRASEKHARAN PILLAI (IC-25031)
Engineers.

On the 7th December 1971, Lieutenant Narayan Pillai Chandrasekharan Pillai was ordered to breach a vehicle lane through an enemy minefield in the Shakargarh Sector. Working in broad day light in the face of the enemy and under heavy and accurate artillery shelling, he led his men to complete the task of breaching 750 yards deep enemy minefield.

In this action, Lieutenant Narayan Pillai Chandrasekharan Pillai displayed courage, leadership and devotion to duty.

63. Lieutenant DHARAM BIR SINGH MIAN (SS-22121)
The 5th Gorkha Rifles

On the 5th December 1971, Lieutenant Dharam Bir Singh Mian was commanding a platoon of a Batalon of the 5th Gorkha Rifles. He was given the task of capturing a well defended enemy position. Though subjected to effective enemy fire, Lieutenant Mian, by his personal example, exhorted his men and captured the position, inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Lieutenant Dharam Bir Singh Mian displayed courage, leadership and devotion to duty.

64. Lieutenant LALMANI SINGH (SS-22408)
The 8th Gorkha Rifles

Lieutenant Lalmani Singh was commanding a platoon of a comoany of a Battalion of the 8th Gorkha Rifles which was ordered to clear the enemy from a position in the Dera Baba Nanak Area. As the assault neared the objective, the enemy brought down heavy and effective fire. Lt. Lalmani Singh went ahead and silenced the enemy bunker. Then encouraging and rallying his men, he led them on to the objecitve and captured it.

In this action, Lieutenant Lalmani Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

65. Lieutenant JOE D'SOUZA (SS-22116)
Engineers

On the 14th December 1971, Lieutenant Joe D'Souza was ordered to breach an enemy minefield in an area in the Western Sector. Probing the minefield, he located a gap in the minefield, which had been blocked with scattered mines. Inspite of constant artillery and mortar shelling, Lieutenant D'Souza neutralized 53 mines, and cleared a gap during the same night.

In this action, Lieutenant Joe D'Souza displayed courage, leadership and devotion to duty.

66. Lieutenant RAKESH KUMAR SOOD (MS-8477)
Army Medical Corps

Lieutenant Rakesh Kumar Sood was the Regimental Medical Officer with a Battalion of the Dogra Regiment during the attack on the heavily fortified net-work of defences in the Dera Baba Nanak Sector. After capturing the objective, the battalion came under heavy artillery fire of the enemy. Unmindful of his safety, Lieutenant Sood moved from bunker to bunker rendering first aid to the wounded. His timely medical attention saved many lives.

In this action, Lieutenant Rakesh Kumar Sood displayed courage and devotion to duty.

67. Lieutenant SURESH RAJAN (IC-23002)
Corps of Signals.

On the 15th December 1971 the fire order line from Headquarters 54 Artillery Brigade to 70 Medium Regiment passing through the minefield lane at Tharakwal, was cut due to heavy enemy shelling. Lieutenant Suresh Rajan went out with his line party to Tharakwal and under intense shelling personally repaired the line and thus restored the communications. Throughout the operations, he repeatedly went out both during the day and at night and ensured that the communications of the Brigade were always in tact even though extending over 15 to 20 KMs. The success of the Artillery Brigade was largely due to the excellent communications that were available whenever needed.

Throughout, Lieutenant Suresh Rajan displayed courage, professional skill and devotion to duty.

68. Lieutenant KASULA PRABHAKAR REDDY (IC-23051)
Engineers.

On the 7th December, 1971, Lieutenant Kasula Prabhakar Reddy was comamnding a platoon of an Independent assault Field Company which was assigned the task of breaching an enemy mine-field in the Western Sector. As the Engineer Party set to work, the enemy brought down effective and accurate artillery fire on them. Undeterred, Lieutenant Reddy, with his party, breached the mine-field over a distance of 600 yards in a very short time.

In this action, Lieutenant Kasula Prabhakar Reddy displayed courage, leadership and devotion to duty.

69. Lieutenant DARANIKOTTA UDAY SHANKER (SS-21772)
The Madras Regiment

On the 12th December 1971, Lieutenant Daranikotta Uday Shanker was commanding a platoon of a Battalion of the Madras Regiment during an attack on an enemy post in the Western Sector. As the company was reaching the objective, it came under heavy artillery and small arms fire and the leading platoon under the command of Lieutenant Uday Shanker, suffered heavy casualties. Undeterred, and with utter disregard to his safety, he charged on to the nearest enemy bunkers with his platoon and captured his objective after a fierce fight. The enemy was completely unnerved

and fled from the position leaving behind two light machine guns, two rifles and large quantities of ammunition.

In this action, Lieutenant Daranikotta Uday Shanker displayed courage, leadership and devotion to duty.

70. Lieutenant RAMESH PRASAD SINGH (IC-24980)
Engineers

On the night of the 15th December 1971, Lieutenant Ramesh Prasad Singh was responsible for breaching the enemy mine-field on the Western Bank of the Basantar River. Due to darkness and intense enemy shelling it was not possible for the trawls making the lane to maintain direction. At this stage, Lieutenant Ramesh Prasad Singh, with complete disregard to his safety, walked in front of the trawls showing them the direction with a torch and thus ensured early breaching of the mine-field.

In this task, Lieutenant Ramesh Prasad Singh displayed courage and devotion to duty.

71. Second Lieutenant NARENDRA KUMAR VYAS (IC-23925)
Gorkha Rifles.

On the 14th December, 1971, Second Lieutenant Narendra Kumar Vyas was the mortar fire controller with a company of a Battalion of the Gorkha Rifles which, having captured Chatrana in the Western Sector, was ordered to link up with another company of the same Battalion in the same village area. He took out a patrol to contact the other company. Enroute in an encounter this patrol killed two enemy soldiers and captured two including a Pakistani company commander. As 2/Lt. Vyas was returning to his location, he found the enemy poised for a counter attack on his company position. Immediately, he directed the fire of his mortars with devastating effect to break up the enemy assault line.

In this action, Second Lieutenant Narendra Kumar Vyas displayed courage, leadership and devotion to duty.

72. Second Lieutenant DHARAM VIR REDHU (SS-23027)
The Rajputana Rifles

Second Lieutenant Dharam Vir Redhu, who was leading the commando platoon of a Battalion of the Rajputana Rifles, was assigned the task of establishing a road block behind the enemy lines, cutting of reinforcements and his routes of withdrawal in the Western Sector. He organised and executed his task with courage and inflicted heavy casualties on the enemy who attempted to escape.

In this action Second Lieutenant Dharam Vir Redhu displayed courage, leadership and devotion to duty.

73. Second Lieutenant KRISHAN KUMAR SHARMA (IC-23294) *(Posthumous)*
The Punjab Regiment

On the 5th December, 1971, Second Lieutenant Krishan Kumar Sharma was in charge of a platoon during the attack on an enemy position in the Eastern Sector. As he advanced towards the enemy, he was wounded in the arm by a burst of small arms fire. Undeterred, he personally charged and silenced a light machine gun post. In doing so, he was again hit by a burst from the light machine gun as a result of which he died.

In this action, Second Lieutenant Krishan Kumar Sharma displayed courage, determination and devotion to duty.

74. Second Lieutenant KUSHAL KUMAR CHOUDHRY (IC-24842)
The Sikh Regiment.

On the 3rd December, 1971, one company of the enemy supported by artillery and machine gun fire attacked our Border Post at Pulkanjri in the Western Sector. Second Lieutenant Kushal Kumar Choudhry was away from the post on a patrol at this time and on return found his post under attack. With commendable courage, presence of mind and complete disregard to his safety, he, with his patrol, assaulted the enemy. His bold action unnerved the enemy who withdrew after suffering heavy casualties.

In this action, Second Lieutenant Kushal Kumar Choudhry displayed courage, leadership and devotion to duty.

75. Second Lieutenant NARENDER SINGH GREWAL (IC-25109)
Engineers.

Second Lieutenant Narender Singh Grewal was serving with a Platoon of a Battalion of the J & K Rifles which was assigned the task of securing an area in the Eastern Sector. Enroute this party encountered enemy mines. When Second Lieutenant Grewal alongwith his men moved up to clear the mines, the enemy brought down accurate and heavy shelling on the area. Undeterred, Second Lieutenant Grewal moved forward and showing utter disregard to his safety, clear the mines. Moving further, the party came across the main enemy minefield. Once again, he cleared a route through the minefield, prosonally leading his party under enemy shelling.

In this action, Second Lieutenant Narender Singh Grewal displayed courage, leadership and devotion to duty.

76. Second Lieutenant HARISH CHANDER MEHROTRA (SS-23790) Engineers.

Second Lieutenant Harish Chander Mehrotra was ordered to breach a vehicle lane in an enemy minefield in the Shakargarh Sector. He was incharge of a party of six sappers grouped with a tank trawl. After the trawl lane had been made, he and his party started manual breaching of the minefield. The enemy subjected the party to artillery fire and air attacks. One of the enemy 250 pound bombs landed within 100 feet of the party but failed to explode. Undeterred by the enemy fire and the danger posed by the unexploded bomb, Second Lieutenant Mehrotra, kept his men in the job and completed the 750 yards vehicle lane in 90 minutes.

In this action Second Lieutenant Harish Chander Mehrotra displayed courage, leadership and devotion to duty.

77. Second Lieutenant PRASHANT KUMAR GUPTA (IC-25223) The Brigade of Guards.

On the 6th December, 1971, Second Lieutenant Prashant Kumar Gupta, leading his platoon destroyed three enemy tanks and foiled the enemy thrust on the infantry battalion defended area in the Chhamb Sector. Again, on the 9th December 1971, he led his platoon under intense shelling, and destroyed three tanks of the enemy standing off the Chhamb crossing.

In these actions, Second Lieutenant Prashant Kumar Gupta displayed courage, leadership and devotion to duty.

78. Second Lieutenant NAGINDER PAL SINGH (SS-23129) Engineers.

Second Lieutenant Naginder Pal Singh was ordered to reconnoitre and align a track upto the Basantar River in the Shakargarh Sector. The terrain was very rough and interspersed with nallahs and mines. The enemy brought down heavy artillery and small arms fire on the party. Undeterred, he carried on with the work and ensured the completion of the task well in time and thus enabled a speedy build up into the Bridge Head.

In this action, Second Lieutenant Naginder Pal Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

79. Second Lieutenant GOVIND RAYA GAONKAR (SS-23956) Artillery.

Second Lieutenant Govind Raya Gaonkar was the Observation Post Officer with a force which was assigned the task of intercepting and inflicting casualties on the enemy moving in and out of his defences in the Eastern Sector. Directing effective fire, he caused approximately 31 casualties to the enemy. Later, his position was attacked in overwhelming strength by the enemy, supported by artillery, but he foiled all the enemy attempts to capture the position.

Throughout Second Lieutenant Govind Raya Gaonkar displayed courage, professional skill and devotion to duty.

80. Second Lieutenant TEJINDER SINGH SANDHU (SS-23438) Engineers.

On the 8th December 1971, Second Lieutenant Tejinder Singh Sandhu who was commanding a platoon of an Engineer Regiment was assigned the task of constructing a track 6 kilometres long from the road head to the Bridge site at Jamalpur in the Eastern Sector. Working tirelessly for 36 hours, he ensured construction of this track over very difficult terrain which enabled a sizeable force to be inducted behind the enemy.

In this action, Second Lieutenant Tejinder Singh Sandhu displayed courage, leadership and devotion to duty.

81. Second Lieutenant KULDIP SINGH (SS-23867) The 1st Gorkha Rifles.

On the 9th December, 1971, Second Lieutenant Kuldip Singh who was commanding a platoon of a battalion of the 1st Gorkha Rifles was assigned the task of clearing the enemy from a village in the Western Sector. The task was successfully completed. The enemy who had withdrawn beyond a minefield, brought down heavy and effective machine gun and artillery fire on the platoon. Second Lieutenant Kuldip Singh undettered by the enemy fire, entered the minefield and accomplished the task assigned to him.

In this action, Second Lieutenant Kuldip Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

82. Second Lieutenant DEEPAK RAJ (IC-25141) The Dogra Regiment.

On the 14th December 1971 Second Lieutenant Deepak Raj, who was commanding a platoon of a Battalion of the Dogra Regiment was ordered to capture a village in the Western Sector. Unmindful of the heavy shelling and machine gun fire, he led his men and captured the village. During this process, one of his armoured personnel carriers was hit and set ablaze. He, with complete disregard for his own safety, entered the carrier and pulled out three of the wounded personnel.

In this action, Second Lieutenant Deepak Raj displayed courage, leadership and devotion to duty.

83. Second Lieutenant NARENDER SINGH AHLAWAT (IC-25103) The Grenadiers.

On the 8th December 1971, Second Lieutenant Narender Singh Ahlawat was assigned the task of destroying a medium machine gun bunker in the Shakargarh Sector. He led his patrol with courage, and captured the machine gun inflicting casualties on the enemy.

In ths action, Second Lieutenant Narender Singh Ahlawat displayed courage, leadership and devotion to duty.

84. Second Lieutenant NARSINGH BAHADUR SINGH (SS-23704)
The Kumaon Regiment.

On the 5th December 1971, Second Lieutenant Narsingh Bahadur Singh was commanding a platoon of a company of a Battalion of the Kumaon Regiment which was assigned the task of attacking on an enemy position in the Western Sector. As the attack progressed, the enemy brought down heavy machine gun and mortar fire stalling the attack. Second Lieutenant Singh, with complete disregard for his safety, rushed to the machine gun bunker and destroyed it. Seeing him, his men rallied behind him and captured the objective.

In this action Second Lieutenant Narsingh Bahadur Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

85. Second Lieutenant SURINDER SINGH (SS-23523) The Sikh Regiment.

During the operations against Pakistan in December, 1971, Second Lieutenant Surinder Singh was commanding a post in the Amritsar Sector. On the night of 5th/6th December, 1971, about 200 Pakistani troops attacked the post. The attack was repulsed with heavy loss to the enemy. However, the enemy regrouped and having shelled the post heavily, attacked again. Second Lieutenant Surinder Singh personally directed own artillery fire very accurately. This foiled the enemy's assault and the forward echelons of the enemy troops were forced to take shelter behind bushes and boulders. Taking advantage of this situation, Second Lieutenant Surinder Singh took a section out of the post and engaged the enemy from an unexpected flank with accurate rifle and machine gun fire. This sudden aggressive action took the enemy completely by surprise and forced him to withdraw leaving behind many dead and a large quantity of arms and ammunition.

In this action, Second Lieutenant Surinder Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

86. Second Lieutenant SARABJIT SINGH BRAR (IC-24677).
The Sikh Regiment.

Second Lieutenant Sarabjit Singh Brar was commanding a post in the Amritsar sector. On the night of 5th/6th December, 1971, the enemy attacked this post and an adjoining post, Darya Mansur, simultaneously. Fighting bravely, the men at the post repulsed the attack inflicting heavy casualties on the enemy. The enemy regrouped and again attacked the post supported by artillery. Second Lieutenant Brar personally directed artillery fire thereby inflicting considerable casualties on the enemy. Inspite of this, the enemy was able to penetrate into part of the wire defences as close as 30 yards. Second Lieutenant Brar promptly reinforced the threatened portion and himself took over the light machine gun and, unmindful of personal safety, accurately fired on the advancing enemy. This encouraged his troops to fight the enemy and the attack was beaten back with heavy casualties on the enemy.

In this action, Second Lieutenant Sarabjit Singh Brar displayed courage, leadership and devotion to duty.

87. Second Lieutenant RAJENDRA SINGH (SS-24284).
The Scinde Horse.

Second Lieutenant Rajendra Singh was a troop leader in an armoured regiment in the Amritsar sector. After a tank battle in the afternoon of the 10th December, 1971, the leading squadron of tanks was ordered to stay on in the captured enemy territory on axis Namakot—Nurkot. For protection of the tanks during the night, a platoon from Namakot was ordered to move to the squadron. Heavy shelling by the enemy wounded the infantry officer leading the platoon and killed a few others, resulting in a hold up in the advance of the platoon. Second Lieutenant Rajendra Singh was ordered to take the platoon to the squadron of tanks quickly. Disregarding his personal safety, he not only led the platoon to the squadron's location but also ensured prompt evacuation of the casualties. In subsequent operations also, he volunteered to evacuate casualties. He successfully took the ambulance cars through intense enemy shelling and brought the casualties back from the area from where the enemy had not yet been flushed out.

In these actions, Second Lieutenant Rajendra Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

88. Second Lieutenant SUDHIR KUMAR BEDI (IC-25436).
The Rajput Regiment.

Second Lieutenant Sudhir Kumar Bedi was commanding a platoon of infantry in the Pachagarh area during our defensive operations in the Eastern Sector. While clearing an enemy locality, Second Lieutenant Sudhir Kumar Bedi and his platoon come under heavy and accurate machine gun fire. Though he was seriously wounded, he led his platoon through the stiff opposition and captured the objective.

In this action Second Lieutenant Sudhir Kumar Bedi displayed courage and devotion to duty.

89. Second Lieutenant JOHN ZAMA (SS-23881).
The Assam Regiment.

On the 16th December, 1971 Second Lieutenant John Zama was in command of a platoon defended locality in the Western Sector. The enemy attacked this locality in overwhelming strength supported by tanks and artillery fire. Undaunted, he moved from trench to trench encouraging his men and at the same time directed own mortar and artillery fire thus breaking up and beating back two enemy attacks.

In this action, Second Lieutenant John Zama displayed courage, leadership and devotion to duty.

90. Second Lieutenant YESHWANT NAIDU (SS-23605)
The Maratha Light Infantry.

On the 3rd December, 1971, Second Lieutenant Yeshwant Naidu was the leading platoon commander in an attack on an enemy post as part of our defensive operations in the Dinajpur area in the Eastern Sector.

The assaulting troops came under intense and accurate machine gun fire. Second Lieutenant Yeshwant Naidu, realising that the attack was faltering, quickly rushed back to rally depth platoon and with the increased strength attacked the enemy. In this process, he was seriously wounded and fell down near the objective but continued to encourage his men to capture the objective.

In this action, Second Lieutenant Yeshwant Naidu displayed courage, initiative and leadership.

91. Second Lieutenant MANAS KUMAR BANDYOPADHAYAY (SS-23713).
The Madras Regiment.

Second Lieutenant Manas Kumar Bandyopadhayay was the leading platoon commander in a Company of a Battalion of the Madras Regiment which was ordered to capture a bridge over a canal in the Dinajpur area as part of our defensive operations in the Eastern Sector. His platoon came under heavy small arms fire from enemy positions across the bridge. Undeterred, he rallied his troops and inspired them to charge across the bullet swept bridge. The enemy was completely unnerved and abandoned their position and our troops captured the bridge intact. Thereafter, the enemy put in three counter-attacks but they were beaten back due to the inspiring leadership of this officer.

Second Lieutenant Manas Kumar Bandyopadhayay displayed courage and leadership.

92. Second Lieutenant TEJA SINGH BEDI (IC-25065)
The Gorkha Fifles.

On the night of 12th/13th December, 1971 a Company of a Battalion of the 11th Gorkha Rifles was given the task of infiltrating through the enemy defences on the Ichamati River in the Eastern Sector. Second Lieutenant Teja Singh Bedi who was commanding a platoon, was ordered to infiltrate first and establish a firm base. He led his platoon with skill and established a firm base when discovered that he was close to the enemy battalion Headquarters position. He was then ordered to encircle the battalion Headquarters and to capture as many of the enemy as possible. He again led his platoon with courage and skill and charged the enemy position inflicting heavy casualties and captured the battalion commander and his staff.

In this action Second Lieutenant Teja Singh Bedi displayed courage, initiative and leadership.

93. Second Lieutenant RANJIT SINGH BANYAL (SS-24132).
The Punjab Regiment.

Second Lieutenant Ranjit Singh Banyal, who was commanding a platoon of a Battalion of the Punjab Regiment was given the task of clearing a Pakistani nest along the Chatalpur—Shamshernagar Road, as part of defensive operations in the Eastern Sector. He led his platoon with courage and bravery and undeterred by the enemy machine gun fire, stormed the bunkers and eliminated the enemy.

In this action, Second Lieutenant Ranjit Singh Banyal displayed courage, leadership and devotion to duty.

94. Second Lieutenant VIJAY KUMAR CHOPRA (SS-22886).
The Sikh Light Infantry.

On the 13th December, 1971 the advance of the leading company of a Battalion of the Sikh Light Infantry was held up by heavy small arms, and mortar fire from the enemy positions at 'Mirzapur' on the Tangil—Dacca Axis in the Eastern Sector. Second Lieutenant Vijay Kumar Chopra was ordered to take two sections and assault the enemy positions. Despite the effectiveness of the enemy fire, he formed up with his sections and led a spirited charge which completely unnerved the enemy and resulted in the capture of the objective.

In this action, Second Lieutenant Vijay Kumar Chopra displayed courage, determination and leadership.

95. Second Lieutenant DIGVIJAY SINGH (SS-24303).
The Rajput Regiment.

Second Lieutenant Digvijay Singh was commanding the leading platoon of a company of a Battalion of the Rajput Regiment, which was assigned the task of clearing the enemy covering the Railway Bridge over the Khushiara River in the Eastern Sector. As the platoon reached the far and of the bridge, the enemy opened up devastating small arms fire almost bringing the attack to a halt. Second Lieutenant Digvijay Singh, moved forward and personally led the charge to the nearest enemy machine gun bunker and succeeded in silencing the enemy gun. This action inspired his men to overcome the enemy opposition.

In this action, Second Lieutenant Digvijay Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

96. Second Lieutenant SUNDER SINGH (SS-23600),
The Armoured Corps.

Second Lieutenant Sunder Singh was engaged in the various offensive actions against the enemy in the Pirganj—Bogra sector during the operations against Pakistan in 1971. On the 7th December 1971 when his troop was ordered to assault an enemy position, he handled his troop with competence and ambushed an enemy convoy of vehicles causing utter confusion amongst the enemy who fled in panic after suffering heavy casualties. On the same night, when the enemy counter-attacked, Second Lieutenant Sunder Singh brought down heavy and accurate tank fire on the enemy and repulsed the attack.

On the 11th December, 1971 the troop under Second Lieutenant Sunder Singh, while assaulting an enemy position, came under intense artillery and tank fire. Undeterred, he personally led the assault to capture the objective. On the 14th December, 1971, his troop formed part of a road block, which inflicted heavy casualties on the escaping enemy and captured 15 prisoners.

Throughout these actions, Second Lieutenant Sunder Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

97. JC-34378 Subedar VICTOR SEQUERA.
The Parachute Regiment.

On the 11th December, 1971, Subedar Victor Sequera, along with 18 Paratroopers, landed in an enemy infested area after a parachute drop in the Eastern Sector. Unmindful and undeterred by enemy fire, he collected his men and assaulted the position forcing the enemy to withdraw after inflicting heavy casualties. Later he overcame two more enemy positions before establishing a link with the main force.

In this action, Subedar Victor Sequera displayed courage, leadership and devotion to duty.

98. JC-41380 Subedar MOHAN SINGH
The Kumaon Regiment.

On the 15th December, 1971, Subedar Mohan Singh was commanding a platoon which, while probing through the village Kukiyal Majhla in the Western Sector was fired upon by the enemy with small arms fire. Thereater, Subedar Mohan Singh, in a lightning and fierce attack, over-ran the enemy position and pursued the withdrawing enemy. Other enemy positions then brought down accurate fire and stopped any further move. Unable to press forward, he withdrew to the village wherein he destroyed the enemy position which had been interfering with own troops.

In this action, Subedar Mohan Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

99. JC-32525 Subedar GIAN SINGH
Corps of Signals.

Subedar Gian Singh was incharge of the Transmitter station of the Command Signal Regiment during the operations

against Pakistan in the Eastern Sector in 1971. Due to the increase in formations and units under command, additional high and medium power transmitters had to be installed and other existing ones had to be shifted into newly constructed dispersal huts, for protection against air attacks. As these dispersal huts were spread out over 70 acres of marshy land, it involved covering this entire area. Undaunted by his physical handicap on account of an artificial leg he limped to every place where any work had to be done. Under his expert and competent professional guidance, all the work was completed in record time. Thereafter, Subedar Gian Singh worked untiringly to ensure that the radio links were maintained at a high level of efficiency throughout the operations.

Throughout, Subedar Gian Singh displayed courage, and devotion to duty.

100. JC-43026 Subedar PEM SINGH BHATI

The Rajput Regiment.

Subedar Pem Singh Bhati was one of the platoon commanders of a Company during the attach on an enemy position in Dinajpur—Rangpur sector. The advance of his platoon was held up by enemy fire from a strongly fortified bunker. His efforts to reduce the bunker by a recoilless gun did not prove successful. Unmindful of personal safety, he took a light machine gun from one of his sections and rushed to the enemy bunker single handed, firing from the hip. When he was within fifteen yards of the bunker, he received a burst of fire on his face and chest. Before losing consciousness, he lobbed a 77 hand grenade into the enemy bunker, setting fire to it and destroying it.

In this action, Subedar Pem Singh Bhati displayed courage and devotion to duty.

101. JC-37184 Subedar ABHE RAM,

The Rajputana Rifles.

On the 5th December, 1971, during the battle for the capture of Kharkharia, in the Eastern Sector, Subedar Abhe Ram crawled across the bullet swept area upto an enemy Heavy Machine Gun Bunker, killing the three occupants and silencing the gun. His action saved considerable casualties to own troops and enabled the capture of the objective.

In this action, Subedar Abhe Ram displayed courage and devotion to duty.

102. JC-17110 Subedar DAWLAT RAO GOVINDRAO FADTARE, (Posthumous),

The Maratha Light-Infantry.

On the 7th December, 1971 a Company of a Battalion of the Maratha Light Infantry was ordered to capture the enemy positions astride Kantanagar Bridge on the Eastern Sector. During the attack the enemy brought to bear intense and accurate fire inflicting heavy casualties. Despite the fact that most of the men of his platoon had been killed or wounded, Subedar Dawlat Rao Govindrao Fadtare charged at the enemy and killed four of them in hand to hand fight before he himself was killed.

In this action Subedar Dawlat Rao Govindrao Fadtare displayed courage, leadership and made the supreme sacrifice in the call of duty.

103. JC-30375 Subedar JOGINDER SINGH,

The Punjab Regiment.

A company of a Battalion of the Punjab Regiment was given the task of clearing an enemy post on the Shamshernabar Maulvi Bazar axis in the Eastern Sector durinb the operations against Pakistan in 1971. Subedar Joginder Singh, who was commanding a platoon, was ordered to capture the areas east of the road. As his platoon commenced its advance, it came under enemy machine gun fire. Subedar Joginder Singh ordered his platoon to take cover and engage the enemy while he himself crawled towards the enemy bunkers and destroyed one by a grenade attack. He then crawled to the machine gun post and compelled the enemy to surrender together with their weapons.

In this action, Subedar Joginder Singh displayed courage and leadership.

104. JC-22028 Subedar KALIKA SINGH,

The Rajput Regiment.

On the 14th December, 1971, a Battalion of the Rajput Regiment was given the task of clearing the enemy from the Kola Bill area in the Eastern Sector. Subedar Kalika Singh was the Second-in-Command of the assaulting company. The assaulting infantry came under intense and accurate small arms and artillery fire and suffered heavy casualties. The company commander was injured and the attack was faltering when Subedar Kalika Singh took charge and rallying the company led the attack to capture the objective.

In this action, Subedar Kalika Singh displayed courage, initiative and leadership.

105. JC-60559 Subedar LAXMI DATT PATHAK,

The Kumaon Regiment.

On the 14th December, 1971, a company of a Battalion of the Kumaon Regiment was ordered to reinforce another Company occupying a defended locality near Mavana Mati Cantonment in the Eastern Sector. Subedar Laxmi Datt Pathak was leading a platoon which came under heavy shelling and medium machine gun fire rom enemy positions on the flank. Though seriously wounded by a burst from a machine gun, Subedar Pathak continued to lead the advance and succeeded in reinforcing the Company position well before the expected counter-attack.

In this action, Subedar Laxmi Datt Pathak displayed leadership and devotion to duty.

106. JC-36464 Subedar VISHNU JADHAV,

The Maratha Light Infantry.

On the 9th December, 1971 a Battalion of the Maratha Light Infantry was assigned the task of capturing the enemy entrenchments at South Durra and Bara Chenggram in the Hilli Sector of the Eastern Sector. During the attack on Bara Chenggram, the leading elements were pinned down by heavy enemy artillery and machine gun fire. Unmindful of his personal safety, Subedar Vishnu Jadhav, who was commanding the leading platoon, crawled towards the enemy bunkers and succeeded in silencing one of the machine guns which was inflicting heavy casualties on his troops. His action enabled the company to capture their objective.

In this action, Subedar Vishnu Jadhav displayed courage and devotion to duty.

107. JC-44886 Naib Subedar TARATHA BAHADUR GURUNG, (Posthumous),

Gorkha Rifles.

Naib Subedar Taratha Bahadur Gurung was a platoon commander of a Battalion of Gorkha Rifles. He, with complete disregard to his personal safety, led his platoon in successful attacks on two well fortified enemy posts in the Eastern Sector. By his personal example, he inspired his men to close in with the enemy and capture the objective after hand to hand fighting. In the process, he was severely wounded and later succumbed to his injuries.

Throughout, Naib Subedar Taratha Bahadur Gurung displayed courage, determinations and devotion to duty.

108. 13710291 Naib Subedar SUKHDEV SINGH,

The Jammu and Kashmir Rifles.

Naib Subedar Sukhdev Singh was commanding the leading platoon of a Battalion of Jammu and Kashmir Rifles which was ordered to capture an enemy post in the Eastern Sector. While he was crossing the river in boats, the enemy opened up with automatic weapons from well fortified and camouflaged positions. Naib Subedar Sukhdev Singh reached the other bank and immediately deployed his platoon to return fire and informed his company commander regarding the enemy position. The company commander realising the futility of crossing the river in the fact of the position ordered the platoon to come back. Naib Subedar Sukhdev Singh, with two other ranks, remained on the far bank of the river engaging the enemy, permitting his platoon to go back to the home bank in the boats. He then gave covering fire to the two men with him and when they were at a safe distance, himself swam across the river.

In this action, Naib Subedar Sukhdev Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

109. JC-54014 Naib Subedar SOHAN SINGH,
The Parachute Regiment.

Naib Subedar Sohan Singh was part of a Commando raid on Chachro in the Rajasthan Sector. During this raid while in the process of clearing a post, he was fired upon and hit in the leg. In spite of his wound, he charged into the barrack from where the fire was coming and captured the enemy alive.

In this action Naib Subedar Sohan Singh displayed courage and devotion to duty.

110. JC-45599 Naib Subedar RATI RAM,
The Regiment of Artillery.

Naib Subedar Rati Ram was in command of an Air Defence Section deployed to protect a petrol depot and the airfield at Pathankot. On many occasions enemy aircraft attempting to attack their target were unable to penetrate the anti-aircraft screen from the directions of Naib Subedar Rati Ram's section. Throughout, he with utter disregard to his own safety, carried out his duties most effectively and inspired his men.

Naib Subedar Rati Ram displayed courage, and devotion to duty.

111. JC-46535 Naib Subedar HARDIAL SINGH,
The Punab Regiment.

On the night of 6th December, 1971, Naib Subedar Hardial Singh was the mortar fire controller with a Company of a Battalion of the Punjab Regiment attacking an enemy position in the Kargil Sector. He moved well ahead with the leading elements of the assault, directing effective and accurate artillery and mortar fire, which largely contributed to the capture of the objective.

In this action, Naib Subedar Hardial Singh displayed courage and devotion to duty.

112. JC-44960 Naib Subedar UMRAO SINGH,
The Rajput Regiment.

Naib Subedar Umrao Singh was in the Commanding Officer's Party of a Battalion of Rajput Regiment. During the Battalions attack on Khinsar in the Rajasthan Sector, this party suddenly came face to face with an enemy detachment. He deployed his party to surround the enemy and thereafter led a bayonet charge annihilating the entire enemy party. His courage in the face of danger, complete disregard to his personal safety and quick reaction, destroyed the enemy completely.

In this action Naib Subedar Umrao Singh displayed initiative, courage and devotion to duty.

113. JC-57891 Naib Subedar DIN DAYAL YADAV,
Army Ordnance Corps.

On the 5th December, 1971, a large fire started at the Ammunition Point Akhnoor due to enemy bombing. The fire threatened other areas where large stocks of ammunition were stored. Naib Subedar Din Dayal Yadav fought the fire for over eight hours, at a grave risk to his own life and thus prevented a catastrophe.

In this action, Naib Subedar Din Dayal Yadav displayed courage and devotion to duty.

114. JC-45837 Naib Subedar KABAL SINGH,
The Corps of Engineers.

On the 4th December, 1971, Naib Subedar Kabal Singh was assigned the task of disposal of unexploded enemy bombs in the Pathankot Air Field. On the 7th and 8th December he was personally responsible for defusing three time bombs. He carried out these highly dangerous tasks with courage and kept the air field open for traffic.

Throughout, Naib Subedar Kabal Singh displayed courage and devotion to duty.

115. JC-55212 Naib Subedar JAGIR SINGH THINDH,
The Regiment of Artillery.

On the 11th December, 1971 Naib Subedar Jagir Singh Thindh was assigned the task of providing protection from air attacks to our tanks which had bogged down in the Karir River in the Western Sector. This task involved moving the guns at night over most difficult terrain, without adequate resources, and amidst constant shelling by the enemy artillery. In spite of these difficulties, he managed to position the guns by first light.

In this action, Naib Subedar Jagir Singh Thindh displayed courage and devotion to duty.

116. 2743028 Naib Subedar BHIKU JAGU SHIRKE,
The Maratha Light Infantry.

On the 9th December, 1971, Naib Subedar Bhiku Jagu Shirke led a patrol of a Battalion of the Maratha Light Infantry to obtain information about enemy defences in area of Jamalpur in the Eastern Sector. Leading the patrol with great skill and with complete disregard to his own safety he infiltrated inside the enemy defences, collected vital information and came back.

In this action, Naib Subedar Bhiku Jagu Shirke displayed courage and devotion to duty.

117. 2636074 Naib Subedar PHUL SINGH,
The Grenadiers.

On the night of 13th December, 1971, Naib Subedar Phul Singh, leading a patrol of a Battalion of the Grenadiers, was assigned the task of capturing an enemy soldier from the Shakargarh defences in the Western Sector. As he neared the objective, the enemy opened heavy and effective fire. Undeterred, he, in complete disregard to his personal safety, accomplished this task and also brought his patrol back to safety.

In this action, Naib Subedar Phul Singh displayed courage and devotion to duty.

118. JC-62026 Naib Subedar Kikkar Singh,
The Sikh Regiment.

On the night of 17th December, 1971, Naib Subedar Kikkar Singh who was the mortar fire controller with a company of a Battalion of the Sikh Regiment, was ordered to capture Pul Kanjri in the Western Sector. Throughout the action he directed accurate and effective mortar fire beating back the repeated counter-attacks by the enemy. When some had infiltrated and occupied two bunkers, he crawled and lobbed grenades inside the bunkers and overpowered the enemy, killing two of them.

In this action, Naib Subedar Kikkar Singh displayed courage and devotion to duty.

119. JC-58267 Naib Subedar SHIVAJI YADAV,
The Maratha Light Infantry.

On the 6th December, 1971, Naib Subedar Shivaji Yadav was with a company of a Battalion of the Maratha Light Infantry attacking Tur in the Western Sector. In the hand-to-hand fighting that ensued, he was hit on the hand by a bullet while attending to his Company Commander who was severely wounded. Unmindful of his injury and having attended to his company Commander, he pressed forward the attack inspiring and personally leading his men to capture the objective.

In this action, Naib Subedar Shivaji Yadav displayed courage, initiative and devotion to duty.

120. 1150153 Havildar (Gunner) RAM CHANDER,
Regiment of Artillery.

Havildar (Gunner) Ram Chander was incharge of a medium gun in the Eastern Sector during the operations against Pakistan in 1971. One day an enemy infiltration party opened machine gun fire at the gun position. Undaunted, Havildar (Gunner) Ram Chander engaged the enemy with his light machine gun.

In this action, Havildar (Gunner) Ram Chander displayed courage and devotion to duty.

121. 13651411 Havildar RAM PRASAN PANDEY.
The Brigade of Guards.

On the 13th December, 1971, Havildar Ram Prasan Pandey of a Battalion of the Brigade of Guards was the leading section commander of the platoon attacking a point in the Western Sector. As the attack stalled due to enemy machine gun fire, he, with complete disregard to his personal safety, rushed to the machine gun post and silenced it.

In this action which was instrumental in the capture of the objective. Havildar Ram Prasan Pandey showed courage and devotion to duty.

122. 2551333 Havildar SHANTHAIAH,
The Madras Regiment.

On the 6th December, 1971, Havildar Shanthaiah was a Platoon Havildar in a Battalion of the Madras Regiment. His platoon was assigned the task of preventing the enemy for occupying village 'Kalsiar Khurd' in the Western Sector. The enemy attacked this position in strength under cover of heavy artillery fire and succeeded in reaching the outskirts of the village. At this juncture, Havildar Shanthaiah, with complete disregard to his own safety, took a Light Machine Gun and moving to a flank outside the village fired relentlessly, breaking up the enemy assault.

In this action, Havildar Shanthaiah displayed courage, leadership and devotion to duty.

123. 1400172 Havildar MANI RAM, (*Posthumous*)
55th Engineer Regiment.

Due to the imminence of an enemy attack on our position in the Daoke area of the Western Sector, during the conflict with Pakistan in 1971, urgent mine laying was ordered on the 4th and 5th December, 1971. Havildar Mani Ram and four sappers from an Engineer Regiment were detailed to organise the Mine laying with a task force from own defending infantry unit. In utter disregard of his personal safety, Havildar Mani Ram went about organising mine laying. On the 5th December, 1971, Havildar Mani Ram and the four sappers were hit by an enemy shell, as a result of which three sappers died on the spot and he was seriously wounded. Later, he succumbed to his injuries.

In this action, Havildar Mani Ram displayed courage and devotion to duty.

124. 4435716 Havildar DARSHAN SINGH,
The Sikh Light Infantry.

Havildar Darshan Singh's platoon was deployed at Ambala Airfield during the operations against Pakistan in 1971. One day, Havildar Darshan Singh, on hearing a fire alarm is one of the blast pens, quickly rushed with 8 men towards the area of the pen. The camouflage net covering the blast pen had caught fire. He ordered a part of the party to fight the fire and with the rest of the men he climbed the pen and removed the camouflage net. The burning net got entangled with the nose of the aircraft. Disregarding danger to himself, he climbed on the aircraft and removed the net thus saving SU-16 aircraft. In the process he sustained burns.

In this action, Havildar Darshan Singh displayed courage and devotion to duty.

125. 1158746 Havildar (Gnr.) HIRA SINGH,
Regiment of Artillery.

Havildar (Gnr.) Hira Singh was commanding an air defence gun of an Air Defence Regiment deployed for the protection of a Corps Headquarters in the Western Sector. On the 7th December, 1971, three enemy MIG 19 aircraft attacked the Corps Headquarters. Havildar (Gnr.) Hira Singh, with complete disregard to his personal safety, ensured that his gun continued to fire at the aircraft during intense low level straffing, resulting in the shooting down of one enemy aircraft and preventing damage to the Corps Headquarters.

In this action, Havildar (Gnr.) Hira Singh displayed courage and devotion to duty.

126. 7027364 Havildar (Driver) (Recovery) MOHAMMAD HANIF MIA,
The Armoured Corps.

On the 6th December, 1971, Havildar (Driver) (Recovery) Mohammad Hanif Mia was involved in the recovery of two tanks in the forward defended localities in the Chhamb Sector. Unmindful of the constant shelling and small arms fire and knowing that his place of recovery had been outflanked by the enemy, he completed his task bringing the tanks to safety across the Munawar Tawi River.

In this action, Havildar Mohammad Hanif Mia displayed courage and devotion to duty.

127. 9404678 Havildar BIR BAHADUR TAMANG,
The 11th Gorkha Rifles.

On the 6th December, 1971, Havildar Bir Bahadur Tamang was the section commander of a Battalion of the 11th Gorkha Rifles for attack on Muzafarganj in the Eastern Sector. During the attack, he closed up to an enemy bunker and lobbed two hand grenades killing three of its occupants, thus facilitating the advance.

In this action, Havildar Bir Bahadur Tamang displayed courage.

128. 5736598 Havildar CHITRA BAHADUR GURUNG,
The 8th Gorkha Rifles.

Havildar Chitra Bahadur Gurung was the platoon commander of a platoon of a company of a Battalion of the 8th Gorkha Rifles in the Western Sector. During the capture of Mardana on the 5th and 6th December, 1971, and a raid on Balathor on the 16th and 17th December, 1971. Both in Dera Baba Nanak Sector, his platoon moved with lighting speed, and unnerved the enemy who fled.

In these actions, Havildar Chitra Bahadur Gurung displayed courage and leadership.

129. 2846960 Havildar GUMAN SINGH,
The Rajputana Rifles.

On the 17th December, 1971, Havildar Guman Singh was a member of the reconnaissance patrol operating deep within Pakistani territory in the Rajasthan Sector. Havildar Guman Singh was deputed by his patrol commander to find out if an enemy ambush site was occupied by the enemy. When his party was 300 to 600 yards from the ambush site, enemy opened up with automatic fire. Havildar Guman Singh immediately reported this to his patrol commander and returned enemy's fire. Later, he brought an identity disc from an enemy dead body even though he was under constant fire.

In this action, Havildar Guman Singh displayed courage and devotion to duty.

130. 2748787 Havildar MANOHAR RANE (*Posthumous*)
The Maratha Light Infantry.

Havildar Manohar Rane of a Battalion of the Maratha Light Infantry led his platoon in an attack on an enemy strong point in the Pachagarh area in the Eastern Sector. The attack was held up due to intense machine gun fire from the objective. Unmindful of his personal safety, Havildar Manohar Rane crawled upto one of the medium machine gun bunkers, lobbed a grenade inside and silenced the machine gun. As he was moving forward to the other machine gun bunker, he was hit by a machine gun burst and was killed on the spot.

In this action, Havildar Manohar Rane displayed courage and made the supreme sacrifice.

131. 1168922 Havildar MANNATHUKATTIL VADEKKECHERAYIL SUBASTIAN THOMAS,
The Regiment of Artillery.

On the 7th December, 1971, Havildar Mannathukattil Vadekkecherayil Subastian Thomas was incharge of a detachment of an Air Defence Battery. His gun was attacked by two enemy MIG-19 aircraft. Handling the gun with only reduced personnel and undeterred by the attacking aircraft, he shot down one of the aircraft in just eight rounds of ammunition.

In this action, Havildar Mannathukattil Vadekkecherayil Subastian Thomas displayed courage, devotion to duty and leadership.

132. 1148622 Havildar (Gunner) SURESH CHANDRA GOSWAMI,
Air Defence Regiment (Territorial Army).

Havildar (Gnr.) Suresh Chandra Goswami was the commander of a gun detachment, located near our border post dur-

ing the operations against Pakistan in 1971. A Pakistani gun boat approached our border post at Samshernagar, on the bank of the River Kalindi in West Bengal. Havildar Suresh Chandra Goswami alerted his men and as soon as the gun boat opened fire, he engaged it with his gun. On being hit once, the Pakistani gun boat opened up with its main guns and a heavy machine gun. Undeterred, Havildar Suresh Chandra Goswami fired a number of high explosive and armour piercing shells damaging the gun boat and killing six of its occupants. The damaged gun boat started limping back to its base, but, sinking gradually soon ran a ground.

In this action, Havildar (Gnr.) Suresh Chandra Goswami displayed courage and devotion to duty.

133. 4142336 Havildar LAXMI NARAIN,

The Kumaon Regiment.

On the 9th December, 1971, Havildar Laxmi Narain, commanding a Recoilless Gun Detatchment, was with a company of a Battalion of the Kumaon Regiment during the operations in the Rajasthan Sector. The advance of the company was held up due to intense artillery, mortar and Medium Machine Gun fire from the enemy positions. Havildar Laxmi Narain with utter disregard to his personal safety, moved his recoilless rifle detachment forward in the open, knocked out one of the jeeps with his gun, thus enabling the troops in the open to move to a more suitable and protected position.

In this action, Havildar Laxmi Narain displayed courage, leadership and devotion to duty.

134. 2555068 Havildar APPU KUTTAN, (*Posthumous*)
The Madras Regiment.

On the 17th December, 1971 Havildar Appu Kuttan was the Platoon Havildar in a company of a Battalion of the Madras Regiment holding Lalial in the Western Sector. As the enemy counter-attacked this position, his platoon commander was injured. Havildar Appu Kuttan then took over the command of the Platoon and moved from trench to trench under heavy enemy shelling and inspired and exhorted his men till the enemy attack was beaten back.

In this action Havildar Appu Kuttan displayed courage, leadership and devotion to duty.

135. 4436302 Havildar AJIT SINGH,

The Sikh Light Infantry.

During the conflict with Pakistan in 1971, while advancing along the Barmer-Naya Chor railway line on the 15th December, 1971 a Battalion of the Sikh Light Infantry was ordered to capture area 'Parche Ji Veri'. In the first phase of the attack, Havildar Ajit Singh, who was acting commander of a platoon, led his men and put the enemy to flight.. Subsequently, in the second phase of the attack, one of the companies was held up due to heavy enemy shelling and mine fields. The company, to which the platoon led by Havildar Ajit Singh belonged, was rushed in to help. During the move the forward observation officer was wounded. In utter disregard to his own safety, Havildar Ajit Singh went forward into the mine field and brought the wounded officer back.

In this action, Havildar Ajit Singh displayed courage and leadership.

136. 4539188 Havildar BHAGWAN WAGHMARE,

The Mahar Regiment.

On the 5th December, 1971 a Battalion of the Mahar Regiment was given the task of recapturing 'Thanpir' in the Poonch Sector. This advance along a narrow ridge was held up by heavy machine gun fire from a bunker. Havildar Bhagwan Waghmare, moved his machine gun detachment to a flang and engaged the enemy bunker, diverting their attention and thus making it possible for our troops to approach the enemy post. The enemy, seeing this move, fled, leaving behind large quantities of ammunition.

In this action, Havildar Bhagwan Waghmare displayed courage, initiative and devotion to duty.

137. 9135822 Lance Havildar KUNGA STANAIN.

The Ladakh Scouts.

Lance Havildar Kunga Stanain was the Mobile fire controller with the attacking force during the capture of the Chalunka Complex of defended localities in the Partapur Sector. Throughout the operation, which lasted over four days, he displayed determination and professional competence in bringing effective mortar fire on the enemy in spite of intense enemy fire, thereby making a success of the operations.

In this action, Lance Havildar Kunga Stanain displayed courage, initiative and devotion to duty.

138. 4146924 Lance Havildar DEWAN SINGH,

The Kumaon Regiment.

Lance Havildar Dewan Singh who was a section commander in a Battalion of the Kumaon Regiment during their attack on an enemy post on the Gadra Axis, in the Rajasthan Sector, led his men with determination and courage and, undeterred by the heavy volume of small arms fire and shelling, charged an enemy Medium Machine Gun post and silenced it with a grenade. His personal example inspired his men to capture the objective.

In this action, Lance Havildar Dewan Singh displayed courage and devotion to duty.

139. 2649480 Lance Havildar AFZAL ALIM WARSI,
(*Posthumous*)

The Grenadiers.

On the night of the 8th December, 1971, Lance Havildar Afzal Alim Warsi of a Battalion of the Grenadiers, led his section during the attack on the enemy post at 'Narur' in the Western Sector. Under his leadership, his section not only captured their objective but also arms and ammunition from the fleeing enemy. Later, on the night of the 14th December, 1971, his section while attacking 'Shakargarh' suffered heavy casualties. Lance Havildar Afzal Alim Warsi, unmindful of the shelling and with utter disregard to his own safety, attended to the casualties and supervised their evacuation. In this process he was hit by a shell splinter and died.

In these actions, Lance Havildar Afzal Alim Warsi displayed courage, leadership and devotion to duty.

140. 1421561 Lance Havildar PHUMAN LAL,

59th Engineer Regiment.

From the 11th to 13th December, 1971, Lance Havildar Phuman Lal was commander of a raft operating on the river Brahmaputra across Jamalpur in the Eastern sector. Realising the urgency of our build-up across the river, Havildar Phuman Lal and his party kept on rowing vehicles for about 40 hours continuously without any rest.

In these actions Lance Havildar Phuman Lal displayed devotion to duty.

141. 11088874 Lance Havildar SITA RAM,

The Regiment of Artillery.

On the 6th December, 1971, when the enemy aircraft attacked Chandigarh in a bombing raid, Lance Havildar Sita Ram who was commanding a detatchment of an Air Defence Regiment (Territorial Army) spotted the aircraft despite the darkness. Allowing it to come well within range, he ordered his gun detatchment to open fire. The enemy aircraft was hit within the first three rounds fired by his detatchment.

In this action, Lance Havildar Sita Ram displayed professional skill and devotion to duty.

142. 4142194 Lance Havildar VITTHAL SAWANT,

The Maratha Light Infantry.

On the 10th December, 1971 when ordered to clear an enemy Medium Machine Gun emplacement holding up the advance of a company of a Battalion of the Maratha Light Infantry near 'Nainakot' in the Western Sector, Lance Havildar Vitthal Sawant, along with a rocket launcher detatchment, closed up to the bunker and ordered the rocket to be fired. He then dashed up to the bunker to lob a grenade. The enemy was completely taken aback and withdrew, leaving behind large quantity of ammunition and equipment.

In this action, Lance Havildar Vitthal Sawant displayed courage, leadership and devotion to duty.

143. 2845764 Lance Havildar JASWANT SINGH RATHOR,

The Rajputana Rifles.

On the night between 14th and 15th December, 1971, Lance Havildar Jaswant Singh Rathor was a member of a "raiding

force" of a Battalion of the Rajputana Rifles which raided an enemy gun position 21 kilometers deep inside enemy territory in the Rajasthan Sector. Lance Havildar Rathor, while approaching the enemy gun position with his rocket launcher, was fired at by the enemy. Undaunted, he stalked to within 150 yards of the enemy position and destroyed two enemy field guns.

During this action, Lance Havildar Jaswant Rathor displayed courage and devotion to duty.

144. 1421552 Lance Havildar NANDA BALLABH,

57th Engineer Regiment.

During the battle of Naya Chor in the Rajasthan Sector on the night between 12th and 13th December 1971, two of our own tanks became casualties. To enable recovery of our tanks, a "safe lane" in the minefield was required. Lance Havildar Nanda Ballabh and his party completed the task during the night, despite enemy fire, and enabled the recovery of the tanks.

In this action, Lance Havildar Nanda Ballabh displayed courage and devotion to duty.

145. 1515902 Lance Havildar HARNAM SINGH,

104th Engineer Regiment.

During the operations in the Western Sector on the night between 9th and 10th December, 1971, Lance Havildar Harnam Singh was detailed as one of the members of a reconnaissance party to clear a lane through the Lellu Chak minefield, in which one of our tanks was stalled after hitting a mine. Regardless of heavy enemy artillery, tank and machine gun fire, Lance Havildar Harnam Singh along with an officer cleared a safe lane through the minefield upto the damaged tank and helped the armoured recovery vehicle to recover the tank.

In this action, Lance Havildar Harnam Singh displayed courage and devotion to duty.

145. 2840867 Lance Havildar CHHOTE SINGH,
The Rajputana Rifles.

On the 15th December, 1971, Lace Havildar Chhote Singh was commanding a section in a company of a Battalion of the Rajputana Rifles combing the Laliyal Forest for the enemy. When this company set out on its task and the enemy opened fire with a light machine gun, Lance Havildar Chhote Singh charged forward and overpowered the machine gun position. Though wounded by a splinter, he kept guard over the prisoner till his Section joined up with him.

In this action, Lance Havildar Chhote Singh displayed courage, determination and devotion to duty.

147. 6275350 Lance Havildar KAMLA PRASAD SINGH,
11th Infantry Divisional Signal Regiment.

During the operations against Pakistan in 1971, Lance Havildar Kamla Prasad Singh was incharge of the line detachment responsible for provision and maintenance of line communications to the headquarters of an Infantry Bridge in Rajasthan Sector, which were being frequently disturbed due to enemy mines, shelling, sabotage and air action. Despite danger to his life, he maintained and extended the line to the Brigade Headquarters thus providing vital communications.

Throughout, Lance Havildar Kamla Prasad Singh displayed courage and devotion to duty.

148. 1023142 Dafadar RUP SINGH, *(Posthumous)*
1st Horse.

On the 13th December, 1971 Dafadar Rup Singh was the crew commander of the tank leading a Squadron of Skinner's Horse attacking Shahbazpur in the Western Sector. Though his tank was damaged due to enemy fire, he fought on for till he was ordered back. Later on the 13th December, 1971 while crossing the Bien River, his tank which was in the lead was hit and damaged completely. He then pulled out his crew to safety and in the process was hit by enemy fire and died on the spot.

In these actions, Dafadar Rup Singh displayed courage, leadership and made the supreme sacrifice.

149. 1025140 Dafadar RAMAPPA PURUSHOTHAMA,
16 Cavalry.

On the 14th December, 1971, Dafadar Ramappa Purushothoma with a squadron of a Cavalry was attempting to cross a minefield in the area of Shakargarh, which was well covered by the fire of the enemy. Dafadar Purushothama's tank was hit. At this time the troop commander's tank was immobilised due to damage by a mine. With complete disregard to his safety, Dafadar Purushothama moved forward with his damaged tank and extracted his troop leader's tank. In the process his tank was again hit.

In this action, Dafadar Ramappa Purushothama displayed courage and devotion to duty.

150. 1028406 Dafadar WASAKHA SINGH,
The Armoured Corps.

During an assault by a Squadron of an Armoured Regiment on Pirganj in the Eastern Sector on the 7th December, 1971 the infantry was held up by the fire of an enemy Medium Machine gun. Dafadar Wasakha Singh who was the troop leader of the leading troop of the Squadron with total disregard to personal safety, dismounted from his tank and crawled to the Machine Gun Post and destroyed it with a hand grenade. He brought the enemy machine gun out of the bunker himself. Again on the 14th December, 1971, when that Squadron was moving to establish a road block South of Bogra the tank of Dafadar Wasakha Singh got knocked out and he himself was wounded. In spite of this he ordered his remaining two tanks to move forward. He refused to be evacuated and repaired the tank along with the remaining crew. He drove the tank back to the harbour himself before reporting to the regimental aid post for treatment.

In these actions, Dafadar Wasakha Singh displayed courage and devotion to duty.

151. 1025035 Dafadar KHUSHAL SINGH,
17th Horse.

On the 16th December, 1971, Dafadar Khushal Singh of the 17th Horse was in the bridge head across the Basantar River in the Western Sector. The enemy counter-attacked this position in strength with armour supported by heavy and accurate artillery fire. With complete disregard to his own safety, Dafadar Khushal Singh, having already knocked the two tanks which had hit his squadron commander's tank, rushed his tank to the side of the stricken tank and deliberately drew fire on himself thus saving his squadron commander. In this act his own tank was hit; nevertheless Dafadar Khushal Singh held his ground till the enemy attack was beaten back.

In this action, Dafadar Khushal Singh exhibited courage, comradeship and devotion to duty.

152. 1023923 Dafadar DHARAM PAL,
The Armoured Corps.

On the 6th December, 1971, Dafadar Dharam Pal was commanding a tank in the Samba area in the Western Sector. His tank was hit and damaged by an enemy recoilless gun and was then engaged by enemy artillery and air. In spite of this, Dafadar Dharam Pal continued to engage the enemy and destroyed two enemy tank destroyers.

In this action, Dafadar Dharam Pal displayed courage and devotion to duty.

153. 1023900 Dafadar RANDHIR SINGH,
The Armoured Corps.

Dafadar Randhir Singh, the commander of a tank of a Cavalry, was assigned the task of travelling through an enemy minefield in the Shakargarh Sector to enable the breakthrough by an armoured regiment. As the bridgehead had not been established across the minefield, the area was subjected to heavy artillery and mortar fire. Unmindful of the risk to his life, Dafadar Randhir Singh continued the clearance of the minefield till the lane was completed.

In this action, Dafadar Randhir Singh displayed courage and devotion to duty.

154. 1025761 Dafadar ONKAR DATT,
4th Horse.

Dafadar Onkar Datt was the commander of the tank of the leading troop of 4th Horse in the "Thakurdwara" bridge head

action in the Western Sector. When his tank was crossing the narrow gap in the bridgehead, it was engaged by an enemy tank from a flank His tank effectively engaged the tank and knocked it out in his first shot.

In this action, Dafadar Onkar Datt displayed courage and professional skill.

155. 1034880 Lance Dafadar GURDIAL SINGH,
1st Horse.

On the 9th December, 1971, when the advance of a Squadron of 1st Horse to Shahbazpur was stalled by the fire of the enemy, Lance Dafadar Gurdial Singh, who was the gunner of a tank, engaged the enemy tank and destroyed, in quick succession, two of them and hit a third one. The enemy fell back and the advance was resumed.

In this action, Lance Dafadar Gurdial Singh displayed competence, courage and devotion to duty.

156. 1027614 Lance Dafadar VIDYADHAR SINGH,
7th Cavalry.

On the 8th December, 1971, Lance Dafadar Vidyadhar Singh was with the trawl tank of a Cavalry assigned the task of clearing the enemy minefield in the Shahbazpur area in the Western Sector. In the face of heavy enemy fire, this crew carried out their task and cleared a lane. As the resistence from the enemy stiffened, Lance Dafadar Vidyadhar Singh immediately traversed the gun of his tank and knocked out one enemy recoilless gun.

In this action, Lance Dafadar Vidyadhar Singh displayed courage, determination and devotion to duty.

157. 4338377 Naik JIVAN RAM KACHARI,
The Assam Regiment.

On the 5th December, 1971, the enemy launched a massive attack on a defensive position at 'Ghogi' in the Chhamb Sector occupied by a Company of a Battalion of the Assam Regiment, and over-ran a part of the defences resulting in the capture of Naik Jivan Ram Kachari and three other sepoys. They were being taken back under escort into enemy territory. Enroute, they came under heavy shelling and finding an opportunity when the attention of the escort was diverted, succeeded in over powering the escorts and made good their escape. Naik Jivan Ram Kachari then led his men back to own territory.

In this action, Naik Jivan Ram Kachari displayed courage and leadership.

158. 2848753 Naik RISAL SINGH
The Rajputana Rifles.

Naik Risal Singh was a Section Commander of a Company of a Battalion of the Rajputana Rifles. On the 11th December, 1971, during the battle of Nayachor in the Rajasthan Sector, when this company, along with 4 tanks, were trapped in an enemy minefield and were subjected to effective and intense Medium Machine Gun fire, Naik Risal Singh charged with his Section at the enemy Medium Machine Gun post, which unnerved the enemy who withdrew in panic, leaving behind a large quantity of ammunition. His gallant action enabled his company and the tank crew to come out of the enemy minefield.

In this action, Naik Risal Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

159. 3349885 Naik SUKHDEV SINGH
The Sikh Regiment.

During the operations against Pakistan in 1971, a Battalion of the Sikh Regiment was ordered to take up a defended area in the Eastern Sector. During the preparation of the defences the enemy brought down heavy machine gun fire. Naik Sukhdev Singh, a Section Commander, himself manned the light machine gun and engaged the enemy to ensure that his section, which was completely exposed to enemy fire, dug its defences undisturbed. Shooting accurately he silenced two of the enemy machine gun pill boxes, but in the process he was seriously wounded by a burst from an enemy machine gun.

In this action, Naik Sukhdev Singh displayed devotion to duty, courage and leadership.

160. 11126163 Naik PRITAM SINGH
The Regiment of Artillery.

At dusk, on the 6th December, 1971, three enemy aircraft attacking Ambala Air Field were detected by a detachment of an Air Defence Regiment (Territorial Army) commanded by Naik Pritam Singh. These aircraft were immediately engaged with effective and accurate fire by his detachment, as a result of which one aircraft was destroyed and the other aircraft chased away.

In this action, Naik Pritam Singh displayed courage, professional skill and devotion to duty.

161. 1169968 Naik SOBAN SINGH
The Regiment of Artillery.

On the 7th December, 1971, while commanding a detachment of an Air Defence Battery deployed for the protection of a Medium Regiment Gun area, in the Western Sector, Naik Soban Singh displayed initiative and courage in directing the fire of his gun in an accurate manner resulting in the shooting down of one enemy MIG 19 aircraft.

In this action, Naik Soban Singh displayed courage and devotion to duty.

162. 1324969 Naik KRISHNA PILLAI RAMAKRISHNA PILLAI
2nd Engineer Regiment.

From the 11th to 13th December, 1971, Naik Krishna Pillai Ramakrishna Pillai was incharge of a raft operating in River Brahmaputra across Jamalpur. On the 12th December, 1971, his raft broke down. Realising the urgency of speeding up the build up across the River, Naik Pillai repaired the raft skilfully and ferried vehicles for another 16 to 18 hours.

In this action, Naik Krishna Pillai Ramakrishna Pillai displayed devotion to duty.

163. 6265946 Naik VITHAL DAS
Corps of Signals.

On the 4th December, 1971, Naik Vithal Das was the detachment commander of the line party responsible for provision and maintenance of line communications to the Tactical Headquarters of Commander of a Mountain Brigade in area Darsana in the Eastern Sector. Despite heavy shelling and small arms fire, Naik Vithal Das completed the line and thereafter restored it speedily when disrupted due to enemy shelling.

In this action, Naik Vithal Das displayed courage and devotion to duty.

164. 6867009 Naik (Driver) BIRBAL SINGH
Army Ordnance Corps

On the 5th December, 1971, a large fire was started at the Ammunition Point at Akhnoor due to enemy bombing. Naik (Driver) Birbal Singh, despite grave risk to his own life, fought the fire and prevented it from spreading to other ammunition dumps. Encouraging and inspiring his other personnel, he salvaged a large quantity of stores. Fighting the fire for over seven hours, he helped in bringing it under control.

In this action, Naik (Driver) Birbal Singh displayed courage and devotion to duty.

165. 2647089 Naik KUMA RAM
The Grenadiers.

During the operations against Pakistan in 1971, Naik Kuma Ram of a Battalion of the Grenadiers was the Second-in-Command of patrol given the task of confirming the information that the enemy had vacated one of their localities. When this patrol reached the vicinity of the locality, the enemy brought down heavy Medium Machine Gun and mortar fire, Naik Kuma Ram, along with an other rank, charged the Medium Machine Gun post which completely unnerved the enemy resulting in his surrender. In this charge when his comrade received a bullet injury, Naik Kuma Ram dragged him to safety.

In this action, Naik Kuma Ram displayed courage, leadership and devotion to duty.

166. 1216659 Naik MOOL CHAND YADAV
The Regiment of Artillery.

Naik Mool Chand Yadav was incharge of the Battery Commander's party with a Battalion of the 9th Gorkha Rifles for the attack on the Dera Baba Nanak Enclave, during the operations against Pakistan in 1971. During the attack Naik Mool Chand Yadav ensured that the line and the radio communication was through in spite of the intense artillery, automatic and tank fire. Twice the radio antena was blown off due to artillery shelling but, with complete disregard to his personal safety, he kept the communication through.

In these actions, Naik Mool Chand Yadav displayed courage and devotion to duty.

167. 13721969 Naik INDERJIT (*Posthumous*)
The Jammu and Kashmir Rifles.

During the operations against Pakistan in 1971, when the enemy attacked the battalion defended area under cover of intense artillery fire with overwhelming infantry strength subjecting a section of a battalion of the Jammu and Kashmir Rifles to heavy and relentless pressure, Naik Inderjit who was the section commander, exposing himself to danger, moved from trench to trench inspiring his men to stand fast and fight. He was hit on the chest by a shell splinter but, despite his injury, he maintained control and brought down effective fire on the enemy and succeeded in repulsing the attack with heavy losses, before himself succumbing to his injuries.

In this action, Naik Inderjit displayed courage and made the supreme sacrifice in the discharge of his duty.

168. 5436057 Naik HIMBAHADUR GURUNG
The Fifth Gorkha Rifles.

During the operations against Pakistan in 1971, Naik Himbahadur Gurung was commanding a section of an attack on Sehjra post in the Western Sector. During the assault, an enemy machine gun suddenly opened up and momentarily held up the advance of his section. Naik Gurung took prompt action to deploy his section for providing him fire support and he with complete disregard to his personal safety, crawled within few yards of the bunker and lobbed two grenades to silence the light machine gun.

In this action, Naik Himbahadur Gurung displayed courage and leadership.

169. 351537 Naik MOHABAT SINGH
The Rajputana Rifles.

During the operations against Pakistan in 1971, Naik Mohabat Singh of a Battalion of the Rajputana Rifles led his section in an attack on the enemy held position of 'Ring Contour' in the Jammu and Kashmir Sector. He set a personal example of courage and was largely responsible for the success of the operation and killing a number of the enemy personnel.

In this action Naik Mohabat Singh displayed courage and devotion to duty.

170. 3961568 Sepoy BHAGI RATH
The Dogra Regiment.

On the night of 5th/6th December, 1971, Sepoy Bhagi Rath formed part of the assaulting company of the Dogra Regiment on East End of Dera Baba Nanak bridge in the Western Sector. The assault was held up by accurate shelling and devastating fire from a Medium Machine Gun bunker. Sepoy Bhagi Rath, with total disregard to his safety, charged and silenced the Medium Machine Gun by lobbing two hand grenades thus facilitating speedy capture of the objective.

In this action, Sepoy Bhagi Rath displayed initiative, courage and devotion to duty.

171. 2755087 Sepoy NARAYAN MALUSARE
The Maratha Light Infantry.

Sepoy Narayan Malusare was the radio operator with a Company of a Battalion of the Maratha Light Infantry. During an attack in the Dinajpur sector, the company commander was wounded and lay hardly 10 yards from the enemy Medium Machine Gun post. Sepoy Narayan Malusare under grave danger stuck to his company commander and twice vainly tried to silence the machine gun with grenades. Not disheartended, Sepoy Narayan Malusare, stood his ground and succeeded in extricating his company commander under heavy fire and shelling.

In this action, Sepoy Narayan Malusare displayed commendable comradeship and courage.

172. 2962388 Sepoy PIAR SINGH
The Rajput Regiment.

Sepoy Piar Singh was in the leading section of a company which carried out a raid in the Bhurangmari sector during the operations against Pakistan in 1971. Sepoy Piar Singh crawled to an enemy bunker and having neutralised it, advanced towards a second bunker when he was hit by the enemy's Light Machine Gun fire. Though wounded and profusely bleeding, Sepoy Piar Singh courageously crawled forward and neutralised this second bunker also with a grenade. The position was then rushed and captured.

In this action, Sepoy Piar Singh displayed courage and devotion to duty.

173. 13602388 Paratrooper CHAINI RAM
The Parachute Regiment.

On the 16th December, 1971, Paratrooper Chaini Ram, runner of the officer Commanding of a Company of the Parachute Regiment accompanied his company commander to one of the platoon localities under a fierce enemy attack in the Western Sector. Enroute, they were surprised by 8 to 10 enemy soldiers. Paratrooper Chaini Ram kept his nerve and immediately threw hand grenades and subsequently charged the enemy with his company commander. In the hand to hand fight that ensued, two enemy soldiers were killed and four taken prisoners.

In this action, Paratrooper Chaini Ram displayed courage and comradeship.

174. 13666453 Guardsman RUNG LINGA
The Brigade of the Guards.

On the 15th December, 1971, Guardsman Rung Linga formed part of a company of a Battalion of the Brigade of the Guards, which was assigned the task of capturing the enemy strong-hold at 'Sabhar' in the Eastern Sector. During the assault, he showed complete disregard for his personal safety and undeterred by the heavy volume of enemy fire, he charged from bunker to bunker eliminating the enemy and physically capturing two Light Machine Guns.

In this action, Guardsman Rung Linga displayed courage and devotion to duty.

175. 1289539 Gunner DUDH NATH
The Regiment of Artillery.

Gunner Dudh Nath was the radio operator of the artillery observation post party working with a Battalion of the Madras Regiment, in the Eastern sector. On the 6th December, 1971, the enemy put in a fierce attack in the morning and one of the enemy tanks scored a direct hit on the observation post wounding gunner Dudh Nath in the chest Though profusely breeding, he unmindful of his pain, continued his task. In the meantime, the observation post Officer shifted to an alternate position some 500 yeards away and Gunner Dudh Nath not only refused to be evacuated but carried the radio set on his back and kept the communications through.

In this action, Gunner Dudh Nath displayed courage and devotion to duty.

176. G 26512 Shri PRITAM CHAND,
Mason. (*Posthumous*)
The General Reserve Engineer Force.

On the 17th December, 1971, Shri Pritam Chand, Mason of a unit of the Maintenance Task Force, was working on the road Pandgaur—Badala—Gujran in the Western Sector when the enemy aircraft attacked his party. Two of the pioneers of his gang sustained injuries due to straffing. With utter disregard to his personal safety, he moved one of them to a nearby culvert, and was in the process of evacuating the other, when he was hit by a shell splinter.

In this action, Shri Pritam Chand, Mason displayed courage and devotion to duty.

177. Shri SURINDER NATH KHANNA,
Assistant Company Commander,
The Special Frontier Force.

During the operations against Pakistan in 1971, Shri Surinder Nath Khanna of the Special Frontier Force was leading a platoon patrol near 'Rangpara' in the Eastern Sector. His patrol was taken by surprise and caught in the open, when the enemy brought down heavy machine gun fire. With exceptional presence of mind and courage, he led his platoon in an assault, completely unnerving the enemy who fled from the position. Later, when ordered to round up Mizo hostiles who had looted Boakhali Bazar, he, in a swift and bold action, carried out the task capturing one Light Machine Gun and some rifles.

Throughout, Shri Surinder Nath Khanna displayed courage, leadership and devotion to duty.

178. Shri TIRPAL SINGH, Assistant Commandant
The Border Security Force.

On the 9th December, 1971, Shri Tirpal Singh commanding a company of the Border Security Force led his men against the strong and well fortified enemy position of 'Nagarparkar' in the Kutch Sector. Exhorting and encouraging his men to press forward the attack, he captured the position inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Shri Tirpal Singh showed courage, leadership and devotion to duty.

179. Shri DEVINDER SINGH, Assistant Commandant
The Border Security Force.

Shri Devinder Singh, Assistant Commandant of the Border Security Force, was responsible for administration and Signal communication of his battalion in the Rajasthan sector, during the operations against Pakistan in 1971. The battalion operating in the Islamgarh bulge, captured two enemy posts, which posed immense administrative and signal communication problems. Shri Devinder Singh, with complete disregard to his personal safety, worked round the clock for 10 days and at one time was without food and sleep for almost 4 days. He personally supervised the line parties working in areas infested with the enemy.

Throughout this period, Shri Devinder Singh displayed determination courage and devotion to duty.

180. Shri GURMIT SINGH SIDHU,
Assistant Commandant,
The Border Security Force.

On the 7th December, 1971, Shri Gurmit Singh Sidhu was the officer incharge of patrol boat Chitrangada which was detailed to guide the Indian Naval ship Panvel and gun boats Padma and Palash to the Mongla harbour in the Eastern Sector. Having skilfully accomplished the task, he remained at Mongla whilst the other three vessels proceeded for a raid on Chalna and Khulna ports. On the 10th December, 1971, he noticed that the enemy was unloading supplies from a vessel. On his own initiative and under grave danger of retaliation, Shri Gurmit Singh Sidhu opened fire and set the enemy ship ablaze.

In this action, Shri Gurmit Singh Sidhu displayed courage and devotion to duty.

181. Shri KISHAN KUMAR SHARMA,
Assistant Commandant,
The Border Security Force.

Shri Kishan Kumar Sharma was the company commander of a Battalion of the Border Security Force located at "Biarbet" in the Kutch Sector. After an air raid on the company location on 13th December, 1971 a live rocket was found resting on the comouflage net over a vehicle. Unmindful, of the great risk to his own life, Shri Kishan Kumar Sharma removed the rocket to a safe distance where it later exploded on its own and his timely action saved the vehicle and his men. On the 14th December, 1971 the company position was bombed by Napalm and phosphorus bombs. Though the whole area was on fire Shri Kishan Kumar Sharma skilfully managed to extricate one armoured and a number of other vehicles from this area to safety.

In this action, Shri Kishan Sharma displayed courage, determination and devotion to duty.

182. Shri NARAIN SINGH CHAUHAN,
Assistant Commandant,
The Border Security Force.

Shri Narain Singh Chauhan was commanding a company of the Border Security Force and was incharge of own border out post in the Rajasthan sector. Based on accurate intelligence acquired by him and with his support, the enemy post at Ranihalon was captured. Later, he organised the defences in that area.

In this action, Shri Narain Singh Chauhan, displayed leadership, courage and devotion to duty.

183. Shri BISHRAM SINGH, Assistant Commandant
The Border Security Force.

Shri Bishram Singh was the leader of a patrol in Agardari area in the Eastern Sector. In conformity without defensive plans Shri Bishram Singh successfully located enemy defences and accounted for over 20 enemy killed and several wounded. Undeterred by heavy enemy concentrations, he carried out his task with tactical skill and courage and brought back valuable information.

In this action, Shri Bishram Singh displayed initiative courage and devotion to duty.

184. Shri K. J. THAKUR, Assistant Commandant
The Border Security Force.

Shri K. J. Thakur was the forward Observation Officer detailed to provide close artillery support for the attack of a Company of a Battalion of the Border Security Force on a border outpost in Kutch Sector on the 10th December, 1971. When the attack was held up due to heavy enemy Machine Gun fire, Shri K. J. Thakur continuously brought down accurate and devastating fire thereby silencing the enemy Machine Gun and ensuring success of the attack.

In this action, Shri K. J. Thakur, displayed courage and devotion to duty.

185. Shri YASHWANT SINGH BISHT,
Assistant Commandant,
The Border Security Force.

On the 10th December 1971, Shri Yashwant Singh Bisht of a Battalion of the Border Security Force, led a platoon on a raid on the enemy post at 'Dudgai' in the Jammu and Kashmir Sector. He commanded his force with competence and skill and, moving across rugged terrain, successfully raided the enemy post inflicting heavy casualties and brought his column back to base safely.

In this action, Shri Yashwant Singh Bisht displayed courage and leadership.

186. 660211523 Shri BABUL AL, Head Constable
The Border Security Force.

Shri Babulal, Head Constable was a section Commander of a force given the task of capturing an enemy post in the Rajasthan sector. During the advance, his section was held up by an enemy Light Machine Gun, due to which it was difficult to proceed with the assault. Shri Babulal advanced alone and attacked the Light Machine Gun post with grenades and silenced it. The post was assaulted and captured.

In this action, Shri Babulal, Head Constable displayed courage, determination and devotion to duty.

187. 66132016 Shri KUMBHA RAM, Inspector,
The Border Security Force.

Shri Kumbha Ram of the Border Security Force was attached to a Battalion of the Dogra Regiment in the Rajasthan Sector. This battalion was engaged in a series of ac-

tions at "Tamachi Wala Toba", "Ahmed Khan Ka Toba" and "Mirza Wala Toba" during the India-Pakistan conflict, 1971. Each of these actions involved a long and complicated cross country move in the desert at night. Shri Kumbha Ram volunteered and successfully acted as the leading guide for the battalion in each of the three actions.

In these actions, Inspector Kumbha Ram displayed courage and devotion to duty.

188. 66722002 Shri BARINDRA LAL SAHA, Inspector, The Border Security Force.

Shri Barindra Lal Saha was the Second-in-Command of a company of the Border Security Force which assulted a border out-post in the Dinajpur sector, as part of our defensive plans. Shri Barindra Lal Saha was with the leading troops, when 40 yards short of the objective, he received bullet injuries on both his legs. Though profusely bleeding he led the attack, despite heavy enemy fire and shelling, and captured the objective.

In this action, Inspector Barindra Lal Saha displayed courage and leadership.

189. 690100996 Shri MADAN LAL AURORA, Sub Inspector, The Border Security Force.

On the 12th December, 1971, Shri Madan Lal Aurora of the Border Security Force was assigned the task of getting behind the enemy defensive position with his platoon to block the routes of withdrawal of the enemy. He led his platoon with confidence and, though completely detached from the main forces, continuously harassed and pursued the enemy.

In this action, Sub Inspector Madan Lal Aurora displayed courage, leadership and devotion to duty.

190. 660100184 Shri BHIM SINGH, Sub Inspector, The Border Security Force.

On the 12th December, 1971, Shri Bhim Singh was the commander of the leading platoon of a Battalion of the Border Security Force which was assigned the task of capturing 'Jattalai' in the Kutch Sector. The advance was held up due to accurate enemy automatic and mortar fire. After locating the enemy fire positions, Shri Bhim Singh charged enemy positions and captured them forcing the enemy to withdraw in haste.

In this action, Sub Inspector Bhim Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

191. 660100209 Shri BHAG SINGH, Sub Inspector, The Border Security Force.

On the 12th December, 1971, after the capture of 'Jattara Border' out-post in the Kutch Sector, Shri Bhag Singh was assigned the task of exploring the area ahead of the captured position. He carried out this task with intelligence, courage and determination and effectively dominated the area upto 'Togo', thereby foiling the enemy's plans for counter-attack.

In this action, Sub Inspector Bhag Singh displayed courage, leadership and devotion to duty.

192. 6814002 Shri GOKUL DEO, Sub Inspector, The Border Security Force.

On the 4th December, 1971, Shri Gokul Deo, commanding a platoon of the Border Security Force, was ordered to raid 'Sunewala Khu' in the Western Sector. As the raid went in, the enemy resisted with heavy machine gun fire. Unmindful of his own safety, Shri Gokul Deo dashed towards the enemy encouraging and exhorting his men to attack. Seeing his personal example, his men rallied behind him inflicting heavy casualties on the enemy and causing demage to the post.

In this action, Sub Inspector Gokul Deo displayed courage, leadership and devotion to duty.

193. 66577064 Shri BALBIR SINGH, Sub Inspector, (*Posthumous*) The Border Security Force.

Shri Balbir Singh of the Border Security Force was a platoon commander at an important Border out-post in the Western Sector. The nemy encircled the post under cover of heavy artillery and automatic fire. Shri Balbir Singh, with utter disregard to his personal safety, moved from trench to trench and inspired his men to keep the enemy at bay for two hours. When the enemy finally closed in, he hurled a number of grenades inflicting heavy casualties. In the process, he was injured by a burst from a light machine gun and later succumbed to his wounds.

In this action, Sub Inspector Balbir Singh displayed courage and determination.

194. 67555070 Shri DARBARA SINGH, Head Constable, The Border Security Force.

Shri Darbara Singh, Head Constable was commanding a section of the Border Security Force at the Moel Border out-post in the Chhamb Sector. On the 3rd December, 1971, orders were issued for the Border Security Force personnel to withdraw from the Border out-post. Shri Darbara Singh, Head Constable and his section, however, volunteered to stay on and fight along side the Army personnel. During the ensuing battle this section withstood repeated enemy onslaughts and inflicted heavy casualties on the enemy. The section remained steadfast under the able leadership of Shri Darbara Singh, Head Constable and held tehir ground till they were ordered to fall back to the main positions.

In this action, Shri Darbara Singh, Head Constable, displayed courage and leadership.

195. 66700208 Shri AMARENDRA NATH MALLICK, Constable, (*Posthumous*) The Border Security Force.

Shri Amarendra Nath Mallick, Constable formed part of a company which attacked an enemy position in the Dinajpur sector on the Eastern Sector, during the operations against Pakistan in 1971. During the assaun, the company was subjected to intense shelling and machine gun fire but Shri Amarendra Nath Mallick, with total disregard to personal safety, pressed on the attack till he fell dead short of the objective. His courageous action inspired the company to fiercely and speedily press home the attack.

In this action, Shri Amarendra Nath Mallick, Constable displayed courage and devotion to duty.

196. 66276516 Shri DALBIR SINGH, Constable, The Border Security Force.

On the 3rd and 4th December, 1971, the enemy launched a number of attacks on the "Kanian Post" in the Western Sector. These attacks were launched in strength supported by heavy and accurate artillery fire. During one of the attacks, undeterred and unmindful of his personal safety, Shri Dalbir Singh, Constable came out of his bunker and engaged the enemy at point blank range inflicting heavy casuanties. He infused steadfastness, confidence and courage amongst his comrades, which contributed to a large extent in beating back the enemy attacks.

Throughout Shri Dalbir Singh, Constable displayed courage and devotion to duty.

197. 67143008 Shri PULIKOTTIL DEVASSY JOY, The Border Security Force.

Shri Pulikottil Devassy Joy of the Border Security Force was attached to a Battalion of the Rajputana Rifles during the operations in the Rajasthan Sector in 1971. He was always with the assaulting troops, despite enemy's artillery, mortar and automatic fire, in the capture of "Islamgarh" and "Bhati Khan Wala Khu" posts, which were strongly defended by the enemy.

In this action, Shri Pulikottil Devassy Joy displayed courage and devotion to duty.

A. MITRA
Secretary to the President.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

Rules

New Delhi, the 9th March 1974

No. 20/1/74-AIS(I).—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1974, for the purpose of filling vacancies in the following services are with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service published for general information :—

CATEGORY I

(i) The Indian Administrative Service and

(ii) The Indian Foreign Service.

CATEGORY II

(i) The Indian Police Service, and

(ii) The Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service Class II.

CATEGORY III

(a) *Class I Services* :

(i) The Indian P&T Accounts & Finance Service.

(ii) The Indian Audit & Accounts Service.

(iii) The Indian Customs and Central Excise Service.

(iv) The Indian Defence Accounts Service.

(v) The Indian Income-tax Service (Class I).

(vi) The Indian Ordnance Factories Service, Class I (Assistant Managers—Non-Technical).

(vii) The Indian Postal Service.

(viii) The Indian Railway Accounts Service.

(ix) The Indian Railway Traffic Service.

(x) The Military Lands and Cantonments Service, Class I.

(b) *Class II Services* :

(i) The Central Secretariat Service, Section Officers Grade, Class II.

(ii) The Indian Foreign Service, Branch 'B', Integrated Grades II and III of the General Cadre (Section Officers' Grade).

(iii) The Armed Forces Headquarters Civil Service, Assistant Civilian Staff Officers' Grade, Class II.

(iv) The Customs Appraisers' Service, Class II.

(v) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service, Class II.

(vi) The Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II.

(vii) The Pondicherry Civil Service, Class II, and

(viii) The Military Lands and Cantonments Service, Class II.

A candidate may compete in respect of any one or more of the categories of Services mentioned above (Please *see* Rule 4). He should clearly indicate in his application the Services covered by the category/categories concerned for which he wishes to be considered in the order of preference.

No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of Services covered by the category/categories for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) within 10 days of the date of announcement of final result of the examination.

A candidate who on the results of the written part of the examination, qualifies for the personality test for the Indian Administrative Service/Indian Police Service will be separately asked to communicate to the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) the order of preferences in which he would like to be considered for allotment to various States.

2. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. The combined competitive examination for recruitment to I.A.S. etc. is to be treated as comprising three separate and distinct examinations for three categories of Services, *viz.*, (i) I.A.S. and I.F.S., (ii) I.P.S. and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service, and (iii) Central Services, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service and Pondicherry Civil Service.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a migrant from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than three times at the examination for each of the three categories of Services mentioned in Rule 4 above, but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1.—If a candidate actually appears in any one or more subjects he shall be deemed to have competed at the examination for each of the categories of Services to which he is admitted by the Commission, a candidate permitted to appear under the proviso to this rule being deemed to have competed at the combined examination once.

NOTE 2.—The existing scheme of examination, the syllabi for the various subjects and the number of times for which a candidate can compete at the examination are liable to be revised for the examinations to be held after 1974.

6. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other Services, a candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

7. (a) (i) A candidate for the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and for all the remaining Services, excepting the Indian Police Service and Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service, mentioned in paragraph 1 above must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 26 years on the 1st August, 1974, *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd August, 1948 and not later than 1st August 1953.

(ii) A candidate for the Indian Police Service and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service, must have attained the age of 20 years, and must not have attained the age of 26 eyars on the 1st August, 1974 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd August, 1948 and not later than 1st August 1954.

(b) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November 1964, under the Indo-eylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide*, repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreemnt of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xiii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xiv) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel, disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released, as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

8. A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

9. A candidate who is appointed to a Service in Category I (I.A.S. or I.F.S.) on the results of an earlier examination will not be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in Col. (iii) below:

Sl. No.	Service to which appointed	Services for which eligible to compete
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service . .	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.) (ii) Central Services Class I, in Category III.
2.	Central Service Class I .	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.) (ii) I.P.S. in Category II.
3.	Central Services Class II (including Civil and Police Services in Union Territories).	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.) (ii) I. P. S. in Category II (iii) Central Services, Class I in Category III.

10. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

11. A candidate already in Government Service whether in a permanent or a temporary capacity or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee must obtain prior permission of the Head of the Department or office concerned to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution.—

(a) be debarred permanently or for a specified period:—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidate; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services at the time of his application.

Provided that a candidate who is appointed to a Service in Category I (I.A.S. or I.F.S.), on the results of an earlier examination, will not be considered for appointment to any other Service on the results of this examination

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in col. (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for appointment to Services mentioned against that Service in col. (iii) below, on the results of this examination.

Sl. No.	Service to which appointed	Service to which appointment will be considered
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.)
		(ii) Central Services Class I in Category III.
2.	Central Services Class I	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.)
		(ii) I.P.S. in Category II.
3.	Central Services Class II (including Civil and Police Services in Union Territories)	(i) Category I (I.A.S. and I.F.S.)
		(ii) I.P.S. in Category II.
		(iii) Central Services, Class I, in Category III.

20. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

21. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standard required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel and the Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

22. No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

23. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.

24. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide *Rule* 8)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The University of Sind.

UNIVERSITIES IN BANGLA DESH

The Rajshahi University.

The Dacca University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*vide* Rule 8).

1. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.

2. French Examination "Propedeutique".

3. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.

4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.

5. National Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.

6. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.

7. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student".

8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

9. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects *i.e.* varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi.

11. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidalaya, Kangri, Hardwar.

12. Bachelor of Arts (B.A.) and the Bachelor of Science (B.S.) degree awarded by the American University of Beirut Beirut, Lebanon.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises—

(A) Written examination in—

(i) three compulsory subjects (for all Services), Essay, General English, and General Knowledge, each with a maximum of 150 marks [*see* Sub-Section (a) of Section II below]

(ii) a selection from the optional subjects set out in Sub-Section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-section, candidates may take optional subjects up to a total of 600 marks for all Services except the Services under Category II (*cf.* Rule 1 and 4) for which optional subjects up to a total of 400 marks only may be taken. The standard of these papers will be approximately that of an Honours Degree Examination of an Indian University; and

(iii) a selection from the additional subjects set out in Sub-Section (c) of Section II below, Subject to the provision of that Sub-Section, candidates may take additional subjects up to total of 400 marks for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (Category I). The standard of these papers will be higher than that prescribed for the optional subjects under Sub-Section (A) (ii) above.

(b) Interview for Personality Test (*vide* Part D of the Scheduled to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission carrying maximum marks as follows :

Category I :		
Indian Foreign Service	..	400
Indian Administrative Service	..	300
Category II & III :		
All Services	..	200

SECTION II

Examination Subjects

(a) *Compulsory Subjects* (vide *Sub-Section A* (i) *of Section I above*) :—

	Maximum Marks
(1) Essay	150
(2) General English	150
(3) General Knowledge	150

NOTE.— The syllabi of the Subjects mentioned above are given in Part A of the schedule to this Appendix.

(b) *Optional Subjects* (vide *Sub-Section A* (*ii*) *of Section I above*).

Candidates for Services under Category II (cf. Rules 1 and 4) may offer any two, and for all other Services any three of the following subjects :—

	Maximum Marks
(1) Pure Mathematics	200
(2) Applied Mathematics	200
(3) Statistics	200
(4) Physics	200
(5) Chemistry	200
(6) Botany	200
(7) Zoology	200
(8) Geology	200
(9) Geography	200
(10) English Literature	200
(11) One of the following— Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu.	200
(12) One of the following— Arabic, Chinese, French, German, Pali Persian, Russian and Sanskrit	200
(13) Indian History	200
(14) British History	200
(15) European History	200
(16) World History	200
(17) General Economics	200
(18) Political Science	200
(19) Philosophy	200
(20) Psychology	200
(21) Law-I	200
(22) Law-II	200
(23) Law-III	200
(24) Applied Mechanics	200
(25) Sociology	200

Provided that the following restrictions shall apply to particular optional subjects :

(i) Of the subjects 1, 2 and 3, not more than two can be offered for any category of Services.

(ii) Candidates for Services other than the Indian Foreign Service may not offer more than one of the languages mentioned under item 12 above. For the Indian Foreign Service only, candidates are allowed to offer any two of these languages; but not candidate shall be allowed to offer both Pali and Sanskrit.

(iii) Of the History subjects 13, 14, 15 and 16 not more than two can be offered for any category of Services but no candidate shall be allowed to offer both World History and European History.

(iv) Of the subjects 19 and 20, not more than one can be offered for any category of Services.

(v) Of the Law subjects 21, 22, and 23, not more than two can be offered for any category of Services.

(vi) Subject 24 must not be offered for the Services under Category II.

NOTE.—The syllabi of the subjects mentioned above are given in Part B of the Schedule to this Appendix.

(c) *Additional subjects* [*vide* Sub-Section A (iii) of Section I above].

Candidates competing for the Indian Administrative Service/Indian Foreign Service (Category I), must also select any two of the following subjects :—

	Maximum Marks
(1) (a) Higher Pure Mathematics	200
OR	
(b) Higher Applied Mathematics	200
(2) Higher Physics	200
(3) Higher Chemistry	200
(4) Higher Botany	200
(5) Higher Zoology	200
(6) Higher Geology	200
(7) Higher Geography	200
(8) English Literature (1798-1935)	200
(9) (a) Indian History I (From Chandragupta) Maurya to Harsha)	200
OR	
(b) Indian History II (The Great Mughals (1526-1707).	200
(c) Indian History III	200
(From 1772 to 1950)	200
OR	
(d) British Constitutional History (From 1603 to 1950)	200
OR	
(e) European History (From 1871 to 1945)	200
(10)(a) Advanced Economics	200
OR	
(b) Advanced Indian Economics	200
(11)(a) Political Theory from Hobbes to the present day	200
OR	
(b) Political Organisation and Public administration	200
OR	
(c) International Relations	200
(12) (a) Advanced Metaphysics including Epistemology	200
OR	
(b) Advanced Psychology includihg Experimental Psychology	200
(13) (a) Constitutional Law of India	200
OR	
(b) Jurisprudence	200
(14) (a) Medieval Civilisation as reflected in Arabic Literature (570 A.D.—1650 A.D.)	200
OR	
(b) Medieval Civilisation as reflected in Persian Literature (570 A.D.—1650 A.D.)	200
OR	
(c) Ancient Indian Civilisation and Philosophy	200
(15) Anthropology	200
(16) Advanced Sociology	200

Provided that the following restrictions shall apply to particular additional subjects.

(1) No candidate shall be allowed to offer both Indian History 1 (9a) and Ancient Indian Civilisation and Philosophy (14c)

(2) No candidate shall be allowed to offer both European History (9)(e) and International Relations (11(c)).

NOTE.—The Syllabi of the subjects mentioned above are given in Part C of the Scheduled to this Appendix.

SECTION III

General

1. (a) The question papers in 'Essay' and 'General Knowledge', vide items (1) and (3) respectively of Sub-Section (a) of Section II above, may be answered in English, or in any one of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, viz., Assamese, Bengali, Gujarati Hindi, Kannada, Kashmiri Malayalam, Marathi, Oriya Punjabi Sanskrit, Sindhi, Tamil Telugu and Urdu. Candidates exercising the option to answer both the papers in a language other than English must choose the same language for both the papers. The option will apply to a complete paper and not to a part thereof.

(b) Question papers in all other subjects must be answered in English, except question papers in languages, *vide* items (11) and (12) of sub-section (b) of Section II above, which, unless specifically required otherwise may be answered in English or in the language concerned.

NOTE I.—A candidate desirous of answering the question paper(s) mentioned in para 1(a) above in a language other than English must clearly indicate in column 33 of the Application Form, the name of that language against the paper(s) concerned. If no entry is made in the said column in respect of either or both of the papers, it will be assumed that the paper/papers will be answered in English. *The option once exercised shall be treated as final; and no request for alternation or addition in the said column shall be entertained.*

NOTE II.—Candidates exercising the option to answer the paper(s) in para 1(a) above in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution will be required to write their answers in the respective script indicated below :

Language Script

1. Assamese—Assamese.
2. Bengali—Bengali.
3. Gujarati—Gujarati.
4. Hindi—Devnagari.
5. Kannada—Kannada.
6. Kashmiri—Persian.
7. Malayalam—Malayalam.
8. Marathi—Devanagari.
9. Oriya—riya.
10. Punjabi—Gurmukhi.
11. Sanskrit—Devanagari.
*12. Sindhi—Devanagari or Arabic.
13. Tamil—Tamil.
14. Telugu—Telugu.
15. Urdu—Persian.

*Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 1(a) above in Sindhi must also indicate in column 33 of the application form the name of the *particular script* (Devanagari or Arabic) which they will adopt.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-Sections (a), (b) and (c) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5 For the Indian Administrative Service and the Indian Foreign Service (Category I), the two additional papers of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in all the other subjects.

If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

[*Vide Sub-Section (a) of Section II of Appendix II*]

1. Essay.—Candidates will be required to write an essay. A Choice of subject will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English.*—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge.*—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART B

[*Vide Sub-Section (b) of Section II of Appendix II*]

1. *Pure Mathematics*

The subjects included will be (1) Algebra. (2) Infinite Sequences and Series, (3) Trigonometry. (4) Theory of equations. (5) Analytic Geometry of two and three dimensions, (6) Analysis and (7) Differential Equations.

(1) *Algebra* : Sets, Union, Intersection difference and complementation properties. Venn Diagram. Properties of natural numbers. Real numbers and their representation by decimals. Complex numbers. Argand Diagram. Cartesian Product. Relation, Mapping Function as a mapping Equivalance relation. Groups Isomorphism of groups Subgroups. Normal subgroups, Lagranges Theorem. Frobenius theorem.

The definition and illustrations of Rings and Fields. Divisors of Zero and Homomorphisms. Vector spaces.

Determinants. Addition, subtraction, multiplication and inversion of matrix. Linear homogeneous and non-homogeneous equations. Cayley-Hamilton theorem.

Elementary number theory. Fundamental therem of arithmetic. Congruences. Theorems of Fermat and Wilson.

Inequalities. Arithmetical and Geometrical means. Inequalities of Cauchy, Schwaiz, Holder and Minkowsky.

(2) Infinite Sequences and Series :—Concept of limit. Infinite series. Convergent, divergent and Oscillatory series. Cauchy's general principle of convergence. Comparison and ration tests, Gauss' test Absolue convergence and dearrangement of series.

(3) Trigonometry: De Movire's theorem for rational index and its applications. Inverse Circular and hyperbolic functions. Expansions and summation of trignometrical series. Expresions for sine and cosine in terms of Infinite products.

(4) Theory of Equations : General properties of polynomial equations. Transformation of equations. Nature of the roots of cublic and biquadratic Cardan's solution of the cubic Resolution of biquadratic into quadratic factors Location of roots and Newton's method of divisors.

(5) *Analytic Geometry of two and three dimentions* :—Straight line, Pair of straight lines, circle, system of circles, Ellipse, Parabola, Hyperbola. Reduction of a second degree equation to a standard form.

Planes, straight lines, sphere, cone, coincides and their tangent and normal properties (Vector methods will be permissible.)

(6) *Analysis* : Concepts of Limit. Continuity. Derivation differentiability of a function of one real variable. Properties of continuous functions. Characterisation of discontinuities. Mean value theorems. Evaluation of indeterminate forms. Taylor's and Maclaurin's theorem with Lagrange's and Cauchy's forms of remainders. Maxima and minima of function of one variable. Plane curves, singular points, curavature, curve tracing. Envelopes. Partial Differentiation. Differentiability of a function of more than one real variable.

Standard methods of integration. Riemann's definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of integral calculus. First mean value theorem of integral calculus. Rectification, quadrature, volumes and surfaces of solidy of revolution and their applications.

(7) *Differential Equations* : Formation of ordinary differential equation. Order and degree. Geometrical demonstration of the existence theorem for $\frac{dy}{dx} = f(x.y)$ First order linear and nonlinear equations. Singular points. Singular solutions Linear differential equations and their important proerties. Linear Differential Equations with constant co-efficients. Cauchy-Euler type of equations. Exact differential equations and equations admitting integrating factor Second order equations. Changing of dependent and independent variables. Solution when one integral is known. Variation of parameters.

2. *Applied Mathematics*

The subjects included will be (1) Vector Analysis (2) Statics (3) Dynamics and (4) Hydrostatics.

(1) *Vector Analysis* : Vector Algebra, Differentiation of vector function of a scalar variable Gradient, divergence and curl in cartesion, cylindrical, and spherical coordinates and their physical interpretation. Higher order derivatives. Vector identities and Vector equations. Guass and Stokes theorems.

(2) *Statics* : Fundamental laws of Newtonian Mechanics Theory of Dimentions. Plan statics. Equalibrium of system of particles. Work and Potential Energy. Centre of mass and centre of gravity. Friction. Common Catenary. Principle of Virtual work Stability of equilibrium. Equilibrium of forces in three dimensions.

Attraction and Potential of rods, rectangular and circular discs spherical shells, sphere, Equipotential surfaces and their properties, properties of potentials. Green's equivalent stratum. Laplaces and Poisson's equations.

(3) *Dynamics* : Velocity vector. Relative velocity. Acceleration. Angular velocity. Degrees of freedom and constrains. Rectilinear motion. Simple harmonic motion. Motion in a plane Projectiles. Constrained motion. Work and energy. Motion under impulsive forces. Kepler's laws Orbits under central forces. Motion of varying mass. Motion under resistance. Moments and products of inertia Two dimensional motion at a rigid body under finite and impulsive forces. Compound pendulum.

(4) *Hydrostatics* : Pressure of heavy fluids. Equilibrium of fluids under given system of forces. Centre of pressure. Thrust on curved surfaces. Equilibrium of floating bodies Stability of equilibrium. Pressure of gases and problems relating to atmosphere.

3. *Statistics* :

1. *Probability*

Classical and Statistical definitions of probability. Simple theorems on probability with examples. Conditional probability and statistical independence. Bayers theorem. Random

variables—Discreet and Continuous. Probability functions and probability density functions. Probability distributions in one or more variates. Mathematical expectations. Techebycheff's inequality. Weaklaw of large numbers. Simple form of Central Limit theorem.

II. *Statistical Methods*

Compilation, classification, tabulation and diagrammatic representation of various types of statistical data.

Concepts of statistical population, and frequency curve. Measures of Central tendency and dispersion. Moments and cumulants. Measures of skewness and Kurtosis. Moment-generating functions.

Study of standard probability distributions—Binomial, Poisson, Hypergeometric. Normal. Negative—Binomial. Rectangular and log normal distributions. General description of the Pearsonian system of curves.

General properties of a bivariate distribution, bivariate normal distribution. Measures of association and contingency. Correlation and Linear regression involving two or more variables. Correlation ratio. Intraclass correlation. Rank correlation. Non-linear regression analysis.

Curvefitting by methods of freehand curves, moving averages, group averages, least squares and moments. Othogonal Polynominals and their uses.

III. *Sampling distribution and statistical inference.*

Random sample, statistics, concepts of sampling distribution and standard error.

Derivation of sampling distribution of mean of independent normal varieties, x^2, t and F statistics; their properties and uses. Derivation of sampling distributions of sample means, variances and correlation coefficient from a bivariate normal population. Derivation (in large samples) and uses of Pearsonian x^2.

Theory of Estimation : Requirements of a good estimate—unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency. Cramer-Rao lower bound to variance of estimates. Best linear unbiased estimates.

Methods of estimation—general descriptions of the methods of moments method of maximum likelihood method of least squares and method of minimum x^2. Properties of maximum likelihood estimators (without proof). Theory of confidence intervals—simple problems of setting confidence limits.

Theory of Testing of Hypotheses; Simple and composite hypotheses. Statistical tests and critical regions. Two kind of error, level of significance and power of a test.

Optimum critical regions for simple hypotheses concerning one parameter. Construction of such regions for simple hypotheses relating to a normal Population.

Likelihood ratio tests. Tests involving mean, variance correlation and regression coefficients in univariate and bivariate normal populations. Simple non-parametric tests—sign, run, median, rank and randomisation tests.

Sequential test of a simple hypotheses against a simple alternative (without derivation).

IV. *Sampling techniques*

Sampling versus complete enumeration. Principles of sampling. Frames and sampling units. Sampling and non-sampling errors. Simple random sampling. Stratified sampling Cluster sampling. Systematic sampling. Description of multi-stage and multiphase sampling. Ratio and regression methods of estimation. Designing of sample surveys with reference to recent large-scale surveys in India.

V. *Design of Experiments*

Analysis of variance and covariance with equal number of observations in the cells.

Transformation of variates to stabilise variance.

Principles of experimental designs, Completely randomised randomised block and latin square designs. Missing plot techniques. Factorial experiments with confounding in 2^n's=2(1)5], 3^2 and 3^3 designs. Splitpot design. Balanced incomplete designs and simple lattice.

4. *Physics*

General Properties of matter and Mechanics.—Units and dimensions. Rotational motion and moments of inertia. Gravity. Gravitation, planetary motion. Stress and Strain relationship elastic modulii and their inter relations. Surface tension, capillarity. Flow of incompressible fluids. Viscosity of liquids and gases.

Sound.—Forced vibrations and resonance. Wave motion. Doppler effect. Vibrations of strings and air columns. Measurement of frequency, velocity and intensity of sound. Musical scales. Acoustics of halls. Ultrasonics.

Heat and Thermodynamics.—Elements of the kinetic theory of gases. Brownian motion. Van der Waals equation of state. Measurement of temperature, specific heat and thermal conductivity. Joule-Thomson effect and liquefaction of gases. Laws of thermodynamics. Heat engine. Black body radiation.

Light.—Geometrical optics, and simple optical systems. Telescope and microscope. Defects in optical images and their corrections. Wave theory of light. Measurement of velocity of light. Interference diffraction and polarization of light. Simple interferometers. Elements of spectroscopy Raman effect.

Electricity and Magnetism.—Calculation of field and potential in simple cases. Gauss's theorem. Electrometers. Electrical and magnetic properties of matter and their measurements. Magnetic field due to electric current Galvanometers. Measurement of current and quantity of electricity. Potentiometer Resistance Inductance and capacitance; and their measurement. Thermoelectricity. Elements of alternating currents. Dynamos and motors. Electrolysis. Electromagnetic waves. Radio valves and their simple applications, transmission and reception of wireless waves. Television.

Elements of Modern Physics.—Elementary properties of electron, proton and neutron. Planck's consant and its measurement. Bohr's theory of the atom. X-rays and their properties. Elements of radio-activity and properties of alpha, beta and gama rays. Nuclei of atoms. Elements of the special theory of relativity, must and energy. Fission and fusion, cosmic rays.

5. *Chemistry*

Inorganic Chemistry.—Structure of the atom. The periodic Law. Radioactivity. Isotopes. Artificial transmutations of elements. Nuclear fission. Nature of chemical bonds. The inert gases of the atmosphere. Chemistry of the more common and useful elements and their compounds. Rare earth elements. Hydrides, oxides, oxyacids, peracids and persalts, and carbides. Inorganic complexes. Basic principles of chemical analysis.

Organic Chemistry.—Petroleum and petroleum products. Chemistry of the following classes of alphatic compounds: Saturated and unsaturated hydrocarbons. alcohols, others, aldehydes. Ketones, mono and dicarboxylic acids esters, substituted carboxylic acid, thio, nitro and cyano compounds; amines urea and ureides, organometallic compounds monosaccharides (including structures) carbohydrates and proteins (general ideas). Simple alcyclic compounds. Strain theory.

Aromatic.—Benezene, napthalene and anthracene and their principle derivatives; coaltar distillation, phenols aromatic alcohols, aldehydes, ketones. Aromatic acids and hydroxy-acids. Store hindrance Arylamines. Diazo, azo and hydrazo compounds. Quinones, Heterocyclic compounds. pyrrole pyridine, quinline indole and Indigo, Rzo. triphenylmethane and phthalein dyes.

Simple molecular rearrangements. Isomerism, stereoisomerism and tautomerism polymerisation.

Physical Chemistry.—The kinetic theory. Properties of gases. Equations of state (Van der Waals Dieterici). The critical state. Liquefaction of gases. Physical properties of liquids in relation to their chemical constitution. Elementary Crystallography.

The first and second laws of thermodynamics and their application to simple physical and chemical processes. Chemical equilibrium and Law and Mass Action. Le Chatelier's Principle. The Phase Rule and its application to one-component systems and to the ironcarbon system.

Rate and order of a reaction. First and second order reactions. Chain reaction. Photochemical reactions. Catalysis. Adsorption.

Electrolytic dissociation. Ionic equilibria. Acid-base equilibria and indications. Study of electrolytic conductance and its applications. Electrode potentials. E.M.F. of cells. Measurements of E.M.F. and their applications.

6. *Botany.*

Form, structure, habit, economic importance life histories and inter-relationships of the important representatives of various groups and sub-groups, or families and sub-families of cryptogams. (including bacteria with viruses) and phanerogams. with special reference to Indian plants.

The fundamental principles and processes of plant physiology.

A general knowledge of important diseases of crop plants in India and methods of their control and eradication.

The basic facts relating to ecology and plant geography, with special reference to Indian flora and the botanical region of India.

Basic knowledge about evolution, cytology, genetics and plant breeding.

Economic uses of plants specially flowering plants in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products as food-grains pulses, fruits, sugar and starches, oil-seeds, species, beverages, fibres, woods, rubber drugs and essential oils.

A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

7. *Zoology* :

The classification, bionomics, morphology, life-history, and relationship of nonchordates and chordates, with special reference to Indian forms.

Functional morphology (form, structure and function) of the integument endoskeleton, locomotion, feeding, blood-circulation, respiration, osmoregulation, nervous system, receptors and reproduction. Elements of vertebrate embryology.

Evolution : evidences, theories and their modern interpretations, Mendelian inheritance; mutation, Structure of animal cell; basic principles of cytology & genetics Adaptation and distribuion.

8. *Geology* :

Physical Geology and Geomorphology.—Origin, structure interior and age of the Eart. Geosynclines and mountains. Isostasy. Origin of continents and oceans. Continental drift Seismology, Volcanology. Geological action of surface agencies.

Structural and Field Geology.—Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Study of folds, faults, unconformities, joints and thrusts. Elementary ideas of methods of geological Surveying and Mapping.

Crystallography and Mineralogy.—Elements of crystal forms and symmetry. Laws of Crystallography; Crystal systems and classes; Crystal habits; twinning. Stereographic projections. Physical chemical and optical properties of minerals. Study of more important rock-forming and economic minerals regarding their chemical and physical properties, crystallographic and optical characters, alterations, occurence and commercial uses.

Stratigraphy and Palaeontology.—Principles of Stratigraphy Indian Stratigraphy. Lithological and Chronological subdivisions of Geological record. Fossils—nature and mode of preservaion; bearing on Organic evolution. Invertebrate and plant fossils.

Economic Geology.—Theories of Ore genesis; Classification, geology, occurrence, localities and resources of chief metallic and non-metallic minerals of India. Mineral industries in India. Principles of Geophysical prospecting and ore dressing.

Petrology.—Origin, constitution, structure and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Study of common Indian Rock types.

9. *Geography* :

Physical and Human Geography of the world with special reference to India. Principles of Physical Geography comprising a dealed study of the lithosphere; hydrospnere and atmospnere leading up to the modern views regarding cycle concepts, isostasy, process of mountain formation, weather phenomena, surface and subsurface movement of ocean wasters, etc.

Principles of Human Geography comprising a detailed study of the distribution of man on the basis of culture, race, religion, etc. environment and mode of life, population trends, population movements.

Candidates are expected to have a detailed knowledge of physical, human and economic geography of India.

10. *English Literature.*—Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English Literature from the time of Chaucer to the end of the reign of Queen Victoria, with special reference to the works of the following authors :—

Shakespeare, Milton, Dryden, Johnson, Wordsworth, Keats, Dickens Tennyson, Arnold and Hardy.

Evidence of first-hand reading will be required. The paper will be designed also to test the candidates' critical ability.

11. *Assamese, Bengali, Gujarati, Hidi Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu.*—Candidates will be expected to show a knowledge of the language and its literature. They must have first hand knowledge of the best known works with which they deal though questions on works of lesser importance may also be set. They will also be expected to possess such knowledge of the historical and cultural background, of intellectual and artistic movements and of linguistic developments as will enable them to understand the literature. Questions may be set on literary history and on language. Candidates will be required to translate/explain and may be asked to comment on passages.

NOTE.—A candidate offering any of the subjects mentioned under item (11) may be required to answer some or all the questions in the language concerned. The scripts required to be used for these languages are indicated below :

Language	Script
1. Assamese	Assamese.
2. Bengali	Bengali.
3. Gujarati	Gujarati.
4. Hindi	Devanagari.
5. Kannada	Kannada.
6. Kashmiri	Persian.
7. Malayalam	Malayalam.
8. Marathi	Devanagari.
9. Oriya	Oriya.
10. Punjabi	Gurmukhi.
11. Sindhi	Devanagari or Arabic.
12. Tamil	Tamil
13. Telugu	Telugu.
14. Urdu	Persian.

12 *Arabic, Chinese, French, German, Pali, Persian Russian and Sanskrit.*—Candidates will be expected to show a knowledge of the principal classical authors and to be able to translate from and compose in the language.

NOTE.—Candidates for Arabic, Persian and Sanskrit may be asked to answer some questions in Arabic, Persian or Sanskrit as the case may be. Answers required to be written in Sanskrit must be written in the Devanagari script.

13. *Indian History.*—From the beginning of the region of Chandragupta Maurya to the establishment of Indian Repub-

ne. The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

14. *British History.*—The period of study will be from 1485 to 1945. The paper will include questions on political, constitutional, economic and cultural developments.

15. *European History.*—The period of study will be from 1789 to 1945. The paper will include questions on political, diplomatic, economic and cultural developments.

16. *World History.*—(From 1789 to 1945) Candidates will be expected to possess sound knowledge of the major political and economic developments in world, with special reference to Europe, the U.S.A., the Far East, the Middle East and the African Continent. There will be special emphasis on international events of world importance.

Candidates will also be expected to be familiar with cultural developments as reflected in contributions to civilization as a whole, in the fields of science literature and art.

17. *General Economics.*—Candidates will be expected to have a general knowledge of (a) the principles of economic analysis; and (b) the history of economic doctrines.

They should be able to apply their knowledge of theory to an analysis of the current economic problems of India.

18. *Political Science.*—Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State. Questions may also be set on constitutional forms, (Representative Government, Federalism, etc.) and Public Administration, Central and Local. Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions.

19. *Philosophy.*—The candidates will be expected to be familiar with History and Theory of Ethics, Eastern and Western, with special reference to the problems of Moral Standards and their application Moral Judgement. Determinism and Free Will, Moral Order and Progress, relation between Individual, Society and the State theories of Crime and Punishment, and relation of Ethics to Religion.

They will also be expected to be familiar with History of Western Philosophy, with special reference to nature of philosophy and its relation to Science and Religion, theories of Matter and Spirit, Space and Time, Causation and Evolution, and Value and God, and with History of Indian Philosophy (including orthodox and heterodox systems), with special reference to theories of God, Self and Liberation, and causation, Evolution and Appearance.

20. *Psychology.*—

Psychology : its nature, scope and methods, experimental method in psychology.

Factors in human development heredity and environment.

Motivation, feelings and emotions; their nature and development; theories of emotions; development of character.

The cognitive processes, sensation, perception, learning memory and forgetting, and thinking.

Intelligence and abilities—Concepts and measurement. Personality-nature determinants theories and assessment.

Group processes and group effect; crowd behaviour; leadership and morale; attitudes and prejudice; social change.

Concept of abonormality, symptoms and etiology of the main forms of psychoneurotic and psychotic disorders, social pathology and juvenile delinquency—causes and prevention; Main forms of therapeutic techniques.

21. *Law I.*—

1. Jurisprudence; Concept of Law; Kinds of law; Positive law; Administration of justice; Sources of law; Elements of law including legal rights, and duties; Liability Ownership, possession; Legal personality; Property.

2. Constitutional Law; Constitutional Law of India including Administrative Law; basic principles of the English Constitution.

3. Law of Torts including State liability for Torts.

4. Law of Crimes (Indian Penal Code).

5. Law of evidence : Relevancy and presumptions; Kinds of Evidence—oral and documentary evidence, primary and secondary evidence; Burden of proof; Estoppel; judicial notice.

22. *Law II.*—

1. General Principles of the Law of Contract (Sec. 1 to 75 of the Indian Contract Act).

2. Law of Indemnity, Guarantee, Bailment, Pledge and Agency, with special reference to the Indian Contract Act.

3. Law of Sale of Goods, Law of Partnership and Negotiable Instruments and Banking (General Principles), with special reference to the Indian Law.

4. Company Law.

23. *Law III.*—

Nature of Sources of International Law. History of International Law. The School of International Law. International Law and Municipal Law.

States as persons of International Law. Acquisition and loss of international personality. State recognition. State succession.

Rights and duties of States. Principle of equality. Jurisdiction of States.

Treaties.

Agents of International intercourse, Privileges and immunities of diplomatic agents. The individual and International Law. Aliens Nationality. Naturalisation. Statelessness.

Extradition, War Criminals.

Modes of settlement of International disputes.

War : Declaration : effects.

Laws of land, sea and aerial warfare.

War in selfdefence. Collective security. Regional pacts. Outlawry of war. Laws of belligerent occupation. Belligerency and insurgency.

Methods of warfare. Prisoners of war. Right of visit and search. Prize courts.

Blockade and constraband.

Neutrality and neutralisation. Rights and duties of neutral states in war. Unneutral service. Neutrality under the Charter of the U.N.

The Charter of the U.N. and covenant of the League of Nations. Principal organs of the United Nations. Specialised International Organisations.

Candidates will be expected to show familiarity with cases including the pronouncements of the International Court of Justice.

24. *Applied Mechanics.*—

BUILDINGS

Considerations of materials used in the construction of roof-trusses. Steel and Timber. Determination of stresses in trusses by various methods. Dead-loads and wind pressure. Factors of safety and working stresses.

Designs of roof-trusses. Various types of roof-trusses and roof-coverings; collar beam and hammer beam trusses.

Use of Euler's, Gordon's, Ranking's Fidler's Johnsons and straight line formulae in the design of struts. Bucklings factor of struts; curves showing comparative strength of struts obtained by various formulae. Choice of size of Sections. Finish of Steel work. Joints, Designs of endbearings; methods of fixing and supporting ends.

Application of circles and elipse of stress and Clayepron's theorem to design of structures.

Cast Iron and Steel Columns.—Flance and web connections to steel Columns, caps, bases; transverse bracing of columns.

Foundations.—Safe pressures; foundations for columns Slab foundations, cantilever foundations; grillage foundations, Wells, Piles.

Retaining Walls and Earth Pressures. Rankine's theory, Wedge theory, Winker's and Blight's graphical constructions, with corrections. Design of various types of retaining walls in masonry.

Tall Masonry and Steel Chimneys—Theory and design.

Design of Steel and Masonry Reservoirs; with considerations of wind-pressures.

Deflection of framed structures and determination of stresses etc. in redundant frames.

Influence diagrams for bending moment and shear for uniformally distributed and irregular loads on trusses, built in beams, and three pinned parabolic; semi-elliptic and semi-circular arches.

General principles of dome design.

Principles of Building Design; consideration of loads on buildings; Steel-work, girders, etc., for buildings.

BRIDGES

Design of superstructure. Determination by graphical and analytical methods of bending moment due to moving loads wind pressures.

Design of masonry bridges and culverts.

Plate-webb girders. Analysis of stresses.

Warren and lattice girders.

Three pinned arches; doubly pinned and rigid arches.

General considerations on the design of suspension cantilevers and tubular bridges.

Steel arched bridges.

Swing bridges.

REINFORCED CONCRETE

Shear, bond and diagonal tension, its nature evaluation circular arches.

Design of simple and doubly reinforced beams and continuous beams.

Theory and design of reinforced concrete columns and piles.

Design of slab foundations.

Design of simple cantilever and counterfort retaining walls.

Equivalent moments of inertia for reinforced concrete sections.

Theory of elastic deflections and outline of investigation of stresses in reinforced concrete arches.

General

Analysis of stress, analysis of strain, elastic limit and ultimate strength. Relation between the elastic constants, Launhardt-Wevrauch formula for working stresses in a Structural member and determination of its cross sectional area. Repetition of stresses. Bending moment and shearing force diagrams for dead loads. Graphical determination of stresses in frames; effect of wind pressure method of sections. Stress in the cross-section of a beam due to bending (M/I-F/Y-E/R); compound and conjugated stresses. Rankine's theory of earth-pressure; depth of foundations strength of footings. Frillage foundations; Coulomb's theory of earth-pressure, modification due to Rebahn.

Bending moment and shearing force diagrams for live loads. Analysis of uniform and umformly varying stress Elastic theory of bending of beams, bending and shear stresses in beams. Modulus of section and equivalent areas. Maximum and minimum stresses in a joint due to eccentric loading. Stresses in dams and chimneys. Stability of block work structures, Design of reverted joints and stresses in boiler shells. Euler's theory concerning struts, modifications due to Rankine, Gordon and others. Torsion, Combined torsion and bending deflections. Encastre beams. Continuous beams and theorem of three moments. Elastic theory of arches, Masonry arches.

25. Sociology

Nature, scope and antecedents of sociology—Relation between sociology and other social sciences.

Race and society—Geographical environment and society—Population and society—Culture; the concept, its importance, and its relation to society and personality.

Basic concepts in sociology Groups—primary, secondary and reference groups—Role—Social structure—Social function—Social organisation—Norms and values—socialisation—Social control—Social sanctions.

Basic social institutions; Family and kinship—The joint family—Economic, political, religious and legal institutions.

Social startification; Castes estate and class—Social processes—Cooperation and conflict.

Types of societies: Primitive and civilized—Simple and complex—Traditional and modern.

Social change: Theories of social change—Planned social change—Social evolution.

Rural and Urban Communities—Urbanization.

Note :—The candidates will be expected to illustrate theory with facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian Problems.

PART C

[Vide Sub-Section (c) of Section II of Appendix II]

1. (a) Higher Pure Mathematics :

The subjects included will be (1) Modern Algebra and Topology, (2) Analysis of functions of real variables. (3) Functions of a complex variable, (4) Geometry and (5) Differential Equations.

(1) *Modern Algebra* : Groups. Sub-groups. Normal Sub-groups. Factor groups. Homomorphism and isomorphism. Theorems on isomorphism. Permutation groups. Groups of transformation. Groups of automorphism. Inner automorphism. Normaliser. Centre and Commutator. Theorems of Cayley and Sylow. Decomposition theorem for finitely generated abelian groups Invariants, Normal series. Composition series. Jordan-Holder theorem. Rins, Integral domains. Division ring. Fields, Ideals, Prime, primary and maximal ideals, sums and products of ideals. Quouent ring. Isomorphism theorems for rings. The field of quotients of an integral domain. Euclidean domains. Principal ideal domains. Unique factorisation domains. Ring of polynomial over a commutative ring. Polynomals with co-efficients from a unique factorisation domain. Neotherian rings.

ector spaces. Basis of a vector space. Dimension. Orthogonality. Scalar product. Orthonormal basis.

Field extension. Splitting fields. Separable and inseparable extension. Galois theory of finite extensions. Application to solution of equations by radicals. Finite fields.

Topological space, maps and neighbourhoods, closed sets, open sets base for a topological space, subspaces, quotient spaces. Different ways of defining a topology and strength of topologies. Metric spaces, Euclidean spaces, and other examples of metric spaces. Connectively. Cartesian product of two topological spaces, local connectivity. Pathwise connectivity. Compact spaces. Product of compact spaces, locally compact spaces. Separation axioms, Hausdorff, normal and regular spaces.

(2) *Analysis of functions of real variables* : Dedekind's theory of real numbers. Bounds and limits. Sequences, Continuity and uniform continuity. Differentiability. Implicit functions. Maxima and minima of functions. Riemann integration. Mean value theorems. Improper integrals. Line, surface and multiple integrals. Green's and stokes theorems.

Uniform convergence of series and properties of uniformly convergent series. Convergence of infinite products. Orthonormality and completeness of sets of functions. Fourier series and Fourier theorem. Weierstrass approximation theorem. Lebesgue measure. Measurable functions and Lebesgue integral of bounded functions.

(3) *Functions of a complex variable* : Representation of complex numbers on Gauss' plane and on Riemann's sphere. Bilinear transformations. Analytic functions. Cauchy's theorem and its converse. Cauchy's integral formula. Taylor's and Laurent's series. Lioville's theorem. Singularities. Zeros Theory of Residues and its application to evaluation of integrals. Fundamental theorem of algebra and roots of algebraic equations. Conformal representation. Analytic continuation. Mittag-Lefflers theorem. Weierstrass' factorisation Theorem. The maximum modulus principle. Hadamard's three-circle theorem.

(4) *Geometry* : Plane sections and generating lines of quadrics. The quadric surface and its analysis. Confocal quadrics. Elementary theory of pencils of quadrics. Curves in space. Curvature and torsion. Frenet's formulae. Envelopes, Developable surfaces. Developable associated with a curve Ruled surfaces. Curvature of surfaces. Lines of curvature. Conjugate lines. Asymptotic lines. Geodesics.

(5) *Differential Equations* :

Ordinary differential Equations : Picard's existence theorem Initial and Boundary conditions. Linear differential equations with variable coefficients. Integration in series. Bessel and Legendre functions. Total and simultaneous differential equations.

Partial Differential Equations : Formation of partial differential equations. Types of integrals of partial differential equations. Partial differential equations of first order. Charpit's method Partial differential equations with constant coefficients Monge's methods. Classification of partial differential equations of second order. Laplace Equation and its boundary value problems Solution of wave equation and equation of heat conduction

1. (b) *Higher Applied Mathematics* :

The subjects included will be (1) Dynamics, (2) Hydrodynamics, (3) Elasticity, (4) Electricity and Magnetism, (5) Special theory of Relativity.

(1) *Dynamics* : Particle Dynamics. Motion in three dimensions. Rigid Dynamics; Motion in two dimensions. Momentum and Energy. Motion relative to the moving earth. Foucault's pendulum. Generalized coordinates. Holonomic and non-holonomic systems. Lagarange's equations of motion for holonomic systems. Small oscillations. Euler's geometrical and dynamical equations. Motion of a top. Hamilton's principle of least action. Hamilton's canonical equations and their integral invariants. Contact transformations.

(2) *Hydrodynamics* :

General : Equation of continuity, momentum and energy.

Inviscid Flow Theory : Two-dimensional motion. Streaming motion. Sources and sinks. Method of images and its application. Motion of cylinder and sphere in a fluid. Vortex motion. Waves.

Viscous Flow Theory : Stress and Strain analysis. Navier-Stokes Equations. Verticity Dissipation of energy. Flow between parallel plates. Flow through pipe. Slow streaming motion past a sphere. Boundary layer concept. Boundary layer equations for two dimensional flows, boundary layer along a plate. Similarity solutions. Momentum and energy integrals. Method of Karman and Pohlhausen.

(3) *Elasticity* : Cartesian Tensors. Stress and strain analysis. Work and energy. Saint Venant's principle. Bending of beams and plates. Torsion.

(4) *Electricity and Magnetism* : Electrostatics Conductors and condeners. Systems of conductors. Dielectrics. Method of images and its application. Flow of electric currents in networks. Magnetism. Electromagnetism Induction Alternating currents. Maxwell's equations. Oscillatory circuits.

(5) *Special Theory of Relativity* : Galilean principle. Michelson-Morley experiment. The principles of theory of relativity. Lorentz transformation and its consequences. Lorentz invariance of Maxwell's equations. Electrodynamics of a Vacuum. Matter and energy.

2. Higher Physics :

General properties of Matter and Sound : Mechanics of deformable bodies. Helical springs. Capilary phenomena. Viscosity. Accoustical measurements. Ultrasonics.

Heat and Thermodynamics : Brownian motion. Kinetic theory of gases. Transport phenomena in gases at low pressures. Thermodynamic functions and their applications Specific heat of solids and gases. Production and measurement of low tempe atures. Radiation of Planck's law of energy distribution.

Optics : Theory of co-axial symmetrical optical systems. Experimental spectroscopy. Electro-magnetic theory. Scattering of light. Raman effect. Diffraction. Polarisation

Electricity and Magnetism : Gauss's theorem. Electrometers' Magnetic hysteresis. Theory of permanent magnets. Measurement of electrical quantities. Alternating current theory Cyclotron and other methods for production of high voltages. Transmission and reception of wireless waves Television.

Modern Physics : Special theory of relativity. Dual nature of light and matter. Schroedinger's equation and its solution in simple cases. Hydrogen and helium spectra Zeeman & Stark effects. Pauli's principle and periodic classification of elements. X-rays and X-ray spectroscopy. Compton effect. Conduction in metals. Superconductivity. Thermonics Thermal ionization. Properties of atomic nuclei. Mass spectroscopy. Elementary particles and their properties. Nuclear reactions Cosmic rays. Nuclear fission and fusion.

3. *Higher Chemistry* :

Inorganic Chemistry.—The structure of the atom. Radioactivity, natural and artificial. Fission and fusion of nuclei. Isotopes. Radioactive indicators. Radioactive series Transuranic elements.

Chemistry of the elements and their principal compounds, with special reference to Be, W Ti, V, Mo, Hf, Zr and rare earth elements.

Co-ordination compounds. Interstitial and non-stoichiometric compounds. Free radicals. Advanced Physicochemical methods of analysis.

Organic Chemistry.—Theories of organic chemistry, including resonance and hydrogen bond formation. Mechanism of important organic reactions. Stereo chemistry, including conformation.

Chemistry of different classes of organic compounds with special reference to the following : Polysaccharides, terpenes, natural colouring matters, alkaroids vitamins, important hormones, antimalarials, chlorine insectioides principal antibiotics, and synthetic polymers.

Physical Chemistry.—The kinetic molecular theory. The three laws of thermodynamics and their application to physical chemical processes. Physico-chemical properties in relation to and elucidating molecular structure. Quantum theory and its application to chemistry.

The mechanism and kinetics of chemical and photochemical reactions. Catalysis. Adsorption. Surface chemistry. Colloids. Electrochemistry.

4. *Higher Botany* :

Plant kingdom.—Advanced knowledge of the main groups of the vegetable kingdom both living and extinct (*viz.* Algae, Fungi, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms) with special reference to the Indian flora.

Systematic botany.—Principles of classification and a general knowledge of the more important families of anglos-perms.

Anatomy.—Origin, nature and development of plant tissues and their distribution from the ecological and physiological point of view.

Plant pathology.—An advanced knowledge of the important diseases of plants caused by bacteria, fungi, viruses and physiological diseases. Methods of control.

Physiology.—An advanced knowledge of the important physiological processes in plants, including plant biochemistry.

Ecology.—Principal types of vegetation of India, their distribution and the importance of eco-physiological studies. Principles of plant geography.

Economic botany.—A study of the important economic plants of tropical and sub-tropical areas, with special reference to India.

General Biology.—Knowledge of the fundamentals of and recent developments in variation, heredity, evolution, cytology genetics and principles of plant breeding.

5. *Higher Zoology*

The classification, bionomics, morphology, life-history and relationship of non-chordates and chordates, with special reference to Indian fauna.

Functional morphology (form, structure and function) of the organ systems. Outline of vertebrate embryology.

The classification, ontogeny, phylogeny adaptive divergence and convergence of animals, animal ecology, migration and colouration.

Evolution : evidences, theories, and their modern interpretations. Adaptation; distribution of animals in space.

Recent advances in the knowledge of the cell, cytology, genetics, sex determination and endocrinology.

Modern concept of the environment as a complex of physical, chemical and biological factors, and of the organisms as individuals, population and communities.

An essay relating to any of the following topics : Protozoa and disease; Insect and man; Parasitology Fresh-water and marine biology; Limnology and fishery biology; Contribution of great biologists to knowledge and civilization.

6. *Higher Geology* :

General Geology.—History and development of the Science of Geology, its different branches and contacts with other sciences. Origin, evolution, structure constitution, interior and age of the Earth. Geomorphology; Radioactivity and its applications to Geology; Siesmology; Volcanology; Geosynclines; Isostasy. Evolution of continents and ocean basins. Geological action of surface and subterranean agencies. Continental drift.

Structural and Field Geology.—Diastrophism; Rock deformation; Origin of mountains; Structures in relation to topography and mining. Tectonic history of India. Methods of Geological Surveying and Mapping.

Stratigraphy and Palaeontology.—Principles of Stratigraphy, and correlation. Detailed study of Indian Stratigraphy and outline of World Stratigraphy. Distribution of land, sea, faunas and floras in different periods. Theories of organic evolution. Fossils—their importance, Index fossils and correlation. Detailed study and geological history of the invertebrate fossils and the principal groups of vertebrate and plant fossils with special reference to India.

Crystallograph and Mineralogy.—Crystal Morphology; Laws of crystallography; crystal systems and classes; habits, twinning. Gomometric and X-ray study of crystals. Atomic structure. Detailed study of rock-forming minerals and of economic minerals with special reference to their occurrence in India.

Petrology.—Origin and evolution, structure, mineral constituents, texture and classification of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Petrogenesis including metamorphism Petrochemistry. Study of meteorites. Important Indian rock-types.

Economic Geology.—Ore-genesis; classification of economic minerals and controls of ore localization. Geology of economic mineral deposits with particular reference to India. Location of mineral industries. Evaluation of properties; Mineral economics; conservation and utilisation of minerals. National mineral policy. Strategic minerals. Geological, geophysical and geochemical prospecting techniques and their applications. Principal methods of mining sampling, ore dressing and ore beneficiation Soils and ground water. Application of Geology to common engineering problems.

7. *Higher Geology.*—The paper will consist of two parts :—

The first part will comprise and advanced study of Physical Human and Economic Geography, with special reference to India.

The second part will comprise advanced study of the following special subjects and a candidate will be expected to have knowledge of at least two of these subjects :

Geomorphology. Climatology (including modern methods of weather forecasting and analysis). Cartography (including solution of right-angled spherical triangles use of Theodolite, advance projections like the oblique zenithal nets, etc.) Historical geography. Political geography. History of geographical thought and discoveries.

8. English Literature (1798—1935)—The paper will cover the study of English Literature from 1798 to 1935 with special reference to the works of Wordsworth, Coleridge, Shelley Keats Lamb, Jane Austen, Carlyle, Ruskin Thackeray Robert Browning, George Eliot G. M. Hopkins, Shaw, W. B. Yeats Galsworthy J. M. Synge, E. M. Forster and T. S. Eliot.

Evidence of first hand reading will be required. The paper will be designed to test not only the knowledge but also critical evaluation of the main literary trends during the period. Questions having a bearing on the social and cultural background of the period may be included.

9. (a) *Indian History I (From Chandra Gupta Maurya to Harsha)*—

The Mauryas. The rise and consolidation of the empire. Administration and economy. Decline of the empire.

The sclipse of Magadha. The Shungas and the Kanvas.

The Cholas, Cheras and Pandyas.

Contacts with the West, North India—the Indo-Greeks, South India—Roman trade.

Central Asia and India. The Shakas. The Kushanas. The Satavahans.

Indian contacts with Asian countries—The spread of Buddhism.

The Imperial Guptas—The Creation of Classical Indian Culture. Further Indian contacts overseas. The decline of the Guptas. The Hunas.

Changing economic patterns in north. India and their impact on politics.

The rise of the Vakatakas and the Chalukyas.

The emergence of the Pallavas.

Harshvardhana.

9(b). *Indian History II* [*The Great Mughals* (1526—1702)].—

Political History

Establishment of the Mughal Empire in India; its consolidation and expansion. The Sur interregnum Mughal Empire at its zenith. Akbar, Jehangir and Shahjehan. Mughal relations with Persia and Central Asia. The development of administrative system. Europeans at the Moghul Court; early Portuguese, French and English settlements. The beginning of the decline Aurangzeb, his wars and policies.

Cultural, Religious, Economic and Social Life.

Cultural life, and promotion of art, architecture and literature.

Religious movements : Bhakti Movement, Suffism, Din-i-Ilahi Religious policy of the Mughal Emperors.

Economic life : Agrarian life. Systems of land tenure. Industry. Trade and Commerce. Exports, imports. Means of transport. Wealth of India.

Social life : Court life; Urban life; Rural life. Dress, manners, customs, food and drink; amusements, recreations and festivals. Position of women.

9(c). *Indian History III* (From 1772 to 1950)—

Consolidation of British power in Bengal and South India. Expansion of British power in India. The East India Company and the British state. Evolution of the Civil Service. Judicial system, the police, and the army. Development of new land revenue system and agrarian relations British Commercial policy. Economic impact of British rule in India. The revolt of 1857. Relations with Indian States. Foreign policy, and relations with Burma and Afghanistan. Development of modern industry, and means of communication. Development of modern education. Growth of the Press.

Indian Re-awakening : Raja Rammohan Roy, Brahmo Samaj and Vidya Sagar the Arya Samaj, the Theosophists : Ramakrishna and Vivekananda; Syyed Ahmed Khan. Social Reform. Development of modern Indian literature. The rise of Indian National Movement : The Indian National Congress (1885-1905), Dadabhai Naroji, Ranade and Gokhale. Growth of militant nationalism anti-partition agitation. Swadeshi and Boycott. Tilak and Aurobindo Ghosh, the Home Rule League and the Lucknow Pact.

Constitutional Development : Acts of 1861 & 1892; Minto-Morley Reforms; the Montford Reforms, the 1935 Act.

Emergence of Mahatma Gandhi and the struggle for freedom. Transfer of Power : The Cripps Mission : the Cabinet Mission : Independence Act and Partition. The Constitution of 1950. Independent India : Foreign Policy, Non-alignment; Secularism; and Planning.

9(d). *British Constitutional History* (From 1603 to 1950).—

Crown versus Parliament

Relations between James I and Parliament. Petition of Rights. Charles I and the issue of prerogative *versus* common Law. Civil war.

The Constitution makers.—

Government by Long Parliament. The Little Parliament. The Protectorate. The Restoration. The Glorious Revolution. The Bill of Rights.

The Crown, the Executive and Parliament.—

The King and his Ministers. Influence of the Crown. The Cabinet and Parliament. The Monarchical Crisis of 1936.

The Reform of Parliament.—

Reforms Acts and the House of Commons. The House of Commons and the House of Lords. The Reforms of the House of Lords.

The Commonwealth.—

Origin and growth of the Commonwealth. The Statute of Westminister. The Machinery of Commonwealth Co-operation. The position of the Crown in the Commonwealth.

9(e). *European History* (1871—1945).

The Industrial Development of Europe—Growth of nationalism, and democratic and socialist movement.

The German Empire; the Third French Republic; the Habsburg Monarchy. Imperial Russia.

The policy of alignment and ententes.

The Eastern Question.

The rise of imperialism, and European imperial interests in the Near East, the Middle East, Africa and the Far East.

The origin and consequences of the First World War.

The Russian Revolution and its consequence.

The Versailles settlement; the League of Nations; efforts at World Disarmament; the search for security; rise of Fascism and Nazism and their international implications.

The Second World War.

10(a). *Advanced Economics.*—

Functions of economic analysis.

The theory of price. The theory of consumption and demand. Organization of production. Theory of the firm and industry. Imperfect competition. Theory of monopoly. Control of monopoly.

The theory of distribution. Rent. The theory of capital. The theory of money and interest. Savings and investments. Banking and credit regulation. The theory of wages and employment. Collective bargaining and industrial peace.

National income. Economic progress and distributive justice.

The theory of international trade, Foreign exchanges. Balance of payments.

Business cycles and their control. Economic role of Government. Economic welfare. Public utilities, pricing and regulation.

Theory of taxation, Incidence of taxation. Effects of Government taxation and expenditure. Deficit financing and inflation.

Planning for economic development.

10(b). *Advanced Indian Economics.*—

Economic developments during the War and Post-War period. Natural resources. Social institutions. Agricultural Production and finance. Pricing and distribution of foodgrains and other agricultural products. Land reform. Place of cottage and small scale industries in developing economy. Growth of modern organized industry. Regulation of public companies. Industrial relations and problems of labour. Mixed economy. Scope and efficiency of the public sector. Indian monetary and credit system. Role of the Reserve Bank. Population problems and population policy. Unemployment and under-employment. Computation of Indian national income. Regulation of foreign trade. Balance of payments. Indian taxation system. Federal finance, Planning for economic development. Size and structure of successive plans. Problems of resources and of implementation.

11(a). *Political Theory from Hobbes to the present day.*—

Theories of Contract and Natural Rights—Hobbes. Locke and Rousseau. Development of the Idea of Sovereignty. The Historians—Vico. Montesquieu and Burke. The Utilitarians. The Evolutionists. The Idealists—Kant. Hegel, Green, Bradley and Bosanquet. Conservatism and Liberalism. Marxism and Schools of Socialism and Communism. Pluralism. Fascism. The Impact of Psychology. Trends of twentieth century thought in the East.

11(b). *Political Organisation and Public Administration.*—

Political Institutions. The rise of Modern National States. Parliamentary and Presidential forms of Government. Unitary and Federal Governments. The Legislature. The Executive and the Judiciary. Methods of Representation. The Communistic and Totalitarian forms of Government.

Public Administration. Public Administration in the Modern State. The formulation of policy and higher control—the Legislature and the Executive. Organisation. Management, Methods and Tools. Regulatory Commissions and Public Corporations. Personnel Administration—The Civil Service and its Problems. The Budget and Financial Administration. Administrative Powers Control by the Courts. The Public Services and the Public.

11(c). *International Relations.*—

Part I

Foundations and limitations of national power.

The Nuclear age and its impact on traditional international Relations.

The role of International Law in International Relations.

The role of national interest in the formulation of foreign policy.

The theory of Balance of Power.

The nature and functions of International Organisation.

The United Nations : purposes, structure and functioning.

Part II

The origins of the First World War and the nature of the peace Settlement.

The League of Nations and the efforts for the establishment of a collective security system in the inter-war years.

The origins of the Second World War.

The Nuclear age and its impact on traditional international Relations.

The Cold War and its effect on World Politics.

The Birth of New Nations and the changes in the pattern of International Relations.

The Foreign Policies of the United States, the U.S.S.R., China, India and one of the following :

Great Britain, Japan, Germany and France.

12(a). *Advanced Metaphysics Including Epistemology.*—

Candidates will be expected to be familiar with the views of prominent philosophers from Kant to the present day *e.g.* Kant, Hegel, Bradley, Royce, Croce, Moore, Russel, James, Schiler Dewey, Bergson Alexander Whitehead Wittgenstein, Ayer Heidegger and Marcel.

Questions may be set on any of the following topics.

The sources, materials, varieties, limits criteria and sociology of knowledge.

Truth falsehood, error.

Theories of reality. Reality, subsistence and existence. Monism, dualism and pluralism. Naturalism, agnosticism theism, absolutism and mysticism. Post-Hegelian idealism. New realism. Radical empiricism. Prammatism, Instrumentalism. Humanism—naturalistic and religious.

Logical positivisim. Existentilism—atheistic and theistic. Recent trends of the philosophy of science in regard to the problems of induction, laws of nature, relativity, indeterminacy and God.

12(b). Advanced Psychology including Experimental Psychology.—

Subject-matter scope and methods of psychology; its relation with other sciences.

Heredity and envinronment controversy—Experimental studies on the relative influence of the two on human development.

Problems of motivation and emotion. Frustration and conflict; types of conflict; defence mechanisms—Studies in expressive movements; P.G.R., lie detection.

Sensation and Perception—Psychophysical methods; space perceptions, factors of perceptual organization; role of dynamic personality and social factors; inter-personal perception. Experimental methods in the study of learning, memory, forgetting and thinking—Theories of learning and forgetting; theories of sign-process—nature of meaning.

Psychology of personality—determinants, traits, types, dimensions, and theories; assessment of personality—behavioural measures of personality—rating scales, nominating techniques, questionnaires and inventories, attitude scales, projective tests.

Individual differences; nature and measurement of intelligence and aptitudes. Test construction—Item analysis. Test scales and norms—Reliability and validity of measures—Factor analysis—Theories.

Schools and systems of psychology—Traditional Schools and the main contemporary systems of psychology; Freudians, neo-Freudians, neo-Behaviourists, Gestal and field theories.

13(a) *Constitutional Law of India.*—

Historical Background; The growth of the Indian Constitution with special reference to the development of representative and responsible Government from the Indian Councils Act of 1861 down to the Indian Constitution of 1950.

General Features : Welfare State Ideal : Preamble to the Indian Constitution and Directive Principles of State Policy; Concepts of Unitary and Federal Government, Cabinet System. Due Process of Law, Judicial Review, Constitutional Conventions; Comparison of the Salient Features of the Indian Constitution with those of the U.K. and the U.S.A. Canada and Australia.

Division of Powers : Theory of separation of powers.

The Legislature—Legislative procedure; Privileges of Legislature; Delegation of legislative power.

The Executive.—Presidential and Parliamentary Executives; lature; Delegation of legislative power.

The Executive.—Presidential and Parliamentary Executives: Provisions relating to Services and Public Service Commissions: The doctrine of Rule of Law.

The Judiciary.—Judicial control of administrative and quasi-Judiciary authorities; Scope of Writ Jurisdiction; Independence of the Judiciary.

Distribution of Legislative Powers; Principles of distribution of powers with special reference to Treaty Power; Commerce Power, Taxing Power. Constituent (Constitution-Amending) Power and Residual Power, Judicial doctrines relating to distribution of powers.

Fundamental Rights. Nature and scope of the various fundamental rights guaranteed under the Constitution.

Note.—Candidates will be expected to be conversant with the text of the Indian Constitution amendments thereto, and leading decisions of the Supreme Court.

13(b). *Jurisprudence.*—

Jurisprudence : Definition and scope; various Schools of Jurisprudence; Concepts and doctrine regarding Sovereignty.

Law: Law and Morals; Evolution of Law, Law of Nature, Law of State; Imperative theory of Law; Pure theory of Law, Sociological theory of Law; Kinds of Law; Civil Law; Criminal Law; Substantive Law and Adjective Law; Private Law and Public Law, International Law; Law and Justice; Law and Equity; Justice according to Law; Administration of Justice.

Sources of Law: Customs, Judicial President, Legislation; Codification.

Elements of Law; Analysis and classification of juristic-concepts; Personality Right, Duty, Liberty, Power, Immunity. Disability. Status Possession Ownership; Lease, Trust, Easement. Security; Wrong Liability. Obligation; Act, Intention. Motive. Negligence; Title; Prescription; Inheritance and Wills.

Evolution of Legal Concepts; Evolution of Contract Tort, Crime. Property, and Wills. Current trends in Juristic thought.

14(a) *Medieval Civilisation as Reflected in Arabic Literature* (570 A.D.—1650 A.D.).—

The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

14(b) *Medieval Civilisation as Reflected in Persian Literature* (570 A.D.—1650 A.D.).—

The paper will test the candidate's knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments.

14(c) *Ancient Indian Civilisation and Philosophy.*—

The history of the Civilisation Philosophy and Thought of India from 2000 B.C. to 1200 A.D.

Note.—The paper will test the knowledge of geography, history and social, political and religious evolution and developments. Questions may be set which require an acquaintance with archeological discoveries.

15. *Anthropology* :

(A) Physical Anthropology.—Definition and scope. The relation of Physical Anthropology to other sciences. The evolution of Man, his exact place among the Primitive Group—his relationship to Prehuman and Protohuman forms from Parapithecus to Austraohthecus. Early types of Man—Palaeonthropic man—Pithecanthropus. Synanthropus and Neanderthal. Neanthropic man—Cro Magnon. Grimaldi and Chancelade—Homo Sapiens.

Racial differentiation of Man and bases of racial classification—Morphological serological and genetic. Role of heredity and environment in the formation of Races. Principles of human genetics—Mendelian laws as applicable to Man.

Human Biology—The effects of nutrition, inbreeding and hybridisation.

History of distribution of Man in India from the lithic ages to the Indus Valley civilization and Megalithic cultures of Central and Southern India. Racial types and their distribution in India.

(B) Social (Cultural) Anthropology.—Scope and functions. Relation with Sociology. Social Psychology and Archaeology. Different schools of Cultural Anthropology—Evolutionary Historical. Functional and Kultur Kreis. The structure and development of Human Society.

Economic Organisation—Early stage of hunting and food gathering, domestication of animals, agriculture shifting cultivation, terracing intensive cultivation, implements used.

Political Organization—Clan, tribe, and dual organization, tribal council, function of headman or chief.

Social Organization—Marriage and kinship forms, matriarchy, patriarchy, polygyny, Polyandry, exogamy and endogamy Position of women, inheritance and divorce.

Primitive religion—Totemism, Taboo, magical and fertility rites, head hunting and human sacrifice.

Art, Music Folk dance and sports.

Group relationship, adjudication of disputes, concept of Justice and punishment.

Intelligence level, special aptitudes and abilities, emotional needs underlying primitive behaviour and ethnocentrism.

Structure of personality and development of personality and its role in primitive society.

Acculturation and the effects of contact on primitive tribes. Depopulation and its causes. Economic and psychological frustration. Decline of primitive tribes in America. Africa and Oceania. Depopulation among Indian tribals and remedial measures.

(C) Intensive study of any one of the ethnic division of tribal India :

1. The tribes of the N.E.F.A. or North Eastern Frontiers of India.
2. The tribes of the Naga Hills—Tewansang Area.
3. The autonomous tribes of Assam—the Khasis, the Garos, Mikirs and the Lushai.
4. The Australoid tribes of Chhotanagpur and Central India.
5. The tribes of Southern India including the tribes of the Nilgiri Hills.
6. The tribes of the Andaman and Nicobar Islands.

Note.—Candidates will be required to answer questions on (C) and (A) or (B).

16. *Advanced Sociology*

Divergent views regarding the nature, scope and methods of sociology.

Major sociological thinkers: Marx, Weber, Durkheim and their modern interpreters.

Theories of social structure and function—Progress, evolution and change—Conflict and integration—Status, role role set and role conflict—Social network—Social norms, control sanctions and deviation—Rewards and punishment.

Major social structures and institutions; Family and kinship.

Economic, political, legal and religious institutions—Education Bureaucracy—Social Stratification (including caste, class and elites).

Research methods in Sociology; Surveys, questionnaires and interviews—Sampling and scaling techniques—Participant and non-participant observation—Micro and Macro methods—Experimentation in sociology—Small group research methods.

Role of sociologists in social change.
Sociology of India :

Family, kinship and marriage—Caste—Role of caste in politics—Rural and urban communities—Problems of national integration : regionalism, linguism, communalism and nationalism.

Scheduled Castes, Scheduled tribes and backward classes The problem of inequalities.

Social aspects of economic development, planning industrialization and urbanization.

Panchayati raj and local politics.

Social movements in modern India: social reform movements, backward classes, mavement, bhoodan and gramdan, and "revivalist" movements—Agrarian and student unrest.

Note.—The candidates will be expected to illustrate theory with facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems.

PART D

[Vide Sub-Section (B) of Section I of Appendix II]

Personality test.—The candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career. He will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers.

The test is intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also social traits and his interest in current affairs. Some of the qualities to be judged are mental alertness critical powers of assimilation clear and logical exposition balance of judgement, variety and depth of interest ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate.

3. The personality test is not intended to be a test either of the specialised or general knowledge of the candidates which have been already tested through his written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the events which are happening around them both within and without their own state or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services to which recruitment is made through the I.A.S. etc. Examination.

1. *Indian Administrative Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in the Service or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory. Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the India nAdministrative Service will be liable to serve anywhere in India or abrond either under the Central Government or under a State Government.

(e) Scales of pay :—

Junior Scale—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1000 (18 years).

Senior Scale :

(i) Time Scale—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800 (22 years).

(ii) Selection Grade—Rs. 1800—100—2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,500 and Rs. 3,500 to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time under the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972.

A probationer will start on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(f) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(g) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(h) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service, are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services Medical Attendance Rules, 1954.

(i) *Retirement Benefit.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive examination are governed by the All India Services (Death *cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty-one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Missions whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examination before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment. If, however, his work conduct has in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.

Second Year—Rs. 400 per mensem.

Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time-scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed test, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examinations.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return cum passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to maximum of two children between ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted at various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (PLCA) Rules, 1961; to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concession as are admissible to other Government servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b) & (c) As in clauses (b) and (c) for the Indian Administrative Services.

(d) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(e) Scales of pay :—

Junior Scale :—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (18 years).

Senior Scale : Rs. 740 (6th year or under)—40—1100—50/2—1,250—50—1,300. (22 years).

Selection Grade. Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,600—100—2,000.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay.—Rs. 1,800—100—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Director, Intelligence Bureau.—Rs. 3,000.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time under the All India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972.

(f)

(g)

(h)

(i)

As in clauses (f), (g) (h) and (i) for the Indian Administrative Service.

4. *Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service Class II.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such department tests as the Central Government may prescribed.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that the is unlikely to become efficient. Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory. Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1,000 (fixed).

Grade II—Time Scale—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a terture post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the proviso of Fundamental Rule 22B(1). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(e) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(f) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc, if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(g) Officers of the Service are governed by the Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

5. *Indian P & T Accounts & Finance Service*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examination. Repeated failure to pass the departmental examinations within the prescribed period will involve loss of appointment.

(b) if, in the opinion of Government the work and conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, the Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) The Indian P&T Accounts & Finance Service carries with it a definite liability for service in any part of India.

Indian P & T Accounts & Finance Service

(i) Junior Time Scale Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

(ii) Senior Time Scale Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

(iii) Jr. Administrative grade Rs. 1300—60—1600.

(iv) Sr. Administrative grade Rs. 1800—100—2000—125—2250.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Time Scale and will count their service for increments from the date of joining.

2. The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400/- unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

3. In the case of probationers who do not pass the End of the Course Test at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450/- should be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or upto the date on which, under the Departmental regulations, the second increments accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

4. The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will, however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22B(1).

6. Indian Audit and Accounts Service.

7. Indian Customs and Central Excise Service.

8. Indian Defence Accounts Service.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failure to pass the departmental examinations with in a period of three years will involve loss of appointment.

(b) If in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be, may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Officers under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadre on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Government may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for field Service in or out of India.

(f) Scales of Pay :—

Indian Audit and Accounts Service

Time Scale of I.A. & A.S. Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Additional Deputy Comptroller & Auditor General's Grade.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Deputy Comptroller & Auditor General of India—Rs. 3000/-.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the end of the Course-Test at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or upto the date on which, under the Departmental regulations the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

NOTE 4.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post, in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22(B)(I).

Indian Customs and Central Excise Service :

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise, Class I. Assistant Collector of Central Excise Assistant Collector of Customs	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.
Deputy Collector of Customs Deputy Collector of Central Excise Additional Collector	Rs. 1,300—60—1,600.
Appellate Collector of Customs and Central Excise Collector of Customs Collector of Central Excise	Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of two years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of the Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation, Government may confirm the officer in his/her appointment or if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him/her from the services or may extend his/her period of probation for such further period and Government may think fit provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) The Indian Customs and Central Excise Service, Class I carries with it a definite liability for service in any part of India.

NOTE 1.—A probationary officer will start on the minimum of the time scale of pay of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—An Officer on probation will not be allowed pay in the time scale above the stage of Rs. 400/- unless he/she passes the prescribed departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer in the Indian Customs and Central Excise Service, class I will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

NOTE 4.—During the period of probation, an officer will undergo departmental training at the Directorate of Training (Customs and Central Excise), New Delhi and also a foundational course training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the 'end-of the course' test. He/she will have to pass part I and part II of the Departmental Examination. On passing the 'end of the course' test and one of the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted a first advance increment raising his/her pay to Rs. 450. On passing both the parts of the Departmental Examination he/she will be granted the second advance increment raising his/her pay to Rs. 480. His/her pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless he/she has completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

In case a probationer does not pass the 'end-of-the-course' test at the Academy, his/her first advance increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations the second advance increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 5.—It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs and Central Excise Service, Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining. The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will, however, be regulated subject to the provision of F. R. 22-B(1).

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; provided further that in the case of an officer who does not pass the 'end-of-the-course' test at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Myssoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

9. *Indian Income-tax Service, Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become an efficient Income-tax Officer, the Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Income-tax Officer, Class I.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income-tax.—Rs. 1,300—60—1,600.

Additional Commissioner of Income-tax—Rs. 1,600—100—1,800.

Commissioners of Income-tax—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie and the Indian Revenue Service (Direct Taxes) Staff College Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course test. In addition, I and II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the 'end-of-the-course' test and the I st Departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service subject to such other conditions as may be found necessary.

In case he/she does not pass the end of the course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Income-tax Service, Class I, which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequences of any such changes.

10. *Indian Ordnance Factories Service, Class I (Non-Technical Cadre).*—(a) Selected Candidates will be appointed as Assistant Managers (Probationers). The period of probation will be two years which may be reduced or extended by the Government on the recommendation of the Director General Ordnance Factories. An Assistant Manager (probationers) will undergo such training as shall be provided by Government and may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. The language tests will include a test in Hindi.

On the conclusion of his period of probation Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may thing fit, provided that before orders of discharge are passed, the officer shall be apprised by competent authority of the grounds on which it is proposed to discharge him and be given an opportunity to show cause against it.

(b) The Assistant Managers (Probationers) in the Indian Ordnance Factories Service would draw pay in the prescribed scale of pay of Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie in a foundational course of training. On passing the 'end-of-the-course-test' and the Departmental Examination they will be entitled to grant of advance increment raising their pay to Rs. 450/- per month and Rs. 480/- per month from the date following the date on which the last paper of the 1st and 2nd Departmental examination in which they pass, is held. Grant of further increment will be regulated according to their position in the time scale and after they have been confirmed in the grade.

In case any of the Assistant Managers (Probationers) does not pass the end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the Departmental regulation, the second increment accrues, whichever is earlier.

(c) (i) Selected candidates shall, if so required, be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training if any; provided that such person (i) shall

not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in Defence Services (Field Service Liability) Rules 1957, published under S.R.O. No. 92, dated 9th March, 1957 as amended. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down therein.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

Assistant Manager . . .	Junior Scale :
Technical Staff Officer . .	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.
Deputy Manager/Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories . . .	Senior Scale: Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.
Manager/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories	Rs. 1,100—50—1,400.
Deputy General Manager/Assistant Director General, Ordnance Factories, Grade II .	Rs. 1,300—60—1,600—100—1,800.
Assistant Director General Ordnance Factories Grade I .	Rs. 1,800—100—2,000.
Deputy Director General Ordnance Factories . . .	Rs. 2,000—125—2,250.

11. *Indian Postal Service.*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointment in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Time Scale :— Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmaster-General : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,500—125/2—2,750.

Senior Member, Posts and Telegraphs Board : Rs. 3,000.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in Lal Bahadur Shastri Academy of Administration Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie they will have to pass the end-of-the-course-test' They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end-of-the-course-test" and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the Departmental regulations, the second increment accrues whichever is earlier.

Provided that the pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(h) Selected candidates will be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government.

12. *Indian Railway Accounts Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months' notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo training in two phases at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the tests prescribed by the College authorities. The tests in the College are compulsory and a second chance in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the tests at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfills this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund;

as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(g) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(i) Scale of pay :—

(a) Junior Scale :—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale :—Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade :—Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade :—Rs. 1,600—100—1,800.

Senior Administrative Grade :— Rs. 2,000—100—2,500.

(b) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examination within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will however be regulated subject to the provisions of Rule 2018A-(1)R.II. [F.R. 22-B(1)].

13. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II).*

(a) (i) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training as may be prescribed by Government.

(ii) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer will however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government, the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances, of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month, terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing, provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing of the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under:—

	Administrative Posts	
(i)	Director, Military Lands and Cantonments	Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.
(ii)	Joint Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,600—100—1,800.
(iii)	Deputy Director, Military Lands and Cantonments	Rs. 1,300—60—1,600
(iv)	Assistant Director, Military Lands and Cantonments.	Rs. 1,100—50—1,400.
Class I		
(v)	Deputy Assistant Directors, Military Lands, and Cantonments, Military Estates Officer and Executive Officers.	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.
Class II		
(vi)	Executive Officers	Rs. 650—30—740—35—810 EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200.
(vii)	Assistant Military Estates officers.	

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officer to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable.

(ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion

from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

14. *Indian Railway Traffic Service.*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily, the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post, provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should, as a rule be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examinations may result in the termination of service and will, in any case involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post the Probationary Officers will be required to pass final examination, both practical and theoretical, and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

(d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard. This examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education Delhi on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary Officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m unless he fulfills the requirements and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund;

as amended from time to time.

(f) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

(g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.

(i) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950—. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600 (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade : Rs. 1,600—100—1,800. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 2,000—100—2,500. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will from the date following that on which the last departmental examination ends be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may however be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advanced increments the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of service.

In case any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier

NOTE 2.—The pay of a Government Servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of Rule 2018A (1)-R II[F.R.22-B(1)].

(j) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

(k) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion

(l) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer in such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case the officers will not be confirmed till they pass the tests, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below has been drawn up chiefly for the purpose of guidance; it may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

NOTE 4.—During the period of training, the probationer has to work as a Guard, Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Train Examiners Assistant Loco Foreman, Assistant Controller etc. as detailed below. After completion of training when the probationer is posted against a working post, his duties involve travelling with no facilities for comping at way-side stations. He has to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control offices and stations. The work is arduous and will involve night duties.

(m) (1) Length of course—Two years.

S.No.	Item	Period (Weeks)
1	2	3
1.	Lal Bahadur Shastri Academy of Administration Mussoorie	17
2.	Railway Staff College, Baroda (First Phase)	12
3.	Area School to learn Guard's duties (Phase I)	4
4.	Working as Guard	3
5.	Booking/Parcel office, Goods shed and Transhipment shed.	10
6.	Traffic Accounts and Travelling Inspector of Accounts	5
7.	Area School to learn duties of Assistant Station Master (Phase II)	4
8.	Working as Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	13
9.	Working as Assistant Loco Foreman	1
10.	Assistant Controller	4
11.	Deputy Chief Controller, Power Controller	6
12.	Railway Staff College, Baroda, Phase II	6
13.	*Training on the Eastern Railway*	
(a)	*Asansol Division.*	
(i)	Coal Pilot Working 1·5 weeks	
(ii)	Working of Andal & Assansol Yards Complex including Durgapur Steel Plant	2·5
(b)	*Dhanbad Division*	
(i)	Coal allotment procedure including field trip to yards, such as PEH and Karanpura including washeries such as PEH & Dugda	2
(ii)	Working of coal area Supdt's organisation	
(c)	Mughalsarai Marshalling Yard including visits to Manduadih—Dehri-on-sone	1
14.	*Training on South Eastern Railway*	
(i)	Chakradharpur Division Bondamunda Yard, Rourkela Steel Plant, including visit to Captive Mines	1·5
(ii)	*Bilaspur Division*	
	Bhillai Marshalling Yard, Bhillai Steel Plant and visit to Chirimiri and Mandraigarh colliery areas	1·5
15.	*Training in allotted Railways*	
(a)	Headquarters office (Optg.) 4·00	8·00
(b)	Headquarters office (Commercial) 4·00 Period set apart for journey time for taking up various items of training and inescapable leave	2·5
	Total	104 weeks or 24 months

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years' training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

15. *The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II:—*

(a) The Central Secretariat Service has at present, the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Selection Grade Deputy Secretary or equivalent	Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800
Grade I Under Secretary	Rs. 900—50—1,250.
Section Officer's Grade	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200
Assistant's Grade	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Selection Grade and Grade I are controlled by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms), on an all-Secretariat basis. Section Officer/Assistants' Grades however are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time is this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of Service Officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. *The Indian Foreign Service, Branch 'B', Integrated Grades II and III of the General Cadre (Section Officers' Grades)*—

(a) 33-1/3% of the maintenance vacancies in the Integrated Grades II and III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Class II) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800— EB —30—830—35—900.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent posts or if his work and conduct have, in the opinion of Government been unsatisfactory, may either discharge him from the service or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The total period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clause.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Foreign Trade they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While serving in Indian Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS (B) in the scale of Rs. 900-50-1,250 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of the Grade I of the General Cadre of the IFS (B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of IFS (A) in the scale of pay of Rs. 900 (6 years or under) 50-1000-60-1600-50-1800, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service, Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade. They are however, liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During service abroad, IFS (B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

(j) The Revised Leave Rules, 1933 as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For Service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revisd Leave Rules.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.

(l) Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder.

(m) officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

17. *The Armed Forces Headquarters Civil Service, Assistant Civilion Staff Officers Grade Class II.*—(a) Armed Forces Headquarters Civil Service, has at present five grades as follows :—

Grade	Scale of Pay
*(1) Joint Director (Class I)	Rs. 1,300—60—1600.
*(2) Senior Civilian Staff Officer (Class I)	Rs. 1,100—50—1,400.
*(3) Civilian Staff Officer (Class I)	Rs. 740—30—800—50—1,150.
(4) Assistant Civilian Staff Officer (Class II-Gazetted)	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1,000—EB—40—1,200
(5) Assistant (Class II-Non-Gazetted).	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800

*(The scales of pay of the above Grades are likely to be revised shortly in the light of the recommendations of the IIIrd Pay Commission).

The above Service caters for the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations of the Ministry of Defence.

Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff Officers' Grade and to the Assistants Grade only.

(b) Direct recruits to the Assistant Civilian staff officers Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge or the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further periods as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) In the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations of the Ministry of Defence, Assistant Civilian staff officers will normally be heads of Sections while Civilian Staff Officers will normally be incharge of one or more Sections.

(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Civilian Staff Officers' of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be eligible for appointment to the Grade of Senior Civilian Staff Officer of the Service and to other administrative posts in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Armed Force Headquarters Civil Service will be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time, in respect of civilian paid from the Defence Services Estimates.

18. *Customs Appraisers Service, Class II—*

(a) Recruitment is made in the grade of Appraiser in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. Appointments are made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Board of Excise and Customs may prescribe. They will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 375 unless they pass the prescribed departmental Examination in full.

(b) If on the expiration of the period of probation or any extension thereof the appointing authority is of the opinion that the selected candidate is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension thereof he is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation he may discharge him from the service or pass such orders as he thinks fit.

(c) On the successful completion of the period of probation and after passing of the departmental examination the officers will be considered for confirmation in the grade.

(d) Appraisers will be eligible for promotion to the next higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs and Central Excise Service Class I (Rs. 400-1250) in accordance with the rules in force.

(e) Regarding leave and pension the officers will be treated like other Class II officers in Central Government departments. As regards other terms and conditions of their service they will be governed by the provisions in the Recruitment Rules for the Custom Appraisers' Service, Class II. These rules particularly provide that the members of the Service will be liable to posting in any equivalent or higher posts under the Central Board of Excise and Customs anywhere in India.

19. *Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of the Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as the Government may think fit.

(d) Scales of Pay—

Grade II—Time Scale—Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the provisions of Fundamental Rule 22-B(1). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(e) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(f) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places either for training or on duty where such allowances are admissible.

(g) Officers of the Service are governed by the Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971 and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

20. *Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Goa, Daman and Diu may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.

Grade II—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale;

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment, to the Service his pay during the period of his probation in service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promoton) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Goa, Daman and Diu Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may be made or instruction issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

21. Pondicherry Civil Service, Class II—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such depart-

mental tests as the administrator of the Union territory of Pondicherry may prescribe.

(b) If in the opinion of administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry.

(e) Scales of pay-(i) Grade I (Selection Grade)—Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

(ii) Grade II (Time Scale)—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—30—830—35—900.

A person recruited on the results of competitive examination shall on appointments to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale:

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in Service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may be made or instruction issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

Note :—The pay scales of the various services mentioned above are subject to revision based on the Govt.'s decision on the recommendations of the Third Pay Commission.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India, reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

The classification of various Services under the two categories, namely "Technical" and "Non-technical" will be as under :—

A. *TECHNICAL*

(1) Indian Railway Traffic Service.

(2) Indian Police Service and other Central Police Services, Class II.

B. *Non-Technical*

IAS, IFS, IA & AS, Indian Customs Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Income Tax Officers (Class I), Indian Postal Service, Military Lands and Cantonments Service Class I and II, and other Central Civil Services Class I & II.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
(1) Indian Railway Traffic Service	152cm 150cm	84cm 79cm	5cm (for men) 5cm (for women)
(2) Indian Police Service, and Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service Class II.	165cm 150 cm	84cm 79 cm	5 cm (for men) 5 cm (for women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, Buttocks and sholuders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the sholder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses for different types of Services.

Class of Service	Distant vision		Near vision	
	Better Eye	Worse eye (Corrected vision)	Better eye	Worse eye (Corrected vision)
I.A.S., I.P.S. and Central Services Class I & II				
(*i*) Technical	6/6 or 6/9	6/12 6/9	J.I.	J.II
(*ii*) Non-Technical	6/9	6/12	J/I	J/II
(*iii*) I.O.F.S	6/6 or 6/9	6/18 6/9	J/I	J/II

(d) (i) In respect of the Technical Services mentioned above and any other Services concerned with the safety of public, the total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00 D.

(ii) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

(e) *Field of Vision* :—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness* : Broadly there are two types of night blindness: (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic disease of Ratina—a common cause being Retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A, in (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2), dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and require specialized set up, and equipment; and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employees

(g) *Colour Vision* : The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned above. As regards the non-Technical Services/posts, the Ministry/Department concerned will have to inform the Medical Board that the candidate is for a service requiring colour vision examination or not.

Colour perception should be graded into a higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour Perception
1. Distance between the lamp and candidate	16"	16"
2. Size of aperture	1·3 mm.	13 m.m.
3. Time of exposure	5 seconds	5 seconds

For the Indian Railway Traffic Service and for other Services concerned with the safety of the public higher grade of colour vision is essential but for others lower grade of colour vision should be considered sufficient.

Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lanteru like Edridge Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the Services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed. However, both the Ishihara's plates and Edridge Green's lantern shall be used for testing colour vision of candidates for appointment to the Indian Railway Traffic Service.

(h) *Ocular conditions other than visual acuity*.—

(i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity, should be considered a disqualification.

(ii) *Squint* : For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed tandard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standards.

(iii) If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has

(i) 6/6 distant vision and J 1 near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standards of visual acuity will NOT apply to candidates for posts/services classified as 'TECHNICAL'. The Ministry/Department concerned will have to inform the medical board that the candidate is for a 'TECHNICAL' post or not.

(iv) *Contact Lenses* : During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm. and diastolic over 90 mm. should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the

patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed:—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist: provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard:—

(1)	Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is passible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(*i*) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present —Temporarily unfit
		Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (*ii*) below.
		(*ii*) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
		(*iii*) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4)	Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(*i*) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
		(*ii*) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
(5)	Persistently discharging ear-operated/unoperated	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6)	Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(*i*) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
		(*ii*) If deviated nasal septum is present with symptoms — Temporarily unfit.
(7)	Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(*i*) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit.
		(*ii*) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8)	Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(*i*) Benign tumours—Temporarily unfit.
		(*ii*) Malignant Tumours—Unfit.
(9)	Otosclerosis.	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid —Fit.
(10)	Congenital defects of ear, nose or throat;	(*i*) If not interfering with functions.—Fit.
		(*ii*) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11)	Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccinations; and

(m) that he is free from communicable disease;

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50.00 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board, will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi *only* and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

MEDICAL BOARD'S REPORT

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity, unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in board terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit" the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum.* On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) .....

2. State your age and birth place.....

2. (*a*) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower ? Answer "Yes" or "No" and if the answer is "Yes" state the name of the race.

3. (*a*) Have you ever had small-pox intermittent or any other fever enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ?

(*b*) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment. ?

4. When were you last vaccinated.....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other causes ?

6. Furnish the following particulars concerning your family

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at, and cause of death.

Mother's age, if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a medical Board before ? .....

8. If answer to the above is 'Yes', please, state what Service/Services you were examined for ? .....

9. Who was the examining authority ? .....

10. When and where was the Medical Board held ? .....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known ? .....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief true and correct.

Candidate's Signature.....

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statements. By willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1. General development : Good .....Fair..... Poor .....

Nutrition : Thin .....Average.....Obese ..... Height (Without shoes) .....Weight ..... Best Weight .....When?.....any recent change in weight ..... Temperature .....

Girth of Chest.

(1) After full inspiration

(2) After full expiration

2. Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes : .....

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus examination .....

Acuity of vision	Nacked eye	With glasses	Strength of glass sph.	Cyl.	Axis
Distant vision . . .	R.E.				
	L.E.				
Near vision . . .	R.E.				
	L.E.				
Hypermetropia. . . (Manifest)	R.E.				
	L.E.				

4. Ears : Inspection .....Hearing Right Ear..... Left Ear .....

5. Glands .....Thyroid .....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ..... if yes, explain fully—

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ?.....Rate Standing .....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping .....

(b) Blood pressure : Systolic .....Diastolic .....

9. Abdomen : Girth .....Tenderness ..... Hernia .....

(a) Pulpable : liver .....Spleen ..... Kidneys .....Tumours .....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities .....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele. Varicocele etc.
Urine Analysis

(a) Physical appearnce

(b) Sp. Gra .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render bim unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

NOTE :—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit *vide* Regulation 9.

15. (*i*) State the Service for which the candidate has been examined :

(*a*) I.A.S. & I.F.S.

(*b*) I.P.S. and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police Service,.....

(*c*) Central Services, Class I & II .....

(*ii*) has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in :

(*a*) I.A.S. & I.F.S. .....

(*b*) I.P.S. and Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service .....

(*see* especially height, chest girth, eye sight, colour blindness and locomotive system).

(*c*) Indian Railway Traffic Service (*see* especially height, chest, eye sight, colour blindness).

(*d*) Other Central Services Class I/II

.....

(*iii*) Is the candidate fit for FIELD SERVICE

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :—

(*i*) Fit.

(*ii*) Unfit on account of .....

(*iii*) Temporarily unfit on account of .....

Place .....

Date .....

Chairman .....

Member .....

Member

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 16th February 1974

RESOLUTION

No. 35-2/73-L.D.III.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 7th May, 1973 regarding reconstitution of Gosamvardhana Advisory Council, it has been decided by the Government of India to the appointment of the following persons with immediate effect for a period upto 31-3-1976 to serve as members of the Council :—

1. Dr. Govind Das, M.P. Lok Sabha.
2. Shri M. Bheeshamdeva, M.P. Lok Sabha.
3. Shri Ranbir Singh, M.P. (Rajya Sabha).

2. It has also been decided to the appointment of the Director of Dairy Development, Kerala, Trivandrum as a member of the Council *vice* Milk Commissioner, Kerala.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of U.Ts. and the Departments/Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Sectt., Prime Minister's Sectt., Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. MALIK, Director (AH & SL)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 15th February 1974

RESOLUTION

No. 2-5/73-II.RPU.—In partial modification of Resolution No. 2-5/73-RPU dated 31st July, 1973, the Government of India hereby nominate Smt. S. Doraiswamy, Deputy Educational Adviser (Adult Education), Department of Education, Ministry of Education and Social Welfare *in place of* Shri Veeraraghavan, Director (Planning), Department of Education, Ministry of Education and Social Welfare, as a member of the Advisory Committee on the 'Experimental Non-Formal Education Project for Rural Women to Promote the Development of Young Child'.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. P. TRIVEDI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974